दशम माला,

06 August, 1992,
1914 (शक)

लोक सभा वाद विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

दसम माला, खंड 15, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 6 अगस्त, 1992/15 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि	1
निधन संबंधी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 428 से 430 और 432	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—225
तारांकित प्रश्न संख्या : 431 और 433 से 449	20—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4455 से 4497, 4499 से 4558, 4560 से 4575, 4577 से 4587, 4589 से 4613, 4615 से 4626, 4628 से 4690 और 4690-क	29—205
प्रतिभूतियों, शेयरों, बंधपत्रों आदि से संबंधित संव्यवहारों में हुई अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों तथा इसके सभी पहलुओं और दुष्प्रभावों की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति	225—237
स्वीकृति के लिए प्रस्ताव	
श्री गुलाम नबी आजाद	225
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	229
श्री सोमनाथ चटर्जी	230
श्री चन्द्रजीत यादव	230
श्री नीतीश कुमार	231
श्री विजय कुमार यादव	232
श्री के०पी० रेड्डय्या यादव	232
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	233
श्री चित्त बसु	234

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	237—238
उन्नीसवां प्रतिवेदन	
स्वीकृति के लिए प्रस्ताव	
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	237
श्री राम नाईक	238
सभा पटल पर रखे गए पत्र	241—243
नियम 377 के अधीन मामले	243—248
(एक) मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी पुष्पा देवी सिंह	243
(दो) महाराष्ट्र में सोनेगांव हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	244
(तीन) केरल के इदुक्की जिले के लिए समेकित विकास कार्य-क्रम बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पाला के०एम० मैथ्यू	245
(चार) उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	245
(पांच) केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
डा० लाल बहादुर रावल	246
(छः) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जनपदों के मुख्यालयों में रेशम डिपो खोले जाने की आवश्यकता	
श्री राम बदन	246
(सात) पश्चिम बंगाल के संतरगाची रेलवे स्टेशन पर रेलवे सेंटेनरी सेंक्चुअरी का विकास किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	246

(आठ) हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पोंग बांधों के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम धूमल 247

(नौ) आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा-कोटिपल्ली रेल लाइन को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री जी०एम०सी० बालयोगी 248

अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेलवे), 1992-93 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1988-89 248—304

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 248

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये 252

श्री रवि राय 254

श्री शरद दिघे 261

श्री बसुदेव आचार्य 263

श्री विश्वनाथ शास्त्री 268

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 270

डा० राजगोपालन श्रीधरण 274

श्री राजेश कुमार 275

श्री सत्यनारायण जटिया 277

श्री के०वी० तंग्काबालू 282

श्री तरित वरण तोपदार 285

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 287

डा० एस०पी० यादव 290

श्री जी०एम०सी० बालयोगी 291

श्री ई० अहमद 292

श्री आर० जीवरत्नम 294

श्री याइमा सिंह युमनाम 296

श्री वी० धनंजय कुमार 298

श्री चित्त बसु 300

लोक सभा

गुरुवार, 6 अगस्त, 1992/15 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

हिरोशिमा पर गिराये गए प्रथम परमाणु बम के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आज के दिन हम 6 अगस्त, 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराये गए प्रथम परमाणु बम से हुए व्यापक विध्वंस तथा अकल्पनीय मानवीय दुःख का स्मरण करते हैं। विश्व इस सदमे से मुश्किल से ही उभर पाया था कि 9 अगस्त, 1945 को जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया।

विश्व पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। बम का रेडियोधर्मी प्रभाव इतना अधिक था कि उसके भयानक परिणामों से बाद की पीढ़ियां भी नहीं बच सकीं। तब से परमाणु युद्ध का खतरा अपने सभी विनाशकारी परिणामों सहित मानव जाति पर डैमोकल की तलवार की भांति आतंकित कर रहा है। अतः यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि निरस्त्रीकरण तथा आणविक भंडार को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जाने पर विश्व ने राहत की सांस ली।

तथापि, यह प्रोत्साहन जनक बात है कि संकट को टालने तथा परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। यह सभा ऐसे सभी प्रयासों का पूर्णतः समर्थन करती है जो हमारी संघर्षपूर्ण धरती में शान्ति बहाल करने तथा परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए किए जा रहे हैं।

अब सदस्य परमाणु विध्वंस से मारे गए व्यक्तियों की स्मृति में थोड़े समय के लिए शान्त होंगे खड़े होकर।

11.02 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.04 म० पू०

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, श्री अच्युत पटवर्धन, विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी और विचारक थे। उनका 5 अगस्त, 1992 को वाराणसी में निधन हुआ। वे 87 वर्ष के थे।

श्री पटवर्धन स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका ने उन्हें एक ऐतिहासिक बना दिया था। यह एक बहुत बड़ी तथा आश्चर्यजनक संयोग की बात है कि कुछ ही दिनों के बाद, हम उस महान घटना की 50वीं वर्षगांठ मनायेंगे, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश-राज से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी।

1932 में गांधी जी के सिविल असहयोग आंदोलन में कूदने से पूर्व श्री पटवर्धन ने अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था। अपने प्राध्यापक काल के दौरान उन्होंने इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की जहां वे समाजवादी तथा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए।

वे आचार्य नरेन्द्र देव तथा श्री जयप्रकाश नारायण, जैसे अन्य महान समाजवादियों के घनिष्ठ सहयोगी थे, जिन्होंने आम जनता के बीच समाजवादी गतिविधियों का प्रसार करने के लिए कार्य किया। उन्होंने समाजवाद तथा अन्य विषयों पर कई पुस्तकें लिखीं।

1950 में, श्री पटवर्धन ने सक्रिय राजनीति में भाग लेना छोड़ दिया था और पुनः शैक्षणिक वृत्ति आरंभ कर दी और 1966 तक वे इसमें लगे रहे। उसके बाद से अन्त तक उन्होंने एकाकी तथा निवृत्त जीवन व्यतीत किया।

उनकी मृत्यु से देश ने एक सच्चा राष्ट्रवादी, एक गांधीवादी, एक उत्साही समाजवादी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के जीवित प्रकाश स्तम्भों में से एक को खो दिया है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को आगामी वर्षों में याद किया जायेगा और वे भावी पीढ़ी को प्रेरित करती रहेंगी।

हम इस उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा एक श्रेष्ठ व्यक्ति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

अब सभा मृतक के सम्मान में थोड़ी देर के लिए शांत होकर खड़ी होगी।

11.06 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

———

11.08 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नई कृषि प्रौद्योगिकियां

***428. श्री आर्क फर्नान्डीज**† :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को, उनके उपयुक्त नई प्रौद्योगिकियां अन्तरित करने का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अनुसंधान एककों को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को अन्तरित की गई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से किसानों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाकर देश के प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां। भा० कृ० अनु० परिषद के अनुसंधान संस्थानों (42), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (27), कृषि विज्ञान केन्द्रों (187), और

कुछ प्रख्यात स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को नई स्थायी प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है। ये संस्थाएं सिर्फ प्रथम स्तर के विस्तार कार्यों से ही सम्बन्धित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में किसानों तक पहुंचाई गई प्रौद्योगिकियों में खाद्यान्न, दलहनी फसलों, तिलहनी फसलों, व्यावसायिक फसलों, फल और सब्जियों तथा मात्स्यिकी आदि का उत्पादन बढ़ाने की नवीनतम तकनीकें शामिल हैं। विशेष तौर पर कम साधन वाले गरीब किसानों के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, मधुमक्खी, (मौना) पालन, खुम्भी उत्पादन, सूअर पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन की प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के खेतों पर प्रमुख फसलों की 245 किस्मों का प्रदर्शन किया है।

(ग) विभिन्न स्थितियों में विविध फसलों के खेतों पर किए गए प्रदर्शनों से पता चला है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकियों से फसल उत्पादन 50 प्रतिशत से 300 प्रतिशत बढ़ायी जा सकती है। पिछले तीन वर्षों में भा० कृ० अनु० परिषद के प्रथम स्तर के विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 15 लाख किसानों को फसल उत्पादन की नयी विधियों के बारे में शिक्षित किया गया और 24,115 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा 6 लाख किसानों को नई कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) भा० कृ० अनु० परिषद किसानों तथा राज्य के कृषि विभाग के कार्यकर्त्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी देने और उसके महत्व को बताने के लिए अपने प्रथम स्तर की विस्तार प्रायोजनाओं के माध्यम से उत्प्रेरक भूमिका निभा रही है। भा० कृ० अनु० परिषद की प्रथम स्तर की प्रायोजनाएं ये हैं—(i) राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजना, (ii) व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना, (iii) कृषि विज्ञान केन्द्र, (iv) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, (v) जनजातीय क्षेत्र से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना, (vi) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वित प्रायोजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कारगर प्रबंध और कम खर्च के लिए इन प्रायोजनाओं को कृषि विज्ञान केन्द्रों में शामिल किया जा रहा है। किसानों के हित के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि भा० कृ० अनु० परिषद के विस्तार तंत्र के माध्यम से प्रथम स्तर की विस्तार भूमिका निभा रही है, लेकिन राज्य के कृषि विभागों के विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से देश के सभी किसानों को नयी प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री लार्ड फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, किसी भी टैक्नोलॉजी की और उसके ट्रांसफर की बात जब करनी है तो हम मानते हैं कि दो अत्यावश्यक चीजें होती हैं। वे इन सारी बातों को समझ सकें चूंकि जब आप फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं तो नीचे जमीन तक उसको पहुंचाने वाली जो जमात हैं और जिनको उस टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उनमें अगर उसको समझने की क्षमता नहीं होती है तो बाद में कोई बात नहीं बनती है। इसके साथ ही दूसरी आवश्यक चीज है वह है कि भूमि का मालिक कौन है, यानि भूमि-सुधार का मामला। बिहार में इस वक्त जमीन को लेकर संघर्ष चल रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश और देश के अन्य अनेक सूबों में इस समस्या का हल नहीं हुआ है कि भूमि का मालिक कौन होगा। जो छोटा किसान है, जो खेत मजदूर है, उसकी

हालत तो आप-हम सब लोग जानते है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जब सारी टैक्नोलॉजी की और आई० सी० ए० आर० के जरिये चलने वाले काम की चर्चा कर रहे हैं तो आपका मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों से (1) भूमि के वितरण के प्रश्न को लेकर, और (2) किसान उस टैक्नोलॉजी को समझने की क्षमता पाये, इसके लिए क्या कोई योजना बनाना चाहते हो, वरना यह सब ऊपरी तौर पर जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हीं तक सीमित होकर रहने वाली बात है ।

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : महोदय, प्रश्न के ये पहलू कि क्या भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् प्रौद्योगिकी अंतरण के कार्य में लगेगी अथवा अनुसंधान तथा शिक्षा के कार्य में, विगत में भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् द्वारा कई बार जांच की जा चुकी है । भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् के मुख्य लक्ष्य अनुसंधान तथा शिक्षा का संचालन करना है । अतः इसके अंतरण का कार्य राज्य सरकारों पर निर्भर करता है । भारतीय कृषि तथा अनुसंधाम परिषद् द्वारा प्रथम पंक्ति प्रौद्योगिकी के अंतरण के पश्चात् उस प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने का कार्य राज्य सरकारों का है । मैं भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् के उद्देश्य को कम नहीं करना चाहता हूं जो कि अनुसंधान करना है । यह विस्तार कार्य राज्य सरकारों के लिए छोड़ दिया गया है और क्षेत्र स्तर पर किसानों तक यह प्रौद्योगिकी पहुंचाना उनका कार्य है ।

दूसरी बात भूमि के स्वामित्व के बारे में है और वह भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित मुद्दा है । भूमि सुधार अधिनियम के बाद किसान ही भूमि के स्वामी होते हैं और हमारी अधिकांश योजनायें भूमिहीन तथा सीमान्त किसानों के लिए हैं, जो खेतों में कार्य कर रहे हैं । प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम सीमान्त किसानों तथा कृषिगत भूमिहीन श्रमिकों के लिए है तथा यह देखना होता है कि श्रमिकों को कम कीमत पर प्रौद्योगिकी, जिसे हम के० वी० के० तथा भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद् के अन्य संस्थानों के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार प्रदान की जा सकती हैं ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आपने देखा कि मेरे प्रश्न के पहले हिस्से का कोई जवाब नहीं आया, शायद मंत्री जी ने नहीं समझा कि मेरा प्रश्न क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : एजूकेशन ऑफ द फारमर्स ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, और उस जिम्मेदारी को अगर आपका मंत्रालय नहीं लेता तो आपके आई० सी० ए० आर० का सारा काम कुछ सम्पन्न किसानों तक, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक ही सीमित रहेगा ।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : बात यह है कि सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात सही है कि जब तक सारा प्रकरण भूमि सुधार का ठीक नहीं होता तो आमतौर पर जितने भूमिहीन किसान हैं, जिनको भूमि का अन्तरण ठीक से, व्यापक रूप में नहीं हुआ, इसका वे शायद फायदा न उठा सकें और यह रूरल डेवलपमेंट से ताल्लुक रखता है, हम उनको करते भी रहेंगे, बात भी करेंगे । लेकिन जो आपने बात कही, उस पर मैं थोड़ा-सा विस्तारपूर्वक बताना चाहता हूं ।

जो रिसर्च हम करते हैं, उसके लिए प्रकरण एक्सटेंशन को बढ़ावा देने का है, वह व्यापक रूप है और इसी हिसाब से हम यह चाहते हैं कि सारे देश में और हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र हो, अन्ततोगत्वा, क्योंकि जो पहला कमीशन बैठा था, उसने तो यह भी कहा था कि एक जिले में तीन केन्द्र हों। हमने पिछले सालों में, एक साल में, दो लाख आदमियों को कृषि विज्ञान केन्द्र से संबंधित ट्रेनिंग दी है। यह ट्रेनिंग एक दिन से लेकर एक साल तक चलेगी। वह इसलिए होता है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, उनसे कुछ खास बात बतानी होती है, कुछ 7 दिनों के लिए आते हैं, कुछ महीने-भर के लिए आते हैं, लेकिन जो व्यापक स्टडी करना चाहते हैं, वे एक महीने से लेकर एक साल तक भी रहते हैं ताकि व्यापक तरीके से समझ सकें क्योंकि एक्सटेंशन के बगैर काम बनता नहीं है। वे स्टेट यूनिवर्सिटीज के मारफत भी, आपके जो स्टेट्स में एग्रीकल्चर के डिपार्टमैंट हैं, उनके मारफत भी और आई० सी० ए० आर० की मारफत भी, तीनों की जो सैंटेलैटिक पद्धति है, जैसे न्यूक्लिअस सीड होता है, फिर फाउन्डेशन सीड होता है और फिर प्योर लाइन सीड होता है, उसी प्रकार हम इसको चलाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक व्यापक तौर पर आम आदमी को पता नहीं लगेगा तो वह फायदा कैसे उठायेगा और यही बात है जिससे इम्बैलेंस है। जिन लोगों ने इसे पकड़ लिया, जिन स्टेटस ने, मुझे तो अपना शर्म है कि पंजाब में हमने किस तरह से एक्सटेंशन के काम को किया—एक-एक गांव में, एक्सटेंशन को, खरीद करके, एक डिमोंस्ट्रेशन प्लाट, एक-एक फारमर को उसमें सम्मिलित किया, उसके खेत में, खेती करके उसको दिखाया। फिर दूसरे लोगों ने भी उसको देखा कि इस तरह खेती करने से फायदा क्या-क्या होता है और तीन-तीन दफा रेडियो से, टेलीविजन से हमने लोगों के घरों तक पहुंचाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि कि वह एक्सटेंशन का काम जब हमने सूबे में किया, तब बात बनती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस एक्सटेंशन के काम को हमें सब सूबों में करना चाहिए जिससे कि हिन्दुस्तान में इम्बैलेंस भी खत्म हो, आपकी भूख भी खत्म हो और जिस तरीके से यह अभी तीन सूबों पर आधारित है अन्न के लिए, वह हमारी समस्या भी हल हो जाए।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यदि पहले ही मंत्री महोदय जवाब दे देते, तो बात साफ हो जाती।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि पिछले एक-दो साल से डंकल के प्रस्तावों लेकर बहस चल रही है और आज गैट अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीशाही हिन्दुस्तान की खेती पर हावी होना चाहती है और विशेषकर बीज के मामले में। उनकी आज जो साजिश है, वह विश्व-भर में स्पष्ट हो चुकी है और वे इस प्रकार से अपने बीज को हिन्दुस्तान में घुसेड़ने का काम कर रहे हैं और आगे जाकर उस बीज की मालिकी अपने ही ऊपर लेने, अपने ही हाथ में रखने का काम करेंगे, तो ये जो उनके दो प्रस्ताव हैं, क्या उनके बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री या जो भी मंत्रालय, जिसके ऊपर गैट के मामले में आगे बहस चलाने की जिम्मेदारी है, उस मंत्रालय के साथ क्या आपके मंत्रालय की कोई बातचीत हुई है और अगर हुई है, तो आपकी, आपके लोगों की इस पर क्या भूमिका है ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से यह प्रश्न तो पैदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं ज्ञात कराना चाहता हूं कि हम जागरूक हैं और हम भारत के किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, यह हमारा फर्ज बनता है, जब बात होगी, तो पहले आपके यहां आएगी, इस सदन में डिसकस होगी, यह तय हो चुका है। उसके पश्चात् जो भी जैसा होगा, जो हमारे फायदे का होगा

उसको हम देखेंगे और जो हमारे नुकसान की होगी, उसको हम देखेंगे और उसके बाद ही हम इसका निराकरण करेंगे कि किस चीज को हम अपनाना चाहते हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा ठोस प्रश्न था कि आपके और संबंधित मंत्रालय के बीच में कोई स्पष्ट विचार-विमर्श हुआ है?

श्री बलराम जाखड़ : बातचीत होगी और हो रही है, हमसे भी पूछेंगे। हमने भी अपनी राय दी है कहां-कहां हमारा फायदा हो सकता है, कहां-कहां हमें यह सूट नहीं करेगा, इन सब बातों को देखकर करेंगे।

डा० महादीपक सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने प्रश्न के खण्ड 1 में कई संस्थाओं का जिक्र किया है, जो इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाते हैं। आपने 42 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों और कुछ प्राइवेट स्वयंसेवी संगठनों का उल्लेख किया है, तो मेरा साधारण प्रश्न है कि आप कृपया यह बताएं कि स्वयंसेवी प्रख्यात संगठन जिनको आपने यह काम सौंपा है, उनके लिए क्या मापदण्ड हैं और राज्यवार कितने ऐसे संगठनों का चयन किया है जिनको आपने यह काम सौंपा है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसे प्रश्नों का तो लिखित उत्तर दे सकते हैं। यह तो आप स्टेटिस्टिक्स पूछ रहे हैं। मंत्री जी, अगर आपके पास सूचना है, तो दे दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसे गड़बड़ करने से कोई फायदा नहीं है। उसमें कुछ निकलना चाहिए। वे तो स्टेटिस्टिक्स पूछ रहे हैं, उनको लिखकर वे भेज देंगे।

श्री बलराम जाखड़ : कोंकण विद्यापीठ है और कुछ इस प्रकार की संस्थाएं हैं जिनके पास आधारभूत मापदण्ड हैं और बाकी लिस्ट मैं आपको लिखकर भेज दूंगा।

डा० महादीपक सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मापदण्ड पूछा है वह तो कम से कम ये लिखकर बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय का उपयोग अगर आप अच्छी तरह से करते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलोजी से संबंधित, आई० सी० ए० आर० में मूलतः कृषि अनुसंधान का कार्य होता है और आई० सी० ए० आर० द्वारा ही कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्पोंसर किया गया है। विस्तार कार्यक्रमों को, जो टैक्नोलोजी हमको प्राप्त हुई है अनुसंधान के जरिए, उसको कृषकों तक पहुंचाने के लिए। हम लोग भी इस बात को जानते हैं, अध्यक्ष महोदय आपको भी स्मरण होगा कि कृषि विज्ञान केन्द्र अधिक से अधिक संख्या में खोले जाएं और जिस नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है, उसने तो कहा था कि प्रत्येक जिले में 3 केन्द्र खुलने चाहिए, कम से कम एक केन्द्र खोलने का सरकार ने माना। आपका भी इरादा ऐसा था और आपसे पूर्व की सरकारों का भी ऐसा इरादा रहा है। पूर्व की सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष जी, जो सबसे बड़ी कठिनाई है इस सिलसिले में वह धन की है। कृषि मंत्रालय भी चाहता है, आई० सी० ए० आर० भी चाहता है कि अधिक

से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएं, लेकिन बाधा आती है योजना आयोग की तरफ से। योजना आयोग इस पर कुंडली मारकर बैठा रहता है। कभी फंडिंग पैटर्न के नाम पर और कभी किसी दूसरी चीज के नाम पर। इनको खोलने के लिए जिस अपेक्षित धनराशि की जरूरत है, वह आई० सी० ए० आर० को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसके कारण कृषि विज्ञान केन्द्रों का खुलना रुका हुआ है। यह बहुत पुराना प्रस्ताव था। हम लोगों की सरकार के समय में भी था। उनमें कुछ प्रस्तावों को आपने अब स्वीकार किया है और उनको लागू करने का काम शुरू किया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री जी ने इस सवाल को प्रधानमन्त्री महोदय के साथ टेकअप किया है और क्या प्लानिंग कमीशन के साथ इस सवाल को टेकअप किया है कि यह जो सबसे उपयोगी स्कीम है ट्रांसफर आफ टैक्नोलोजी की दृष्टि से, जो रिसर्च होता है उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए, उसको दृष्टि में रखकर अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों को इस वित्तीय वर्ष में खोलने के लिए और आठवीं पंचवर्षीय योजना में नैशनल एग्रीकल्चरल कमीशन के रिकमेंडेशन्स के मुताबिक प्रति जिले में तीन नहीं तो कम से कम एक जिले में इस पंचवर्षीय योजना में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की अनुमति प्लानिंग कमीशन के माध्यम से मिल जाएगी और क्या आप इस सवाल को टेकअप करेंगे या करायेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, कानूनी बात के हिसाब से मेरे पास कुछ समस्या पैदा होती है। मेरे से पहले जो मंत्री थे उन्होंने 74 कृषि विज्ञान केन्द्रों का ऐलान किया। लेकिन उस ऐलान के पीछे न तो फाईनेंस सैंक्शन था, न प्लानिंग कमीशन की सैंक्शन थी। अब जब हमारे पास सैंक्शन आई है, मेरे सामने दुविधा यह पैदा हुई कि मैं उसकी छंटनी कैसे करूं। माननीय सदस्य कहेंगे कि पहले तो ऐनाउंस कर दिया था, यह शायद पार्टीबाजी के हिसाब से इन्होंने उसको उलटा कर दिया। लेकिन सारे का सारा मनगढ़ंत था। सवाल यह पैदा होता है कि उन 74 को मैं पहले किसी प्रकार से निभाऊंगा। उनके दिए हुए असत्यवादी वचन को सत्य में परिणीत करूंगा। फिर बाकी दूंगा। उसके लिए मैं लिखत-पढ़त पूरी कर रहा हूं। जितना जोर लगता है लगा रहा हूं क्योंकि जब तक साधन ऐलाऊ नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं आएगा तब तक विज्ञान केन्द्र नहीं खुल सकते हैं।

श्री तारा सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्कीम तो बहुत अच्छी थी, उस पर, लोगों को बड़ी आशाएं थी। लेकिन आज जो हालत है, विलेजेस में जो हमारे कार्यकर्ता आते हैं उनके पास इतनी नौलेज नहीं होती है। आज जो प्रोग्रेसिव स्टेटस हैं, उनके जमींदार चाहे वे टेलीविजन की मार्फत हो चाहे रेडियो की मार्फत हो, समझदार हैं। लेकिन जब हमारे कर्मचारी उनको जाकर कुछ बताना चाहते हैं तो उनका इलम किसानों से कम होता है। उस कारण उन लोगों में कनफ्यूजन होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी हम लैब टू लैंड भेजते हैं, क्या उनका भी इम्तहान लेते हैं कि वे उनको ठीक तरह से गाइड कर सकते हैं या नहीं?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर जानकारी नहीं होती तो आज यह तरक्की क्यों होती। जानकारी होती है। कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हो रही है; उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेजेंगे। आजकल किसान भी उन्नति के रास्ते पर हैं, जिन्होंने सीख लिया और कर लिया।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरलु : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि का संबंध है हमें वास्तव में

इस देश के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया, सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास किया है। किन्तु, वैज्ञानिकों से किसानों तक इस प्रौद्योगिकी को पहुंचाने में वास्तव में भारी हानि होती है। एक अक्षम क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता ही इस प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाता है अथवा सौंप रहा है। वास्तव में इस प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने के लिए निचले स्तर पर मानव संसाधन विकास का ध्यान उचित ढंग से नहीं रखा जा रहा है।

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जो वास्तव में निम्न स्तर पर इस प्रौद्योगिकी को पहुंचायेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी खोलकर उप-सहायक स्तर पर मानव संसाधन विकास के लिए के० वी० के० स्तर के माध्यम से करने पर विचार किया जा रहा है जिन्हें अब जिला स्तर पर खोला जा रहा है।

जब तक यह कार्यक्रम आरंभ नहीं किया जाता और जब तक एक सक्षम संवर्ग का विकास नहीं किया जाता तब तक प्रौद्योगिकी अंतरण उचित नहीं होगा और क्षति बहुत अधिक होगी।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस प्रश्न पर 25 मिनट लगाए हैं; कृपया संक्षिप्त में बोलें ! प्रश्न करें।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या सरकार के० वी० के० में पोलिटेकनिक खोलेगी और उप-सहायकों की भर्ती करके प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सक्षम संवर्ग का सृजन करेगी।

श्री बलराम जाखड़ : हमें ध्यान रखना है कि हमारे लोगों को जिन्हें लोगों से मिलना है तथा उन्हें अनुदेश देना है, विशेष गुणवान होना चाहिए। अन्यथा, यह एक नकारात्मक उत्पादन होगा। अतः मैं नकारात्मक होना नहीं चाहता हूं। मैं सकारात्मक होना चाहता हूं। मैं राज्य सरकार के माध्यम से वहां के विश्वविद्यालयों को इसके बारे में विचार करने के लिए कहूंगा।

महिलाओं की सहकारी समितियां

*429. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता और विपणन सुविधा उपलब्ध कराकर महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के आबंटन के मामले में महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सहकारी समितियों के माध्यम से स्वनियोजित महिलाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्तावित कार्य-योजना क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। महिलाओं की सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियों को कृषि ऋण के संवितरण, विपणन, परिसंस्करण, कुक्कुट पालन, डेयरी उपभोक्ता जिंसों के संवितरण आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) सरकार की यह नीति रही है कि वह महिलाओं की सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियों को उनके आर्थिक कार्यकलापों के अनुपालन में प्राथमिकता दें।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनन्य रूप से महिलाओं की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता की एक नयी योजना का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का महत्व थोड़ा कम हो गया है क्योंकि यह महिलाओं के कल्याण से संबंधित था। मैंने यह प्रश्न मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पूछा था लेकिन इसे इस मंत्रालय को दे दिया गया। किसी भी स्थिति में इस प्रश्न को पूछने का मुख्य प्रयोजन यह है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कई काम किए जाने हैं। जब तक आर्थिक शक्ति महिलाओं के हाथ में नहीं दी जाती, तब तक वास्तविक शब्दों में कोई सुधार नहीं हो सकता।

जहां तक आर्थिक शक्ति ग्रामीण लोगों के हाथों में आने का प्रश्न है, सहकारी समितियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। अतः यदि सहकारी समितियां चलानी हैं तो जो कुछ उत्पादित किया जाता है उसका विपणन भी करना होगा। उसे बेचना होगा। इसी कारण इसका सार यह है कि उनके लिए बाजार की भी अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए जिनकी सरकारी एजेंसियों और सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे प्रश्न की यह पृष्ठभूमि है।

भाग (ग) तथा (घ) का उत्तर यह है :

"सरकार की यह नीति रही है कि महिलाओं की सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियों को उनके आर्थिक कार्यकलापों के अनुपालन में प्राथमिकता दे।"

यह थोड़ा-सा अस्पष्ट है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में कहिए। आप सीधे प्रश्न पर आएं।

श्री सुधीर सावन्त : व्यवहारिक अर्थों में यह ऊपरी तौर पर कहीं दिखाई नहीं देते। महिलाओं की सहकारी समितियों को—किसी भी क्षेत्र में प्राथमिकता नहीं दी जाती—सरकारी क्षेत्र के एककों में अथवा स्वयं सरकार में—महिला सरकारी समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद के लिए और एजेंसियां आबंटित करने में, जैसे आर सी एफ की एजेंसियां और आई पी सी एल और इंडियन ऑयल में इन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती।

अतः मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि वे कौन-सी गतिविधियां अथवा वे कौन-सी एजेंसियां हैं जो महिला सहकारी समितियों को देने के लिए नीति में रखी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : महिला सहकारी समितियों के लिए कौन-कौन से कार्यकलाप आरक्षित रखे गये हैं?

श्री बलराम जाखड़ : अभी तक किसी भी सहकारी समितियों में कोई विभेद नहीं किया गया है। केवल आठवीं योजना के लिए हम सुझाव दे रहे हैं कि विशेषकर महिलाओं की सहकारी समितियों को बढ़ाने के लिए पुनः बल दिया जाना चाहिए।

अभी तक हमने सभी सहकारी क्षेत्र का विस्तार व विकास किया है। यही कुछ किया गया है।

श्री चव्हाण बैठे हुए हैं। जब वे वित्त मंत्री थे, पति-पत्नी साथ थे। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं ईश्वर द्वारा उन्हें तैयार किया गया है, तो मैं उन्हें कैसे अलग कर सकता हूं? लेकिन अब हम उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य बात केवल यह है कि उनकी बेहतरी के लिए प्राथमिकता देनी होगी।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इस बात को समझता हूं तथा जहां तक मैं जानता हूं हमारे पास 5478 सहकारी समितियां केवल महिलाओं के लिए हैं, जिसकी 539 लाख महिलाएं सदस्य हैं तथा इन समितियों का 28.69 करोड़ रु० का कारोबार है। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए हमारे पास विशिष्ट कार्यक्रम है तथा हम सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 करोड़ रु० निवेश कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में जहां केन्द्रीय योजना है, हम वहां महिला समितियां खोल रहे हैं, हम उन्हें न केवल मौखिक रूप से सहायता देंगे बल्कि उन्हें 40,000 रु० का शेयर पूंजी अंशदान, 40,000 रु० की कार्य पूंजी अंशदान और लगभग 20,000 रु० की राज सहायता भी देंगे। अतः आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और वे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकें।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, प्रश्न का आंशिक रूप से उत्तर दिया गया है, मैंने महिलाओं की सहकारी समितियों के लिए आवश्यक रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए कहा था तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऋण के रूप में सहायता आज भी दी जा रही है। वास्तव में महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में काफी कुछ किया है। लेकिन वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हुई हैं और इसका कारण है कि उनके लिए आवश्यक रूप से बाजार की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे विशिष्ट रूप से यह पूछना चाहूंगा कि क्या महिलाओं की सहकारी समितियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए आवश्यक रूप से बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री बलराम जाखड़ : हमारा यही लक्ष्य है। नागरिक आपूर्ति, उर्वरक तथा यहां तक कि रेल मंत्रालय से भी इस पहलू के संबंध में ध्यान देने के लिए कहा गया है।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : अध्यक्ष महोदय, महिला सहकारी समितियों के शीतागार की सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। ग्रामीण महिलाएं जो सब्जियां तथा अन्य शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, उन्हें अपनी वस्तुओं का विपणन करने में कठिनाई हो रही है तथा उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री बहुत ही कम दामों पर करनी पड़ती है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों में शीतागार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव है। यदि नहीं, तो मैं अनुरोध करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला सहकारी समितियों में शीतागार की सुविधाएं दी जाएं।

श्री बलराम जाखड़ : हम उन्हें मार्गनिदेश और राजसहायता देने के लिए हर प्रकार से सहायता करेंगे।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : महोदय, महिलाएं बाजार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों तथा अन्य उत्पादों का उत्पादन करने में काफी प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उन्हें अन्य सरकारी एजेंसियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है जिनके द्वारा वे अपने उत्पादों का विपणन कर सकें। यदि स्क्रीनिंग, खाद्य-प्रसंस्करण, पैकिंग तथा राजसहायता सहित उन्हें अन्य विपणन सुविधाएं दी जाती हैं तो वे बाजार में अपने उत्पादों, विशेषकर मसाले जैसे खाद्य उत्पादों, को

तैयार व अर्ध तैयार वस्तुओं के रूप में बिक्री कर सकेंगी। ऐसी अनेकों सरकारी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा उन्हें अनिवार्य रूप से बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ कार्यक्रम लगभग सभी स्थानों पर है जो अर्ध तैयार खाद्य उत्पादों को उचित भंडारण, स्क्रेनिंग और उचित पैकिंग द्वारा इनकी बिक्री की गारंटी दे सकता है। उन्हें अपने उत्पादों का विपणन करना चाहिए। अतः, क्या इस प्रकार सरकार उन्हें सहायता देने का विचार कर रही है तथा उन्हें अपने उत्पादों के साथ सामने आने के लिए प्रोत्साहन दे रही है ताकि उन्हें अच्छी कीमतें मिल सकें तथा उनके सहकारी समितियों के साथ अच्छे संबंध रहें ?

श्री बलराम जाखड़ : अच्छे प्रबंधन तथा उद्यमशीलता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा उन्हें आगे आना है और उन्हें आगे आना होगा। और हम उनकी सहायता करने के लिए यहां हैं। हम आठवीं योजना में इसी पहलू पर गौर कर रहे हैं तथा हम चाहते हैं कि वे फलें-फूलें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा अभी मेरे सहयोगी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसका उल्लेख कर रही हूं। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे राजसहायता देने पर विचार करेंगे। क्या हम इसे सभा में दिया गया आश्वासन मानें ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं महोदया, मैंने आपको बताया है कि यह विचाराधीन है। यही हमने कहा है तथा इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन विचार करना भी सदन में दिया गया आश्वासन होता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि महिलाओं के बारे में भी वे विचार कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां हैं, उनमें से ऐसी कौन-सी एजेंसियां हैं, जिनको सिर्फ महिला सहकारी समितियों को दी जा रही हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, यह स्पेशल काम अभी शुरू कर रहे हैं। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है, सिविल सप्लाइज का है, फर्टिलाइजर का है और सिविल सप्लाइज में जो भी आती हैं। जहां वे काम कर सकती हैं, उसके लिए उनकी पूरी मदद करने की चेष्टा करेंगे।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि वे प्राथमिकता देंगे, उसी तरह से जैसे लेडीज-फर्स्ट हर बात में कहा जाता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। भावना चिखलिया जी ने जो बात कही है, मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं। आपने इसमें सूत्र वाक्य में कह दिया है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मैं जानना चाहती हूं, स्पष्ट आपने कौन-कौन से प्रावधान किए हैं कि इनमें केवल औरतों को ही प्राथमिकता दी जाएगी ? और यदि उसमें प्राथमिकता नहीं दी गई है, तो उनके द्वारा उनके नाम के आगे या दस्तखत लगवा कर या अंगूठे का ठेपा लगाकर यदि कोई पार्टी जान करके इस प्रकार से ले लेती है, तो क्या इसकी पहचान आपके मंत्रालय द्वारा की गई है ? यदि की गई है, तो ऐसे कितने मामले आपके सामने आए हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मेरे ख्याल में इन्होंने बात को सुना नहीं। पूर्णरूपेण अगर सुनते, तो बात क्लीयर हो जाती : चूंकि हम आठवीं योजना में योजना बना रहे हैं और उसमें पहली बार सिर्फ महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। जब योजना पास हो जाएगी, फिर प्राथमिकता देंगे और जब प्राथमिकता देंगे, तो बतायेंगे कि कौन-कौन-सी जगह दी हैं।

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ उड़ीसा राज्य में अलग से काम कर रही महिला सहकारी समितियो की संख्या कितनी है और वर्ष 1992-93 के दौरान विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, इसके लिए मुझे अलग से सूचना दी जाए।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मुझे प्रसन्नता है कि जिला स्तर पर हम महिला समितियों के क्रियाकलापों मे सहायता करने जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व इन महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि प्रशासन, प्रबन्ध, खान-पान इत्यादि में प्रशिक्षण होना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपसे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आपके प्रस्ताव से सहमत हैं।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि महिला सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या महिलाओं को व्यक्तिगत उद्यमों के रूप में भी प्राथमिकता दी जाएगी ? इस सन्दर्भ में क्या आप राज्य सरकारों को भी निर्देश देने की कृपा करेंगे ताकि महिलाओं के लिए स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में है तो राज्य सरकार इस पर ध्यान देगी।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मैं महिला सहकारिताओं के बारे में नहीं पूछ रही हूं। मैं महिला उद्यमियों के बारे मे पूछ रही हूं ? क्या उन्हें ऐजेन्ट आदि के रूप में कार्य करने में भी प्राथमिकता दी जाएगी ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि···

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। यह प्रश्न सहकारिताओं के बारे मे है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहानुभूति रखता हूं।

क्या मैं अब माननीय सदस्य कुमारी फ्रिडा तोपनो द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दूं ? उड़ीसा राज्य में हमारे पास सात सहकारी समितियां हैं और इनकी सदस्यता एक हजार के लगभग है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से उनके विभाग का ही प्रश्न पूछना चाहूंगी। हर साल खेती के काम में खाद की समस्या आती है। सहकारी

क्षेत्रों में जो को-ऑपरेटिव सोसायटीज का काम करती हैं, वहां वित्तीय समस्या बता करके पर्याप्त खाद उनके पास नहीं रहती है। हर साल किसानों को खाद की समस्या आती है, उनको बढ़े हुए दामों पर खाद खरीदनी पड़ती है। मैं केवल खाद के बारे में पूछूंगी कि क्या आप उसके लिए महिला को-ऑपरेटिव संस्थाओं को कोई वित्तीय सुविधा देते हुए सब्सिडाइस रेट पर ऐसी खाद उपलब्ध कराएं कि उनके द्वारा ही खाद का वितरण हो। ऐसी कोई योजना, यानी आठवें फाइव ईयर प्लान की जो बात आपने की कि वहां सब योजनाएं रखी हैं मैं केवल इसके सन्दर्भ में पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसी कोई योजना बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : आप बच्चे के जन्म से पहले ही नामकरण करना चाहती हैं तो मैं क्या करूं। बच्चे का जन्म होगा तभी तो नामकरण करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : को-ऑपरेटिव संस्थाएं हैं। मैंने पूछा कि ऐसी संस्थाएं अगर हैं (व्यवधान) तो क्या आप उनके लिए कोई विशिष्ट योजना बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं।

विद्युत शवदाह गृह

*430. **श्रीमती सरोज दुबे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से किन-किन शहरों में विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण किया गया है/किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का राज्यों को विद्युत शवदाह गृहों के निर्माण हेतु ऐसे दिशानिर्देश जारी करने का विचार है ताकि दाह संस्कार में लकड़ी के उपयोग को रोका जा सके और वनों को कटने से बचाया जा सके और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विश्व बैंक की सहायता से कोई विद्युत शवदाह गृह स्थापित नहीं किया गया है/किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि विश्व बैंक की सहायता से विद्युत शवदाह गृह स्थापित नहीं किया गया है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है यह गंगा एक्शन प्लान के तहत में आता है और यह कार्य विश्व बैंक की ही सहायता से हो रहा है। खैर इस समस्या में मैं पड़ना नहीं चाहती लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि लकड़ी के उपयोग को रोककर, वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए तथा अधजले शवों को नदी में डालकर जल प्रदूषण से बचाने के लिए क्या सरकार कोई ऐसी नीति बना रही है जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में एक विद्युत शवदाह गृह हो और क्या इसके लिए विश्व बैंक की सहायता लेगी या अन्य किसी आर्थिक संस्था की सहायता लेकर बनाएगी या फिर अपने ही बजट में कोई ऐसा प्रावधान कर रही है कि प्रत्येक जिले में विद्युत शवदाह गृह बनाये जाएं।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, जैसा कि मैंने कहा था कि इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं ली गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इस उद्देश्य के लिए सहायता की आवश्यकता है ?

श्री एम० अरुणाचलम : गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने 33 विद्युत शवदाह गृह स्वीकृत किये थे। इन 33 विद्युत शवदाह गृहों में से 27 स्थापित किये जा चुके हैं और 6 निर्माणाधीन है। हमारा इस सन्दर्भ में राज्य सरकारों को कोई भी मार्ग निर्देश जारी करने का विचार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चुशिण पटेल : इसका उद्घाटन कौन करेगा ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो पहले विलीन हो जाएगा वही करेगा।

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसाकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 27 विद्युत शवदाह गृह निर्माण का काम पूरा हो चुका है और 6 विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण कार्य चल रहा है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि हमारे यहां परम्परा रही है कि श्मशान घाट एकान्त में या किसी नदी या तालाब के किनारे, जहां जल उपलब्ध हो या फिर आबादी से दूर बनाया जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि जब भी इसके लिए स्थान का चयन होता है तो उसके लिए आप क्या आधार रखते हैं, क्या क्राइटेरिया रखते हैं, क्योंकि हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद में विद्युत शवदाह गृह इलाहाबाद विकास प्राधिकरण कालोनी और मलिन बस्ती के बीच में बनाया जा रहा है, तो क्या आप यह नहीं समझते कि इससे प्रदूषण फैलेगा और वहां की बस्ती के लोगों का मानसिक शोषण होगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार इन चीजों का निर्माण नहीं करती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : यह प्रदूषण के अन्तर्गत भी आ जाता है इसलिए केन्द्र की भी जिम्मेदारी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, एनवायरमेंट की वजह से गंगा पोल्यूशन के लिए वे मदद करेंगे। इसको स्टेट गवर्नमेंट, कारपोरेशंस करते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सरोज दुबे : हम तो यह चाहते हैं कि यह बता दें कि उसका रख-रखाव क्या होगा। **(व्यवधान)** उसमें कुछ सुधार करें ताकि उसका अधिकाधिक उपयोग हो।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, ये 33 विद्युत शवदाह गृह गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने और लकड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, जो पूर्णतः इस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती थी, स्थापित किए गए हैं ।

जहां तक इसका सम्बन्ध है, यह राज्य का विषय है । दिल्ली के संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि एक विद्युत शवदाह गृह कार्य कर रहा है और दो निर्माणाधीन हैं । इन दो में से एक इस वर्ष के अन्त तक कार्य करना चालू कर देगा । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तो प्रदूषण नियंत्रण की बात हमारे द्वारा की जाती है, लेकिन इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? (व्यवधान)

श्री तेजसिंह राव भोंसले : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि कारपोरेशंस के जरिए यह काम किया जाता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए, जंगलों की कटाई जिस ढंग से हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या शहरी विकास मंत्री ऐसा कोई कानून बनाएंगे, जिससे देश में, मुंबई जैसे बड़े-बड़े शहरों में विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण हो और लकड़ी के उपयोग को समाप्त किया जाए?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, विद्युत शवदाह गृहों में भी कमियां हैं । यह बहुत महंगा है । दूसरे इसके निर्माण पर काफी समय लग जाता है । तीसरे, यह विद्युत पूर्ति पर निर्भर होता है जो अधिकतर राज्यों में अनियमित रहती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई कानून बनाना चाहेंगे कि जिसके द्वारा आप राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए बाध्य कर सकें ?

श्री एम० अरुणाचलम : तत्काल हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बता सकती है कि दिल्ली के विद्युत शवदाह गृह में अब तक किसी मिनिस्टर, एम०एल०ए०, एम० पी० या किसी धनी आदमी का दाह-संस्कार हुआ है, सिवाए डा० राममनोहर लोहिया के ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत सारों का हुआ है ।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, मैं समझ नहीं सका कि प्रश्न क्या है ।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बता सकती है कि दिल्ली के विद्युत शवदाह गृह में डा० राम मनोहर लोहिया को छोड़कर अब तक किसी विधायक, एम० पी०, मिनिस्टर या किसी धनी आदमी का दाह संस्कार हुआ है ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, जहां तक मुझे मालूम है मैं अपने पिछले विभाग के सचिव की अन्त्येष्टि में सम्मिलित हुआ था। उनका दाह संस्कार विद्युत शवदाह गृह में किया गया था। इसके अलावा मुझे इस प्रकार की अन्य जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं सूचना एकत्र करके उन्हें भेज दूंगा।

[हिन्दी]

फलों का उत्पादन

*432. **प्रो० रासा सिंह रावत**† :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में फलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) फलों का उत्पादन उनके कृषि-जलवायु क्षेत्रों के आधार पर होता है जिनमें उनकी खेती की जाती है। समग्र रूप से फल उत्पादन में तेजी लाने के लिए उष्ण कटिबन्धीय और शुष्क तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में फलों के एकीकृत विकास को वर्तमान योजनाओं में वृद्धि की जा रही है।

(ख) और (ग) योजनाओं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित निधियों के विवरण इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये में)
1. ड्रिप/छिड़काव सिंचाई सहित उष्णकटिबंधीय और शुष्क क्षेत्र तथा समशीतोष्ण फलों का एकीकृत विकास	335.00
2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम	200.00
योग	535.00

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बताया गया है कि फलों के उत्पादन हमारे देश का जलवायु क्षेत्र पर निर्भर करता है और उससे यह पता लगता है कि कहां पर किस प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाए। जवाब में हमारे देश के उष्णकटिबंधीय और शुष्क तथा समशीतोष्ण क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि योजनाएं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से फलों का उत्पादन कितनी मात्रा में हो रहा है और उत्पादन वृद्धि के लिए भविष्य में कौन-कौन-सी योजनाएं सम्मिलित की जानी हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो फल उत्पादन के लिए विचाराधीन ही नहीं है, उसको मैं क्रियान्वित भी करना चाहता हूं। उसी के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया है, जो पिछले सालों में 32, 34 या 65 करोड़ तक था। उसी के अधीन जो सूखे क्षेत्र हैं, जहां जल कम है, वहां पर उसी प्रकार के फलों का उत्पादन करेंगे जिसमें पानी की खपत कम होती है। इससे पानी भी बच जाएगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। ब्यौरेवार यदि आप जानकारी चाहते हैं कि कौन-सी चीज का कहां उत्पादन करना है तो मैं भिजवा दूंगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि फल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को नयी-नयी टैकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को जानकारी मिल सके कि कृषि अनुसंधान संस्थाओं में अथवा विभिन्न और इनसे संबंधित जो अनुसंधान हो रहे हैं उसके आधार पर कौन से फलों का उत्पादन कौन-सी मिट्टी में किस तरह से भली प्रकार किया जा सकता है? यह जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय कौन-कौन-सी योजनाओं को या तरीकों को काम में लेगा?

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : उष्ण कटिबन्धीय और शुष्क क्षेत्रों में फलों का एकीकृत विकास :

(क) पौधशाला का विकास, पुराने फलोद्यान में उत्पादन/उत्पादकता/नवीकरण बढ़ाने के लिए, रोपण सामग्री के प्रचार-प्रसार और वितरण के लिए सन्तति फलोद्यान कार्यक्रम को सर्वोत्कृष्ट बनाना।

(ख) बागवानी में प्लास्टिक का ड्रिप, घासपात, पोली ग्रीन हाऊस और छिड़काव-सिंचाई सहित प्रयोग।

समशीतोष्ण क्षेत्रों में बागवानी का एकीकृत विकास।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अन्य फल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण बागान की स्थापना करना नागालैण्ड में बागवानी का विकास भूम खेती के बहिष्करण द्वारा।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अनानास की खेती के क्षेत्र का विस्तार।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष जी, ये योजनाएं बता रहे हैं, मैंने पूछा कि कौन-सी तकनीक काम में ली जा रही है किसानों को जानकारी देने के लिए कि इस मिट्टी में इस प्रकार के फल ज्यादा उत्पादित हो सकते हैं?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष जी, रीजनवाइज क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार कैसी भूमि है, उसमें क्या उत्पादन हो सकता है, किस तरह से हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जो पेड़ कम फल देने वाले हैं उनकी जगह कौन-सी नयी पौध लगा सकते हैं, किस तरीके से उनको प्रोटैक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें उस स्कीम में लागू होती हैं। हमने रीजन बांट रखे हैं, रीजन के हिसाब से हम सारे काम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से करवाते हैं, रीजनवाइज यूनिट्स उनको मदद देती हैं। सारा काम इस प्रकार से होता है।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी ने भी ब्यौरा दिया है उससे खेतों खलिहानों में तो नहीं, लेकिन इस सदन में ऐसा लगता है कि फल बहुत होने लगा है। मेरी दृष्टि में जितनी दवा की है फल की पैदावार बढ़ाने के लिए, फल की पैदावार उतनी ही घटती गयी है। जो पुराने हमारे बाग-बगीचे थे उसके रख-रखाव के खर्चे में बढ़ोत्तरी होने के कारण और साथ ही उसकी सुरक्षा नहीं होने के कारण वे कटते गए हैं। पहाड़ी इलाकों के भी वृक्ष कटते गए हैं, उनके भी फल कम होते गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं इनके काम में मदद करने के लिए, इन्होंने कहा है कि जलवायु के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा किया है, चयन किया है। जलवायु के आधार पर हमारे यहां कुछ फल ऐसे पैदा होते हैं जो खास-खास क्षेत्र में ही पैदा होते हैं, मैं वो फलों के बारे में, जो बिहार में होते हैं, बताना चाहती हूं···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या, ऐसे नहीं। यह लैक्चर का समय नहीं है, यह प्रश्न पूछने का समय है।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष जी, बिहार में लीची, केला और मखाना आदि फल क्षेत्र विशेष और जलवायु विशेष पर ही आधारित है। इसी तरह की और भी जगह होंगी, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्या ऐसे क्षेत्रों की पहचान आपने कर ली है? दूसरा, हमारे यहां पहाड़ सारे खाली होते जा रहे हैं, बहुत दिन से मैं सुन रही हूं कि उन पर भी फलों की खेती की जाएगी, इसकी क्या योजना है? पहाड़ों पर वृक्ष लगाने की क्या योजना है ताकि हमें फल मिल सकें? तीसरा, हमारे यहां जो भी फल होता है उसका सीधा लाभ कृषकों को नहीं मिलता है। कौन-सी व्यवस्था आप कर रहे हैं जिससे कृषकों को फल उत्पादन का सीधा लाभ मिले ओर वे प्रोत्साहित हों?

श्री बलराम जाखड़ : महामना, यह तो हमें पता होना चाहिए कि कौन-सी जगत कौन-सा फल होगा और फल उत्पादन के बाद उसकी बिक्री कहां होगी और बिक्री का किसानों को फायदा पहुंचेगा या नहीं, उसके लिए योजना बनायी जा रही है, जैसे लीची, केला, अनानास, मैंगो और ग्रेप्स कहां है तो इन सारी चीजों का विस्तार करके उस हिसाब से बढ़ोत्तरी करने की कोशिश की है। हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं था। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि उसके लिए हमने एक योजना तैयार की है। इसके लिए एग्रीमेंट हो गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से एप्रूवल हो गया है और हम 663 करोड़ रुपए की एक नयी योजना बना रहे हैं जिस प्रकार से पैकेजिंग, ग्रेडिंग, फारवडिंग, मार्किटिंग, किस तरह से प्रोसेसिंग हो और ट्रान्सपोर्ट तथा कोल्ड स्टोरेज देना है तो इन सारी बातों का उसमें विस्तार किया जायेगा और किस प्रकार से नए पौधे देने हैं। उनका संरक्षण कैसे करना है।

[अनुवाद]

उन्नत विकसित तकनीक को बढ़ाने में उर्वरकों, सूक्ष्म पुष्टि कारकों और कीटनाशक के प्रयोग सिंचाई की सुविधाओं में ड्रिपिंग सहित सुधार का प्रयोग करना।

[हिन्दी]

···(**व्यवधान**) पैसे ज्यादा लगा रहे हैं इसलिए पैसे का ज्यादा प्रावधान किया है उसका ज्यादा उत्पादन हो सके, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आमदनी भी होगी। अगर प्रोडक्शन हो जाए और बिक्री नहीं हो तो कैसे होगा। आपके लिए स्पेशल करना पड़ेगा।···(**व्यवधान**)

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम्, राजस्थान का कुल भाग 3.40 स्कवेयर कि॰मी॰ का है जिसमें साठ परसेंट हिस्सा डेजर्ट का है। मंत्री महोदय भी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। वहां पर बारिश कम होती है और वहां पर फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जमीन अच्छे फल पैदा कर सकती है। वहां पर कौन से फलों का प्रोत्साहन करने के लिए कौन-सी तकनीक का बंदोबस्त किया है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़ : मोहतरम्, मैं बिल्कुल उनका पक्का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम राजस्थान के लिए थोड़े पानी से ज्यादा पैदावार करना चाहते हैं जैसे—बेर हैं तो हम अंगूर पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से नयी तकनीक से यानी कम पानी से ज्यादा उत्पादन होगा इस प्रकार की योजना हम बना रहे हैं विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा जायेगा क्योंकि वहां पानी कम है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा कि फलों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती सबसे ज्यादा होती है। उसका नाम मंत्री जी ने नहीं लिया है बल्कि और फलों का नाम लिया है। क्या उसको राष्ट्रीय फल करार दिया जा रहा है और क्या उसको बोर्ड में शामिल करने की अनुमति होगी और क्या सपोर्ट प्राइस देने का प्रावधान किया जायेगा। हिमाचल के लोग उसी इकोनोमी पर जीते हैं और दूसरे फल भी तैयार होते हैं। क्या सरकार उसके लिए विचार करेगी कि उनको समर्थन मूल्य मिले।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, सेब हमारा बहुत ही बढ़िया फल है। मैं वहां सेब की खेती का कायाकल्प करना चाहता हूं और उसी के लिए टिश्यू कल्चर का बुल्गारिया के साथ समझौता हुआ है और किस प्रकार नए अच्छे पौधे देकर पुराने कम फल देने वाले पौधे होते हैं··· (व्यवधान) तो चार गुणा उस फसल का फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि सबसिडी या सपोर्ट प्राइस कैसे करेंगे तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से 371 मिलियन का प्रोजेक्ट है उसमें इतना ही था कि वे अच्छे फूट के लिए नहीं देना चाहते, अगर दूसरे स्थिति के फल पैदा करने लगें तो अच्छे फलों को पैदा करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि हम अच्छी तकनीक देकर अच्छे फल पैदा करें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमा : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज दुनिया के अन्दर नई तकनीक आ रही है जिसके जरिये हम कम से कम पानी, खाद और अच्छे किस्म के बीज इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस के जरिये लदरने वाले फल उगा सकते हैं। जिससे कम जमीन में ज्यादा फल होंगे, जैसे जहां पहले एक मन फल होता था इस तकनीक से सात मन मिलेगा, इसको आगे बढ़ायें तो हाइड्रो पोनिक सिस्टम और ग्रीन हाउस के जरिये फल उगायें तो सात की जगह बाईस गुना फल हो सकते हैं, क्या सरकार ने यहां के किसानों के लिए जैसे राजस्थान का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है जहां जमीन की कमी है ग्रीन हाउस में उपलब्ध कराकर इस प्रकार से लदरने वाले फल जैसे अंगूर है उसको हाइड्रो पोनिक सिस्टम के द्वारा रिसर्च करने का काम किया है?

श्री बलराम जाखड़ : मैं लाहोल-स्पीति गया था वहां मैंने देखा है वहीं से प्रारम्भ किया है पोलीथीन लगाकर ग्रीन हाउस के जरिये उपजाया जाये, इसके लिए तकनीक चाहिए, पैसा चाहिए, हम उसका प्रचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

*431. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल अपराधियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली में कितने बाल अपराधी चोरी के मामलों में गिरफ्तार किए गए;

(ग) उनमें से लड़के-लड़कियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ये बाल अपराधी भविष्य में बड़े अपराधी न बन जाएं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नही। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम अपराध आंकड़ों के अनुसार, 1988 से 1990 तक किशोर अपराधों की घटनाएं निम्नानुसार कम होती गई थीं :

1988	24827
1989	18457
1990	15230

(ख) तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए किशोर अपराधियों की संख्या इस प्रकार थी :

1989	20
1990	54
1991	86

(ग) इन्हें एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) चोरी के लिए गिरफ्तार किए गए 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों और 18 वर्ष तक की लड़कियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के माध्यम से कार्रवाई की गई थी।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में किशोर कट्टर अपराधी न बनें, भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 बनाया गया है। इस अधिनियम में अपचारी किशोरों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास की एक विशिष्ट पद्धति की व्यवस्था है। जबकि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों

की है, भारत सरकार, इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार अवसंरचना के सृजन/उन्नयन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु लगातार कहा जा रहा है।

[अनुवाद]

मत्स्य नौकाएं

*433. **श्री बलराज पासी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कार्यरत मछली पकड़ने वाली चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 के अन्त तक ऐसे चार्टर्ड पोतों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 30 जुलाई, 1992 तक भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन (ई० ई० जैड०) में 27 विदेशी मात्स्यिकी ट्रालर्स मछली पकड़ रहे थे और ये सभी भारत के पश्चिमी तट में थे।

(ख) और (ग) इस समय यह मंत्रालय पहले से ही अनुमति प्राप्त आशय-पत्रों/चार्टर परमिटों के विस्तार हेतु केवल आवेदन-पत्रों पर विचार कर रहा है।

दिल्ली में सरकारी कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

*434. **श्री के० राममूर्ती टिंडिवनम** :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड की इस सिफारिश को लागू करने का है कि केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालयों का दिल्ली से बाहर प्रस्तावित समान सुविधा वाले शहरों में स्थानांतरण कर दिया जाएं;

(ख) क्या सरकार ने इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वास्तविक स्थानांतरण भूमि की उपलब्धता, भवनों का निर्माण/किराए पर लेने आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है, स्थानांतरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की जल आपूर्ति योजनाएं

*435. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों को पेयजल आपूर्ति संबंधी कई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनाएं कब से विचाराधीन पड़ी हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) देश में बड़े शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं है। अतः केन्द्र सरकार के पास ऐसी योजनाएं विचाराधीन रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा अपनी परियोजना रिपोर्टें द्विपक्षी तथा बहुपक्षीय सहायता हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व भारत सरकार को तकनीकी अनुमोदन हेतु भेजी जाती हैं।

[अनुवाद]

बिहार में तेल कुओं की खुदाई

*436. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में तेल के कुओं की खुदाई-कार्य में कितनी विदेशी कम्पनियां लगी हैं;

(ख) ये कम्पनियां कब से कार्य कर रही हैं;

(ग) अब तक प्राप्त हुए परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत भारतीय तथा विदेशी रिगों की संख्या क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कदमा में एक भारतीय रिग।

[हिन्दी]

सूखा और बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए योजनाएं

*437. **श्री राम पाल सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में उन लोगों के लिए योजना तैयार करने का है जिनके जीविकोपार्जन के साधन बाढ़ और सूखे के कारण नष्ट हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (**श्री बलराम जाखड़**) : (क) और (ख) जिन लोगों के जीवनयापन के साधन सूखे या बाढ़ से नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राहत उपाय, जिसमें रोजगार सृजन योजनाए भी शामिल हैं, प्रारम्भ किए जाते हैं। इन उपायों के लिए आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर सभी राज्यों के लिए वर्तमान मे चालू विभिन्न योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए जा रहे रोजगार सृजन के अतिरिक्त 804 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन से स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य तेल ग्रिड

*438. **प्रो० राम कापसे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल की काला बाजारी रोकने तथा इस महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु की कमी न होने देनें के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय खाद्य तेल ग्रिड की स्थापना करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस ग्रिड की स्थापना होने तक खाद्य तेल के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा एक राष्ट्रीय तेल स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रमुख तिलहन उत्पादन क्षेत्रों को मांग केन्द्रों से जोड़ना है जिससे विभिन्न मौसमों तथा क्षेत्रों में तेल के मूल्यों में आने वाले भारी उतार चढ़ावों को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के प्रावधान इस प्रकार हैं :

(1) महत्वपूर्ण स्थानों पर तेल भंडारण क्षमता का सृजन।

(2) खाद्य तेल की पैकिंग के लिए देशभर में पैकेजिंग स्टेशनों की स्थापना करना।

(3) तिलहन तथा तेल को बहुलता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने के लिए किफायती परिवहन व्यवस्था विकसित करना।

(ग) इस योजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने प्रतिवर्ष 2.7 लाख मीटरी टन की भंडारण क्षमता तथा 1.8 लाख मीटरी टन पैकेजिंग क्षमता का सृजन किया है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने सडक तथा तटीय जहाजरानी के जरिए एक किफायती परिवहन व्यवस्था भी शुरू की है। प्रति वर्ष 0.38 लाख मीटरी टन तेल की अतिरिक्त भंडारण क्षमता तथा 0.23 लाख मीटरी टन की पैकेजिंग क्षमता के सृजन का कार्य प्रगति पर है और मार्च, 1993 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। चूंकि यह निरंतर चलने वाली एक परियोजना है, अतः ग्रिड से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास भी आने वाले वर्षों में होता रहेगा।

(ख) खाद्य तेलों की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(1) जमाखोरी समाप्त करने के लिए तिलहनों और खाद्य तेलों की स्टाक सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(2) राज्य सरकारों से खाद्य तेल के मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखने तथा जमाखोरी रोकने के उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

(3) खाद्य तेल के मूल्यों में कुछ कमी लाने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने खुदरा पैकेटों में "धारा" तेल का विपणन बढ़ा दिया है।

(4) पसंदीदा तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किन्हीं भी दो खाद्य तेलों के मिश्रण की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने "लोक धारा" ब्रांड के तहत मिश्रित तेल का विपणन प्रारम्भ कर दिया है।

तिहाड़ जेल में मादक द्रव्यों का चोरी-छिपे बेचा जाना

***439. श्री राम विलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में कैदियों को मादक द्रव्य इतने बड़े पैमाने पर चोरी छिपे बेचे जा रहे हैं कि यह मामला चिन्ता का विषय बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तिहाड़ जेल में नशा करने वाले कितने कैदियों का पता लगा है;

(ग) जेल में मादक द्रव्यों की चोरी छिपे बिक्री करने वालों का पता लगाने और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या ऐसे कैदियों की नशे की लत छुड़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों से कोई सहायता ली जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि दिनांक 31-7-92 को जेल में बंद 7640 कैदियों में से लगभग 540 कैदियों ने कभी-न-कभी नशीली औषधि का सेवन किया है।

(ग) से (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

जेलों में नशीली औषधियों को लाने पर रोक लगाने के लिए किए गए उपाय निम्न प्रकार से हैं :

1. कैदियों और आगन्तुकों को तलाशी लेने की प्रक्रिया को तेज करना।
2. कैदियों और वार्डों की अचानक की जाने वाली तलाशी की बारंबारता को बढ़ाना।
3. नशीली दवा/स्मैक के बरामद होने पर कैदियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

4. नशीली औषधियों के संबंध में सूचना देने वालों को पुरस्कार देना।

वर्ष 1989 से केन्द्रीय जेल संख्या 4 में नशे की लत छुड़ाने वाला एक केन्द्र चल रहा है जहां 15 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र को भारतीय शिक्षा परिषद नामक एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा, कल्याण मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन की मदद से चलाया जाता रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्र द्वारा 233 कैदियों की मदद की गई है तथा उसने अब तक 1237 कैदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है।

उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस

*440. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर तेल के कुओं की खुदाई का कार्य जोर-शोर से चल रहा है;

(ख) इस क्षेत्र में कितने रिग कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के नये क्षेत्रों में तेल के कुओं की खुदाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस की अब तक की गई खोजों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) शाहजहांपुर।

(ख) एक।

(ग) और (घ) आयल इंडिया उत्तर प्रदेश में शारदा डिप्रेशन तथा गंडक डिप्रेशन में भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षणों के परिणाम के आधार पर वेधन प्रचालन किए जाएंगे।

(ङ) शून्य।

त्रिपुरा में तेल और प्राकृतिक गैस

*441. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने और उनका दोहन करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) त्रिपुरा में ये कितनी-कितनी मात्रा में और कहां-कहां ऐसे भंडार हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 9 संरचनाओं में 58 अन्वेषण कूपों का वेधन किया गया है। पांच संरचनाओं अर्थात् बारामूला, गोजालिया, माणिक्य नगर, कोनेबन और अगरतला डोम में 25.53 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के भू-वैज्ञानिक भंडार स्थापित हुए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के खतरनाक घोषित किए गए फ्लैट

*442. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे कितने फ्लैट हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में घटिया भवन निर्माण सामग्री लगी होने के कारण जांच करने के पश्चात खतरनाक घोषित कर दिया गया है;

(ख) जांच के दौरान कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन फ्लैटों की मरम्मत कराके इन्हें पुनः रहने योग्य बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि त्रिलोकपुरी फेज-I, पाकिट-V में 200 फ्लैटों का केवल एक मामला है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान घटिया निर्माण के कारण खतरनाक घोषित किया गया है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 6 व्यक्तियों को दोषी पाया गया था तथा एक कार्यपालक इंजीनियर व दो सहायक इंजीनियरों को नौकरी से हटाने का दंड दिया गया है । तीन कनिष्ठ इंजीरियरों के मामले में अनुशासन प्राधिकारी द्वारा उनके टाईम स्केल को तीन वर्ष के लिए घटाकर न्यूनतम कर दिए जाने के आदेश दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार जरूरी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद इन फ्लैटों को गिराने/पुनः बनाने का है ।

[अनुवाद]

दिल्ली में शराब की दुकानें

*443. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारत निर्मित विदेशी ब्रांड की शराब की उस समय कितनी खुदरा दुकानें थीं जब सरकार ने मदिरा व्यापार निजी क्षेत्र से अपने हाथों में लिया था;

(ख) इस समय दिल्ली में ऐसी दुकानें कितनी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसी कितनी दुकानें खोली गईं;

(घ) वर्ष 1992-93 में ऐसी कितनी नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्ष 1979-80 में जब निजी हाथों से (शराब के) फुटकर व्यापार को हस्तगत किया गया था तब दिल्ली में भारत निर्मित विदेशी शराब की फुटकर दुकानों की संख्या 26 थी ।

(ख) इस समय दिल्ली में फुटकर दुकानों की संख्या 145 है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोली गई फुटकर दुकानों की संख्या इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	1989-90	06 दुकानें
	1990-91	10 दुकानें
	1991-92	12 दुकानें

(घ) "प्रशासन" द्वारा ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) नई फुटकर दुकानों का खोला जाना, इसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है।

खारे पानी में मछली पालन

*444. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खारे पानी में मत्स्य पालन उद्योग शुरू करने की अनुमति निजी क्षेत्र को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (**श्री बलराम जाखड़**) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में खारे पानी में मछली पालन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते यह राज्य सरकारों की भू-उपयोग नीति और पर्यावरणीय मुद्दों के अनुरूप हो।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

स्वायत्त शासी जिला परिषदें

*445. **सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने करवी एंगलांग तथा उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों में स्वायत्त शासी जिला परिषदों को और अधिक विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों द्वारा स्वायत्त शासी जिलों की जिला परिषदों को ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अथवा संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में असम सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (**श्री एस० बी० चव्हाण**) : (क) से (ग) मामला जांचाधीन है।

नारियल विकास बोर्ड

*446. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल विकास बोर्ड से संबंधित आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो योजनागत तथा गैर-योजनागत कार्यक्रमों के लिए कुल कितना-कितना परिव्यय रखा गया है;

(ग) क्या कुछ नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक शुरू की जायेंगी ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा यथा प्रस्तावित आठवीं योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(ख) समस्त परिव्यय योजना कार्यक्रमों के लिए है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के प्रथम वर्ष (1992-93) के लिए 9 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है और कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

तेल खोज संबंधी विशेषज्ञ समिति

*447. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज करने और इसका उत्पादन बढ़ाने तथा इसका आयात कम करने से संबंधित मसलों की जांच करने के लिए नियुक्त तेल की खोज संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसे किसी "विशेषज्ञों का पैनल" की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विपणन संबंधी समिति

*448. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विपणन संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि वह बाजारों के विकास संबंधी केन्द्रीय योजनाओं को राज्यों को स्थानांतरित करने संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) कृषि विपणन उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मंडियों के विकास को केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्यों को हस्तांतरित करने के सरकार के निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) चूंकि यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति द्वारा इस आशय के एक सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिया गया है, अत: उपर्युक्त निर्णय की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।

कृषि क्षेत्र को घाटा

*449. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषि क्षेत्र को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) कृषि क्षेत्र द्वारा प्राप्त किये गये मूल्यों और भुगतान किये गये मूल्यों का सूचकांक व्यापार की शर्तों के एक उपाय के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यापार की शर्तों के सूचकांक में वृद्धि हुई है (आधार वर्ष 1979-80 =100) जो 1989-90 के 96.0 से बढ़कर 1990-91 में 98.2 और 1991-92 में 102.8 हो गया है जिससे गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार की शर्तों में सुधार प्रकट होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखता है।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विभाग में आग लगना

4455. श्री एन०जे० राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बडोदरा के निकट मकरपुरा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के निर्माण और रख-रखाव विभाग में मई, 1992 के दौरान आग लगने के कारण सरकार को कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या कमियां पायी गयीं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अनुमान है कि आग की दुर्घटना में पांच से सात लाख रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में विभिन्न संगठनों का स्थानान्तरण

4456. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने लाभ अर्जित करने वाले विभिन्न गैस संगठनों को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को अन्तरित करने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और अभी तक ऐसे कितने गैस संगठनों को उनकी चल और अचल संपत्तियों सहित भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को अंतरित किया गया है;

(ग) क्या इस कार्यवाही से आयोग के कर्मचारियों में भारी रोष है और उन्होंने इस अंतरण का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस के संसाधन, परिवहन और विपणन के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 1984 म लिये गये एक नीतिगत निर्णय के अनुसरण में गैस के विपणन कार्यों और संबंधित पहलुओं को गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) निर्णय को क्रियान्वित करने के पूर्व समय-समय पर प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा गया था ।

[अनुवाद]

"एशियावाच" के साथ सांठ-गांठ

4457. **श्री राम नाईक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता के कब्जे से अत्यधिक विदेशी मुद्रा और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज पाये गसे जिसमें पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रकाशन "एशियावाच" के साथ उसकी सांठ-गांठ होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ङ) मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एम० फिल० के एक छात्र शहाबुद्दीन गोरी को दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च, 1991 में कुछ पाकिस्तानी मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था । उपरोक्त व्यक्ति को "एशियावाच" के साथ संबंधित नहीं पाया गया । जांच-पड़ताल से यह पता चला कि उसने दिल्ली में कुछ विदेशी मुद्रा

को भारतीय रुपयों में परिवर्तित भी कराया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की पूरी तरह जांच की गई और उसके खिलाफ तथा इस मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ 23 मार्च, 1992 को दिल्ली के एक निर्दिष्ट न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया गया।

जम्मू और कश्मीर की जेलों में उग्रवादी

4458. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में कितनी जेलें हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक जेल की क्षमता कितनी है; और

(ग) इस समय राज्य की प्रत्येक जेल में कितने उग्रवादी बंद किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण, प्रत्येक जेल में बंद कैदियों के संबंध में आंकड़ों को केन्द्र सरकार द्वारा रखा तथा उनका प्रबोधन नहीं किया जाता। जम्मू व कश्मीर सरकार से सूचना अभी आनी है तथा उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता

4459. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक मांग की तुलना में इनका कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादनों में भारत द्वारा कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में कुल 50.8 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होने की संभावना है जबकि इसकी तुलना में 61.5 एमएमटी की मांग होने का अनुमान है।

(ख) यद्यपि शोधन क्षमता में वृद्धि करने की योजनाएं हैं, निकट भविष्य में देशी उत्पादन संभावित मांग की तुलना में कम होगा।

"पेट्रेक्स" का निर्माण

4460. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा देश के अन्य भागों में कुछ कंपनियां पेट्रोल का स्थानापन्न स्वदेशी पेट्रो-उत्पाद यानि "पेट्रेक्स" का निर्माण तथा विपणन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों तथा उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी पेट्रोलियम "पेट्रेक्स" ने उक्त प्रयोजन हेतु 200000 मिलियन टन प्रति-वर्ष नेफ्था देने के लिए निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक कंपनी यथा, मैसर्स "सेसा मार्केटिंग, बम्बई" के "पेट्रेक्स" के विपणन किये जाने की रिपोर्ट है। इंडियन आयल कारपोरेशन (अनुसंधान एवं विकास केन्द्र) ने इस उत्पाद का परीक्षण कर लिया है और किए गए परीक्षणों से इस उत्पाद के संबंध में इस पार्टी द्वारा किए गए दावे प्रमाणित नहीं होते।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट स्थिति को देखते हुए अनुरोध को माना नहीं गया है।

झूठ का पता लगाने वाली मशीन का प्रयोग

4461. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों में अपराधियों से पूछताछ करने के लिए झूठ का पता लगाने वाली मशीन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस द्वारा प्रयोग के लिए उन्हें इस प्रकार की मशीन उपलब्ध कराने का कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हमारे देश में किसी मामले का पता लगाने के लिए इस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वह कहां तक सफल रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (च) चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः पूछताछ के दौरान संदेहास्पद लोगों से पूछताछ करते समय प्रयोग में लाये जाने के लिए उपयुक्त तकनीकों की खोज करना और लाई डिटेक्टर मशीनों जैसे उपयुक्त उपकरणों को प्राप्त करना, मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

आम के बाग लगाना

4462. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार कितने क्षेत्र में आम के बाग हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, देश में, राज्य-वार, कितनी मात्रा में आम का उत्पादन हुआ;

(ग) आम के प्रत्येक पेड़ से राज्यवार, प्रतिवर्ष औसतन कितने आम प्राप्त हुये,

(घ) क्या अधिक क्षेत्र में आम के पेड़ लगाने तथा पेड़ों की उत्पादकता बढ़ाने और आम में गुणात्मक सुधार करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) आम के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 के क्षेत्र एवं उत्पादन के बारे में मोटे अनुमान विवरण के रूप में संलग्न हैं। प्रति वृक्ष आम की औसत वार्षिक उपज के संबंध में राज्यवार कोई आंकड़ा नहीं है।

(घ) से (च) आम से संबंधित कोई विशेष केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। तथापि, देश में आम के क्षेत्र एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं—

(1) उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्र वाले फलों का समेकित विकास जिसमें आम के फलोद्यानों का नवीनकरण एवं अल्फांसो आम की कलमों की आपूर्ति शामिल है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण बागानों की स्थापना।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें क्षेत्र विस्तार एवं आम के वृक्षों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं।

विवरण

1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 के लिए आम का राज्यवार क्षेत्र एवं उत्पादन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1986-87		1987-88		1988-89	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1.	आन्ध्र प्रदेश	157320	1887880	164705	1976460	178946	2147352
2.	बिहार	143600	1436000	149110	1391010	144204	1542040
3.	गोवा	3200	25000	3285	29500	3359	30166
4.	गुजरात	30000	300000	30500	305000	31000	310000
5.	हरियाणा	6665	23325	6876	38368	7204	40212
6.	कर्नाटक	59164	567974	61471	590122	63597	604171
7.	केरल	61999	200561	67532	226105	67532	226105
8.	मध्य प्रदेश	21032	189288	20886	—	21579	194000
9.	महाराष्ट्र	13997	90000	13997	90000	35400	145140
10.	मणिपुर	100	400	100	400	1380	1400
11.	मिजोरम	109	307	123	399	78	599
12.	उड़ीसा	89253	821127	90500	850680	92198	875881
13.	पंजाब	9345	58400	9896	61852	10537	65858
14.	राजस्थान	7689	49440	7689	49440	7689	49440

15.	सिक्किम	20	20	30	30	50	50
16.	तमिलनाडु	40800	398000	44740	136180	44748	136180
17.	त्रिपुरा	4830	42800	4869	44800	4892	45700
18.	उत्तर प्रदेश	238591	893691	240101	1160361	255456	1407347
19.	पश्चिम बंगाल	55800	230000	54126	395119	54400	375000

[हिन्दी]

आगरा का विकास

4463. श्री भगवान शंकर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगरा के विकास की कोई योजना केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच इस मंजूरी और राज्य को इसके लिए वित्तीत सहायता दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण और उत्तर दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाली पड़े फ्लैट

4464. श्री हरपाल पंवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण और उत्तर दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्त पोषित योजना तथा जनता फ्लैट योजना के क्षेत्रवार और श्रेणीवार ऐसे कितने फ्लैट खाली पड़े हैं जिन्हें अभी तक आबंटित नहीं किया गया है; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी, 1991 से मार्च, 1992 तक क्षेत्रवार और श्रेणीवार कितने आबंटित फ्लैटों के स्थान पर अन्यत्र फ्लैट दिए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार वापस होने/निरसन के कारण आबंटन हेतु उपलब्ध फ्लैटों का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	क्षेत्र	श्रेणी		योग
		स्ववित्त पोषित योजना	जनता	
1.	दक्षिण	87	14	101
2.	उत्तर	4	41	45
	योग :	91	55	146

(ख) जनवरी, 1991 से मार्च, 1992 के दौरान, जहां क्षेत्र बदली की अनुमति दी गयी थी, आबंटित फ्लैटों का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं०	क्षेत्र	क्षेत्र बदली के मामले	
		स्ववित्त पोषित योजना	जनता
1.	दक्षिण	4	—
2.	उत्तर	2	—
3.	पूर्व	1	2
4.	पश्चिम	3	1
	योग :	9	3

[अनुवाद]

कृषि उत्पाद

4465. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खनन, मत्स्य पालन तथा वानिकी के अलावा प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य का कृषि उत्पादन हुआ

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 1992 (मुद्रणाधीन) के अनुसार 1988-89 से 1990-91 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर कृषि उत्पादन का वार्षिक मूल्य इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि उत्पादन का मूल्य	पशुपालन उत्पादन का मूल्य (वर्तमान मूल्यों पर)	योग
1988-89	100774	32165	132939
1989-90अ	108566	38178	146744
1990-91*	129723	44479	174202

अ : अनन्तिम *मोटे अनुमान

वक्फ अधिनियम में संशोधन

4466. श्री एस० बी० थोरात :
श्री एन० जे० राठवा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वक्फ अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संवर्गों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण वक्फ (संशोधन) अधिनियम 1984 को लागू नहीं किया जा सका ।

संशोधित अधिनियम पर मुख्य आपत्तियां निम्न हैं :

(1) वक्फ कमिश्नर को अत्यधिक अधिकार दे दिए गए हैं । उन्हें वक्फ बोर्ड के अधीन लाया जाना चाहिए ।

(2) वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद को पूर्ण स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाना चाहिए, जहां राजकीय नियन्त्रण न्यूनतम हो । वक्फ बोर्डों को तो पूर्णतया या अधिकांशतया चुने हुए निकाय बताया जाना चाहिए ।

(3) वक्फ, वक्फ अलाल, औलाद, वक्फ संपत्तियों, गैर मुस्लिमों द्वारा दान दी गई वक्फ संपत्तियां, मुआफिस, खैराती, निवल वार्षिक आय के संबंध में वक्फ की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में बताए गए विशिष्ट प्रावधानों पर भी आपत्ति की गई ।

वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य आम सहमति से इन आपत्तियों को दूर करना है ।

[हिन्दी]

पशु पालन

4467. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में पशुपालन विकास का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गुजरात में पशुपालन विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं होता ।

(घ) अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है/क्रियान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें, पशुधन का आनुवंशिक सुधार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, चारे का संवर्धित उत्पादन और पशुधन उत्पादों के उत्पादन और विपणन की बेहतर सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

त्वरित कार्य बल का कार्यालय

4468. **श्री रामनारायण बैरवा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी में त्वरित कार्य बल का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आम के पेड़ लगाना

4469. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के किसी अनुसंधान एकक ने आम की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो वर्ष-भर फल दे सकती है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम की इस किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात के शहरों का विकास

4470. **श्री काशीराम राणा** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात में शहरी अनिवार्य सेवा योजना के अंतर्गत कितने शहरों का विकास किया गया;

(ख) अब तक किए गए विकास कार्य का जिले-वार प्रतिशत क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) शहरी मूल सेवाएं

(यू० बी० एस०) योजना 1990 में संशोधित की गई थी तथा निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवाएं (यू० बी० एस० पी०) नामक योजना 1990-91 में प्रारम्भ की गई थी। यू बी एस पी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चुने गए 28 शहर इस प्रकार हैं :—

1. अहमदाबाद	15. पोरबंदर
2. सूरत	16. केसोद
3. जामनगर	17. बरडोली
4. भावनगर	18. पालमपुर
5. मेहसाना	19. आनन्द
6. कलोल	20. विसनगर
7. नादिया डी	21. अंकलेश्वर
8. अंजर	22. जामबुशर
9. जूनागढ़	23. सुरेन्द्रानगर
10. भारूच	24. वघवां
11. राजपीपिला	25. विरावल
12. डेलसा	26. ऊना
13. धर्मगडेरा	27. मंजराल
14. लिम्दी	28. विसारा

(ख) और (ग) राज्य में विभिन्न शहरों को केन्द्रीय निधियों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यू बी एस/यू बी एस पी स्कीमों का कार्यान्वयन स्लम वासियों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है इसलिए कार्य का स्वरूप व मात्रा भिन्न-भिन्न कस्बों में अलग-अलग होती है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात में यू बी एस/यू बी एस पी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 106.15 लाख और 103.36 लाख रुपए की केन्द्रीय निधियां रिलीज की गई थीं।

[अनुवाद]

नए बोटलिंग संयंत्र

4471. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बोटलिंग संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में नए बोटलिंग संयंत्र स्थापित करने और मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पश्चिम बंगाल में एल० पी० जी० भराई संयंत्रों की मौजूदा क्षमता निम्नवत् है :—

स्थान	क्षमता (टी एम टी पी ए में)
कल्याणी	44
दुर्गापुर	64
हल्दिया	22
पहाड़पुर (कलकत्ता)	26

(ख) और (ग) कलकत्ता में 44 टी एम टी पी ए एल० पी० जी० भराई संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। परन्तु यह तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पाद उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

समुद्र कृषि

4472. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समुद्र कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके विकास हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या देश इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आत्मनिर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की आवास एजेंसी द्वारा हुडको से ऋण प्राप्त न कर सकना

4473. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की आवास एजेंसियां 1990-91 में राज्य में मकानों का निर्माण करने तथा मूल शहरी नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए हुडको से ऋण लेने में असमर्थ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की आवास एजेंसियों द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1990-91 से और 30-6-1992 की स्थिति के अनुसार हुडको ने 3.67 लाख आवासीय एककों और 1.34 लाख कम लागत के स्वच्छता एककों के निर्माणार्थ 651.02 करोड़ रुपए (शहरी अध-संरचना के निमित्त 93.33 करोड़ रुपए सहित) की ऋण धनराशि वाली उत्तर प्रदेश की विभिन्न एजेंसियों की 386 स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(ख) और (ग) 8-7-92 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन, उत्तर प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरों की जानकारी इस प्रकार है—

क्र०सं०	स्कीम का प्रकार	स्कीमों की संख्या	हुडको ऋण धनराशि (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1.	शहरी आवास योजनाएं	89	163.57	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए एजेंसियों के पास विचाराधीन
2.	शहरी आवास स्कीमें	14	14.46	क्षेत्रीय तकनीकी समिति की मंजूरी की प्रतीक्षा
3.	भूमि अधिग्रहण स्कीमें	14	78.94	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन
4.	शहरी अधसंरचना स्कीमें	23	105.08	तकनीकी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन
5.	—वही—	2	13.20	हुडको के मुख्यालय में मूल्यांकनाधीन
6.	वाणिज्यिक स्कीमें	2	5.93	मूल्यांकन मुद्दों के अनुपालन के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास विचाराधीन

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उन्नत किस्म के बीजों का वितरण

4474. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने कृषकों को उन्नत किस्म के बीजों का वितरण करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश राज्य में कृषकों को उन्नत किस्म के बीजों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां। धान्य, दलहनों तिलहनों, चारा, रेशे और सब्जियों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणीकृत बीजों का वितरण राष्ट्रीय बीज निगम के पंजीकृत डीलरों, बिक्री काउंटरों और राज्य सरकारों की एजेन्सियों जैसे राज्य बीज निगमों, कृषि उद्योग निगमों और सहकारी समितियों के नेटवर्क के जरिए निगम द्वारा प्राप्त मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ख) 1989-90 से 1991-92 तक के वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में किसानों को सप्लाई की गई अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की मात्रा प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(मात्रा क्विंटल में)

क्र० सं०	फसल का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1.	गेहूं	3817.00	11164.00	5049.00
2.	धान	1009.00	7289.00	12894.00
3.	मक्का	15.00	1250.00	2227.00
4	सोरघम	5902.00	1181.00	334.00
5.	दलहन	290.00	3514.00	4768.00
6.	तिलहन	35.00	2557.00	1449.00
7.	चारा	95.00	90.00	322.00
8.	सब्जियां	135.45	238.00	239.55
9.	बाजरा	—	798.00	574.00

सावन पार्क के झुग्गी झोंपड़ी निवासी

4475. **श्री शशि प्रकाश :**
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री 29 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 8365 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सावन पार्क के 921 झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों में से उन आवंटितियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने डी० डी० ए० द्वारा 32 वर्गमीटर के भूखंडों के आवंटन के लिए 1988 में जारी किए गए पदों के अनुसार अपनी समूची राशि की किस्तों का भुगतान कर दिया है; और

(ख) उन्हें उक्त भूखंडों का आवंटन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार 921 निवासियों में से सावन पार्क के उन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों, जिन्होंने भुगतान कर दिया है, के ब्योरे इस प्रकार हैं :—

1.	एक किस्त जमा करने वाले निवासियों की संख्या	134
2.	दो किस्तें जमा करने वाले निवासियों की संख्या	128
3.	तीन किस्तें जमा करने वाले निवासियों की संख्या	135
4.	चार किस्तें जमा करने वाले निवासियों की संख्या	200
5.	निवासियों की संख्या जिन्होंने पूरी किस्तें जमा कीं	260
6.	निवासियों की संख्या जिन्होंने एक किस्त भी जमा नहीं की है	64

(ख) जांच के पश्चात् आवंटन के लिए 482 व्यक्ति पात्र पाए गए थे और इनके लिए 25-11-1991 को ड्रा निकाले गए थे, परन्तु उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण इनको अभी तक कब्जा नहीं दिया जा सका है। स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है, 482 आवेदकों को इसके पश्चात् ही कब्जा सौंपा जा सकेगा।

डी० डी० ए० द्वारा भूमि का आवंटन

4476. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मंत्री डी० डी० ए० द्वारा भूमि का आवंटन के बारे में 9 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 6326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, यह महसूस किया गया है कि इसमें भूमि आवंटन के मामलों से संबंधित बड़ी मात्रा में रिकार्डों की जांच करनी होगी और परिणाम संभवतः प्रयासों के अनुकूल न हो। सरकार के ध्यान में लाए गए अनियमितताओं के विशिष्ट मामलों की जांच की जा सकती है।

आन्ध्र प्रदेश की विद्युत परियोजना के लिए गैस

4477. **श्री के० चोक्का राव** :

श्री जी० एम० सी० बालयोगी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राजामुन्दरी के निकट का किनाडा और जागुरपाड में 400 मेगावाट परियोजनाओं के लिए गैस की सप्लाई करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी गैस की आवश्यकता होगी और कितनी सप्लाई किये जाने का प्रस्ताव है तथा उक्त परियोजना को कौन-सी एजेंसी कार्यान्वित करेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक को 1.5 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस का आबंटन किया गया था। गैस की उपलब्धता की संशोधित संभावनाओं को देखते हुए ये अभी समीक्षाधीन हैं।

राष्ट्रीय समुद्र मात्स्यिकी विकास बोर्ड

4478. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय समुद्र मात्स्यिकी बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बोर्ड के कब तक गठित हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) देश में समुद्री मात्स्यिकी के समग्र विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का विचार एक राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड स्थापित करने का है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस के दूसरे सिलेण्डर

4479. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में रसोई गैस उपभोक्ताओं को रसोई गैस का दूसरा सिलेण्डर उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1992-93 में कितने लोगों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) 52700 (अनुमानतः)

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान समूचे देश में पांच लाख डी० बी० सी० कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

मुहम्मद तुगलक किले की परिधि में भूमि पर अतिक्रमण

4480. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री तुगलकाबाद किले की भूमि पर अतिक्रमण के बारे में 29 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 8382 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्संबंधी सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए गिराने की कार्रवाई की गई थी जिसमें चहारदिवारियों सहित 20 ढांचे गिराये गए थे।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भवन निर्माताओं से बकाया राशि वसूलना

4481. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को उन भवन निर्माताओं से अभी भी बकाया राशि वसूल करनी है जिन्होंने कई वाणिज्यिक भूखंड खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी राशि बकाया है तथा इस पर कितना ब्याज देय है; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वाणिज्यिक प्लाटों के नीलामी खरीददारों की ओर बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। विवरण में दिए गए झंडेवालान और भीकाजी-कामा जिला केन्द्र के प्लाट सं० 2-ए के वाणिज्यिक प्लाट से संबंधित मामले में नीलामी खरीददारों ने न्यायालय में मामला दायर किया है तथा विचाराधीन न्यायिक मामलों में अन्तिम निर्णय के अनुसार बकाया देयों को वसूल करने की आगे की कार्यवाही की जायेगी। लक्ष्मीनगर जिला केन्द्र में प्लाट सं० 8, 9, 18, 19 और सिनेमा प्लाट के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी खरीददारों को यदि वे प्लाट लेने के इच्छुक हैं तो, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अद्यतन ब्याज सहित शेष प्रीमियम का भुगतान करने या भुगतान वापिस लेने के लिए अन्तिम पेशकश की गई है। नीलामी खरीददारों से उत्तर प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

योजना	नीलामी खरीददार का नाम	प्रीमियस के रूप में बकाया राशि	देय तारीख	देय ब्याज की राशि	अभ्युक्ति
वाणिज्यिक प्लाट झण्डेवालान	मैसर्स स्कीपर कंट्रक्शन कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड	1,94,36,900 रु०	15-9-89	2,29,44,484 रु०	ब्याज 18 प्रतिशत प्रतिमाह
भीकाजी कामा प्लेस जिला केन्द्र 2-ए	मै० कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएट	2,34,00,000 रु०	19-5-82	4,29,97,500 रु०	-वही-
लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र 8	मै० आनन्द कंस्ट्रक्शन (दिल्ली) प्रा० लि०	1,26,74,000 रु०	6-6-82	2,31,93,419 रु०	-वही-
-वही-	मै० भाटिया कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन	2,39,25,000 रु०	6-6-82	4,37,82,750 रु०	-वही-
-वही-	मै० दिल्ली टावर्स प्रा० लि०	2,35,38,000 रु०	6-6-82	4,30,69,050 रु०	-वही-
-वही-	मै० रुचि एस्टेट एण्ड बिल्डर्स	99,56,000 रु०	6-6-82	1,82,19,475 रु०	-वही-
सिनेमा प्लाट -वही-	मै० राघू थियेटर प्रा० लि०	1,35,07,500 रु०	18-7-82	2,44,14,827 रु०	-वही-

[हिन्दी]

राजधानी में रसोई गैस के कनेक्शन

4482. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन उपभोक्ताओं ने राजधानी में 1984 में रसोई गैस के कनेक्शन हेतु भारत गैस और इंडियन आयल के पास अपने नाम पंजीकृत कराये थे उन सभी को रसोई गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि इस बात के प्रयास निरन्तर किए जा रहे हैं कि यथासंभव अधिक से अधिक एल० पी० जी० कनेक्शन दिए जाएं, तथापि, प्रतीक्षा सूची को पूरा करना विभिन्न कारणों, जैसे उत्पाद उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची पर व्यक्तियों की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

दिल्ली प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी करना

4483. **श्री जीवन शर्मा :** क्या गृह मंत्री दिल्ली प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी करने के बारे में 30 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8641 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकान, मिट्टी के तेल का डिपो, खाद्य तेलों में डीलरशिप सहित किसी भी प्रकार का व्यवसाय चलाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा लाइसेंस की स्वीकृति देने से पूर्व दिल्ली के नगर निकायों से लाइसेंस लेना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो नगर निकायों के द्वारा उन क्षेत्रों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों जहां उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करने चाहिए थे, के बिना दिल्ली प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों हेतु लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण नगर निकायों को हुई राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तुएं (आवंटन का विनियमन) आदेश, 1981 तथा दिल्ली मिट्टी का तेल (निर्यात और मूल्य) नियंत्रण आदेश 1962 के द्वारा क्रमशः उचित दर दुकान और मिट्टी के तेल के डिपो प्रदान करने की मंजूरी देना शासित किया जाता है। इसी तरह दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस देना और नियंत्रण) आदेश, 1977 के अधीन खाद्य तेल के डीलरों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इन आदेशों में नागरिक निकायों से लाइसेंस प्राप्त करना विनिर्दिष्ट नहीं है। यदि ऐसा कोई लाइसेंस निर्धारित किया

जाता है तो लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को सिविल कानूनों की अपेक्षाओं को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना होगा।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में मिट्टी के तेल और खाद्य तेल का व्यापार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका से एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी के तेल, खाद्य तेल, इत्यादि का व्यापार बिना लाइसेंस होता हुआ नई दिल्ली नगर पालिका की जानकारी में आता है तो पंजाब नगर निगम अधिनियम और खाद्यान्न मिलावट अधिनियम निवारण अधिनियम के अधीन कानूनी कारंवाई की जाती है।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम में विनिर्दिष्ट व्यवसायो के लिए दिल्ली नगर निगम लाइसेंस देता है तथा बिना लाइसेंस व्यवसाय करने पर मुकदमा चलाया जाता है।

डी० डी० ए० द्वारा फ्लैटों का आवंटन

4484. **श्री मंगलराम प्रेमी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डी० डी० ए० द्वारा फ्लैटों के आवंटन के बारे में 18 जुलाई, 1992 के जनसत्ता में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें डी० डी० ए० फ्लैटों का पूरा भुगतान किए जाने के बावजूद आवंटिती को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे आवंटितियों को फ्लैटों का कब्जा दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिन्होंने फ्लैट का पूरा भुगतान कर दिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दुग्ध योजना के पास मक्खन का संचित भंडार

4485. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री अनिल बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के पास इस समय भारी मात्रा में मक्खन इकट्ठा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने इस संचित भंडार को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना

के पास श्वेत मक्खन का वर्तमान स्टाक 675 मीटरी टन है जो स्किम्ड दुग्ध चूर्ण अथवा स्किम्ड सरल दूध के साथ दूध के पुनर्मिश्रण में उपयोग हेतु तैयार किया गया था ताकि मई से अगस्त, 1992 तक के वर्तमान कमी वाले मौसम में ताजे दूध की कोई कमी आने पर सप्लाई स्तर को बरकरार रखा जा सके। तथापि, वर्तमान कमी वाले मौसम के दौरान ताले दूध की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण श्वेत मक्खन का उपयोग नहीं किया जा सका, जैसी कि परिकल्पना की गई थी।

(ग) श्वेत मक्खन से संचित भण्डार का उपयोग करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं: (1) ताजे दूध की प्राप्ति सीमित करना जिससे ताजी वसा की उपलब्धता कम की जा सके, (2) श्वेत मक्खन को बिक्री के लिए घी में परिवर्तित करना, करना, और (3) पुनर्मिश्रित दूध के उत्पादन में वृद्धि करना आदि।

किसानों को प्रोत्साहन

4486. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में किसानों को अपने कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान अब तक प्रत्येक राज्य को कितनी कृषि राजसहायता दी दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) महाराष्ट्र सहित देश के किसानों को उनके फार्म उत्पाद में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्न प्रकार से हैं :

(1) मक्का और कदन्न के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम।

(2) समेकित चावल विकास कार्यक्रम।

(3) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।

(4) गहन कपास विकास कार्यक्रम।

(5) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

(6) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं।

(7) चना तथा अरहर के लिए पौध संरक्षण आवरण।

इसके अलावा सरकार अधिक निवेश और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्पादकों/किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के बारे में 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को निर्मुक्त की गई राज-सहायता/अनुदान विवरण I से V में संलग्न है।

विवरण-I

1992-93 के दौरान, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का तथा कदन्न) के अन्तर्गत अब तक निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1992-93 के दौरान निर्मुक्त निधियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.60
2.	बिहार	1.20
3.	गुजरात	275.00
4.	हरियाणा	11.00
5.	हिमाचल प्रदेश	16.00
6.	जम्मू और कश्मीर	15.75
7.	कर्नाटक	52.20
8.	मध्य प्रदेश	85.80
9.	महाराष्ट्र	216.88
10.	उड़ीसा	0.05
11.	राजस्थान	102.25
12.	तमिलनाडु	71.125
13.	उत्तर प्रदेश	92.61
	कुल	1001.365

विवरण-II

समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-4-92 तक राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त बची हुई शेष राशि और 1992-93 के दौरान अब तक निर्मुक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1-4-92 को अप्रयुक्त शेष राशि	अब तक निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.40	772.84

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम		87.69
4.	बिहार		117.13
5.	गोवा	31.06	6.85
6.	गुजरात		33.39
7.	हरियाणा		
8.	हिमाचल प्रदेश		
9.	जम्मू और कश्मीर	1.74	0.40
10.	कर्नाटक		218.70
11.	केरल		13.29
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	153.62
13.	महाराष्ट्र		342.20
14.	मणिपुर		
15.	मेघालय		
16.	मिजोरम		
17.	नागालैंड		2.32
18.	उड़ीसा		122.20
19.	पंजाब	43.54	239.30
20.	तमिलनाडु	0.463	273.02
21.	त्रिपुरा		14.29
22.	उत्तर प्रदेश	339.37	318.78
23.	पश्चिम बंगाल		219.64
24.	पाण्डिचेरी		2.21
		कुल	2937.86

विवरण-III

1992-93 के दौरान (अब तक) गहन कपास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	196.55
2.	गुजरात	101.95
3.	हरियाणा	100.88
4.	कर्नाटक	44.130
5.	मध्य प्रदेश	55.12
6.	महाराष्ट्र	174.47
7.	उड़ीसा	2.05
8.	पंजाब	108.59
9.	राजस्थान	89.78
10.	तमिलनाडु	39.34
11.	उत्तर प्रदेश	7.71
	कुल	921.478

विवरण-IV

1992-93 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक निर्मुक्त की गई राशि

क्रम सं०	राज्य का नाम	(लाख रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	114.50
2.	असम	26.60
3.	बिहार	26.50
4.	गुजरात	112.50
5.	हरियाणा	36.00

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00
7.	जम्मू और कश्मीर	10.50
8.	कर्नाटक	102.50
9.	मध्य प्रदेश	104.00
10.	मणिपुर	2.50
11.	महाराष्ट्र	90.50
12.	उड़ीसा	52.00
13.	पंजाब	32.00
14.	राजस्थान	34.80
15.	सिक्किम	7.00
16.	तमिलनाडु	91.50
17.	त्रिपुरा	2.60
18.	उत्तर प्रदेश	78.00
19.	पश्चिम बंगाल	33.00
	कुल	1020.00

विवरण-V

1992-93 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (गेहूं) के अन्तर्गत अब तक निर्मुक्त की गई राशि

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1992-93 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि
1.	बिहार	152.00
2.	हरियाणा	425.00
3.	मध्य प्रदेश	72.00
4.	पंजाब	475.00
5.	राजस्थान	126.00
6.	उत्तर प्रदेश	1250.00
	कुल	2500.00

[हिन्दी]

दलहन मिलें

4487. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अरहर तथा चने के उत्पादन के अनुरूप दलहन मिलें स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अन्तर्गत पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। अरहर और चने के लिए मध्य प्रदेश में दाल मिलें स्थापित की गई हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और गोवा सहित 26 राज्यों में राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत, किसान 4,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक दाल प्रोसेसर्स की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पाने के हकदार होंगे। 1992-93 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 53.33 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 40 लाख रुपये है। इस संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस धनराशि की पर्याप्तता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों को धनाबंटन

4488. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ख) उक्त योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तव में कुल कितना धनाबंटन किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1991-92 के लिए नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तय की गई एवं वितरित की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

1991-92 के दौरान आवंटित/वितरत की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य के नाम	आवंटित	वितरित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	851.98	794.80
2.	बिहार	878.65	670.05
3.	गुजरात	408.12	291.15
4.	हरियाणा	155.53	163.70
5.	कर्नाटक	842.74	793.50
6.	केरल	345.27	318.80
7.	मध्य प्रदेश	864.95	797.80
8.	महाराष्ट्र	1034.27	1018.10
9.	उड़ीसा	294.43	281.70
10.	पंजाब	287.37	270.80
11.	राजस्थान	568.18	561.10
12.	तमिलनाडु	938.64	892.90
13.	उत्तर प्रदेश	2257.26	2092.90
14.	पश्चिमी बंगाल	747.12	561.10
15.	गोवा	29.31	37.90
16.	अरुणाचल प्रदेश	34.25	31.50
17.	असम	174.22	187.50
18.	हिमाचल प्रदेश	66.52	70.90
19.	जम्मू और कश्मीर	93.95	91.10
20.	मणिपुर	42.81	49.50
21.	मेघालय	39.90	47.20

1	2	3	4
22.	मिजोरम	26.12	34.60
23.	नागालैंड	41.47	38.20
24.	सिक्किम	30.20	27.90
25.	त्रिपुरा	25.83	34.50
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	12.53	11.90
27.	चंडीगढ़	23.65	21.70
28.	दादर तथा नगर हवेली	11.45	10.80
29.	दमन एंड दीव	20.03	18.70
30.	पांडिचेरी	29.75	17.70
31.	दिल्ली	43.50	40.00
	योग	11240.00	10280.00

हैदराबाद की जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाएं

4489. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) हैदराबाद जल आपूर्ति और सफाई परियोजना हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । परियोजना की अनुमानित लागत 257.06 करोड़ रुपए है । विश्व बैंक सहायता राशि 89.9 मिलियन अमरीकी डालर है । परियोजना में जल आपूर्ति में वृद्धि मौजूदा जल आपूर्ति तथा सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने, कम लागत वाली स्वच्छता, सिंगुर बांध से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुन: स्थापना सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण का विचार है ।

[हिन्दी]

यूरिया तथा फास्फेट उर्वरक

4490. **श्री ललित उरांव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में लघु तथा सीमान्त किसानों को कितनी मात्रा में यूरिया तथा फास्फेट उर्वरक वितरित किए गए;

(ख) इससे बिहार में कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार को बिहार में उर्वरकों के वितरण में अनियमितताओं के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए उर्वरक राजसहायता योजना के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान 70.9 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है।

(ग) और (घ) बिहार राज्य सरकार को 1991-92 के दौरान उर्वरक के वितरण में हुई अनियमितताओं से संबंधित पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संबंधित जिलाधीशों से कहा गया है कि वे शिकायतों की जांच करें, साथ ही इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में छोटे और मार्जिनल किसानों को वितरित किए गए यूरिया और फास्फेट उर्वरक की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

वर्ष	छोटे और मार्जिनल किसानों को वितरित किए गए उर्वरक (मीटरी टन)	
	यूरिया	फास्फेटयुक्त उर्वरक
1989-90	5,43,938	2,01,154
1990-91	5,76,628	2,30,000
1991-92	5,53,942	2,56,077

[अनुवाद]

ऊन का विकास

4491. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में उनके विकास तथा भेड़ पालन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या ऐसा कोई कार्यक्रम राजस्थान राज्य के लिये भी बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ राजस्थान को कितनी राशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) भेड़ तथा ऊन के विकास के लिए राजस्थान राज्य सहित देश में केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित, विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ग) इन योजनाओं में, स्वदेशी भेड़ों का आनुवंशिक रूप से सुधार करना, ऊन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाकर सहायता प्रदान करना, भेड़ पालकों के बीच तकनीकी जानकारी का प्रसार करना शामिल है।

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य को 1.29 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

4492. श्री राम नगीना मिश्र : क्या शहरी विकास मंत्री सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 4433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें उल्लिखित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के संबध में कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनधिकृत कब्जा हटाया गया है अथवा आवंटन/पट्टे को रद्द किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित कार्रवाई कब तक किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटितियों को दिए गए कारण बताओ नोटिसों के उत्तर में आवंटितियों से दावा किया है कि अतिक्रमणों को हटा लिया गया है। उसके पश्चात, नये सिरे से सर्वेक्षण के आदेश दिए गए और जहां कहीं अभी भी अतिक्रमण होता पाया गया था, के मामलों में आबंटन को निरस्त्र करने के लिए अन्तिम कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

कृषि विज्ञान केन्द्र

4493. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र हैं;

(ख) क्या केरल में और अधिक कृषि-विज्ञान केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, केरल राज्य में सात कृषि विज्ञान केन्द्र हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल में निम्न स्थानों पर नौ कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव लम्बित (विचाराधीन) हैं, जैसे—वोरकेडी, अल्लेप्पी, कोजीकोडे, संस्थानपारा, तवनूर (मालाप्पुरम), केलप्पाजी (मालाप्पुरम), पथनमथिट्टा, कन्नौर और वाइनेड जिले।

(घ) अतिरिक्त धन-राशि (निधि) उपलब्ध होने पर ही भा० कृ० अ० परिषद द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा शहर को स्वच्छ रखा जाना

4494. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका ने हाल ही में शहर को स्वच्छ रखने का कोई विशेष अभियान चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन विशिष्ट क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सफाई अभियान चलाया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों में 20 जुलाई, 1992 से 15 अगस्त, 1992 तक एक "सफाई अभियान" चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान, संलग्न विवरण के अनुसार गहन सफाई करने की आयोजना की गई है।

नई दिल्ली नगर पालिका ने भी सूचित किया है कि उच्च-स्तरीय समन्वय समिति के पर्यवेक्षण में 20 जुलाई, 1992 से 3 अगस्त, 1992 तक एक 'सफाई अभियान' आरम्भ किया गया है। सम्पूर्ण क्षेत्र को पांच जोनों में बांटा गया है जिन्हें एक उच्च-स्तरीय अधिकारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रखा गया है, जिसकी सहायतार्थ स्वच्छता अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसका उद्देश्य पिछवाड़ों, गलियों, कूंचों, कूड़ा-घरों, और अन्य अन्धे-मोड़ों सहित सभी स्थलों से कूड़ा-करकट हटाना है। सभी नालों की गाद साफ कर दी गई है और बड़े नालों तथा बरसाती पानी के नालों की सफाई भी की गई है। बरसाती पानी के निर्बाद बहाव को बनाए रखने के लिए सभी पुलियों के अन्दर की सफाई कर दी गई है।

विवरण

करोल बाग क्षेत्र

1. शंकर रोड
2. डा० कृष्णन रोड
3. अपर रिंग रोड

4. सर गंगाराम होस्पिटल मार्ग
5. सी० पी० वासन मार्ग
6. जखीरा फ्लाईओवर से ईस्ट पार्क रोड चौराहे तक न्यू रोहतक रोड
7. रोड नं० 6 (लाइब्रेरी सिनेमा रोड)
8. पटेल रोड
9. रोड नं० 22
10. रोड नं० 7
11. बलराज खन्ना मार्ग
12. टी० सोहन लाल मार्ग
13. प्रसाद नगर रोड
14. रणजीत नगर
15. रोड नं० 11
16. पूसा रोड
17. न्यू पूसा रोड
18. गंगा मन्दिर मार्ग
19. विष्णु मन्दिर मार्ग
20. टैंक रोड
21. फेज रोड, डी० बी० गुप्ता रोड से रानी झांसी रोड तक
22. कबर रोड
23. ईस्ट पार्क रोड (न्यू रोहतक रोड से देशबन्धु गुप्ता रोड)
24. रामा रोड
25. ई० ई० स्टोर गोल चक्कर से नजफगढ़ रोड तक
26. नरायणा रोड (पटेल नगर पुलिस स्टेशन से खेड़ा हास्पिटल तक)
27. 60 फुट नार्थ एवेन्यु रोड (चौड़ा रोड)
28. 80 फुट चौड़ा रोड (रिंग रोड से एच ब्लाक, नरायणा विहार तक)
29. मैन इन्द्रापुरी
30. देशबन्धु गुप्ता रोड
31. पदम सिंह रोड
32. सुजान सिंह रोड
33. गुरुद्वारा रोड
34. आर्य समाज रोड

35. मिल्ट्री रोड

शहरी जोन

1. मथुरा रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल से तिलक ब्रिज तक
2. बहादुर शाह जफर मार्ग
3. सुभाष मार्ग
4. न्यू दरियागंज रोड
5. श्रद्धानन्द मार्ग
6. एस० पी० मुखर्जी रोड
7. चांदनी चौक रोड
8. जवाहर लाल नेहरू मार्ग
9. आशफ अली रोड
10. रणजीत सिंह मार्ग
11. मिन्टो रोड
12. आई० पी० मार्ग

पूर्वी जोन

1. रानी झांसी रोड, पंचकुईयां रोड से बर्फ खाना
2. पंचकुईयां रोड, रानी झांसी रोड से बसंत रोड तक
3. देशबन्धु गुप्ता रोड, रानी झांसी रोड से अजमेरी गेट तक
4. चित्र गुप्ता रोड (पंचकुईयां रोड से देशबन्धु गुप्ता रोड तक)
5. कुतुब रोड, आजाद मार्किट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक
6. ओल्ड रोहतक रोड, आजाद मार्किट से सराय रोहिल्ला तक
7. कालीदास रोड, संजय नगर रोड से सराय रोहिल्ला ब्रिज तक
8. आजाद मार्किट रोड

दक्षिणी जोन

1. तमिल संगम मार्ग
2. युसुफ सराय से आई० आई० टी० चौराहे तक अरबिन्दो मार्ग
3. चौधरी झंडू सिंह मार्ग
4. कालका देवी मंदिर मार्ग
5. लाला लाजपत राय मार्ग
6. रोड नं० 13
7. कुतुब से महरौली रोड तक

8. अंधेरी मोड़
9. बस रूट मालवीय नगर
10. आई० आई० टी० चौराहे से कुतुब तक अरबिन्दो मार्ग
11. जैतपुर रोड
12. पूर्वी मार्ग
13. रशोहिमो मार्ग
14. वेंकटेश्वर मार्ग

नई दिल्ली जोन :

1. मथुरा रोड
2. लोदी रोड
3. लाला लाजपत राय मार्ग
4. भीष्म पितामह मार्ग
5. श्री श्रीकृष्ण मार्ग
6. गुरुद्वारा रोड
7. फिरोज गांधी रोड
8. वीर सावरकर मार्ग
9. शिव मंदिर मार्ग
10. गिडवानी मार्ग
11. सैन्ट्रल रोड डबल स्टोरी
12. लाजपत नगर-III
13. मेन रोड सादिक नगर
14. 80 आर०/डब्लू० रोड (ओखला रोड)
15. राजा धीर सेन मार्ग
16. हो चीन मिन्ह रोड
17. ग्रेटर कैलाश-II में 80 आर०/डब्लू० रोड (डान बोस्को स्कूल के सामने)
18. हंसराज सेठी मार्ग, कालकाजी
19. एम-बैण्ड रोड मालवीय नगर
20. खिड़की गांव रोड (सावित्री नगर से खिड़की गांव)

शाहदरा (दक्षिणी जोन) :

1. राजा राम कोहली मार्ग
2. पटपड़गंज रोड

3. मेन गांधी नगर रोड
4. झील रोड
5. प्रीत विहार रोड
6. मार्जिनल बंड से तिलकपुरी रोड
7. विश्वास रोड
8. शाहदरा रोड

शाहदरा (उत्तरी ज़ोन) :

1. जी० टी० रोड
2. लोनी रोड
3. रोड नं० 66 से घोंडा चौक तक
4. करावल नगर रोड (वजीराबाद रोड से जौहरीपुर गांव तक)

नजफगढ़ रोड

1. रोड नं० 3
2. नांगलोई-नजफगढ़ रोड
3. दिल्ली-नजफगढ़ रोड
4. झरोदा कालन रोड
5. ढिचांव कला रोड
6. गुम्नेहरा रोड, खरखरी नाहर तक
7. नजफगढ़ फिरनी रोड
8. नजफगढ़ धूंसा रोड
9. रावतां रोड
10. गुमनहेड़ा रोड
11. झतीकरा रोड
12. कंगनहेरी रोड
13. नजफगढ़ बिजवासन रोड
14. पालम डाबरी रोड
15. महरोली महिपालपुर रोड
16. बिजवासन रोड

रोहिणी ज़ोन :

1. जखीरा से रिंग रोड तक न्यू रोहतक रोड
2. ईस्ट एवेन्यू रोड

3. नार्थ एवेन्यू, नार्थ वेस्ट और वेस्ट एवेन्यू पंजाबी बाग
4. जखीरा से मोतीनगर क्रासिंग तक नजफगढ़ रोड
5. सराय रोहिल्ला से जखीरा तक पुराना रोहतक रोड
6. 80 फुट चौड़ा लारेन्स रोड
7. ट्रांसपोर्ट नगर से प्रहलादपुर तक ओचन्दी रोड
8. कैनाल रोड और स्वामी नारायण मार्ग, अशोक विहार
9. पुरानी रोहतक रोड
10. 80 फुट आर० सी० डब्ल्यू० रोड और 100 फुट आर० सी० डब्ल्यू० रोड का बस रूट
11. जैन स्थानक का बस रूट
12. शास्त्री नगर रोड
13. सिघौरा कलां रोड
14. केशवपुर क्षेत्र में पाकेट
15. जय माता बाजार का मैन रोड
16. हाण्डापुरी मैन रोड
17. ओचन्दी रोड
18. शालीमार बाग रोड
19. अशोक बिहार रोड
20. कैनाल से आर० सी० डब्ल्यू० तक स्वामी नारायण मार्ग 100 फुट, स्वामी परमानंद मार्ग
21. माधव रोड
22. ब्रतानिया रोड
23. रोहतक रोड
24. ईस्ट एवेन्यू रोड
25. नजफगढ़ रोड
26. रोड नं० 34
27. रानीबाग मैन रोड

पश्चिमी जोन :

1. जेल रोड से शुरू होकर पंखा रोड तक जनकपुरी मार्ग
2. जेल रोड
3. घंटाघर से जाने वाली मायापुरी रोड से शुरू होकर रोड नं० 32 तक रोड

4. 24 ब्लाक तिलक नगर और गणेश नगर से गुजरने वाली नजफगढ़ रोड एवं बाहरी रिंग रोड जोड़ने वाली रोड
5. नजफगढ़ से पी० डब्ल्यू० डी० तक रघुबीर नगर रोड
6. क्लाक टावर से जेल रोड तक रोड
7. राजौरी गार्डन से (80 फुट चौड़ी रोड) रिंग रोड नजफगढ़ से
8. नजफगढ़ रोड से बसई दारापुर तक तनवर मार्ग
9. मानसरोवर गार्डन में 80 फुट चौड़ा रोड
10. लोकनाथ मार्ग, कीर्ति नगर
11. बलबीर सिंह रोड
12. विकासपुरी में सोनिया रोड

सिविल लाइन्स रोड

1. राजन बाबू रोड
2. मजलिस पार्क और केवल पार्क रोड
3. बुराड़ी रोड
4. परेड़ रोड (निरंकारी कालोनी रोड)
5. बोलार्ड रोड
6. मोरी गेट रोड
7. जी० टी० रोड
8. राज निवास मार्ग
9. यमुना मार्ग
10. कोर्ट रोड
11. अलीपुर रोड
12. राजपुर रोड
13. लोथियन रोड
14. केलाघाट रोड
15. बड़ा बाजार
16. फ्लैग स्टाफ रोड
17. अण्डर हिल रोड
18. सत्यवती रोड
19. छतरा मार्ग

20. कोरोनेशन रोड
21. यूनिवर्सिटी रोड
22. गुरु तेग बहादुर रोड
23. लक्ष्मणदास अग्रवाल रोड
24 लान्सर रोड, तिमारपुर
25. भाई परमानन्द रोड
26. सुधीर बोस मार्ग
27. किंग्सवे रोड
28. टैगोर पार्क रोड
29. बान्धु रोड
30. जी० टी० रोड
31. जी० टी० रोड से माल रोड तक जोनल रोड
32. माडल टाउन-II रोड
33. रोड नं० 2 और 3, माडल टाउन
34. छत्रसाल स्टेडियम के साथ रोड
35. छत्रसाल स्टेडियम से पुलिस लाइन तक रोड
36. पोलो रोड
37. भामा शाह रोड
38. विजय नगर रोड
39. मडालिया रोड
40. बंगला रोड
41. अग्रसैन रोड
42. कोल्हापुर रोड
43. मल्कागंज रोड
44. रोशनआरा रोड
45. नेहरू कुटिया और कबीर बस्ती का मैन रोड
46. कालिदास मार्ग
47. सत्यवती मार्ग
48. जी० टी० रोड
49. अनाज गोदाम रोड

नरेला ज़ोन :

1. नरेला रोड
2. अलीपुर नरेला रोड
3. नरेला बवाना रोड
4. घेवरा बवाना रोड
5. ओचन्दी रोड
6. रोड नं० 3
7. बख्तावरपुर रोड
8. मुखमेलपुर रोड
9. बुराड़ी रोड
10. नरेला लामपुर रोड
11. आर्य समाज रोड
12. चौधरी रामदेव मार्ग
13. खेड़ा खुर्द रोड

रोहिणी में बालकोनियों का विस्तार

4495. **श्री केशरी लाल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी में सैक्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि में 26, 32 और 48 वर्गमीटर के प्लाटों के आवंटियों को पहले अपनी बालकोनियों का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी, किन्तु अप्रैल, 1992 से 32 और 48 वर्गमीटर के प्लाटों के मामले में यह सुविधा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो केवल 32 और 48 वर्गमीटर के प्लाटों के मामले में ही यह सुविधा समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें यह सुविधा बहाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि डी डी ए की रोहिणी आवासीय स्कीम में 26, 32 तथा 48 वर्गमीटर भूखंडों के संबंध में सार्वजनिक भूमि पर बालकोनियों के विस्तार की अनुमति कभी नहीं दी गई थी और इसलिए इस सुविधा को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए सार्वजनिक भूमि पर बालकोनियों की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता। यह उल्लेख किया जाता है कि सार्वजनिक खुले स्थान में प्लाट की सीमा रेखा के बाहर द्वार पर मात्र 45 सेंटीमीटर सन्-शेड की अनुमति है क्योंकि ये भूखंड बीच में सार्वजनिक खुले स्थान वाले समूहों के रूप में हैं।

(घ) रोहिणी में सार्वजनिक भूमि पर 26, 32 और 48 वर्गमीटर के भूखंडों पर बालकोनियों की अनुमति देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। भवन उप-नियमो 1983 के अनुसार सार्वजनिक भूमि/सड़क नगर बालकोनी बनाने की अनुमति नहीं है।

कच्छ सीमा पर हवाई सर्वेक्षण

4496. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री रूपचन्द पाल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री दिलीप भाई सिंघानी :
श्री मोहन रावले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने कच्छ सीमा पर हवाई सर्वेक्षण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल ने कच्छ की खाड़ी से कुछ लोगों के शव बरामद किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लोगों की मृत्यु के क्या कारण हैं;

(ङ) मृतक व्यक्ति किन-किन देशों के हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने उन देशों को इस दुर्घटना की सूचना दी है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा मई, 1992 में कच्छ के मैदान में हवाई सर्वेक्षण किया गया।

(ख) इस हवाई सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या वहां और शव पड़े हैं या उस क्षेत्र में व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में यदि कोई हो, का पता लगाना था।

(ग) से (ङ) 14/15 मई और 27/28 मई, 1992 को गश्त के दौरान 40 शव पाए गए। ये शव बंगलादेश राष्ट्रिकों के थे, जिन्हें पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा भारतीय क्षेत्र में धकेला गया था। उनकी मृत्यु पानी की कमी के कारण हुई। इन 40 शवों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

पुरुष	:	1 (लगभग 55 वर्ष)
पुरुष	:	10 (लगभग 18 से 35 वर्ष)
महिला	:	8 (लगभग 18 से 35 वर्ष)
बच्चे	:	21 (लगभग 4 से 13 वर्ष)

(च) और (छ) पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मामला उठाया गया है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति

4497. **श्री सुशांत चक्रवर्ती** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी होने के कारण अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान 50.9 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 51.4 मिलियन टन क्रूड को रिफाइनरियों में संसाधित किया गया था, जो 101 प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है।

बन्धकों को छोड़ने के लिए आतंकवादियों की मांगें

4499. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों ने बन्धकों को अपने कब्जे से छोड़ने के लिए क्या मांगें रखी हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाएं, लूट-खसोट/फिरौती राशि की मांग करने के लिए विशिष्ट ग्रुपों को उत्पीड़ित करने और गिरोहों इत्यादि के गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों को रिहा करवाने के लिए किया जाता है। सरकार ने आतंकवातियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और सवेदनशील क्षेत्रों में गस्त गहन की हैं। आमतौर पर मांगें स्वीकार नहीं की गयी हैं।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के ब्यौरे का अध्ययन करने हेतु कृतिक बल

4500. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री राजेश कुमार :

श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के ब्यौरे का अध्ययन करने हेतु कोई कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या कुशलतापूर्वक ड्रिलिंग कार्य सम्पन्न करने के लिए सरकार का विचार बिहार

और उत्तर प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अलग से कोई क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

दिल्ली में कुवैत के राजनयिकों पर हमला

4501. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में कुवैत दूतावास की कार पर जिसमें दो राजनयिक थे, हमले की घटना की जांच हेतु एक विशेष दल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है; और

(च) विदेशी राजनयिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिनांक 5-5-92 को कुवैती दूतावास की कार, जिसमें दो राजनयिक सवार थे, पर हुए हमले की घटना की जांच करने के लिए एक सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस के प्रचालन कक्ष के दो निरीक्षकों और एक उपनिरीक्षक वाला एक विशेष दल प्रतिनियुक्त किया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसका विशेष कार्य बल विदेशी मिशनों/राजनयिकों के आवास के आसपास लगातार निगरानी रखता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सुरा कांड

4502. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० महावीपक सिंह शाक्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1992 के "ट्रिब्यून" में "गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनवाल्व्ड इन सुरा ट्रेजडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्, "दि ट्रिब्यून" ने अपने 24 मई, 1992 के अंक में "गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वाल्व्ड इन सुरा ट्रेजडी" शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।

(ख) और (ग) दुर्घटना के कारणों की जांच करने, जिम्मेदारी निर्धारित करने और सुधार के उपायों को सुझाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जगदीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

सुन्दुर हत्याकांड

4503. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सुन्दर हत्याकांड की घटनाओं की जांच के लिए नियुक्त एक सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में लाटरी व्यवसाय में कथित अनियमितताएं

4504. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1992 के जनसत्ता में "लाटरी फंड से जुड़े लोग 23 लाख डकार गए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) समाचार देखा गया है।

(ख) से (ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मुकदमा शुरू किया गया है। दूसरे अधिकारी की सेवाएं बर्खास्त की गई हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ जांच शुरू की गई है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी घुसपैठियों की गतिविधियां

4505. **श्री जसवन्त सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 दिसम्बर, 1991 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के बीडन गांव के पास कुछ पाकिस्तानी घुस आये थे तथा उन्होंने तीन भारतीय नागरिकों को मार डाला था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कारंवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन सशस्त्र पाकिस्तानी अपराधी दो ऊंटों पर सवार होकर 17 सितम्बर, 1991 की शाम को जिला जैसलमेर में गुमन सिंह वेवरा गांव बीड़ा में आए और तीन व्यक्तियों की हत्या की। उसके बाद वे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान में भाग गए।

(ग) और (घ) इस संबंध में 1992 के दौरान तीन पत्र प्राप्त हुए और उनके उत्तर 14-7-1992 को भेज दिए गए।

रसोई गैस के जाली प्राथमिकता वाउचर

4506. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय तेल निगम लिमिटेड के विपणन प्रभाग के कार्यालय से वर्ष 1991-92 के दौरान रसोई गैस के जाली प्राथमिकता वाउचर बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

ई० सी० एल० को तेल टैंकरों का ठेका दिया जाना

4507. **श्री चन्द्रजीत यादव** :
श्री राम विलास पासवान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति ने ई०सी०एल० द्वारा तेल टैंकर खरीदे जाने से पहले इसे पांच वर्ष के लिए तेल टैंकरों का ठेका दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) जी, हां । तेल समन्वय समिति ने सूचित किया है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि प्रदाय के पूर्व नये जहाजों को काम पर लगाया जाता है ।

कश्मीर घाटी से सरकारी कर्मचारियों का प्रवासन

4508. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कश्मीर घाटी छोड़ गये हैं और इस समय उधमपुर में रह रहे हैं;

(ख) क्या सी तथा डी वर्ग के अधिकांश प्रवासी कर्मचारियों को उधमपुर से ही अपना वेतन प्राप्त करने दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन प्रवासी कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन्हें उधमपुर से ही अपना वेतन प्राप्त करने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (घ) उधमपुर सहित जम्मू क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के 13,700 परिवार पंजीकृत हैं । प्रशासनिक व्यवहारिकता के अनुसार उधमपुर समेत संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा, पात्र सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था कर ली गई है ।

दिल्ली पुलिस द्वारा यमुनापार क्षेत्र के किरायेदारों पर किए गए कथित अत्याचार

4509. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस विशेषकर विवेक विहार, आनन्द विहार और गांधीनगर थानों के पुलिस कर्मियों द्वारा दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में भारी संख्या में किरायेदारों को लूटा जा रहा है तथा उन्हें उनके मकानों से निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 1-1-1992 से 15-7-1992 तक की अवधि के दौरान यमुना पार क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में, विवेक विहार, आनन्द विहार और गांधीनगर पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र में इस प्रकार की कोई घटना घटित/सूचित नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) जब कभी इस प्रकार की कोई घटना ध्यान में आती है, तो जांच की जाती है और

इस प्रकार के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में जम्मू और कश्मीर में कर्मचारियों की गिरफ्तारी

4510. **डा० रमेश चन्द तोमर :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कितने कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई है; और

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी गृह और रक्षा सेवाओं के कार्यरत थे तथा वे किन-किन पदों पर नियुक्त थे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है और सूचना प्राप्त होने पर इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मैथली भाषी लोगों की संख्या

4511. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथिली भाषी लोगों की संख्या 1921, 1931, 1951 तथा 1961 की जनगणनाओं में प्रकाशित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1971 तथा 1981 की जनगणनाओं में मैथिली भाषी लोगों का ब्यौरा अलग से प्रकाशित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संविधान की आठवी अनुसूची से बाहर की भाषाओं में मैथिली भाषा को साहित्य अकादमी ने सबसे पहले मान्यता दी थी; और

(च) यदि हां, तो इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारत की वर्ष 1921 और 1931 में हुई जनगणनाओं की जनगणना रिपोर्टों में मैथिली बोलने वाले लोगों की संख्या प्रकाशित नहीं की गई थी। देश में सन् 1951 और 1961 की जनगणनाओं में जिन लोगों ने मैथिली को अपनी मातृभाषा लिखा था, उनकी संख्या इन वर्षों की जनगणना रिपोर्टों में प्रकाशित की गई है।

(ख) सन् 1951 और 1961 की जनगणनाओं में जिन लोगों ने मैथिली भाषा को अपनी मातृभाषा बताया था उनकी वास्तविक संख्या 97,757 और 49,84,811 है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) सन् 1971 और 1981 की जनगणनाओं में उपलब्ध भाषीय सूचना और किये गये अध्ययन के आधार पर मैथिली बोलने वाले लोगों को हिन्दी भाषा समुदाय के अंतर्गत रखा गया था।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(च) और अधिक भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

देश में मादक पदार्थों के नशे की लत छुड़ाने वाले केन्द्र

4512. **श्री औ० माडे गौडा :**

श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार मादक पदार्थों के नशे की लत छुड़ाने वाले केन्द्र कहां-कहां पर हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दी गयी केन्द्रीय सहायता का ब्योरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निव्यसंन केन्द्रों की संख्या और इस संबंध में निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90		1990-91		1991-92	
		केन्द्र की संख्या	राशि	केन्द्र की संख्या	राशि	केन्द्र की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) राज्य							
1.	बिहार	1	3.21	2	8.74	3	17.39

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	गुजरात	3	11.05	4	12.52	4	17.02
3.	हरियाणा	3	11.04	4	21.76	7	29 02
4.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	1	3.80
5.	कर्नाटक	1	2.76	1	2.79	1	—
6.	केरल	2	3.86	2	10.80	4	8.54
7.	मध्य प्रदेश	2	5.70	2	13.83	2	12.36
8.	महाराष्ट्र	3	10.30	4	20.07	4	12 41
9.	मणिपुर	1	2.63	2	8.32	8	23.49
10.	मिजोरम	2	8.85	2	9.53	3	10.28
11.	नागालैण्ड	1	2.40	1	4.88	1	10.85
12.	उड़ीसा	1	1.73	1	5.90	3	7.37
13.	पंजाब	—	—	2	5.43	2	—
14.	राजस्थान	1	7.71	1	9.85	3	18.77
15.	तमिलनाडु	2	4.83	2	9.57	3	11.57
16.	त्रिपुरा	—	—	—	—	1	1.51
17.	उत्तर प्रदेश	3	14.65	4	15.31	11	18.25
18.	पश्चिमी बंगाल	3	8.57	3	21.37	3	20.34
	योग (क)	29	99.29	37	180.67	66	225.21
(ख) संघ राज्य क्षेत्र							
19.		7	38.38	7	41.67	6	38.11
	कुल योग (क) और (ख)	36	137.67	44	222.34	72	263.33

[हिन्दी]

दिल्ली में बच्चों की गिरफ्तारी

4513. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जुलाई, 1992 को बोट क्लब पर प्रदर्शन करते समय कुछ बच्चे गिरफ्तार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेके लेना

4514. डा० परशुराम गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का ब्योरा क्या है जहां पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आजकल अन्तर्राष्ट्रीय ठेकों का कार्य कर रहा है; और

(ख) इस संस्था का पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हुए लाभ और हानि का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) फिलहाल इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ईरान, अल्जरिया, मलेशिया, आबू धाबी और यू० के० के करारों को क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) विगत के प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान लाभ (कर पश्चात) निम्न प्रकार से हैं :—

1991-92	20.679 करोड़ रुपए
1990-91	9.334 करोड़ रुपए
1989-90	3.307 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

पंजाब में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती

4515. श्री सुधीर गिरि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के विधान सभा और लोक सभा चुनावों के दौरान पंजाब में तैनात किए गए केन्द्रीय सुरक्षा बलों का ब्योरा क्या है; और

(ख) राज्य में इस समय तैनात किए गए इन सुरक्षा बलों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस कर्मियों को न्यायालय की अवमानना की सूचनायें

4516. श्री छेदी पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान न्यायालय की अवमानना करने की सूचना दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को दी गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 01 जुलाई, 1991 से 30 जून, 1992 के दौरान न्यायालय की अवमानना करने के लिए 16 मामलों में 19 पुलिस अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं।

(ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 6 मामलों में विशेष अवकाश याचिका दायर की गई हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 मामलों का निपटान/रद्द किया गया है। एक पुलिस अधिकारी के व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत न होने के कारण एक मामला स्थगित है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश की पेय जल योजनाएं

4517. श्री दिग्विजय सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राजगढ़ जिले के पिथौरागढ़, सारंगपुर और पाचोरा की पेय जल योजनाएं स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो यह योजनाएं कब प्राप्त हुई थीं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन पर क्या कारंवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	की गई कारंवाई
1.	बिओरा जलापूर्ति वृद्धि योजना	मार्च, 1991	जुलाई, 1991 में राज्य सरकार से परियोजना प्रस्ताव संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है।
2.	सारंगपुर जलापूर्ति परियोजना	नवम्बर, 1988	अक्तूबर, 1991 में तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित
3.	पचोर जलापूर्ति योजना	सितम्बर, 1987	सरकार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों को त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में शामिल करने के निर्णय को देखते हुए, राज्य सरकार से जनवरी, 1988 में परियोजना प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था।

बांग्लादेश से होकर त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक गैस ले जाना

4518. श्री रूप चन्द पाल :
श्री अमल दत्ता :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइप लाइन के द्वारा बांगलादेश से होकर त्रिपुरा से पश्चिम बंगाल तक प्राकृतिक गैस ले जाने के मामले पर बांग्लादेश सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

[हिन्दी]

मात्स्यिकी का विकास

4519. श्री राम टहल चौधरी :
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना अनुमानित क्षेत्र मात्स्यिकी के विकास के लिए उपयुक्त है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितना क्षेत्र मात्स्यिकी के अंतर्गत लाया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मात्स्यिकी का विकास करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत तालाबों और पोखरों के 22.12 लाख हैक्टेयर अनुमानित उपयोगी क्षेत्रों और खारापानी वाले 14.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से तालाबों और पोखरों के 2.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का और खारा पानी के 7,966 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है । राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है ।

(ग) मत्स्य पालकों को वित्तीय, तकनीकी और विस्तार समर्थन मुहैय्या कराने के लिए 365 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों और 31 खारी पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को स्वीकृति प्रदान की गई है । मत्स्य पालक विकास एजेंसियों और खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के राज्यवार आवंटन को विवरण-II में दिया गया है :—

(घ) ताजा पानी मत्स्य पालन और समेकित खारा पानी विकास कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है।

	(लाख रुपए)
वर्ष	निर्मुक्त की गई धनराशि
1989-90	736.84
1990-91	897.45
1991-92	888.23

राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

मात्स्यिकी विकास के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र

एफ० एफ० डी० ए० और बी० एफ० डी० ए० के द्वारा मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल क्षमता	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,81,000	5,537	6,375	6,375
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,000	8	22	22
3.	असम	20,000	1,402	1,644	1,644
4.	बिहार	45,000	18,097	19,358	19,358
5.	गोवा	12,000	4	4	2
6.	गुजरात	1,66,000	7,627	9,527	9,527
7.	हरियाणा	10,000	6,412	8,778	8,778
8.	हिमाचल प्रदेश	1,000	284	180	180
9.	जम्मू और कश्मीर	11,000	600	600	600
10.	कर्नाटक	3,60,000	8,890	10,450	10,450
11.	केरल	2,46,000	2,358	2,845	2,845

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	69,000	36,828	38,732	38,732
13.	महाराष्ट्र	69,000	3,740	4,769	4,769
14.	मणिपुर	3,000	1,287	1,319	1,319
15.	मेघालय	2,000	—	—	—
16.	मिजोरम	2,000	19	39	39
17.	नागालैंड	50,000	700	700	700
18.	उड़ीसा	6,54,000	36,490	38,476	38,476
19.	पंजाब	7,000	3,030	6,779	6,779
20.	राजस्थान	1,80,000	2,717	2,750	2,750
21.	सिक्किम	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	2,80,000	4,515	4,875	4,875
23.	त्रिपुरा	7,000	2,988	3,058	3,058
24.	उत्तर प्रदेश	1,62,000	40,318	49,855	49,855
25.	पश्चिम बंगाल	4,86,000	74,025	80,177	80,167
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,45,000	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
28.	दादरा, नगर और हवेली	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	4,00	24	24	24
		36,24,400	2,53,997	2,91,326	2,91,326

विवरण-II

मत्स्य पालक विकास एजेंसियों तथा खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियां

(संख्या)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफ० एफ० डी० ए०	बी० एफ० डी० ए०
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	
3.	असम	15	
4.	बिहार	39	
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	17	3
7.	हरियाणा	16	
8.	हिमाचल प्रदेश	2	
9.	जम्मू और कश्मीर	2	
10.	कर्नाटक	18	1
11.	केरल	14	6
12.	मध्य प्रदेश	45	
13.	महाराष्ट्र	29	4
14.	मणिपुर	7	
15.	मेघालय	1	
16.	मिजोरम	1	
17.	नागालैंड	2	
18.	उड़ीसा	13	4
19.	पंजाब	12	
20.	राजस्थान	13	
21.	सिक्किम	1	
22.	तमिलनाडु	17	4

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	3	
24.	उत्तर प्रदेश	56	
25.	पश्चिम बंगाल	17	3
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादरा, नगर और हवेली	—	—
29.	दमन और दीव	—	—
30.	दिल्ली	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पाण्डिचेरी	1	—
		365	31

विवरण-III

ताजे पानी तथा खारा पानी में मत्स्य पालन विकास के लिए निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.28	31.89	53.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	1.00	1.00
3.	असम	15.00	12.00	9.00
4.	बिहार	36.00	31.00	36.00
5.	गोवा	13.00	4.90	50.75
6.	गुजरात	18.90	16.70	25.26
7.	हरियाणा	11.00	28.35	31.50
8.	हिमाचल प्रदेश	2.00	1.00	1.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2.00	2.00	2.00

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	36.09	13.90	18.63
11.	केरल	20.18	34.07	61.07
12.	मध्य प्रदेश	38.00	45.00	88.31
13.	महाराष्ट्र	38.90	16.00	2.30
14.	मणिपुर	11.00	3.00	5.19
15.	मेघालय	—	1.00	—
16.	मिजोरम	1.00	1.00	1.00
17.	नागालैंड	4.60	—	1.00
18.	उड़ीसा	81.17	131.31	96.44
19.	पंजाब	21.02	6.00	32.00
20.	राजस्थान	13.00	11.00	—
21.	सिक्किम		1.00	—
22.	तमिलनाडु	13.00	36.56	32.50
23.	त्रिपुरा	16.83	3.00	8.00
24.	उत्तर प्रदेश	106.00	179.00	124.00
25.	पश्चिम बंगाल	166.87	276.17	204.28
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
29.	दमण और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	6.00	1.00	4.00
		736.84	897.45	888.23

[अनुवाद]

आतंकवादी संगठनों के साथ बातचीत

4520. **श्री किरिप चालिहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एन० एस० सी० एन०, आई० बी० आर० एफ० और पी० एल० ए० संगठनों के साथ बातचीत की कोई पहल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपहरण की घटनाएं रोकने के लिए कानून

4521. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपहरण की घटनाएं रोकने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फलों का निर्यात

4522. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अनन्नास और संतरों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इन फलों का निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इनका कितना निर्यात किया गया; और

(घ) इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कृषि मंत्रालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1989-90 से 1991-92 के इन फलों के उत्पादन के अनुमान निम्नलिखित हैं :

(टनों में)

	1989-90	1990-91	1991-92
अनन्नास	887850	उपलब्ध नहीं हैं	उपलब्ध नहीं हैं
सन्तरा (किनू सहित)	631775	620775	उपलब्ध नहीं हैं

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

कीमत : लाख रुपयों में
मात्रा : टनों में

	1990-91*		1991-92**	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
अनन्नास	197	13.83	16	1.31
सन्तरा	7,002	252.40	871	15.25

* स्रोत : डी० जी० सी० आई० एस० ** स्रोत : पार्टी ब्यौरे।

भूमि का अतिक्रमण

4523. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि पर कब्जा करने वाले कल्याणपुरी, कोंडली तथा दल्लुपुरा जैसे क्षेत्रों में प्रस्तावित 19 सुविधा केन्द्रों के विकास कार्यों को विफल कर रहे हैं जैसाकि 17 जून, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भूमि को कब तक पूर्णतया विकसित कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि तीन मामलों में, भूमि का एक भाग अतिक्रमणाधीन है जिसके लिए बेदखली की कार्रवाई चल रही है। कल्याणपुरी, कोंडली और दल्लुपुरा में अतिक्रमण नहीं हैं।

(घ) सुविधा केन्द्र सन् 2001 तक संदर्श वाली दिल्ली मास्टर प्लान के भाग हैं।

राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उपयोग

4524. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में कोई गैस आधारित परियोजना लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी प्राकृतिक गैस का उपयोग किस प्रकार से करने का प्रस्ताव है जो राजस्थान में पाई गई है किन्तु जिसको निकालने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राजस्थान में रामगढ़ के नजदीक मनहेरा टिब्बा गैस क्षेत्रों से उपलब्ध संपूर्ण गैस राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा रामगढ़ में स्थापित की जाने वाली विद्युत संयंत्र के लिए आवंटित कर दी गयी है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

4525. प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में 1991-92 में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान का वास्तविक लक्ष्य और उत्पादन का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खाद्यान्नों के लक्ष्य और उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

(मीलियन मीटरी टन)

	लक्ष्य	उत्पादन
1985-86	159.20	150.44
1986-87	160.00	143.42
1987-88	160.00-163.00	140.35
1988-89	166.57	169.92
1989-90	175.00	171.04

(ग) और (घ) जी हां। 1992-93 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 183 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया गया है। विपणन और मूल्य समर्थन के अतिरिक्त देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष अभिवृद्धि उत्पादन कार्यक्रमों, जो 1992-93 के दौरान क्रियान्वयनाधीन है, को नीचे दिया गया है :

(I) समेकित चावल विकास कार्यक्रम

(II) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं, मक्का एवं कदन्न और दलहन

(III) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम

कृषि का विकास

4526. श्री के० वी० तंग्काबालू :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि के विकास हेतु कोई नयी योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि के विकास के लिए बागवानी, मात्स्यिकी के विकास, उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग आदि को कई नई योजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए आवासों का निर्माण

4527. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आयु वर्ग के लिए कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या "हुडको" इन आवासों के लिए ऋण देने के लिए राज्य सरकार की गारंटी पर बल देता है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो "हुडको" द्वारा गारंटी मांगने से सहमत हो गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए बनाए गए मकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) हुडको के मार्ग निर्देशों के अनुसार, हुडको की सहायता का इच्छुक आवास अभिकरण राज्य सरकार की गारंटी, बैंक गारण्टी अथवा सम्पत्तियों के रेहन रखने पर हुडको से ऋण प्राप्त कर सकता है।

(ग) लगभग सभी राज्य सरकारें 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मकानों का निर्माण कर रहे राज्य अभिकरणों को इसके स्वीकृत ऋणों के लिए हुडको को राज्य गारन्टी मुहैया करा रही है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम के प्रारम्भ से तथा 30-04-92 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए मकानों की संख्या।

क्र०सं०	राज्य/संघशासित राज्य	बनाए गए मकान	
		** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	निम्न आय वर्ग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3,29,650	4,576
2.	असम	20,981	548
3.	बिहार	83,794	2,887
4.	गोआ	1,279	378
5.	गुजरात	63,468	14,760
6.	हरियाणा	14,663	3,887

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	1,059	936
8.	जम्मू और कश्मीर	7,753	122
9.	कर्नाटक	90,644	10,426
10.	केरल	2,51,112	14,058
11.	मध्य प्रदेश	70,635	14,444
12.	महाराष्ट्र	1,50,881	34,688
13.	मणिपुर	847	285
14.	मेघालय	716	567
15.	मिजोरम	1,360	872
16.	नागालैंड	41	—
17.	उड़ीसा	44,812	14,518
18.	राजस्थान	69,745	20,387
19.	सिक्किम	332	30
20.	पंजाब	3,271	2,210
21.	तमिलनाडु	2,44,290	40,338
22.	त्रिपुरा	1,548	400
23.	उत्तर प्रदेश	2,29,472	44,356
24.	पश्चिम बंगाल	8,670	580
संघशासित राज्य			
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	232	820
2.	चण्डीगढ़	9,140	250
3.	दिल्ली	8,051	1,481
4.	दमन एवं द्वीप	605	3*
5.	पांडिचेरी	5,749	54
	कुल	17,14,800	2,78,455

स्रोत : राज्य सरकार/संघशासित राज्य मासिक प्रगति रिपोर्ट पर आधारित।

नोट* : इस योजना की निगरानी 1-4-87 से इस मंत्रालय द्वारा की गई।

** : यह योजना जनवरी, 1982 में संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम का एक भाग बनी तथा वर्ष 1982-83 के दौरान आरम्भ की गयी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश पुलिस बल को असम में तैनात करना

4528. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस बल को असम में तैनात किया गया है;

(ख) इसे असम में कब से तैनात किया गया है;

(ग) असम में की गई उक्त पुलिस बल तैनाती के कारण हुए खर्च की क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी जाएगी;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पुलिस बल के वापस भेजने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कारंवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1-4-1985 से एम० पी० एस० ए० एफ० की चार कम्पनियों को असम में तैनात किया गया है ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-1991 तक, असम में एम० पी० एस० ए० एफ० की तैनाती के लिए 22,15,65,093.40 रुपये की राशि वसूल की जानी है।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने असम में तैनात कम्पनियों को वापस हटाने का अनुरोध किया है । तथापि, यह कम्पनियां भारतीय रिजर्व बटालियनों से हैं तथा उनका प्रयोग करने के लिए केन्द्र सरकार का पहला अधिकार है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

4529. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री सत्य नारायण जटिया :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावासों की वर्तमान अनुमानित लागत में जो वास्तविक व्यय से कम है, संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानित लागत और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्र

4530. **श्री रवि राय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवसागर जिले के नजीरा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्र के अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलाप पर 1991-92 के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) असम में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के अपहरण हत्या और उसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल के परिणामस्वरूप 0.581 मिलियन टन की उत्पादन हानि हुई थी।

(ग) अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, कार्य-प्रणाली और अधिकारियों की तैनाती आदि में उपयुक्त समायोजन करने आदि कुछ कदम हैं जो स्थिति को संभालने के लिए उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

कच्छ सीमा पार से तस्करी

4531. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आतंकवादी गुजरात में कच्छ सीमा पार से हथियारों की तस्करी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या इसमें पाकिस्तान के संलिप्त होने का कोई सुराग मिला है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) सर क्रोक और कोटेश्वर के पश्चिम में आई क्रोक के विस्तार के लिए सुरक्षा घेरे को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में "नॉन एशोसिएटेड" गैस का उत्पादन

4532. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट से दूर क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्र (गुजरात) में "नॉन एशोसिएटेड" गैस का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इस गैस का वितरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1991-92 में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में क्रमशः लगभग 5225 एम० एम० एस० सी० एम० और 805 एम० एम० एस० सी० एम० असम्बद्ध गैस का उत्पादन हुआ था।

(ख) जबकि पश्चिमी अपटतीय क्षेत्र से उत्पादित असंबद्ध गैस हाजिरा लाई जाती है और यह हाजिरा के विभिन्न उपभोक्ताओं को एच० बी० जे० और पाइपलाइन के आसपास के क्षेत्रों में वितरित की जाती है, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में उत्पादित असंबद्ध गैस का वितरण गुजरात में ही विभिन्न उपभोक्ताओं को किया जाता है।

राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु लम्बित विधेयक

4533. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कौन-कौन से विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये विधेयक कब से लम्बित पड़े हैं;

(ग) इन विधेयकों के शीघ्र मंजूरी के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) विधेयकों के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा राज्य विधायनों को विचार करने के लिए मंगाया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाता है।

संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रियों/विभागों को मामले में अपने विचार जल्दी बताने के लिए उन्हें बार-बार याद दिलाया जाता है। विधेयकों को जल्दी निपटाने के लिए जब आवश्यक होता है, विचार-विमर्श भी किए जाते हैं।

विवरण

दिनांक 31-7-1992 के अनुसार स्थिति

क्रम संख्या	प्राप्ति की तारीख	विधेयक का नाम
1	2	3
		आंध्र प्रदेश (4)
1.	24-2-87	आंध्र प्रदेश वीडियो कैसट रिकार्डरों के द्वारा टेलिविजन पर फिल्मों का प्रदर्शन (विनियमन) विधेयक, 1987
2.	20-11-89	आंध्र प्रदेश राजमार्ग विधेयक, 1989
3.	27-11-89	आंध्र प्रदेश उद्योगों का प्रबोधन विधेयक, 1989
4.	28-11-89	आंध्र प्रदेश औद्योगिक कामगार (प्रबंध में भागीदारी और राहत) विधेयक, 1989
		असम (4)
5.	16-11-87	असम, कृषि भूमि का गैर-कृषकों को हस्तांतरण पर रोक विधेयक, 1987
6.	20-3-89	असम, औद्योगिक इकाइयां (कामगारों को स्थायी स्तर प्रदान करना) विधेयक, 1985
7.	9-8-89	असम राजमार्ग विधेयक, 1989
8.	20-6-90	असय भूमि हड़पना (निषेध) विधेयक, 1990

		बिहार (5)
9.	6-10-87	बिहार ऋण राहत (संशोधन) विधेयक, 1987
10.	17-2-88	मोटर वाहन (बिहार संशोधन) विधेयक, 1988
11.	10-9-91	बिहार मोटर वाहन कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991
12.	1-10-91	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991
13.	5-2-92	झारखंड क्षेत्र विकास विधेयक, 1991
		हरियाणा (5)
14.	22-4-87	भारतीय विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1987
15.	9-5-88	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988
16.	9-5-88	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988
17.	17-4-89	भारतीय विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989
18.	3-5-89	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1989
		हिमाचल प्रदेश (1)
19.	18-5-92	हिमाचल प्रदेश कुटलीहर वन (प्रबंध अधिग्रहण) विधेयक, 1992
		केरल (1)
20.	29-4-91	केरल महिला आयोग विधेयक, 1991

1	2	3
		कर्नाटक (5)
21.	16-7-74	कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983
22.	2-6-88	कर्नाटक विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना विधेयक; 1987
23.	4-5-92	मैसूर (व्यक्तिगत और विविध) इनाम उन्मूलन (संशोधन) विधेयक, 1992
24.	4-5-92	दण्ड प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1992
25.	12-5-92	कर्नाटक कृष्णा बेसिन विकास प्राधिकरण विधेयक, 1992
		महाराष्ट्र (1)
26.	11-5-92	महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समितियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992
		मणिपुर (3)
27.	6-12-88	मणिपुर पब्लिक पुस्तकालय विधेयक, 1988
28.	11-9-89	मणिपुर होम गार्ड विधेयक, 1989
29.	21-5-99	मणिपुर वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन
		मेघालय (1)
30.	23-2-88	मेघालय मेडीकल परिषद विधेयक, 1987

		राजस्थान (3)
31.	22-8-90	राजस्थान, विलासिता वस्तुओं पर कर (होटलों में और आवास ग्रहों में) विधेयक, 1990
32.	22-8-90	राजस्थान शहर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1990
33.	22-8-90	जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन ओर वैधीकरण) विधेयक, 1990
		सिक्किम (2)
34.	1-11-89	सिक्किम भूमि अपवर्तन (विनियमन) विधेयक, 1989
35.	1-11-89	सिक्किम भूमि हस्तांतरण (विनियमन) विधेयक, 1989
		तमिलनाडु (4)
36.	17-5-83	तमिलनाडु, स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर विधेयक, 1983
37.	2-8-85	तमिलनाडु शहरी भूमि (सीमांकन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1985
38.	29-5-86	मद्रास रेस क्लब (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विधेयक, 1986
39.	4-6-90	तमिलनाडु स्टेज केरेज्स और कांट्रेक्ट केरेज (अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1990
40.	29-10-91	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की सीमा निर्धारित करना) संशोधन विधेयक, 1991
41.	22-6-92	तमिलनाडु वन (संशोधन) विधेयक, 1992
42.	22-6-92	तमिलनाडु एडवोकेट कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1992
43.	22-6-92	तमिलनाडु सार्वजनिक सम्पत्ति (क्षति और हानि को रोकना) विधेयक, 1992
44.	24-6-92	मद्रास विश्वविद्यालय और अन्नामल्लाई विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

1	2	3
45.	24-6-92	मद्रास विश्वविद्यालय और अन्नामलाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992
46.	24-6-92	तमिलनाडु निजी स्कूलों को मान्यता देना (विनियमन) विधेयक, 1992
47.	24-6-92	तमिलनाडु निजी कालेज (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1992
48.	25-6-92	भारतीय टिकट (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1992
49.	25-6-92	तमिलनाडु कराधान विशेष न्यायाधिकरण विधेयक, 1992
		त्रिपुरा (3)
50.	8-7-91	त्रिपुरा वन (विशिष्ट भ्रष्ट कार्यों को रोकना) विधेयक, 1991
51.	8-7-91	त्रिपुरा वन (इमारती लड़की को हटाने के लिए विनियमन) विधेयक, 1991
52.	2-8-89	त्रिपुरा कृषि उत्पाद विपणन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989
		उत्तर प्रदेश (3)
53.	26-10-89	उत्तर प्रदेश नियम (हरियाणा से हस्तांतरित क्षेत्रों का विस्तार) विधेयक, 1989
54.	30-4-92	उत्तर प्रदेश सेकेन्डरी शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992
55.	1-6-92	उत्तर प्रदेश गो-हत्या पर रोक लगाना (संशोधन) विधेयक, 1992
		पश्चिम बंगाल (7)
56.	22-11-83	ट्रेड यूनियन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983

57.	22-5-84	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984
58.	5-6-89	रविन्द्र सांस्कृतिक संस्थान (प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना) (संशोधन) विधेयक, 1989
59.	23-10-90	हावड़ा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990
60.	1-2-91	आसनसोल नगर निगम विधेयक, 1990
61.	5-8-91	चन्द्रनागोर नगर निगम विधेयक, 1991
62.	19-12-91	सिलीगुड़ी नगर निगम विधेयक, 1991

[हिन्दी]

कृषि बोर्ड

4534. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि संसाधनों के विकास हेतु कृषि बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में किन्हीं राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस समय भारत सरकार कृषि संसाधनों के विकास के लिए एक कृषि बोर्ड स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

गुजरात में तेल-कूपों की खुदाई का कार्य विदेशी कंपनियों को सौंपना

4535. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के कुछ नए क्षेत्रों में तेल कूपों की खुदाई (ड्रिलिंग) का कार्य विदेशी कंपनियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) बोली के चौथे दौर में भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए गुजरात के तीन ब्लाक दिए गये थे। इन ब्लाकों में से दो के लिए विदेशी कंपनियों से बोलियां भी प्राप्त हो चुकी हैं।

असम की बराक घाटी में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

4536. श्री द्वारका नाथ दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए असम की पूरी बराक घाटी में परीक्षण और ड्रिलिंग कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने "बराक घाटी" में 10 अन्वेषी ड्रिलिंग की हैं जिनमें से 2 में तेल और 2 में गैस मिली है।

मछुआरों का कल्याण

4537. श्री सुधीर सावंत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मछुआरों के कल्याण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा योजनावार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) देश में मछुआरों के कल्याण हेतु आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं तथा दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) इस स्कीम के अन्तर्गत मछुआरा कल्याण योजना के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता राशि का विवरण नीचे दिया गया है—

निर्गमित केन्द्रीय सहायता का घटक

(लाख रुपये में)

स्कीम	1989-90	1990-91	1991-92
सामूहिक दुर्घटना बीमा	34.37	31.96	49.04
मॉडल मछुआरा गांव	97.31	99.99	239.65
बचत-सह-राहत	—	—	108.99

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की गई सहायता का विवरण संलग्न है।

(ख) सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के अंतर्गत पारंपरिक तथा छोटे यंत्रीकृत क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले सक्रिय मछुआरों का बीमा किया जाता है। सक्रिय मछुआरों का मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिए वर्षभर का बीमा 21,000 रुपये का और आंशिक विकलांगता के लिए 10,500 रुपये का किया जाता है। 10.84 रुपये प्रति मछुआरे की दर से बीमा-प्रीमियम का अंशदान केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50 : 50 के आधार पर किया जाता है। केन्द्र द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। मॉडल मछुआरा गांव घटक के स्कीम के अंतर्गत आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं आदि से युक्त मछुआरा गांवों का निर्माण किया जाता है। 5 नलकूपों, एक सामुदायिक भवन, तथा एक सहकारी साख संस्था से युक्त 100 घरों के एक मॉडल मछुआरा गांव की लागत लगभग 37.50 लाख रुपये आती है जो केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है। योजना के बचत-सह-राहत घटक का उद्देश्य मंदी के समय समुद्रवर्ती राज्यों में मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मछुआरों से, जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, मछलियां पकड़ने की 8 माह की अवधि तक 45.00 रुपये प्रतिमाह की दर से एकत्र किए जाते हैं। इस प्रकार जो 360 रुपये एकत्र होते हैं उसमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदान दिया जाता है, जिससे कुल राशि 1080 रुपये हो जाती है जिसे 270 रुपये प्रतिमाह की दर से मंदी के 4 महीनों में वितरित किया जाता है।

विवरण

मछुआरा कल्याण योजना के तहत निर्गमित निधि

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.72	5.00	5.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	9.19	5.58	—
4.	बिहार	7.34	9.42	4.99
5.	गोवा	0.90	—	0.25
6.	गुजरात	1.22	1.35	8.63
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	0.06	0.02	0.10
9.	जम्मू और कश्मीर	0.18	—	0.15
10.	कर्नाटक	11.92	18.05	15.22
11.	केरल	6.45	25.69	241.24
12.	मध्य प्रदेश	22.98	1.00	2.38
13.	महाराष्ट्र	—	0.81	2.56
14.	मणिपुर	0.05	3.30	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	2.09	2.70	7.80
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	22.76	18.97	134.12
23	त्रिपुरा	5.65	0.45	1.00
24.	उत्तर प्रदेश	11.17	11.71	13.09
25.	पश्चिम बंगाल	12.82	26.49	4.85

1	2	3	4	5
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.91	0.09	8.65
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
29.	दमण और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	0.03	0.03	0.03
32.	पाण्डिचेरी	1.24	1.29	1.62
		131.68	131.95	451.68

[हिन्दी]

दिल्ली में मदर डेरी के फलों और सब्जियों में खुदरा विक्रय केन्द्र

4538. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मदर डेरी के फल और सब्जियों के खुदरा विक्रय केन्द्रों द्वारा घटिया किस्म के फलों और सब्जियों की बिक्री के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

गोआ में पेट्रोल/डीजल की खपत

4539. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में प्रतिवर्ष औसतन कितनी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की खपत होती है;

(ख) इसकी कितनी मात्रा की आपूर्ति मरमूगांव पतन के माध्यम से की जाती है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति से मरमूगांव पतन को प्रतिवर्ष कितनी आय हुई।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गोवा में पेट्रोल और डीजल की वार्षिक औसत बिक्री क्रमशः 23,157 एम टी और 1,01,283 एम टी है।

(ख) पूरी मात्रा की आपूर्ति "मारमुगांव पोर्ट" के जरिए की जाती है।

(ग) लगभग 37 लाख रुपए प्रति वर्ष।

1991 की जनगणना

4540. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की जनगणना के दौरान एकत्र की गई विभिन्न सूचनाओं की सारणीयन प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम आंकड़े कब तक प्रकाशित किए जाएंगे;

(ग) यदि नहीं, तो सारणीय प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या 1991 की जनगणना देश में अगले 30 वर्ष तक होने वाली अन्तिम जनगणना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। वर्ष 1991 की जनगणना में एकत्र किए गए आंकड़ों को सारणीगत करने की प्रक्रिया का काम जारी है। सारणीगत करने की योजना के अनुसार, 1991 की जनगणना की विभिन्न तालिकाएं इस वर्ष के अन्त से विभिन्न चरणों में उपलब्ध होने की आशा है।

(ग) वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों को सारणीबद्ध करने के लिए एक मेन फ्रेम कम्प्यूटर अपना कर, चार क्षेत्रीय प्रक्रिया केन्द्र स्थापित करके तथा मानव व मशीन सहित आंकड़े प्रवेश करने की क्षमता को बढ़ाकर पहले ही उपाय किए जा चुके हैं।

खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

4541. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के संबंध में बैठक आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिये गये ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की सप्लाई

4542. **श्री तरित बरन तोपदार :**

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की कमी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि तेल कंपनियां पश्चिमी बंगाल में एल पी जी की जरूरत को लगातार पूरा कर रही हैं तथापि, हड़ताल आदि के कारण जब कभी आवधिक कमी होती है तो शीघ्र कारंवाई की जाती है।

दालों का आयात

4543 **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दालों की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था;

(ख) उत्तर प्रदेश को इन दालों की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई;

(ग) राज्य में इस समय दालों की मांग व पूर्ति में कितना अन्तर है; और

(घ) इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा एवं मूल्य निम्न प्रकार से है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपये)
	(लाख मीटरी टन)	
1989-90	4.29	227.86
1990-91	7.92 (अस्थायी)	473.24 (अस्थायी)
1991-92	3.11 (अस्थायी)	254.23 (अस्थायी)

(ख) चूंकि दालों का आयात खुलेआम लाइसेंस के अधीन किया जाता है, अतः उत्तर प्रदेश को किसी विशेष आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश कोई कमी वाला राज्य नहीं है। तथापि, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम एवं केन्द्रीय क्षेत्र का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

समेकित मात्स्यिकी परियोजना

4544. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में समेकित मात्स्यिकी परियोजना के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : समेकित मात्स्यिकी परियोजना को आधुनिक बनाने तथा इसका विस्तार करने के लिए उठाये गये/उठाये जाने हेतु प्रस्तावित कुछ कदमों में निम्नांकित शामिल हैं :

(क) स्वदेश में दो नई मत्स्यन नौकाओं का निर्माण एवं दो और मत्स्यन नौकाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव।

(ख) कोचीन में प्लेट फ्रीजर्स की स्थापना करके परिसंस्करण सुविधाओं की व्यवस्था।

(ग) विशाखापत्तनम में परियोजना की एक नयी इकाई की स्थापना।

(घ) ताजे पानी की मछलियों के परिसंस्करण एवं विपणन की सुविधाएं तथा इससे मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन।

कश्मीरी प्रवासियों की समस्यायें

4545. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीरी प्रवासियों अथवा किसी संस्था से इन प्रवासियों के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में चालू वर्ष के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कश्मीरी प्रवासियों द्वारा समय-समय पर मांगें उठायी गयी हैं। इनमें, प्रवासियों का घाटी से बाहर स्थायी/अर्ध स्थायी तौर पर पुनर्वास करना, नगद राहत इत्यादि में बढ़ोत्तरी करना सम्मिलित हैं। कश्मीरी प्रवासियों को घाटी से बाहर बनाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें तब तक राहत दी जा रही है जब तक घाटी में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है और वे अपने घरों को वापस नहीं चले जाते हैं : प्रवासियों की कठिनाइयों को कम करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

पशु चारा

4546. **श्री राम सिंह कश्वां :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शीरे को, जो कि मिश्रित चारे और पशुचारे में सांद्र का प्रमुख घटक है, राज्यों को आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करके मुर्गीदाने के उत्पादन में लघु एककों को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार पशु आहार के एक घटक के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये राज्यों को शीरे का आवंटन करती आ रही है। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सूचित जरूरतों के आधार पर राज्यों को हर वर्ष शीरे का आवंटन करता है।

(ग) इस समय कृषि मंत्रालय के पास कोई ऐसी अनुमोदित योजना नहीं है, जिसके अंतर्गत कुक्कुट आहार विनिर्माण की छोटी इकाइयों को सहायता दी जा सके।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए निर्मित होस्टलों का बन्द होना

4547. श्री भेरू लाल मीणा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए निर्मित कुछ होस्टल बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बन्द किए गए होस्टलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रक्रिया को बन्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान होस्टलों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन-राशि आवंटित की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति छात्रों के लिए होस्टल भवनों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। होस्टलों के चलाने और रखरखाव पर होने वाला दैनिक खर्च राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी निधियों में से वहन किया जाता है।

[अनुवाद]

पुरानी जल पाइपलाइन को बदलना

4548. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पुरानी जल पाइप लाइन को बदलने हेतु कर्नाटक सरकार का 343.62 लाख रुपए की ऋण की सहायता का प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लम्बित है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दुधारू पशु

4549. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अन्य देशों की तुलता में दुधारू पशुओं की संख्या अधिक है लेकिन प्रति पशु दुग्ध प्राप्ति कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेषत: बिहार में प्रति पशु दुग्ध प्राप्ति में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) दुधारू पशुओं को उत्पादकता बढ़ाने के लिए बिहार सहित देश अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में आनुवंषिक सुधार, बेहतर पोषण और पशुओं के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल करना शामिल है।

[अनुवाद]

केरल में प्राकृतिक आपदाएं

4550. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में हाल ही की प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या पालघाट जिले में कोषकेमचेरी पंचायत में जमीन धंसने की खबरें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार ने केरल को आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 17.43 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है जिसमें 5.81 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त शामिल है जो अग्रिम रूप से निर्मुक्त कर दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है।

सीवर कनेक्शन

4551. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सुदर्शन पार्क, मोती नगर, नई दिल्ली में सीवर लाइन बिछाए जाने के बावजूद, सीवर कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इनके चालू हो जाने की सम्भावना है, तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली जल प्रदाय और मल निपटान संस्थान ने बताया है कि सिस्टम अभी तैयार नहीं है क्योंकि सीवेज पम्पिंग स्टेशन के लिए वैद्युत और यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति तथा उनको लगाने का कार्य चल रहा है। कार्य सितम्बर, 1992 में पूरा होने की सम्भावना है तथा सिस्टम की नवम्बर, 1992 तक चालू होने की सम्भावना है। इसके पश्चात्, संस्थान द्वारा सीवर कनेक्शन दिए जा सकते हैं।

पटसन विकास कार्यक्रम

4552. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में एक विशेष पटसन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बिहार को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान निश्चित किए गए लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी हां। बिहार सहित पटसन/मेस्ता का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में, विशेष पटसन विकास कार्यक्रम पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तरह बीजों, उपस्करों, उर्वरकों, पौध संरक्षण रसायनों जैसे प्रमुख आदानों की सप्लाई तथा प्रदर्शनों के आयोजन और किसानों के प्रशिक्षण एवं सड़क टैंकों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान निश्चित किए गए उत्पादन लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य (प्रत्येक 180 किग्रा की लाख गांठें)	उपलब्धि (प्रत्येक 180 किग्रा की लाख गांठें)
1990-91	13.2	11.9
1991-92 (संभावित)	13.0	13.6

जीन-बैंक

4553. श्री बब्बूलाल चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीन-बैंकों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) जीन-बैंक किस-किस स्थानों पर खोले गए हैं और उनकी अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं; और

(ग) क्या ये जीन-बैंक किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने की स्थिति में हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, जीन बैंक की आधार-शिला 29 जुलाई, 1992 को रखी गई थी तथा यह संभवतः 1994 तक कार्य करना आरम्भ कर देगा। यह भारत का पहला प्लान्ट (पौध) जीन-बैंक है।

(ख) अभी हाल ही में, नई दिल्ली में भारत के पहले प्लान्ट जीन-बैंक की स्थापना की गई है। जब यह पूरी तरह से कार्य करने लगेगा तो इसमें पौध आनुवंशिक प्रजातियों के आठ लाख बीज के नमूनों को भण्डारित किया जाएगा।

(ग) जब यह जीन-बैंक कार्य शुरू करेगा तो इसमें कीट तथा रोगों की प्रतिरोधी अधिक उत्पादन वाली संकर प्रजातियों के विकास के लिए व्यापक क्षमता होगी और इस प्रकार इससे किसानों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया

4554. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तिरूवलामलाई में चेनग्राम स्थित स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया का विचार चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित मिनी-किट कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक मात्रा में सब्जियों के बीज और पौध सामग्री जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी खेती के और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) फार्म का और अधिक विकास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) फार्म में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि;

(2) कार्यकलापों का विविधीकरण;

(3) बागवानी/रोपण फसलों की पौध के व्यापक स्तर पर उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए मिस्ट चेम्बर एवं ग्रीन हाउस का निर्माण;

(4) वृहत्तर क्षेत्र में संकर बीजों का उत्पादन।

[हिन्दी]

राजस्थान में गैस क्रेकर

4555. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हाजिरा-बिजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन पर आधारित एक गैस क्रेकर कम्प्लैक्स स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) पेट्रोरसायन परियोजनाओं की मांग और पूर्ति, फीड स्टाक की उपलब्धता और अन्य तकनीकी आर्थिक पहलुओं के आधार पर पेट्रोरसायन परिसरों की स्थापना पर विचार किया जाता है । उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

डी० डी० ए० द्वारा दुकानों का आवंटन

4556. **श्री राम सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी० डी० ए० की विभिन्न कालोनियों में आरक्षित दुकानों को पट्टे पर आवंटित करने हेतु उन लोगों से आवेदन-पत्र मांगे थे, जिनकी एक एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण दिल्ली प्रशासन द्वारा किया गया था;

(ख) इस संबंध में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने आवेदन-पत्र सही पाये गए;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए कितनी दुकानें आरक्षित की गई थीं और यदि इस प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने अपने आवेदन दिए थे और अर्हता मानदण्डों को पूरा करते थे;

(ङ) क्या अब इन दुकानों को आवंटित कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इनको कब तक आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को 282 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से प्रथम दृष्टि में 248 सही हैं ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें आवंटन के लिए तय की गई दुकानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि इन श्रेणियों के लिए पृथक आरक्षण उपलब्ध है ।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनके लिए तय की गई दुकानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है ।

[अनुवाद]

अप्रवासी भारतीयों द्वारा फलों पर आधारित उद्योग स्थापित किया जाना

4557. **श्री एम० जी रेड्डी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योग लगाने के लिए अप्रवासी भारतीयों के प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/केन्द्र शासित प्रदेशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधार गोमांगो) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में फल और सब्जियों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त दो आवेदन-पत्रों को मंजूरी दे दी गई है। उसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

1. **श्री रामनिक मोदी, ब्रिटेन (अनिवासी भारतीय)** : गुजरात राज्य में अचारों और खाद्य मसालों के विनिर्माण के लिए एक यूनिट स्थापित करने के लिए 28-1-92 को 100% निर्यातोन्मुखी उपक्रमों के अंतर्गत अनुमति-पत्र प्रदान किया था।

2. **श्री पदम के० खन्ना, अमेरिकी (अनिवासी भारतीय)** : अप्रैल, 1992 में आंध्र प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एकक की स्थापना करने के लिए नई औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार विदेशी सहयोग के लिए स्वतः अनुमति प्रदान कर दी गई है।

एन० सी० डी० सी० परियोजना के लिए धनराशि का आवंटन

4558. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण/अध्ययन के लिए विदेश यात्रा हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एन० सी० डी० सी० तृतीय परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया और इस पर कितना खर्च हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विदेश ने प्रशिक्षण/अध्ययन दौरों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम-III परियोजना के अंतर्गत 2 मिलियन एस डी आर एस (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) निधियां आवंटित की गयीं।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत 9 पदाधिकारियों को विदेश भेज गया था तथा उपरोक्त अवधि के दौरान लगभग 9,71,671.00 रुपये का कुल व्यय किया गया था।

असम की पेयजल योजनाएं

4560. **श्री प्रबीन डेका** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही पेयजल सप्लाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विश्व बैंक की सहायता से वहां ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चारे की कमी

4561. **डा० कृपासिन्धु भोई :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई राज्यों में चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) चारे की कमी को दूर करने हेतु तैयार की गई केन्द्रीय योजनाएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) देश में पशु आहार और चारे की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं प्रारंभ/प्रस्तावित कर रही है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं :

(1) क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र एवं केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा के माध्यम से क्वालिटी चारा बीजों का उत्पादन और चारा उत्पादन प्रौद्योगिकी का अन्तरण; और

(2) चारा मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम।

2. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं :

(1) राज्यों में चारा बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण;

(2) पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से चारा बीज उत्पादन;

(3) भूसे तथा सेल्यूलोजयुक्त अवशिष्ट की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम;

(4) बायोमास उत्पादन में वृद्धि के लिए वनरोपण प्रणाली की स्थापना; और

(5) चारे के लिए सुरक्षित क्षेत्रों सहित चारागाहों के विकास के लिए सहायता।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का आबंटन

4562. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा विकास योजना, 1985 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में गंदी बस्तियों में रहने वाले कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 1992 तक जिन पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट/फ्लैट आबंटित किए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट/फ्लैट आबंटित किए गए हैं तथा कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को प्लाट/फ्लैट आबंटित करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं और सभी पंजीकृत व्यक्तियों को इनका आबंटन कब तक कर दिया जायेगा;

(ङ) क्या इस योजना के अन्तर्गत बिना बारी आबंटन भी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि इसने 1985 में इन्दिरा विकास योजना नामक कोई स्कीम आरम्भ नहीं की है ।

[अनुवाद]

नेशनल मरीन फिशरी बोर्ड

4563. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल मरीन फिशरी बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) बोर्ड का गठन किस प्रकार किया जाएगा; और

(घ) इसे कब स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां । एक राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना हेतु यह प्रस्तावित है ।

(ख) बोर्ड के उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में एक पंजीकृत समिति के रूप में गठित करने हेतु बोर्ड प्रस्तावित है ।

विवरण

राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु स्थापित होगा :

1. समुद्री मात्स्यिकी सैक्टर में विकासात्मक भूमिका तैयार करना/सहायता देना एवं वाणिज्यिक गहन समुद्री मात्स्यिकी परियोजना जिसमें मात्स्यिकी, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं, के कार्य संभालना । ऐसी परियोजनाएं पथप्रदर्शक होंगी और मात्स्यिकी उद्यमियों के लिए एक आदर्श का कार्य करेंगी ।

2. समुद्री मात्स्यिकी स्रोतों के कार्यों में लगे सार्वजनिक, सहकारी और निजी संगठनों (लघु, मध्यम और वृहत) के प्रयत्नों का समन्वय और उन्हें मजबूत करना ।

3. मात्स्यिकी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना और सरकारी सहायता को सारणीबद्ध करना ।

4. घरेलू मात्स्यिकी विपणन पद्धति (संवर्धन सहित) बनाने में सहायता करना और निर्यात संवर्धन एजेंसियों को सहयोग देना ।

5. समुद्री मात्स्यिकी सैक्टर में बुनियादी सुविधाओं की रचना करने में सहायता देना और उन्हें प्रचालित करना।

6. गहन समुद्री मात्स्यिकी सैक्टर में प्रशिक्षण आवश्यकता की योजना बनाना और प्रशिक्षण का आयोजन करने में सहायता देना।

7. गहन समुद्री मात्स्यिकी और मात्स्यिकी प्रसंस्करण में परामर्श उपलब्ध कराना।

8. भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन-टेस्ट मात्स्यिकी में मात्स्यिकी स्रोतों की आवश्यकता पर आधारित वाणिज्यिक सर्वेक्षणों का संचालन करना।

9. समुद्री मात्स्यिकी सैक्टर के विकास के लिए विदेशी कम्पनियों/एजेन्सियों को सहयोग देना।

खाद्यान्न उत्पादन

4564. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में खाद्यान्नों का फालतू उत्पादन होता है तथा किन राज्यों में खाद्यान्नों का कम उत्पादन होता है;

(ख) क्या कम उत्पादन वाले इन राज्यों में उत्पादन में वृद्धि करने की क्षमता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा एवं राजस्थान सामान्यत: खाद्यान्न अतिरेक वाले राज्य हैं। अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश या तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं या कमी वाले हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (गेहूं) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का एवं कदन्न), राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दालें) शामिल हैं।

[हिन्दी]

देशांतर-गमन पास जारी करना

4565. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मु व कश्मीर में भारत-पाक सीमा के निकट रहने वाले व्यक्तियों को देशांतर-गमन पास जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले अन्य राज्यों के भारतीय नागरिकों को भी देशांतर-गमन पास देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान ऐसे पास जारी करने पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है और ऐसे पास कितने व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जम्मू और कश्मीर में भारत-पाक सीमा के पास रह रहे लोगों को देशान्तर गमन पास जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी सीमा के आर-पार आवागमन को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में सीमा के किनारे रह रहे अधिकांश वयस्क लोगों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्राम्बे विद्युत केन्द्र को तेल शोधक कारखानों से हैवी स्टॉक आयल

4566. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे विद्युत केन्द्र के लिए तेल शोधक कारखानों से लो-सल्फर हैवी स्टॉक आयल का अधिक मात्रा में आबंटन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी को पूरा करने हेतु एल एस एच एस की अतिरिक्त मात्रा की रिलीज को अनुमोदित किया गया है।

उपेक्षित बच्चों का पता लगाना

4567. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के ढांचे के अन्तर्गत उपेक्षित बच्चों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को कोई प्रोत्साहन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा, उपेक्षित बच्चों के लिए एक सांविधिक परिभाषा अर्थात् ऐसे बच्चे जिनका अनैतिक अथवा गैर-कानूनी प्रयोजनों अथवा बदमानतीपूर्ण लाभ के लिए दुरुपयोग अथवा शोषण किया जा रहा है अथवा किए जाने की संभावना है, के रूप में परिभाषा देकर किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के ढांचे के अंदर उपेक्षित बच्चों का पता लगाने के प्रयास किए गए हैं। अवारा बेसहारा बच्चे क्योंकि उपेक्षाग्रस्त बच्चों में एक प्रमुख

श्रेणी है, अतः कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ की सहायता के अंतर्गत ऐसे बच्चों की दरपेश समस्याओं के आयामों तथा उन्हें उपलब्ध सेवाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद तथा मद्रास के आवारा-बेसहारा बच्चों के सर्वेक्षण किए हैं।

(ग) से (ङ) कल्याण मंत्रालय-यूनिसेफ सर्वेक्षण के आधार पर सरकार का 6 महानगरों में से प्रत्येक में यूनिसेफ सहायता के अंतर्गत आवारा-बेसहारा बच्चों के लिए नगर स्तरीय कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। नगर स्तरीय कार्यक्रम में आवारा-बेसहारा बच्चों को स्वास्थ्य, गैर-औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी कल्याण सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आवारा-बेसहारा बच्चों के कल्याण हेतु एक नई केन्द्रीय योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

ये दोनों योजनाएं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।

श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

4568. **श्री मोहन रावले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 को विभिन्न न्यायालयों में भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने मामले प्रबंधन के पक्ष में और कितने मामले श्रमिकों के पक्ष में गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन मामलों पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन ने कुल कितना धन खर्च किया है;

(घ) क्या इन मामलों को न्यायालय के बाहर सुलझाने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सेवा संबंधी मामलों से संबधित 35 मामले।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 7 मामले प्रबंध के पक्ष में और 4 श्रमिक के पक्ष में।

(ग) 1989-90	1,26,046 रुपये
1990-91	92,180 रुपये
1991-92	1,04,042 रुपये

(घ) और (ङ) जहां तक संभव होता है, बातचीत से निपटान करने के प्रयास किये जाते हैं और केवल सभी प्रयासों के विफल होने पर ही मामला न्यायालय को भेजा जाता है।

आम उत्पादकों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी

4569. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम के बाग लगाने, उसके संरक्षण, उसकी पैदावार के बाद के प्रबन्धन और प्रसंस्करण के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आम उत्पादकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा कोई समेकित सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

(ग) उत्पादकों को प्रदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से आम के उत्पादन के लिए आधुनिक सस्य तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कटाई पश्चात् बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए एक योजना चला रहा है जिसके तहत सहकारी समितियों और उत्पादक संघों की सहायता प्रदान की जाती है ।

मुर्गी पालन

4570. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि में मुर्गी पालन को विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुना है; और

(ख) यदि हां, तो मुर्गी पालन के विकास कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी हां । आठवीं योजना में कुक्कुट विकास कार्यक्रम पर बल देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपायों को परिकल्पना की गई है :

(1) कुक्कुट पालकों को बेहतर गुणवत्ता वाले चूजों की उपलब्धता में वृद्धि करना ।

(2) कुक्कुट आहार के लिए विभिन्न पदार्थों को उचित मूल्य पर उपलब्धता कराना ।

(3) कुक्कुट के चहुंमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्षस्थ निकाय का गठन करना ।

(4) छोटे किसानों के लाभार्थ सहकारिता के आधार पर कुक्कुट इकाइयों के संगठन को बढ़ावा दिया जायेगा ।

(5) कुक्कुट उत्पादों के लिए अधिप्राप्ति, विपणन परिसंस्करण और भंडारण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा ।

(6) प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा जिससे श्रमिकों और किसानों के बीच व्यापक पैमाने पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ज्ञान का प्रसार हो सके ।

(7) अपेक्षित प्रोत्साहन और वस्तुगत समर्थन देकर कुक्कुट उत्पादों के निर्यात की क्षमता का पूरी तरह दोहन किया जायेगा ।

(8) मण्डी हस्तक्षेप कार्यों का विस्तार किया जायेगा ।

विशिष्ट निवारक नजरबन्दी कानून

4571. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 को लागू किए गए केन्द्रीय विशिष्ट निवारक नजरबंदी कानूनों के नाम क्या हैं तथा ये किस-किस तिथि तक प्रभावी रहेंगे; और

(ख) राज्यों द्वारा इसी प्रकार की यदि कोई विधियां अधिनियमित की गई हैं तथा 1 जनवरी, 1992 से लागू की गई हैं तो उनके नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री [तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1 जनवरी, 1992 को तीन केन्द्रीय निवारक नजरबन्दी कानून लागू थे ।

I. राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम, 1980

II. विदेशी अभिदाय का संरक्षण और तस्कर गतिविधियां निवारक अधिनियम, 1974

III. मादक औषधि और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1988 के अवैध व्यापार का निवारण ।

यह सभी अधिनियम अभी भी लागू हैं ।

(ख) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

बाम्बे हाई में तेल के कुओं को बन्द करना

4572. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1992 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित "क्लोजर्स एट बाम्बे हाई स्प्रेड पेनिक इन इंडस्ट्री" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बाम्बे हाई क्षेत्र में कितने तेल कुओं को बन्द किया जाएगा; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन के अनुसरण में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सुधार उपाय के एक भाग के रूप में बम्बई हाई क्षेत्र में मई, 1992 में "गैस तेल के उच्च अनुपात" वाले 30 कूपों को बन्द कर दिया गया था ।

[हिन्दी]

रसोई गैस डीलरों द्वारा बैंक गारण्टी लेना

4573. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (पश्चिमी क्षेत्र) ने अपने रसोई गैस डीलरों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बैंक गारण्टी न लेने के निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आत्मघाती दस्ते

4574. श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्रीमती विभू कुमारी देवी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आतंकवाद पर काबू पाने तथा इससे प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आत्मघाती दस्ते बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम

4575. श्री जे० चोक्का राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने डेरी विकास के लिए आपरेशन फ्लड-3 योजना को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने आपरेसन फ्लड-III कार्यक्रम के तहत डेरी विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, आंध्र प्रदेश डेरी विकास सहकारी फेडरेशन और इसके घटक दुग्ध संघों ने, जो राज्य में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की कार्यान्वयनकारी एजेन्सियां हैं, दुग्ध प्रसंस्करण एवं संबंधित अन्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को प्रस्तुत किये थे।

(ख) आंध्र प्रदेश में आपरेशन फ्लड-III कार्यक्रम II दुग्ध संघों के माध्यम से कार्यान्वित

किया जा रहा है जिनमें चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, कर्नूल, मेडक निजामाबाद, नालगोंडा, रंगारेड्डी, नेल्लोर, प्रकाशम, विशाखा, श्रीकाकुलम तथा विजयनगरम जिले शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में आपरेशन फ्लड-III कार्यक्रम के तहत विभिन्न सुविधाओं के लिए 58.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है, जिसमें से 37.70 करोड़ की राशि जून, 1992 तक वितरित कर दी गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शहरों का विकास

4577. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में नागरिक आवश्यक सेवा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान किन-किन शहरों का विकास किया गया है;

(ख) प्रत्येक शहर में कितने प्रतिशत विकास कार्य हुआ है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) शहरी मूल सेवाएं (यू०बी० एस०) योजना 1990 में संशोधित की गयी थी और शहरी निर्धनों के लिए मूल सेवाएं (यू० बी० एस० पी०) नामक नई योजना 1990-91 में प्रारम्भ की गयी थी। यू० बी० एस० बी० योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 22 चुने गये शहर इस प्रकार हैं :

1. लखनऊ	2. कानपुर	3. आगरा
4. इलाहाबाद	5. वाराणसी	6. मेरठ
7. बरेली	8. गोरखपुर	9. फैजाबाद
10. फतेहपुर	11. फर्रुखाबाद	12. बलिया
13. अलीगढ़	14. मुरादाबाद	15. मिर्जापुर
16. शाहजहांपुर	17. गाजियाबाद	18. हापुड़
19. फिरोजाबाद	20. हरदोई	21. गोंडा
22. मथुरा		

(ख) और (ग) राज्य में विभिन्न शहरों को केन्द्रीय निधियों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यू० बी० एस०/यू० बी० एस० पी० योजनाओं का कार्यान्वयन स्लम वासियों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है इसलिए कार्य का स्वरूप व मात्रा भिन्न-भिन्न शहरों में अलग-अलग होता है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में यू० बी० एस०/ यू० बी० एस० पी० योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रमश: 410.00 लाख तथा 357.60 लाख रुपये राशि की केन्द्रीय निधियां रिलीज की गयी थीं।

[अनुवाद]

चावल का उत्पादन

4578. श्री अन्ना जोशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के लिए चावल उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान चावल उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1991-92 के चावल उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है। वर्षा के देर से तथा अपर्याप्त होने के कारण, जिसका चावल की फसलों पर असर पड़ा है, कुछ राज्यों में चावल के उत्पादन में कमी आयी है।

(ग) 1992-93 के लिए चावल उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 24 बड़े चावल उत्पादक राज्यों में एक केंद्रीय प्रायोजित समग्र चावल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रमाणीकृत बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों खर-पतवार नाशियों, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, उन्नत फार्म उपस्करों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि उन्हें उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

विवरण

1992-93 के लिए चावल उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य का नाम	खरीफ चावल के लक्ष्य	रबी चावल के लक्ष्य	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	76.00	32.00	108.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	—	1.50
3.	असम	29.67	1.35	31.02
4.	बिहार	64.75	1.25	66.00

1	2	3	4	5
5.	गोवा	1.40	—	1.40
6.	गुजरात	9.00	—	9.00
7.	हरियाणा	19.00	—	19.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.30	—	1.30
9.	जम्मू व कश्मीर	6.50	—	6.50
10.	कर्नाटक	21.00	5.00	26.00
11.	केरल	9.30	1.70	11.00
12.	मध्य प्रदेश	58.80	—	58.80
13.	महाराष्ट्र	26.30	0.70	27.00
14.	मणिपुर	3.35	—	3.35
15	मेघालय	1.27	0.03	1.30
16.	मिजोरम	0.63	0.02	0.65
17.	नागालैंड	1.60	—	1.60
18.	उड़ीसा	58.00	5.00	63.00
19.	पंजाब	64.00	—	64.00
20.	राजस्थान	1.45	—	1.45
21.	सिक्किम	0.25	—	0.25
22.	तमिलनाडु	47.00	14.00	61.00
23.	त्रिपुरा	4.15	0.85	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	100.00	—	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	80.00	23.00	103.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.30	—	0.30
27.	दादर नगर हवेली	0.20	—	0.20
28.	दमन व दीव	0.02	—	0.02
29.	दिल्ली	0.08	—	0.08

1	2	3	4	5
30.	पांडिचेरी	0.68	0.12	0.80
31.	अखिल भारत	687.50	85.02	772.52

गुजरात को गैस का आवंटन

4579. श्री काशीराम राणा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है कि गुजरात को हजीरा लैंडफाल प्वाइंट पर 12 एम० एम० सी० एम० डी० गैस का "बल्क" मात्रा में आबंटन किया जाये ताकि राज्य सरकार औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में गैस की अपनी आवश्यकता को पूरी कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) गैस की उपलब्धता और पहले ही की गई वचनबद्धता को देखते हुए आगे कोई आबंटन नहीं किया गया है।

डी० डी० ए० के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करना

4580. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० प्रशासनिक कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने के लिए कतिपय प्रस्ताव कार्यान्वित किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. अनधिकृत-नियमित कालोनियों तथा शहरी गांवों का विकास और रख-रखाव दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है।

2. पुनर्वास कालोनियों का रख-रखाव दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित किया गया।

3. मदनपुर खादर और गाजीपुर डेरी कालोनियों का रख-रखाव 01-07-92 को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है।

4. लाटरी विभाग 01-04-92 से दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित किया गया है।

5. प्रधान आयुक्त का एक पद सृजित किया गया है तथा उसे जब शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।

6. आवास विभाग में कम्प्यूटरीकरण आरम्भ किया गया है तथा कर्मचारियों को कार्य-कुशलता को बढ़ाने के विचार से उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण और प्रणाली विभाग स्थापित किया गया।

7. उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं—

(क) भवन परमिटों और पूर्णता प्रमाण-पत्रों के निपटान के लिए एक अभियान चलाया गया है।

(ख) निर्माण की गुणवत्ता में सुधार लाने के विचार से सभी जोनों में गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें स्थानीय निवासी भी भाग ले रहे हैं।

(ग) मकानों के आबंटन और कब्जा पत्रों को जारी करने संबंधी कार्य को तेज किया गया है।

(घ) स्टाफ की कार्य-कुशलता में सुधार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की शाखाओं का निरीक्षण जारी है।

[हिन्दी]

बिहार की लम्बित पड़ी विकास परियोजनाएं

4581. श्री ललित उरांव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से संबंधित बिहार की उन विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत बिहार सरकार से, संलग्नक विभाग के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 38 कस्बों की एक प्राथमिकता सूची प्राप्त हुई है। परन्तु बिहार सरकार ने कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्गनिर्देशों और उस वर्ष के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर अनुमोदित किए जाते हैं।

112.98 करोड़ रुपये की लागत से पटना के लिए जल-आपूर्ति, सीवरेज और ठोस उप-निष्ट प्रबन्ध हेतु एक संशोधित एकीकृत परियोजना राज्य सरकार से 22-6-92 को प्राप्त हुई है जो केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी० पी० एच० ई० ई० ओ०) में जांचाधीन है।

विवरण

क्र० सं०	कस्बों के नाम
1	2
मण्डलीय मुख्यालय कस्बे	
1.	मुजफ्फरपुर
2.	मुंगेर
3.	भागलपुर
4.	गया
जिला मुख्यालय कस्बे	
5.	सासाराम
6.	भभुवा
7.	औरंगाबाद
8.	समस्तीपुर
9.	माधेपुरा
10.	सुपौल
11.	खगरिया
12.	मोतीहारी
13.	अरारिया
14.	जमुई
15.	गुड्डा
16.	छतरा
17.	चास
18.	गुमला
19.	लोहारगड्डा
20.	गढ़वा
ट्राइबल उप-योजना क्षेत्र के लिए उप-मण्डलीय कस्बे	
21.	खान्ती

1	2
22.	लतहार
23.	चक्रधरपुर
24.	जमतारोड
25.	पापुर
महत्वपूर्ण वृद्धि केन्द्र कस्बे	
26.	दानापुर निजामत
27.	खागोल
28.	फुलवाड़ी शरीफ
29.	फतवा
30.	राजगीर
31.	सुल्तानगंज
32.	कहलगांव (कोलगांव)
33.	नरकटियागंज
34.	रक्सोल
35.	फोरवेसगंज
36.	जुगसलाई
37.	मेगों
38.	जयनगर

[अनुवाद]

केरल में कृषि विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता

4582. **श्री थाइल जान अंजलोस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के लिए केरल में कृषि विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, आठवीं योजना के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों को आबंटित की जाने वाली राशि को अन्तिम रूप मिलने पर ही केरल कृषि विश्वविद्यालय को 1992-93 के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को सूखा राहत देने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश

4583. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खंडपीठ ने 17 जून, 1992 के अपने आदेश में केन्द्र सरकार को राज्य में सूखा की स्थिति से निपटने के लिए तीन सप्ताह के अन्दर राहत धनराशि देने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मध्य प्रदेश, इन्दौर के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17-6-92 के आदेश में यह निदेश दिया था कि यदि केन्द्र सरकार ने उस राशि का आकलन पहले ही कर लिया है जो उसके अनुसार सूखा राहत के तौर पर मध्य प्रदेश को दी जानी है, तो वह राशि तत्काल निर्गमित कर अधिमानतः तीन सप्ताह के भीतर सूखा राहत के प्रयोजनार्थ राज्य के प्राधिकारियों के हाथों सौंप दी जाए।

(ख) मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति का जायजा लेने गए केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि राज्य में स्थिति इतनी विकट नहीं है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर निपटा जाए। अतएव आपदा राहत कोष के प्रावधानों में की गई व्यवस्था के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, राहत उपायों के लिए राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि हेतु भारत सरकार ने 1992-93 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की दूसरी और तीसरी किस्तें, जो प्रत्येक 69,375 करोड़ रुपये की है, अग्रिम तौर पर जारी कर दी हैं।

भारत में बांग्लादेशी मुस्लिम

4584. **श्री राम नगीना मिश्र** :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बांग्लादेश से कितने मुस्लिम सीमा पार करके भारत आये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनके पुनर्वास पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) भारत-बांग्लादेश सीमा पर क्षेत्रवार कितनी-कितनी जांच चौकियां स्थापित की गई हैं; और

(घ) बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आये लोगों को कब तक स्वदेश वापस भेज दिया जायेगा और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) मुसलमानों सहित अवैध आप्रवासी बंगलादेश से भारत में गुप्त रूप से प्रवेश करते हैं और स्थानीय लोगों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं। जातीय समानताओं,

स्थानीय लोगों में जन-जागृति और समन्वय के अभाव के कारण अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों की पहचान करना एक जटिल और विशाल कार्य है। चूंकि आप्रवासी चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बंगलादेश से सीमा पार करके भारत में घुस आए आप्रवासियों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

सरकार ने स्थिति की लगातार समीक्षा की है और प्रशासनिक उपाय किए हैं—जैसे अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर उपायों को मजबूत करना, प्रभावित राज्यों में "विदेशी घुसपैठ निवारण" (पी० आई० एफ०) योजना को मजबूत बनाना, बंगलादेशी नागरिकों को बीजा जारी करने की प्रक्रियाओं और विनियमों को कड़ा करना और अवैध आप्रवासियों का प्रभावी रूप से पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने के लिए कम्प्यूटरीकृत डाटा तैयार करना। साथ ही राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने के स्थायी निर्देश हैं।

भारत बंगलादेश सीमा पर स्थापित की गई निगरानी चौकियों की संख्या इस प्रकार है:—

असम	7
मेघालय	4
मिजोरम	1
त्रिपुरा	9
पश्चिम बंगाल	21

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ गैस निकालने के कार्यों में लगी हुई निजी कंपनियां

4585. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ ठेके आधार पर गैस निकालने के कार्यों में लगी हुई निजी कम्पनियां उक्त कार्य से स्वयं को अलग करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो गैस निकालने के कार्य से हट गई हैं; और

(घ) उपर्युक्त कारण से कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी गिरावट आने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकवादी

4586. श्रीमती बिभू कुमारी देवी :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी गुटों के संबंध में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलादेश द्वारा इन आतंकवादी गुटों को दी जा रही सहायता के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में बंगलादेश के साथ कोई बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) और (ङ) मामले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है और वे उपलब्ध कराए गए सबूतों की जांच करने के लिए सहमत हो गए हैं ।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित विद्रोही/आतंकवादी गिरोहों का पता चला है ।

I.	अरुणाचल प्रदेश	1. यूनाइटेड लिब्रेशन वालन्टीयर्स आफ अरुणाचल प्रदेश (यू० एल० वी० ए०)
		2. अरुणाचल प्रदेश के संयुक्त जन स्वयं सेवक (यू० पी० वी० ए०)
		3. अरुणाचल प्रदेश संयुक्त मुक्ति आन्दोलन (यू० एल० एम० ए०)
II.	असम	1. असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा (यू० एल० एम० ए०)
		2. बोडो सुरक्षा बल
III.	मणिपुर	1. नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (एन० एस० सी० एन०)

		2. जनता मुक्ति सेना (पी० एल० ए०)/क्रान्तिकारी जनमोर्चा (आर० पी० एफ०)
		3. संयुक्त राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (यू० एन० एल० एफ०)
		4. कांगलीपाक जन क्रांतिकारी दल (पी० आर० ई० पी० ए० के०)
IV.	मेघालय	1. आचिक मुक्ति मात्रिक सेना (ए० एल० एम० ए०)
		2. हाइनीत्रेप्त स्वयं सेवक समिति (एच० वी० सी०)
V.	मिजोरम	1. हूमार पीपुल्स कनवेन्शन (एच० पी० सी०)
VI.	नागालैंड	1. नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद [इसाक/मुविया (एन० एस० सी० एन०) आई/एम]
		2. नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (खापलांग) एन० एस० सी० एन० (के)
		3. नागा राष्ट्रीय परिषद (एडिनो)/नागा संघीय सरकार (एन० एफ० जी०)
		4. नागा राष्ट्रीय परिषद (खोडाओ)—एन० एन०सी० (के)
VII.	त्रिपुरा	1. अखिल त्रिपुरा जनजातीय बल (ए० टी० टी० एफ०)
		2. त्रिपुरा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (एन० एल० एफ० टी०)

[हिन्दी]

बांग्लादेश के शरणार्थियों को वापस स्वदेश भेजना

4587. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में बांग्लादेश के शरणार्थियों को चालू वर्ष में बांग्लादेश वापस भेजने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार को भारत में रहने वाले अवैध प्रवासियों की जानकारी है। भारत में कोई भी बंगलादेशी शरणार्थी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर भी देश में अवैध बगलादेशी आप्रवासियों के होने की खबरें हैं। चूंकि वे भारत में चोरी छिपे प्रवेश करते हैं और स्थानीय जनता के साथ घुल-मिल जाते हैं इसलिए उनकी ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। फिर भी, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को इस बात के स्थाई निर्देश हैं कि वे अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी आप्रवासियों का पता लगाएं और उन्हें स्वदेश वापस भेज दें।

[अनुवाद]

गुजरात में बाढ़, सूखे तथा अकाल की स्थिति

4589. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़, सूखे तथा अकाल के कारण हुई जन धन की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस हानि को पूरा करने हेतु कोई अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) गुजरात सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है ।

[हिन्दी]

पशु रोग

4590. श्रीमती सरोज दुबे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने देश में विभिन्न पशु रोगों की रोकथाम करने के लिए कितनी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है;

(ख) ये परियोजनाएं इन रोगों की रोकथाम करने में कहां तक सफल रही हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) पशु प्लेग के उन्मूलन पर विशेष बल देते हुए भारत में पशुरोग नियंत्रण के लिए पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अप्रैल, 1992 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से एक राष्ट्रीय परियोजना चलाई जा रही है । इस बात का मूल्यांकन करना अभी कठिन है कि पशु रोगों की रोकथाम में इस परियोजना का कितना प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) परियोजना के कारगर क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदमों में निम्न कार्य शामिल हैं :

(1) नीति के अनुसार टीका लगाने का अभियान चलाना

(2) टीका दवा उत्पादन को मजबूत बनाना

(3) टीका दवा की गुणवत्ता का नियंत्रण करना

(4) संचार अभियान चलाना ।

महाराष्ट्र में चावल मिलें

4591. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र के जनजातीय जिलों में चावल मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में रिक्त पद

4592. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण में श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हैं ।

(ख) इसमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

शाहदरा में केन्द्रीय व्यापार केन्द्र

4593. श्री बलराम पासी :
　　डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शाहदरा दिल्ली में केन्द्रीय व्यापार केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्र स्थापित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित वृहत योजना दिल्ली संदर्भ-2001 में यमुनापार क्षेत्र में उप केन्द्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना करने का विचार किया गया है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपकेन्द्रीय व्यापार केन्द्र के सम्बन्ध में आयोजना तथा डिजाईन कार्य शुरू कर दिया गया है और सम्प्रत्य योजना तैयार की गई है। उप-केन्द्रीय व्यापार केन्द्र एक बहुत बड़ा परिसर है जिसकी पूर्णतया स्थापना में 10 से 15 वर्ष का समय लगता है।

आतंकवादियों द्वारा जाली पासपोर्ट का उपयोग

4594. श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आतंकवादियों द्वारा जाली पासपोर्ट का उपयोग किए जाने की कोई घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण गोदाम

4595. **श्री छेदी पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से कितने ग्रामीण गोदाम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस राज्य में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया है; और

(ग) इस संबंध में बिहार को कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) बिहार में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से सहकारी समितियों द्वारा 1991-92 में 273 ग्रामीण गोदामों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) राज्य में 1991-92 के दौरान सहकारी समितियों द्वारा 142 ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने बिहार को 197.99 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की थी।

[अनुवाद]

बिजयपुर में "पोली प्रोपीलीन" संयंत्र

4596. श्री दिग्विजय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का बिजयपुर, मध्य प्रदेश में एक "पोली प्रोपीलीन" संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वह कब तक चालू हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) नयी प्रोपेन डिहाईड्रोजेशन प्रौद्योगिकी की सफल स्थापना होने पर गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के बिजयपुर में 100,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक पालप्रोपीलीन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

[हिन्दी]

आत्म हत्याएं

4597. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संघ राज्य क्षेत्रों में आत्महत्या की कुल कितनी घटनाएं हुई तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति एक लाख जनसंख्या में इनकी संख्या कितनी थी;

(ख) क्या आत्महत्या की घटनाओं में निरन्तर हो रही घटनाओं को देखते हुए किन-किन संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार परामर्श केन्द्र खोले गये हैं और इन पर लगभग कितना खर्च आया;

(ग) परिवार परामर्श केन्द्रों के खोले जाने के बाद ऐसी घटनाओं में कितनी कमी आने की सूचना मिली है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें ऐसे परिवार परामर्श केन्द्र अब तक नहीं खोले गए हैं; इन्हें खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वहां ऐसे केन्द्र कब तक खोल दिए जायेंगे और इन पर लगभग कितना खर्च आएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान संघ शासित क्षेत्रों में हुई आत्म हत्याओं के मामलों की संख्या और एक लाख की जनसंख्या के अनुपात में उनकी संख्या, संघ शासित क्षेत्रवार, का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई परिवार परामर्श केन्द्र नहीं है। संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि चंडीगढ़ में इस प्रकार का एक केन्द्र कार्य कर रहा है जिसे "एमेटी" नामक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है।

(घ) से (च) संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार परिवार परामर्श केन्द्र खोलने के लिए इस समय उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	संघ शासित क्षेत्र	मामलों की संख्या	1 लाख की जनसंख्या में इनकी संख्या	मामलों की संख्या	एक लाख की जनसंख्या में इनकी संख्या	मामलों की संख्या	1 लाख की जनसंख्या में इनकी संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	106	39.3	114	39.3	126	45.0
2.	चंडीगढ़	57	8.1	47	6.4	54	8.4
3.	दादरा और नगर हवेली	34	26.2	32	24.6	20	14.3
4.	दमन और दीव	3	3.0	10	10.0	20	20.0
5.	दिल्ली	808	9.3	832	9.2	988	10.5
6.	लक्षद्वीप	0	0.0	1	2.0	0	0.0
7.	पांडिचेरी	455	63.2	477	64.5	511	63.1

टिप्पणी : यह आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से लिए गए हैं। ये अप्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित हैं और अस्थायी हैं।

राजधानी नगरों के विकास हेतु धनराशि

4598. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों को उनकी राजधानियों के विकास हेतु धन उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को उसकी राजधानी के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और गोवा जैसे कतिपय पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य राजधानी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त घटकों की जांच एवं अनुशंसा करने के लिए गृह मंत्रालय में एक समिति गठित की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदिवासियों को ऋण

4599. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान गिरिजन सहकारी निगम ने कितनी राशि के ऋण मंजूर किए हैं तथा 1992-93 के दौरान कितनी राशि के ऋण मंजूर करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आंध्र प्रदेश में आदिवासी विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सूचना, आंध्र प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के चार आदिवासी जिलों के विकास हेतु रोम स्थित कृषि विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय निधि के साथ एक करार किया गया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 77 करोड़ रुपए है।

(ग) इन परियोजनाओं में शामिल हैं :—

(1) लघु सिंचाई

(2) मृदा/जल संरक्षण

(3) किसानों द्वारा परिचालिल फल पौधशालाएं

(4) परा चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान,

(5) समुदाय प्रबंधित स्वास्थ्य उप-केन्द्र

(6) परम्परागत/स्थानीय दाइयों सहित स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण

(7) शैक्षिक विकास

(8) धन और ऋण सहायता आदि।

(घ) 1997-98 तक इस परियोजना से 63,000 आदिवासी परिवारों अथवा लगभग 2,89,000 आदिवासियों को लाभ होगा।

दिल्ली में गंदी बस्तियों की सफाई के लिए धन का आबंटन

4600. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**
श्री कालका दास :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० की गन्दी बस्तियों की सफाई/सुधार की योजनाओ के कोई वांछित परिणाम निकले हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1992-93 के कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ग) क्या पुराने शहर के क्षेत्र में गन्दी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(घ) क्या सरकार ने पुराने शहर में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और राजधानी में गंदी बस्तियों की सफाई करने के लिए सरकार द्वारा अब अपनायी जाने वाली नीति का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि सरकार द्वारा मलिन बस्ती सुधार और उन्मूलन योजना 1984 में समाप्त कर दी गई थी, अतः 1992-93 में कोई नियतन नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा पुरानी दिल्ली में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग के प्रबंध तथा नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले खतरनाक कटरों के दखलकारों/निवासियों के लिए भूमि तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए फ्लैटों के निर्माण की एक योजना बनाई जाती है जिसमें फ्लैटों तथा संवृद्धि एककों का निर्माण प्रारम्भ करने पर विचार किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग

4601. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग पूर्ण रूप से संवैधानिक निकाय बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करते हुए संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अनुसार 12-3-92 से गठित किया गया है। इस राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य हैं। मोटे तौर पर आयोग का काम है संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और मानिटर करना। इस आयोग का कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अन्तर्गत उनके विकास में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना भी है। किसी मामले की तफसील अथवा किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को किसी मुकदमे के परीक्षण के लिए विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त हैं :—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को सम्मन करने तथा उपस्थिति के लिए बाध्य करने और शपथ लेकर बयान देने के लिए।

(ख) किसी भी दस्तावेज को खोजने तथा उसे प्रस्तुत करना।

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना।

(ङ) गवाहों एवं दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना।

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निश्चित करें।

गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास

4602. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) रुग्ण गहरे समुद्री एककों को पुनः सक्षम बनाने हेतु राज्य/संघ क्षेत्रवार क्या उपाय किये गए हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यह मंत्रालय राज्यवार/संघ क्षेत्रवार फण्ड का आवंटन नहीं करता है। परन्तु गहन समुद्री मात्स्यिकी के विकास हेतु योजना स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए विभिन्न संगठनों को यह सहायता प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में 1991-92 के दौरान विभिन्न संगठनों को 4,28,78,634 रुपए की धनराशि दी गई थी, जिनके ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं। 1992-93 के दौरान योजना स्कीमों के

अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए 700 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। परन्तु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कोई धनराशि नहीं दी गई है।

(ख) रुग्ण गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार पुनरुद्धार करने हेतु सरकार के पास कोई विशेष योजना स्कीम नहीं है। परन्तु शिपिंग क्रेडिट एण्ड इनोस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड ने अप्रैल, 1991 में गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों की पुनर्स्थापना हेतु एक स्कीम घोषित की थी जिसे बाद में जून, 1992 में उदार बनाया गया है। स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण पुनर्भुगतान का पुनः अनुसूचीकरण, ऋण पुनर्भुगतान अवधि पर समय बढ़ाने, दण्ड ब्याज का त्याग, जलयानों के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त ऋण आदि प्रदान करना शामिल है।

विवरण

1991-92 के दौरान विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए फंड

1. मूल्य वर्धित उत्पादों में बदलने हेतु बेकार मछली का उपयोग :—

(1) केरल सरकार	45.00 लाख रुपए
(2) कर्नाटक मात्स्यिकी विकास निगम लिमिटेड	22.50 " "
(3) लक्षद्वीप विकास निगम लि०	15.60 " "
(4) पश्चिम बंगाल स्टेट फिशरमेंस कोआपरेटिव फेडरेशन लिमि०	16.90 " "

2. कोल्ड चेन की स्थापना हेतु स्कीम :—

(1) केरल सरकार	49.50 लाख रुपए
(2) त्रिपुरा सरकार	15.15 लाख रुपए
(3) पश्चिम बंगाल स्टेट फिशरमेंस कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	35.00 लाख रुपए

3. टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण हेतु स्कीम :—

पश्चिम बंगाल स्टेट फिशरमेंस कोआपरेटिव फेडरेशन लि०	50.00 लाख रुपए

4. तटरक्षक हेतु संचार सुविधाओं की संस्थापना के लिए फंड प्रदान कर एम जैड आई अधिनियम 1981 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्कीम : —

तटरक्षक	50.00 लाख रुपए

5. गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान किराए पर लेने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी और पूंजी लागत पर सब्सिडी देने हेतु स्कीम :—

शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लि०, बम्बई	40,13,634.00 लाख रुपए (ब्याज सब्सिडी)

6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम० जी० ई० डी० ए०) के माध्यम से गहन समुद्री मात्स्यिकी में इक्विटी भागीदारी हेतु स्कीम :—

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोची	49.00 लाख रुपए

7. विविधीकृत मात्स्यिकी हेतु सहायता :—

शिपिंग क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कंपनी आफ इण्डिया लि०	40.00 लाख रुपए

मध्य प्रदेश में कृषि अनुसंधान केन्द्र

4603. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में कोई नया कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह केन्द्र अपना कार्य कब शुरू कर देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में सब्जी प्रायोजना अनुसंधान निदेशालय के अखिल भारतीय समन्वित सब्जी सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान।

ऊंटों की संख्या

4604. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊंटों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या कृत्रिम गर्भाधान और संकरण पद्धति अपनाकर भारतीय ऊंटों की नस्ल में सुधार करने के लिए राजस्थान में जोरबीर स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र में ऊंटों के बारे में कोई अनुसंधान कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऊंटों की संख्या में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, देश में 1982 की पशु-गणना के अनुसार देश में ऊंटों की संख्या 10.78 लाख थी। वर्ष 1990 के खाद्य एवं कृषि संगठन के सन्दर्भ के अनुसार भारत में ऊंटों की संख्या 14.5 लाख आंकी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) कृत्रिम गर्भाधान पर अनुसंधान अत्याधिक प्रारम्भिक अवस्था में है तथा अभी यह पशुपालकों के लिए सुलभ नहीं है। अन्य पालतू प्रजातियों से ऊंट में पुनर्जनन चक्रण भिन्न है। ऐसी अवस्था में इस तकनीक को अमल में लाने के लिए पशुपालकों को नहीं दिया जा सकता।

(घ) पोषण, शरीर विज्ञान तथा प्रजनन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को तेज करके सरकार ऊंट उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। राज्य सरकारें ऊंट प्रजनन फार्म स्थापित कर रही है जिनमें प्रजनन के उद्देश्य के लिए नर-ऊंटों तथा ऊंटों के रोगों के नियन्त्रण के लिए प्रावधान हैं।

गोवा में जन-सुविधाओं के लिए आवंटन

4605. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा में जन-सुविधाओं के सुधार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) वास्तव में इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई और यह धनराशि किन-किन योजनाओं पर व्यय की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) "शहरी विकास" राज्य विषय है। नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्बन्धित स्थानीय निकायों का दायित्व है। ये स्थानीय निकाय अपनी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार करते हैं। राज्य सरकारें शहरी स्लम बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार, शहरी मूल सेवा इत्यादि सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तथा इसके अलावा हुडको और जीवन-बीमा निगम, आदि वित्तीय संस्थानों से उधार लेकर इन स्थानीय निकायों की सहायता करती है। भारत सरकार केवल नोडल भूमिका निभाती है।

शराब के व्यसनी

4606. **श्री बापू हरि चौरे** :
श्री बी० देवराजन :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शराब के व्यसनियों की संख्या, इस तरह के व्यसन से होने वाली बीमारियों और मौतों की संख्या, तथा इसके कारण कंगाल और बर्बाद हुए परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शराब की प्रति व्यक्ति खपत के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लैटों को फ्री-होल्ड सम्पत्ति में परिवर्तन करना

4607. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1992 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी० डी० ए० ओवरलुक इम्पोर्टेंट पाइंट्स इन कनवर्जन रूल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या फ्लैट मालिकों को अपने फ्लैट फ्री-होल्ड सम्पत्तियों में बदलवाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को तत्काल दूर करने के लिए डी० डी० ए० ने क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) फ्री-होल्ड में परिवर्तन के पात्र सम्पत्तियों जहां, पट्टा एक से अधिक पट्टाधारियों के नाम में है, के मामले में आवेदन सभी सह-पट्टाधारियों के नाम में करना होगा। इसका उल्लेख दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विवरणिका में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किया गया है। ऐसे मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री-होल्ड अधिकार सह-पट्टाधारियों के नाम में संयुक्त रूप से दिए जाएंगे, परिवर्तन शुल्क वापस करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में तेल की खुदाई के काम में लगी विदेशी कंपनियां

4608. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय तेल की खुदाई के कार्यों में लगी विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं और ये कंपनियां कब से यह काम कर रही हैं;

(ख) इन कंपनियों ने अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में तेल व प्राकृतिक गैस कितनी मात्रा में मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य में हाइड्रो कार्बनों की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं हुई है।

पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम की समस्याओं के समाधान हेतु संसदीय समिति

4609. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम की समस्याओं के समाधान हेतु सभी दलों के सदस्यों वाली कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना

4610. **श्री सुशांत चक्रवर्ती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलादेश से इस राज्य में आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 25-3-1971 तक भारत में आए शरणार्थियों को, शरणार्थी समझा गया और उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य राज्यों में विभिन्न कृषि और गैर-कृषि योजनाओं में बसाया गया है । पुनर्वास की कोई नई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है । इस तारीख के बाद बंगलादेश से भारत में आए शरणार्थियों को "विदेशी" और अवैध आप्रवासी माना जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अग्रिम धनराशि के उपयोग का मूल्यांकन

4611. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष केन्द्रीय सहायता/विशेष संघटक योजना/राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम शीर्षों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए दी गई अग्रिम धनराशि के उपयोग के मूल्यांकन हेतु कोई तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) इनका मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई उपयोगिता रिपोर्टों तथा उनके वार्षिक विशेष संघटक योजना दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों से भी किया जाता है । इनका मूल्यांकन हर वर्ष एक बार मंत्रालय तथा योजना आयोग दोनों द्वारा वार्षिक योजना संबंधी चर्चाओं के दौरान भी किया जाता है । इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए सरकार ख्याति प्राप्त अनुसंधान संगठनों को भी नियुक्त कर रही है ।

नकदी फसलें

4612. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन नकदी फसलों का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश की नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितनी सहायता दी गई; और

(ग) उत्तर प्रदेश में नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उत्तर प्रदेश में 1991-92 के दौरान तिलहन, गन्ना, कपास और पटसन जैसी महत्वपूर्ण नकदी फसलों का उत्पादन किया गया था।

(ख) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन 409.50 लाख रुपये, गहन कपास विकास कार्यक्रम के लिए 6.83 लाख रुपये और विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के लिए 24.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी थी।

(ग) नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता हेतु, राज्य में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अधीन प्रदान किये गए प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता दर पर बीज खरपतवारनाशी/शाकनाशी पौध रक्षण रसायनों, पौध रक्षण उपकरणों, उन्नत फार्म संयंत्रों आदि का वितरण करना शामिल है।

उड़ीसा में झींगा मछली हैचरी परियोजना

4613. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में झींगा मछली हैचरी परियोजनाएं कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इस संबंध में कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या किसी दूसरे देश ने भी इन परियोजनाओं के लिए सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) झींगा हैचरियां उड़ीसा में गोपालपुर (गंजम जिला) और चन्द्रभागा (पुरी जिला) में स्थित हैं।

(ख) झींगा हैचरियों के लिए 357.49 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

श्मशान स्थलों में लकड़ी की कमी

4615. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में श्मशान स्थलों में लकड़ी की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लकड़ी की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या दिल्ली में प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में विद्युत शवदाह गृह बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार शवदाह-स्थलों में अब लकड़ी की भारी कमी नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने पुराने यमुना पुल के पास रिंग रोड पर एक विद्युत शवदाह गृह उपलब्ध कराया है । दूसरा शवदाह गृह पंजाबी बाग शवदाह स्थल पर लगभग पूरा हो चुका है । ग्रीन पार्क में एक विद्युत शवदाह गृह की योजना है । अतिरिक्त शवदाह स्थलों का निर्माण धन की उपलब्धता, लोगों द्वारा स्वीकृति और क्षेत्र के लोगों की मांग पर निर्भर करता है ।

डी० डी० ए० के समक्ष लम्बित मामले

4616. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में भवन परमिट और निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने, मूल आबंटिती की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति के अन्तरण आदि के हजारों मामले कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताए गए मुख्य कारण आवेदकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों का समय पर प्रस्तुत न करना तथा औपचारिकताओं का अनुपालन नहीं करना है ।

(ग) भवन परिमिटों और पूर्णता प्रमाण-पत्रों के बकाये के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण में पहले ही अभियान चलाया जा रहा है । चालू वर्ष के दौरान सम्पत्तियों के अन्तरण हेतु आवेदकों के आवेदनों के बकाये के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसी प्रकार के अभियान की योजना बनाई है ।

हजीरा परिसर का विस्तार

4617. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई हाई और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों में कमी के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन लक्ष्य में 7 मीट्रिक टन की कटौती की है;

(ख) इस कटौती के कारण कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या यह सच है कि हजीरा परिसर के विस्तार कार्य को अभी स्वीकृति नहीं मिली है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

(ग) प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

असम में बाढ़

4618. **श्री प्रबीण डेका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में जुलाई, 1992 के दौरान बाढ़ से कितनी क्षति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार हाल की बाढ़ से हुई भारी क्षति को देखते हुए प्राकृतिक आपदा राहत कोष के अतिरिक्त असम को कुछ अधिक राशि जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या किसी केन्द्रीय दल ने मौके पर स्थल का दौरा कर कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय दल के निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) असम सरकार ने राज्य में 22 जून, 1992 से दूसरी बार बाढ़ आने की वजह से निम्नांकित क्षति होने की सूचना दी है :

(1) प्रभावित जिलों की संख्या	—12
(2) प्रभावित गांवों की संख्या	—1152
(3) प्रभावित क्षेत्र	—1.21 लाख हेक्टेयर
(4) प्रभावित फसलगत क्षेत्र	—0.301 लाख हेक्टेयर
(5) प्रभावित जनसंख्या	—5.53 लाख
(6) मृत लोगों की संख्या	—8

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

(च) भारत सरकार को राज्य सरकार से हाल में आयी बाढ़ की स्थिति में राहत कार्यों के लिए आपदा राहत निधि के प्रावधानों के अलावा कोई अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

महानगरों में गन्दी बस्तियां

4619. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महानगरों में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या शहरी आवास विकास निगम भी इस कार्य से सम्बद्ध हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी हां, स्लम क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र-15 के लिए दिशानिर्देश 1982 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किये गये थे । इन दिशानिर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार है :

1. **सुधार योजना के घटक** :—सुधार उन अधिसूचित स्लमों में शुरू किया जाना है जो 10 वर्षों की सीमित अवधि के लिए उन्मूलन हेतु निर्धारित नहीं हैं । स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए जिस स्तर पर सुविधाएं प्रदान की जायेंगी वह अलग-अलग राज्य में सम्भवतः भिन्न होगा किन्तु निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन करने के प्रयास किए जाने चाहिए चाहिए :

(I) जल आपूर्ति—150 व्यक्तियों के लिए नल ।

(II) सीवर—रुके हुए बेकार पानी से बचने के लिए सामान्य निकासी के साथ खुली नालियां ।

(III) बरसाती पानी के नाले—बरसाती पानी की शीघ्र निकासी के लिए ।

(IV) सामुदायिक स्नानागार—20-25 व्यक्तियों के लिये एक स्नानागार ।

(V) सामुदायिक शौचालय—20-50 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय ।

(VI) वर्तमान गलियों को चौड़ा करना तथा खडंजा बिछाना—कीचड़ से बचने के लिए पैदल चलने वालों, साइकिलों और हाथ गाड़ियों के निर्बाध आवागमन के लिए पक्के मार्गों पर जगह बनाना ।

(VII) पथ प्रकाश—30 मीटर की दूरी पर एक खम्बा ।

2. **व्यय को चरणबद्ध करना**—कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए समग्र लक्ष्यों के अनुपात में वार्षिक लक्ष्यों के निर्धारण द्वारा प्लान अवधि से आगे व्यय के उपयुक्त प्रवस्थाकरण के सम्बन्ध में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

3. **निगरानी** - शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन के माध्यम से निगरानी की जा रही है । राज्य सरकारों द्वारा राज्य में समग्र स्थिति और प्रत्येक उस कस्बे, जहां योजना चल रही है, से सम्बन्धित स्थिति भी दर्शाते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है । रिपोर्टें उन लाभग्राहियों की संख्या भी दर्शाती हैं जिन्हें अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

(ग) हुडको को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आवास तथा आश्रय उन्नयन की योजना के माध्यम से शहरी रोजगार के वित्त पोषण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के काम में सहयोजित

किया गया है। इस योजना में एक से बीस लाख के बीच की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों, संघ राज्य क्षेत्र गोवा, पर्वतीय क्षेत्रों के राज्यों और अन्य राज्यों के पर्वतीय जिलों (योजना आयोग द्वारा यथा-परिभाषित) के लिए उपलब्ध कम जनसंख्या सीमा में छूट के साथ अधिकतम 1,000 रुपये तक सीमित 25% सबसिडी और अधिकतम 3,000 रुपए की सीमा के साथ हुडको से ऋण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लाभग्रहियों के आश्रय उन्नत करने की अपेक्षा की गई है।

स्पंज लौह संयंत्र के लिए गैस का आवंटन

4620. डा० **कृपासिन्धु भोई** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से स्पंज लौह संयंत्र के लिए गैस आवंटित करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विभिन्न स्पंज इस्पात संयंत्रों को 4.7 एम० एम० एस० सी० एम० डी० का आवंटन किया गया है।

डेरी अनुसंधान संस्थान

4621. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1992-93 के दौरान देश में डेरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में कोई ऐसा संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूकम्प से प्रभावित न होने वाला मकान

4622. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूकम्प प्रवण क्षेत्रों में भूकम्प से प्रभावित न होने वाले मकान बनाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो देश में भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन क्षेत्रों में भूकम्प से प्रभावित न होने वाले लगभग कितने मकान बनाए जाएंगे;

(घ) क्या ऐसे मकानों के निर्माण में जापानी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा;

(ङ) ऐसे प्रत्येक मकान के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(च) क्या इस योजना को पूर्णतः केन्द्रीय सरकार ही वित्त पोषित करेगी अथवा विश्व बैंक आदि से विदेशी सहायता भी ली गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों में टिकाऊ मकान निर्माण सुसाध्य बनाने के लिए केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की, भूकम्प इंजीनियरिंग विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय जैसे अनुसंधान व विकास संस्थाओं और अन्य अकादमी संस्थाओं द्वारा समुचित डिजाईन और निर्माण तकनीकों का विकास किया गया है। भूकम्प क्षम मकानों के डिजाईन और निर्माण प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए सरकार विभिन्न अनुसंधान और विकास अध्ययनों तथा कार्यक्रमों के लिए सहायता कर रही है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भूकम्प-क्षम भवनों के लिए राष्ट्रीय भवन-निर्माण संहिता और कई भारतीय मानक तैयार किए गए हैं। सरकार हुडको, बी० एम० टी० पी० सी०, एन० बी० ओ० आदि के माध्यम से भूकम्पक्षम मकानों के निर्माण के लिए दिशनिर्देशों का प्रचार-प्रसार भी कर रही है। तथापि, मकानों का वास्तविक निर्माण यथास्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रण में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तथा व्यक्तिगतों द्वारा किया जाना है।

(ख) रिपोर्ट है कि सापेक्षिक भूकंपीय गतिविधि के आधार पर भारतीय मानक आई एस: 1983, 1984 के अनुसार देश को पांच भूकम्पीय जोनों में बांटा गया है। सर्वाधिक भूकम्प-प्रवण क्षेत्र जोन-III, IV और V में पड़ते हैं जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 56% अंश है। देश में पांच भूकम्पीय जोनों की अवस्थिति तथा राज्य-वार भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न आवास योजनाएं भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में चलाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य के हाल ही के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में लाभग्राहिलों द्वारा भूकम्पक्षम डिजाईन/आई० एस० व्यवहार संहिता अपनाकर तथा राज्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त ऋणों और सब्सिडी की सहायता से 20,000 मकानों का निर्माण किया जाना है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उत्तरकाशी में भूकम्प क्षेत्र एक मकान की अनुमानित लागत 35,000 है।

(च) उत्तरकाशी आवास योजना हेतु वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत 15,000 रुपए हुडको ऋण और 20,000 रुपये राज्य सरकार सब्सिडी से दिये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही योजनाओं से कुछ अप्रयुक्त विधियां भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में आवास के लिए सौंपे जाने बाबत विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा गया है।

विवरण

देश के भूकम्प प्रवृत क्षेत्रों के राज्य-वार ब्यौरे

जोन-I

आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, मछलीपटनम्, हैदराबाद, करनूल
बिहार	गमला

कर्नाटक	चितरादुर्गा, बंगलौर, मैसूर, तुमकर, मनड्या
मध्य प्रदेश	झांसी, शिवपुरी, जगदलपुर, रायपुर, भिलाई
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, बीड़, औसमानाबाद
उड़ीसा	राउरकेला
राजस्थान	जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़
जोन-II	
आंध्र प्रदेश	नैलोर, कुड्डापा, विशाखापटनम, श्रीकाकूलम
बिहार	रांची, जमशेदपुर
कर्नाटक	हसन, चिकमंगलूर, माडीकेरी
महाराष्ट्र	नागपुर, वर्धा, यावतमल, अलोरा, अजन्ता, दहीवाड़ी, संगोल
मध्य प्रदेश	भोपाल, विदीसा, रहीसन, इन्दौर
उड़ीसा	सुन्दरगढ़, संभलपुर, गोपालपुर
पंजाब	फाजलका
राजस्थान	जयपुर, झुनझुनू, उदयपुर, जालोर, शिरोही
तमिलनाडु	तरुचिरापल्ली, नागापटनम, मदुराई, मद्रास
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर
जोन-III	
बिहार	गया, बोकारो
गुजरात	राजकोट. अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, गांधीनगर, वरवाल, गोहीनार, भवनगर
कर्नाटक	बैलगम, मंगलौर, यूध्रूपी, शीमोगा, करवाड़, होसपट, बलैरी
केरल	कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	औरंगाबाद, इटारसी
महाराष्ट्र	पूने, नासिक, बम्बई
उड़ीसा	भुवनेश्वर
पंजाब	पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, फीरोजपुर, पानाजी. मारमगांव
राजस्थान	किसनगढ़, शाहागढ़, बीकानेर. जैसलमेर
तमिलनाडु	कोयम्बटूर,

उत्तर प्रदेश	आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर, कलकत्ता, भूपवन
बिहार	पटना, हाजीपुर, शिवान, पुरनीया, कटिहार, बेगुसराय, समस्तीपुर, बरौनी
जोन-IV	
चंडीगढ़	
दिल्ली	
गुजरात	थराड़, भरवी, जामनमर
हरियाणा	अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव
हिमाचल प्रदेश	शिमला, शोलन, हमीरपुर, उम्ना
जम्मू और काश्मीर	तेक, गिलगीट, स्कूमान, स्करदु, लेह, अनंतनाग, पूंच, रजोरी, उदमपुर, जम्मू, कठाऊ
महाराष्ट्र	रत्नागढ़ी, सतारा
पंजाब	गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना
राजस्थान	मेदनगढ़, अलवर
सिक्किम	गंगटोक, मगम, नामभी
उत्तर प्रदेश	रुड़की, नैनीताल, उत्तरकाशी, पोडी, मेरठ, रामपुर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, हरिद्वार, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गोरखपुर
पश्चिम बंगाल	बलारघाट, दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, कोचबिहार, अलीपुर
जोन-V	
अण्डमान निकोबार	
आसाम	
अरुणाचल प्रदेश	
बिहार	सीतामढी, मधुबनी, जगबानी, दरभंगा, जलेश्वर
गुजरात	भोज, लखपत, नालीया, मधवी, मुद्रा, कांडला
हिमाचल प्रदेश	मंडी, कांगडा, धर्मशाला, कुल्लू, चम्मबा
जम्मू और काश्मीर	बारामूल्ला, श्रीनगर
मणिपुर	
मेघालय	

मिजोरम

त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश गंगोत्री, गोपेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़

[हिन्दी]

शाहदरा में जल शोधन संयंत्र

4623. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम का विचार यमुनापार क्षेत्र में पीने के पानी की कमी को देखते हुए शाहदरा में जल शोधक संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना अनुमानित खर्च आएगा; और

(घ) इस संयंत्र का निर्माण कार्य कब से शुरू करने का विचार है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निपटान संस्थान ने सूचित किया है कि यमुनापार क्षेत्र में सोनिया विहार के निकट 140 एम० जी० डी० (मिलियन गैलन प्रति दिन) के जल शोधन संयंत्र की स्थापना का एक प्रस्ताव है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेहरी बांध स्टोरेज से कच्चा पानी उपलब्ध कराये जाने की आशा है। कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मुरादनगर से संयंत्र के प्रस्तावित स्थल तक एक आर० सी० सी० कंडयूट का निर्माण किया जाना है जिसके लिए संस्थान द्वारा 6 करोड़ रुपये का आंशिक भुगतान कर दिया गया है। इस संयंत्र के निर्माण और अनुषंगी मुख्य उपकरणों के अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र को मुम्बई से कोयम्बतूर ले जाना

*4624. **श्री मोहन रावले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने मुम्बई स्थित तेलशोधक कारखाने से एल० पी० जी० बार्टलिंग संयंत्र की एक इकाई को कोयम्बतूर ले जाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) सुरक्षा कारणों से इसे हटाया गया है तथा इसका उपयोग कोयम्बटूर में भराई क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया गया है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा शीतल पेय

4625. **श्री प्रकाश बी० पाटील :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत मे शीतल पेय के निर्माण के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) जिन कम्पनियों को अनुमति दी गयी है उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) प्रसंस्कृत एक्सटूडेड नाश्ता आहार, प्रसंस्कृत मेवे, जल्दी खराब न होने वाले आलू चिप्स और गैर-एल्कोहालिक पेय, बेस/सुगन्ध को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले में "ब्रिटको फूडस प्रा० लि०" नामक एक नई कम्पनी द्वारा एक यूनिट की स्थापना के लिए 60% अनिवासी भारतीय इक्विटी शेयर वाली हांगकांग स्थित मै० जे० एम० आर० पी० कं० लि० और 40% इक्विटी वाली अमरीकी कोका कोला कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कोका कोला साउथ एशिया द्वारा मै० ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता और एक महाराष्ट्र राज्य सरकार की एजेंसी के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार ने मंजूरी दी है। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अलावा भारत में मृदु पेय तैयार करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेने के संबंध में विदेशी कम्पनी से इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्तर्राज्यीय परिषद पर उप-समिति

4626. **श्री राम नाईक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने हेतु अन्तर्राज्यीय परिषद की एक उप-समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी;

(ग) उप-समिति की अभी तक कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं; और

(घ) अन्तर्राज्यीय परिषद को अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए अन्तर-राज्य परिषद की उप-समिति का 27-12-1990 को गठन किया गया था। समिति का 20-8-1991 को पुनर्गठन किया गया था।

(ग) समिति ने अब तक तीन बैठकें की हैं।

(घ) यह उप समिति का कार्य है कि वह अन्तिम रिपोर्ट तैयार करें और उसे प्रस्तुत करे।

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992

4628. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट डेयरियों ने हाल के दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनकी मांगों पर विचार करते हुए सरकारी और सहकारी दुग्ध डेयरियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को सलाह दी गई है कि वे इस आदेश के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 17 जुलाई, 1992 को आयोजित की जाने वाली बैठक में प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा 9 जून, 1992 को जारी किया गया दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश सार्वजनिक तथा सहकारी डेरी क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा करता है।

बागवानी का विकास

4629. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में बागवानी के विकास के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना को राज्य में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार किसी राज्य विशेष के लिए कोई विकास योजना नहीं बनाती है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए एक बागवानी विकास योजना तैयार की है जो 1990-91 में शुरू की गई रोजगार गारन्टी योजना से जुड़ी है। यह योजना 1996-97 तक कार्यान्वित की जानी है।

सूरत शहर के लिए अतिरिक्त गैस

4630. **श्री काशीराम राणा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत शहर के निवासियों और वहां के विभिन्न औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की गैस की मांग को पूरा करने के लिए कितनी गैस की आवश्यकता है;

(ख) इस समय कितनी गैस उपलब्ध है;

(ग) क्या कोई अतिरिक्त गैस मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूरत शहर में वितरण के लिए 0.3 एम एम एस सी एम डी गैस का आबंटन किया गया है। इसके प्रति गुजरात गैस कंपनी इस समय 0.17 से 0.19 एम एम एस सी एम डी के बीच में गैस ले रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अधिग्रहीत भूमि पर अनधिकृत कालोनियां

4631. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा किया गया है और इस भूमि पर अनधिकृत कालोनियां बनाई गई हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिग्रहीत भूमि पर निर्मित अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा क्या है जिस पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कब्जा किया गया है और भूमि छुड़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

बिहार में तेलशोधक कारखानों द्वारा उत्पादन

4632. **श्री ललित उरांव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्थित तेलशोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन तेलशोधक कारखानों में इनकी पूरी क्षमतानुसार उत्पादन हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बरौनी में एक तेल रिफाइनरी है जिसकी क्षमता 3.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

(ख) और (ग) असम के कच्चे तेल की कम उपलब्धता के कारण बरौनी में रिफाइनिंग क्षमता का कम उपयोग हुआ है ।

[अनुवाद]

अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों के लिए अनुरोध

4633. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री जगमीत सिंह बरार :
प्रो० प्रेम धूमल :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य राज्य सरकारों ने भाखड़ा प्रमुख लाइन नहर और राजस्थान फीडर नहर को आतंकवादियों की किसी तोड़फोड़ से बचाने हेतु अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस संबंध में राज्य सरकारों से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) राज्यों से गुजरने वाली नहरों की सुरक्षा करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है । जब कभी अपेक्षित होता है केन्द्र सरकार सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है ।

धनराशि का दुरुपयोग

4634. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चेंचुस तथा अनुसूचित आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित धन-राशि के दुरुपयोग के संबंध में वर्ष 1992 से आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में कोई कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वक्फ सम्पत्ति

4635. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 को पंजाब वक्फ बोर्ड ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग कितनी वक्फ सम्पत्ति को पंजीकृत किया;

(ख) इस सम्पत्ति में धार्मिक महत्व की, जैसे मस्जिद, मकबरा, समाधि, कब्रिस्तान कितनी सम्पत्ति शामिल है;

(ग) इस सम्पत्ति में ऐसी सम्पत्ति की पृथक-पृथक संख्या क्या है जिसका वास्तव में धार्मिक कार्यों में प्रयोग होता है, गैर-धार्मिक कार्यों के प्रयोग हेतु पट्टे पर दी गई है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और जिस पर मुकदमा चल रहा है; और

(घ) इस प्रकार की धार्मिक सम्पत्ति और दूसरी वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा हटाने में बोर्ड को किन-किन कानूनी प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 1-4-91 तथा 1-4-92 की स्थिति के अनुसार पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

	1-4-91	1-4-92
पंजाब	23350	23411
हरियाणा	11200	11220
हिमाचल प्रदेश	587	635
कुल	35137	35266

(ख) धार्मिक महत्व की वक्फ सम्पत्तियों की कुल संख्या 15092 है, जिनके राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	मस्जिदें	रोजे	कब्रिस्तान
पंजाब	7494	1089	880
हरियाणा	4272	346	860
हिमाचल प्रदेश	74	7	70
कुल	11840	1442	1810

(ग) 1. जिन वक्फ सम्पत्तियों का वास्तव में धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयोग होता है उनकी कुल संख्या—2816

2. जो वक्फ सम्पत्तियां गैर-धार्मिक प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई हैं उनकी कुल संख्या—1960

3. जिन वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है उनकी कुल संख्या—8285

4. पंजाब वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में मुकदमे चल रहे हैं उनकी कुल संख्या—2031

(घ) पंजाब वक्फ बोर्ड जिन मुख्य कानूनी तथा प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है वे इस प्रकार हैं :

1. वक्फ सम्पत्तियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण

2. पेचीदा कानूनी प्रक्रियाओं के कारण लम्बी मुकदमेबाजी

3. संबंधित कानूनों में खामियां

4. अलग-अलग पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमिताएं ।

दिल्ली में चुंगी की वसूली

4636. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस अधिसूचना के बावजूद कि दिल्ली में चुंगी 3 जुलाई, 1992 से तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है, दिल्ली प्रशासन द्वारा चुंगी की वसूली की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चुंगी समाप्त करने के बाद से कुल कितनी धनराशि की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार ने दिल्ली में सीमा कर को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। सीमा कर की समाप्त करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी । इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

[हिन्दी]

आप्रवास नियम

4637. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीत नागरिकों की विदेश यात्रा को अधिक आरामदेह बनाने हेतु बनाए गए आप्रवास नियमों की आप्रवासी अधिकारियों द्वारा अवहेलना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर

4638. श्रीमती विभु कुमारी देवी :
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :
श्री के० प्रधानी :
श्री राम बदन :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार दिल्ली के सभी झुग्गीवासियों हेतु मकान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा; और

(घ) इन मकानों पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसका स्लम विंग उन पात्र झुग्गी परिवारों, जिन्होंने ऐसी भूमि पाकिटों पर अतिक्रमण किया है, जिनकी भू-धर एजेंसियों को सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता थी, के पुनर्वास के लिए स्थल और सेवा भूखण्ड विकसित करके मुहैया कर रहा है । चालू वित्त वर्ष योजना में इस तरह लगभग 13,000 झुग्गी-झोपड़ी परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कल्पित योजना का विवरण इस प्रकार है ।—

(i) इस योजना के अन्तर्गत चुने गये स्थलों पर केवल चुनींदा स्थलों पर आबाद, वे झुग्गी-झोंपड़ी परिवार शामिल होंगे, जो भारतीय नागरिक हैं और जिनके पास निर्धारित तिथि तक का नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड होगा ।

(ii) जहां कहीं भी आवश्यक हो स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से परिवारों का साहूकारों में संगठन करना तथा लीज होल्ड आधार पर भूमि आबंटन करना जिस पर लाभ-ग्रहियों द्वारा मिलकर मकानों का निर्माण किया जायेगा ।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण की रिहायती विकास स्कीमों में 5 हैक्टेयर तक के स्थलों का उपयोग करना तथा खुले प्रांगण में 7 वर्ग मीटर के खुले आंगन की जगह के साथ 18 वर्ग मीटर के अलग-अलग विकसित प्लाटों का आबंटन ।

(iv) मकानों के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने बजट से वित्त सहायता तथा दिल्ली सहकारी आवास वित्त सोसाइटी से ऋण ।

सूखे से प्रभावित नारियल के पेड़

4639. **श्री बी० राजारवि वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने हाल ही में पड़े सूखे का नारियल की फसल पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष सूखे से प्रभावित कुल फसल क्षेत्र कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा नारियल उत्पादनों के बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार केरल में हाल ही में पड़े सूखे के कारण 30,170 वयस्क फार्मों तथा 84,930 पौधों को क्षति पहुंची है।

(ग) सूखे से प्रभावित नारियल की जोतों की सहायता के लिए बोर्ड का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। तथापि, केरल में 1992-93 के दौरान नारियल विकास बोर्ड के चालू कार्यक्रमों के तहत नारियल उत्पादकों को 68.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) नारियल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विस्तार हेतु 3,000 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से राजसहायता।

(2) 1,000 रु० प्रति पम्पसैट की दर से सिंचाई पम्पसैटों की संस्थापना।

(3) 3,000 रु० प्रति 1/2 एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई इकाईयां।

(4) टी एक्स डी संकरों का उत्पादन एवं वितरण।

"बी" ग्रुप के अभियन्ताओं के संवर्ग की पुनरीक्षा

4640. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या शहरी विकास मंत्री 28 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "बी" ग्रुप के अभियन्ताओं के संवर्ग की पुनरीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संवर्ग समीक्षा के लिए गठित समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हिन्दी अधिकारी

4641. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वन के लिये कितने हिन्दी अधिकारी कार्यरत हैं; और

(ख) क्या ये राजभाषा विभाग द्वारा 1981 और 1989 में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी/सहायक निदेशक (राजभाषा) का कोई पद उपलब्ध नहीं है। तथापि, सहायक निदेशक (राजभाषा) सहित हिन्दी कार्य के लिए कतिपय पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि कतिपय और सूचना एकत्र करनी है।

[हिन्दी]

नागा विद्रोहियों पर सेना के अत्याचारों को दिखाने वाली जाली फिल्में

4642. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसे गिरोह के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो नागा विद्रोहियों पर सेना के अत्याचारों को दिखाने वाली जाली फिल्में तैयार करते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी फिल्मों को बी० बी० सी० द्वारा प्रसारित किये जाने के लिये पहले ही लन्दन भेजा जा चुका है;

(ग) क्या इस तरह की कोई सम्भावना है कि पंजाब और कश्मीर के संबंध में भी ऐसी फिल्में बनायी गई हों; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) नागा राष्ट्रीय परिषद् के 13 कार्यकर्ताओं के साथ दो ब्रिटिश नागरिकों को 30 जनवरी, 1992 को नागालैंड में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन को भेजे जा रहे वीडियो कैसेट और फिल्म रीलें दिल्ली में विदेशी डाक घर से कस्टम प्राधिकारियों द्वारा जब्त की गई थीं।

(ग) सुरक्षा बलों और राज्य तंत्र के द्वारा की जा रही कथित ज्यादतियों को बढ़ा-चढ़ा कर बताकर, पाकिस्तानी और आतंकवादी संगठन जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब समस्याओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दृश्य और श्रव्य माध्यमों तथा साहित्य के माध्यम से किया जा रहा है।

(घ) सरकार इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी रख रही है और समुचित उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

सरकारी आवास के लिये अलग पूल

4643. **श्री राजेश कुमार** : क्या शहरी विकास मंत्री 25 अगस्त, 1991 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 4287 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में भारत सरकार के उन विभागों के नाम क्या हैं, जिनके लिये आवास के संबंध में अप्रैल, 1980 के बाद अलग पूल बनाये गये थे और ये पुल कब बनायें गये थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : पृथक वास पूल बनाने का निर्णय सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लिया जाता है और इनके बनाने सम्बन्धी कोई जानकारी शहरी विकास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती । साधारण पूल में से केवल एक पूल अर्थात राज्य सभा सचिवालय पूल दिनांक 12-6-88 को बनाया गया था ।

[हिन्दी]

द्वारका परियोजना के लिए डी० डी० ए० द्वारा भूमि का अधिग्रहण

4644. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने भूमि-क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया अथवा करने का प्रस्ताव है तथा इसका कितने किसानों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार का इसके बदले किसानों को मुआवजा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी भूमि मांग दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत करता है जो भूमि अधिग्रहण करता है तथा उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 1516 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है तथा 5968 एकड़ और भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन को भेजा गया है । उन मामलों, जहां अवार्ड घोषित किये गए हैं, से 1400 किसान प्रभावित हुए बताये गए हैं।

(ख) और (ग) अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

भू-क्षरण

4645. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि और जल क्षरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इन्दौर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भूमि-क्षरण और पेय जल की कमी को दूर करने के लिए किए गए सफल प्रयोगों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मृदा एवं जल संरक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं :

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;

(2) बाढ़ोन्मुख नदियों के स्रवण क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबंध; और

(3) वर्षासिंचित क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा विकास कार्यक्रम।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"कृभको", "इफको" और एन० एफ० एल० द्वारा उर्वरकों की सप्लाई

4646. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कृभको", "इफको" और एन० एफ० एल० द्वारा वर्ष 1991 में हरियाणा को उर्वरकों को कुल कितनी मात्रा की सप्लाई की गई;

(ख) उर्वरकों की कितनी मात्रा घटिया घोषित की गई और हरियाणा में इन तीन एजेंसियों द्वारा वर्ष 1991 में इसका क्या मूल्य निश्चित किया गया ?

(ग) इन सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किसानों को कम दरों पर घटिया उर्वरकों के वितरण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या मानक उर्वरकों को गलती से घटिया घोषित किया गया था और इसे गैर-सरकारी एजेंटों की कम दरों पर सप्लाई किया जाता है और फिर इसकी पुनः किसानों को मानक दरों पर बिक्री कर दी जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1991 के दौरान हरियाणा राज्य में उर्वरकों की विनिर्माता-वार पूर्ति निम्न प्रकार थी :

(लाख मीटरी टन में)

विनिर्माता का नाम	उर्वरक			
	यूरिया	डी० ए० पी०	एन० पी० के०	सी० ए० एन०
कृभको	95,923	7,736	—	—
इफको	92,519	42,466	5,123	—
एन० एफ० एल०	4,02,159	—	—	9,462

(ख) निम्न स्तर के उर्वरकों की मात्रा और इसके निर्धारित मूल्य को एजेंसी-वार नीचे दिया गया है :—

एजेंसी का नाम	उर्वरक का नाम	निम्न स्तरीय घोषित मात्रा (मीटरी टन में)	उप-निदेशक (कृषि) द्वारा निर्धारित मूल्य रुपये प्रति मीटरी टन*
कृभको	यूरिया	323.57	4142-2280 1863-1924
	डी० ए० पी०	1983.04	3940-4300 3138-3497.60
इफको	यूरिया	शून्य	—
	डी० ए० पी०	शून्य	—
	एन०पी०के० (12-32-16)	शून्य	—
एन० एफ० एल०	यूरिया	शून्य	—
	सी० ए० एन०	शून्य	—

*यह मूल्य कृषकों की बिक्री किये जाने के लिये नहीं है अपितु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि को, बिक्री किये जाने के लिए निर्धारित किया है।

(ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अनुसार निम्नस्तरीय उर्वरकों को कम दर भी किसानों को नहीं बेचा जा सकता है।

(घ) जी, नहीं। अधिसूचित प्रयोगशालाओं द्वारा विधिवत रासायनिक परीक्षण किये जाने के बाद ही उर्वरकों को घटिया किस्म का घोषित किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

4647. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दुलीचंद बनाम भारत सरकार की याचिका सं० 1190/89 में एकतरफा निर्णय दिया है;

(ख) उपर्युक्त निर्णय के आधार पर कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई है; और

(ग) इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर 41 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है।

(ग) लगभग 22 लाख रुपए।

गृह कर के लिए कर योग्य की कीमत का निर्धारण

4648. **श्री राजेश कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० फ्लैटों (अल्प आयकर) में अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में गृह कर के प्रयोजना से कर योग्य मूल का निर्धारण करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त मानदण्ड का दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में डी० डी० ए० फ्लैटों (अल्प आय कर) के सम्बन्ध में समान रूप से पालन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

पद से जुड़े आवास

4649. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-सम्पदा निदेशालय द्वारा पद से जुड़े आवास उपलब्ध कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन पदों के लिए ऐसे आवास उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) क्या भू-सम्पदा निदेशालय इस आधार पर आबंटित किए गए रिहायशी आवास वापस ले लेता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आबंटन नियमों में किसी पद-विशेष के लिए निवास निर्धारित के लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है। तथापि, संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर गुण-दोष आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) निम्नलिखित के लिए निवास निर्धारित किए गए हैं :—

(I) निदेशक (गुप्तचर ब्यूरो)

(II) सचिव (अनुसंधान विश्लेषण विंग)

(III) विदेश सचिव

(IV) प्रधान नयाचार

(V) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(VI) निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो)

इसके अतिरिक्त, दिनांक 30-5-90 के एक शासकीय संकल्प के माध्यम से मंत्रिपरिषद् और लोक सभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता को आबंटन के लिए 68 बंगले निर्धारित किए गए हैं।

(ग) पदभार के परिवर्तन पर ऐसे आवास तुरन्त खाली करना अपेक्षित होता है । तथापि, ऐसे पद से मुक्त होने वाले पदधारी को एक महीने की अवधि के लिए वास में बने रहने की अनुमति होती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचारों से निपटने के लिए प्रकोष्ठ

4650. श्री कड़िया मुन्डा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कितने प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस महिलाओं पर अत्याचारों से सम्बन्धित कितनी शिकायतें मिलीं तथा ये किस किस्म की शिकायतें थीं और उनमें से कितनी शिकायतों को निपटाया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए स्थापित किए गए प्रकोष्ठ की ही तरह पुरुषों के लिए भी कोई प्रकोष्ठ स्थापित करने का है; और

(घ) दिल्ली पुलिस को उक्त अवधि के दौरान पुरुषों से ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की है और दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक पुलिस उपायुक्त की सीधी देखरेख में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामलों से निपटने के लिए सरकार ने नानकपुरा, नई दिल्ली में एक अपराध (महिला) प्रकोष्ठ का गठन किया है । इसके अलावा 9 पुलिस जिलों में महिला कक्ष, प्रत्येक जिले में एक स्थापित किए गए हैं ।

(ख) अधिकांश शिकायतें दहेज की मांग, शारीरिक यातना और ससुर पक्ष द्वारा परेशान करने के आरोपों के सम्बन्ध में होती हैं । कुछ शिकायतें ससुर पक्ष द्वारा यौन यातनाओं, पतियों के नपुंसक होने, एलकोहल और नशीली दवाओं की आदतों के होने, तथा सम्पत्ति विवाद से सम्बन्धित हैं । वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 (31-12-1992 तक) के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या और उनका निपटान दर्शाता एक विवरण संलग्न-I है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा पुरुषों से मिली शिकायतों की संख्या तथा दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाता एक विवरण-II संलग्न है ।

विवरण-I

		प्राप्त शिकायतें	फाइल हुए	समझौते	सिफारिश हुए मामले	स्त्री धन बहाल हुआ	अन्य एजेंसियों को भेजे गए	पूछताछ हेतु लंबित
1989	पुलिस उपायुक्त/अपराध (म०) कक्ष	3345	1457	908	541	336	103	—
	जिला महिला कक्ष	2519	1073	853	138	246	209	—
1990	पुलिस उपायुक्त/अपराध (म०) कक्ष	3649	1865	821	509	351	103	—
	जिला (म०) कक्ष	2327	851	875	127	229	155	—
1991	पुलिस उपायुक्त/अपराध (म०) कक्ष	2575	993	619	501	298	62	102
	जिला (म०) कक्ष	2709	1230	881	212	263	118	5
1992	पुलिस उपायुक्त/अपराध महिला कक्ष (31-7-92)	1743	232	152	147	46	28	138
	जिला (महिला) कक्ष	1691	629	321	37	106	42	439

विवरण-II

		शिकायतें	फाइल हुए	समझौते	अन्य एजेंसियों को भेजे गए	पूछताछ हेतु लंबित
1989	पुलिस उपायुक्त/अपराध (म०) कक्ष	217	217	—	—	—
	जिला (महिला) कक्ष	59	32	27	—	—
1990	पुलिस उपायुक्त/अपराध (म०) कक्ष	206	206	—	—	—
	जिला (महिला) कक्ष	82	59	23	—	—
1991	पुलिस उपायुक्त/अपराध (म०) कक्ष	156	156	—	—	—
	जिला (महिला) कक्ष	92	56	36	—	—
1992	पुलिस/उपायुक्त अपराध (म०) कक्ष (31-7-92)	84	84	—	—	—
	जिला (महिला) कक्ष	83	52	11	1	19

[हिन्दी]

आतंकवादियों को विदेशी सहायता

4651. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर, पंजाब और अन्य राज्यों में विदेशी सहायता से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवादियों को मिलने वाली विदेशी सहायता रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत के खिलाफ विद्रोह और आतंकवाद को पाकिस्तानी समर्थ एक जानी पहचानी बात है । भारत में राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के संचलन के लिए वे गुमराह युवकों को हथियारों का प्रशिक्षण देते रहे हैं, उन्हें हथियार, गोला बारूद, निर्भय शरण स्थल और धन उपलब्ध कराते हैं तथा वापस हमारे देश में उनकी घुसपैठ कराते हैं ।

सरकार ने कई अवसरों पर और कई स्तरों से पाकिस्तान सरकार के साथ, उसके द्वारा भारत के लिए निर्दिष्ट आतंकवाद को समर्थन देने के लिए प्रश्न को उठाया है । पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जाने वाला समर्थन न केवल शिमला समझौते और अन्तः राष्ट्रीय आचरण के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदण्डों का उल्लंघन है बल्कि इससे द्विपक्षीय संबंधों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है । आश्वासनों के बावजूद, आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन अबाध रूप से जारी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डलवाने के प्रयास जारी हैं कि वह अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद और सशस्त्र बगावत को समर्थन देना बन्द करें । इन मामलों में पाकिस्तान की भूमिका को विदेशों में और अधिक पहचाना जा रहा है ।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत में आतंकवादी दलों की सांठ-गांठ

4652. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी इन्टेलिजेंस एजेंसी और लिट्टे सहित भारत में आतंकवादी दलों में कोई सांठ-गांठ पाई गई है;'

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन एजेंसियों द्वारा ऐसे संगठनों को अनुमानित कितनी सहायता दी गई; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) पाकिस्तानी आसूचना और पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर में कार्य कर रहे आतंकवादियों के बीच संबंध होने के साक्ष्य उपलब्ध है। आई० एस० आई० द्वारा कश्मीरी और पंजाब के आतंकवादियों को शस्त्र, गोलाबारूद, अर्द्ध स्वचालित हथियार, हथगोले, बारूदी सुरंगें तथा विस्फोटक सामग्री और वित्तीय सहायता की आपूर्ति का पता चला है। आतंकवादी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति, जिसे पाकिस्तान द्वारा मदद और प्रोत्साहन प्राप्त है, से सरकार पूरी तरह अवगत है तथा सरकार ने इस बारे में कई कदम उठाए हैं, जिनमें आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, भारत-पाक सीमा पर गहन-सतर्कता रखना तथा राज्य पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बलों, और सेना द्वारा समन्वित कार्रवाई करना शामिल है।

दिल्ली में दहेज-विरोधी प्रकोष्ठ

4653. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस आदेश का ब्यौरा क्या है जिसने अन्तर्गत दिल्ली में दहेज-विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था तथा बाद में जिसका नाम अपराध महिला (प्रकोष्ठ) रखा गया;

(ख) इसे सौंपे गए उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस प्रकोष्ठ की जांच पर आधारित इसके निष्कर्षों को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे निष्कर्षो का अभियोजन शाखा अथवा स्थानीय पुलिस थाने की पुनरीक्षा/ आंच द्वारा मूल्यांकन करना होता है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार द्वारा इस आशय के अनुदेशों पर बल दिए जाने के परिणामरूपस्वरूप कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम करने के लिए चलाए गए अभियान के एक भाग के रूप में, जवान महिलाओं की मृत्यु सम्बन्धित मामलों में कार्रवाई करना अपेक्षित है। पुसिस विभाग ने दहेज के कारण होने वाली मौतों की घटनाओं के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष कक्ष का गठन किया है। दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों से निपटने के लिए प्रारम्भ में कक्ष स्थापित करने हेतु सहायक पुलिस आयुक्त के 4 पद तथा आशुलिपिकों के 4 पदों को दिनांक 30-4-1984 को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कक्ष की वर्तमान संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 44 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी गई :—

1. पुलिस उप-आयुक्त	—	1
2. निरीक्षक	—	4
3. उप-निरीक्षक	—	9

4. हैड कान्स्टेबल	—	14
5. कान्स्टेबल	—	9
6. कान्स्टेबल (चालक)	—	7
	जोड़—	44

(ग) से (ङ) महिलाओं के प्रति होने वाले सभी अपराधों से संबंधिय शिकायत के मामले की पूछताछ और जांच करने के लिए अपराध (महिला) कक्ष की वैधानिक संतता है। यह कक्ष महिलाओं की शिकायतों की पूछताछ करता है। पूछताछ के बाद सही मामलों में, सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने और जांच पड़ताल कराने की सिफारिश करता है। जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद पुलिस स्टेशन उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले न्यायालय को अंतिम रिपोर्ट भेजता है। ऐसी अंतिम रिपोर्टों को अभियोजना शाखा के द्वारा भेजा जाता है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी

4654. श्री राम बदन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुरक्षा बलों के बढ़ते हुए दबाव के कारण पंजाब और जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी नेपाल में शरण ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सरकार इस समस्या से अवगत है और इसके समाधान के लिए उचित उपाय कर रही है।

दिल्ली में कुख्यात अपराधी

4655. आचार्य विश्वनाथदास शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने "माफिया गिरोह" और कुख्यात अपराधी सक्रिय हैं;

(ख) उनमें से कितने अपराधी जेलों में हैं तथा कितने अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है;

(ग) कितने अपराधी दो महीनों से अधिक समय से जेल में हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में कोई माफिया गिरोह कार्य नहीं कर रहा है। हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती और लूटपाट जैसे जघन्य अपराधों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, निम्नलिखित रूप से है :

	1989 (1-4-89 से 31-3-90 तक)	1990 (1-4-90 से 31-3-91 तक)	1991 (1-4-91 से 31-3-92 तक)
हत्या	557	732	981
हत्या का प्रयास	780	789	964
डकैती	74	104	181
लूटपाट	366	469	500

[अनुवाद]

कंक्रीट जंगलों से देहात का उन्मूलन

4656. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कंक्रीट के जंगलों से देहात के उन्मूलन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंक्रीट के इन जंगलों का देहात पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) शहरों को अत्यधिक शहरीकरण से बचाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) "नगर विकास" मूलतः राज्य विषय है । इसलिए उपयोग विनियमन राज्य सरकारों के विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है । शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरी प्रयोजनार्थ कतिपय मात्रा में कृषि भूमि का परिवर्तन अपरिहार्य है । तथापि, उर्वरा नम कृषि भूमियों को गैर-कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित न करने का यथासंभव ध्यान रखा जाता है । कृषि भूमि का उपयोग राज्यों द्वारा प्रशासित भू सुधार अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें गैर-कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के परिवर्तन/अन्तरण के लिए सुरक्षा उपाय किये जाते हैं । यदि मास्टर प्लान में कोई भूमि कृषि उपयोग के लिए निर्दिष्ट है तो सम्बन्धित नगर नियोजन/मास्टर प्लान विनियमनों में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना ऐसी भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित नहीं किया जा सकता । अतः यह देखा जाएगा कि विद्यमान अधिनियमों और विनियमनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय हैं कि शहरी प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का कोई अव्यवस्थित परिवर्तन नहीं है ।

जाली वीसा देने वाला गिरोह

4657. **श्री ई० अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी के देशों में नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों को वहां जाने के लिए वीसा जारी करने वाले गिरोह की जानकारी है;

(ख) जाली वीसा के आधार पर यात्रा करने के आरोप में खाड़ी देशों से निर्वासित होकर इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किये जाने के बाद तिहाड़ जेल में बन्द किये गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है जो नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को नकली वीसा जारी करके धोखा देते हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जाली बीजा पर यात्रा करने पर खाड़ी के देशों से 23 व्यक्तियों को स्वदेश लौटाया गया है। उन सभी को गिरफ्तार किया गया तथा बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनमें से 16 व्यक्ति दोषी पाए गए।

(ग) जब कभी इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता है तो कानून के अधीन कार्रवाई की जाती है।

साम्प्रदायिक संगठन

4658. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कट्टरपंथी और रूढ़िवादी संगठनों के नाम क्या हैं जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा करते हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ संगठनों को विदेशी सहायता मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्रोतों से यह सहायता मिलती है;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस समय विभिन्न राज्यों में कौन-कौन से आतंकवादी "दल" और "सेनाएं" सक्रिय हैं और इनकी गतिविधियां किन-किन क्षेत्रों में जारी हैं तथा इनमें कितने-कितने लोग हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

धनराशि का आबंटन

4659. **श्री अब्बारासु इरा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को कितनी धनराशि आबंटित की गई/की जाएगी; और

(ख) इन निकायों को धनराशि के आबंटन में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) संसद में प्रस्तुत की गई अनुदान मांगें एक ओर तो व्यय की प्रत्येक इकाई के लिए निधियों की जरूरत और दूसरी ओर संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होती हैं।

विवरण

आयोग/निगम का नाम	निम्नलिखित वर्ष के लिए आबंटित निधियां		
	1990-91	1991-92	1992-93
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग	1.57 करोड़	1.70 करोड़	1.83 करोड़
अल्पसंख्यक आयोग	49.00 लाख	54.00 लाख	57.00 लाख
भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त	26.00 लाख	28.00 लाख	28.00 लाख
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	—	25.00 करोड़	25.00 करोड़

(राशि रुपये में)

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

4660. **श्री नवल किशोर राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कई कर्मचारियों ने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने व्यक्तियों को सेवानिवृत्त किया गया; और

(ग) इन कर्मचारियों को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत

4661. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : उर्वरक की खपत सामान्यतया प्रति हैक्टेयर कि०ग्रा० के रूप में व्यक्त की जाती है जो वर्ष 1991-92 के लिए 72.17 कि०ग्रा० प्रति हैक्टयर (अनुमानतः) है । यदि इसे प्रति व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह निम्न प्रकार आंका जा सकता है—

वर्ष	कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति (अनुमानित)
1989	14.12
1990	15.06
1991	15.33

राजनैतिक दलों के कर्मचारियों को सरकारी आवास

4662. श्री देवी बक्स सिंह :
डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के संसदीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो दल-वार आवंटित किये गये आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ राजनैतिक दलों की ओर से उनके संसदीय कार्यालयों में कार्य-रत कर्मचारियों को आवास का आवंटित किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। जब कभी ऐसे आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त होता है, इस पर, दिशा-निर्देशों (विवरण-II) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

विवरण-I

विभिन्न राजनीतिक दलों के दखल में साधारण पूल वास के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	दल का नाम	आवंटित वास के ब्यौरे	दखल की तारीख
1	2	3	4
1.	कांग्रेस-आई० पार्टी	एस० iv/209/आर०के० पुरम	06-01-78
2.	कांग्रेस-आई० पार्टी	एस० iv/181/आर०के० पुरम	18-10-67
3.	कांग्रेम-आई० पार्टी	एस० iv/892/आर०के० पुरम	18-09-67
4.	कांग्रेस-आई० पार्टी	781, लक्ष्मीबाई नगर	08-09-88
5.	कांग्रेस-आई० पार्टी	401, 402, अलबर्ट स्क्वायर	11-03-79
6.	कांग्रेस-आई० पार्टी	556-डी०, मंदिर मार्ग	18-07-80
7.	कांग्रेस-आई० पार्टी	896, बी०के०एस० मार्ग	17-07-80
8.	कांग्रेस-आई० पार्टी	80-एच०/एस० iv/डी०आई०जेड०	23-09-82
9.	कांग्रेस-आई० पार्टी	87-टी०/एस० iv/डी०आई०जेड०	21-12-91
10.	कांग्रेस-आई० पार्टी	38-के/एस० iv/डी०आई०जेड०	14-02-92
11.	ए०आई०सी० सी० (आई०)	12, पार्क लेन	01-04-78
12.	ए०आई०सी०सी०(आई०)	डी i/109 चाणक्यपुरी	05-03-85
13.	ए०आई०सी०सी० (आई०)	5, रायसीना रोड	27-07-76
14.	डी०पी०सी०सी०(आई०)	2, तालकटोरा रोड	17-02-84
15.	भारतीय जनता पार्टी	11, अशोका रोड	मार्च, 85

16.	भारतीय जनता पार्टी	सूट नं॰ 24, वी॰पी॰ हाऊस	19-06-82
17.	भारतीय जनता पार्टी	सूट नं॰ 523, वी॰पी॰ हाऊस	01-10-83
18.	लोक दल (ए)	15, विन्डसर पैलेस	नवम्बर, 79
19.	लोक दल (बी)	3, पं॰ पंत मार्ग	01-05-88
20.	लोक दल	सूट नं॰ 1, वी॰पी॰ हाऊस	24-07-71
21.	लोक दल	सूट नं॰ 2, वी॰पी॰ हाऊस	19-06-71
22.	जनता पार्टी	सूट नं॰ 115, वी॰पी॰ हाऊस	20-01-87
23.	जनता पार्टी	सूट नं॰ 416, वी॰पी॰ हाऊस	04-02-87
24.	जनता पार्टी	सूट नं॰ 418, वी॰पी॰ हाऊस	11-05-78
25.	जनता पार्टी	5, पं॰ पंत मार्ग	1989
26.	जनता दल	सूट नं॰ 17, वी॰पी॰ हाऊस	27-06-90
27.	जनता दल	10, लोधी स्टेट	31-08-90
28.	सी॰पी॰आई॰ (एम) पार्टी	सूट नं॰ 8, वी॰पी॰ हाऊस	09-11-83
29.	सी॰पी॰आई॰ (एम) पार्टी	सूट नं॰ 14, वी॰पी॰ हाऊस	06-08-71
30.	सी॰पी॰आई॰ पार्टी	सूट नं॰ 119, वी॰पी॰हाऊस	04-11-70
31.	सी॰पी॰आई॰ पार्टी	सूट नं॰ 201-ए॰, वी॰पी॰ हाऊस	22-11-78
32.	सी॰पी॰आई॰पार्टी	सूट नं॰ 309, वी॰पी॰हाऊस	12-05-70

1	2	3	4
33.	ए०आई०ए०डी०एम०के०	सूट नं० 513, वी०पी०हाऊस	01-07-92
34.	बहुजन समाज पार्टी	12, जी०आर०जी० रोड	05-03-91
35.	समाजवादी जनता पार्टी	16, डा० आर०पी० रोड	20-11-90
36.	समाजवादी जनता पार्टी	13, विन्डसर प्लेस	16-04-91
37.	ए०आई०ए०डी०एम०के०	310, वी०पी० हाऊस	01-07-92
38.	ए०आई०ए०डी०एम०के०	16, वी०पी० हाऊस	01-07-92

विवरण-II

गोपनीय

सं० 12016(2)/88-नीति-II/खण्ड iii (ज़्यादा)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(सम्पदा निदेशालय)
नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर, 1985.

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—राजनैतिक दलों को साधारण पूल वास के आवंटन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा।

12 सितम्बर, 1985 को हुई मंत्रिमण्डल आवास समिति की बैठक में राजनैतिक दलों को साधारण पूल वास के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा की गई थी तथा समिति द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं—

(i) केवल ऐसे राजनैतिक दलों या समूहों जिन्हें, अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई है, को वास देने की आवश्यकता है, अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त दलों और समूहों की सूची संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है, लाइसेंस फीस एस०आर० 45.6 के शर्तों के अनुसार परिकलित की जाय।

(ii) अपात्र मामलों में आवंटन रद्द कर दिया जाए।

(iii) रिहायशी प्रयोजनों के निमित्त दल के लिए कुल मिलाकर 6 यूनिटों की अधिकतम सीमा के भीतर केवल एक-तिहाई कर्मचारियों को आवंटन किया जाय।

(iv) जहां तक कार्यालय के लिए वास का संबंध है, स्थान आवश्यकताओं की जांच के पश्चात उपलब्धता की शर्त पर रिहायशी भवन आवंटित किए जा सकते हैं बशर्ते कि बाजार दर से लाइसेंस फीस वसूल की जाती है।

(v) आवंटन राजनैतिक दलों के नाम पर किया जाय न कि किसी पदाधिकारी के नाम पर।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाए।

हस्ताक्षर
(वी० एस० रमण)
उप-निदेशक सम्पदा (पी)

सेवा में,

1. सभी आवंटन अनुभागों के सहायक निदेशक।

2. सहायक निदेशक, समन्वय-1 अनुभाग।

3. सहायक निदेशक, कार्यालय अनुभाग।

4. सम्पदा निदेशालय के सभी उप निदेशक।

[अनुवाद]

डी०डी०ए० (विकसित नजूल भूमि के निपटान संबंधी) नियम

4663. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० (विकसित नजूल भूमि के निपटान संबंधी) नियम सहकारी सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों को आवंटित किये गये फ्लैटों पर भी लागू होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये सहकारी सामूहिक आवास समितियां इन नियमों का पालन कर रही हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली केवल विकसित भूमि की बिक्री को विनियमित करती है इसलिए फ्लैटों का आवंटन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में भूमिगत पैदल पार पथ

4664. **श्री तारा चन्द्र खंडेलवाल** :
श्री कालका दास :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका का विचार राजधानी में महत्वपूर्ण तथा भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भूमिगत पैदल पार पथों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में कुल कितने भूमिगत पैदल पार पथ निर्मित किये जायेंगे और कहां-कहां पर निर्मित किए जाएंगे; और

(ग) इनका निर्माण कार्य कब आरम्भ होने तथा कब पूरा होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने जानकारी दी है कि चार भूमिगत पैदल पार पथों, अर्थात् (i) पंडित पन्त मार्ग; (ii) चर्च रोड; (iii) हनुमान मन्दिर के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग और (iv) कस्तूरबा गांधी मार्ग पर का कार्य चल रहा है और इनको वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है। कस्तूरबा गांधी मार्ग और "सी" हेक्सागन के चौराहे पर एक अन्य भूमिगत पैदल पार पथ तकरीबन पूरा हो चुका है और इसके शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि भूमिगत पैदल पार पथों के निर्माणार्थ 24 स्थलों को तय किया गया है, जिनको आठवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

दिल्ली प्रशासन ने जानकारी दी है कि पी०डब्ल्यू०डी० सड़कों के आर पार पैदल पार पथों के निर्माणार्थ 5 स्थानों को तय किया गया है। अयोजना कार्य चल रहा है और निर्माण मार्च, 1993 तक प्रारम्भ हो जाएगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4665. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री एन०के० बालियान :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए व्यक्तियों के चयन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा योजना आयोग ने क्या टिप्पणी की है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ की जल की आवश्यकता

4666. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने चंडीगढ़ में जल की आपूर्ति में भारी कमी उत्पन्न हो गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भविष्य में जल की नियमित आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के कुछ पाकेटों में जून तथा जुलाई, 1992 के दौरान पानी की अल्पकालिक कमी थी।

(ख) पांच अतिरिक्त ट्यूबवैल चालू किए गए तथा सैक्टरों में सिंचाई के लिए पुनः प्रयुक्त पानी उपलब्ध कराया गया। कच्चे तथा साफ पानी की संग्रण क्षमता बढ़ाई गई तथा पेय जल आपूर्ति में उचित वितरण के लिए राइजिंग मेनस्ट के कुछ आंतरिक कनेक्शनों की व्यवस्था की गई थी।

(ग) चंडीगढ़ में जल आपूर्ति वृद्धि योजना (चरण-III) पहले से ही चल रही है।

इंडिया गेट के आस-पास "क्रान्ति पार्क" विकसित करने का निर्णय

4667. **श्री रवि राय** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "भारत छोड़ो" आन्दोलन की स्वर्ण जयंती समारोह मनाने के लिये इंडिया गेट के आस-पास अगस्त क्रान्ति पार्क विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

[हिन्दी]

दिल्ली अवैध शराब दुर्घटना

4668. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1992 में दिल्ली में हुई अवैध शराब दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कितने व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गए;

(ख) पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों को दिये गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में ऐसी घटनाओं के बढ़ने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, उसका क्या परिणाम निकला; और

(च) दिल्ली में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जुलाई, 1992 में दिल्ली में अवैध शराब से कोई दुर्घटना नहीं हुई ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) दिल्ली में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1. सभी थानेदारों/विशेष इकाइयों के प्रभारियों जैसे स्पेशल स्टाफ, दिल्ली पुलिस के सतर्कता अनुभाग को आसूचना एकत्र करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ।

2. पैदल और चलती फिरती गश्त को गहन किया गया है । पुलिस स्टेशन स्तरों पर आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को सक्रिय बनाया गया है ।

3. पुलिस वाहनों से उद्घोषणा की जाती है और जनता को सलाह दी जाती है कि वे सुरा का सेवन न करें क्योंकि इससे असामायिक और अवांछित मृत्यु होती है ।

4. सुरा का पता लगाने के लिए छापे मारे जाते हैं ।

5. दिल्ली पुलिस अपराध शाखा में आबकारी मामलों का पता लगाने के लिए एक अलग अनुभाग कार्य कर रहा है । सूचना एकत्र की जाती है और छापे मारे जाते हैं ।

6. सार्वजनिक सभाओं में जनसंबोधन प्रणाली के माध्यम से, सिनेमा हालों में स्लाइडों इत्यादि के माध्यम से विस्तृत प्रचार किया जाता है।

[अनुवाद]

रोहिणी में भूखंडों का आवंटन

4669. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में "रोहिणी, ए ड्रीम टर्न्ड सोर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी पंजीकृत व्यक्तियों को रोहिणी में भूखण्ड दिये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) उन पंजीकृत व्यक्तियों का श्रेणी-वार ब्योरा क्या है, जिन्हें अभी भूखंड नहीं मिले हैं और उन्हें भूखंड आवंटित करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहिणी आवासीय योजना में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत शेष पंजीकृतों को भूमि और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आठवीं योजना के अन्त तक भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे।

(घ) श्रेणीवार पंजीकृत, जिन्हें अभी भूखण्ड प्राप्त करने हैं, इस प्रकार है—

श्रेणी	आवेदकों की संख्या
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/जनता	4665
निम्न आय वर्ग	20583
मध्यम आय वर्ग	14431

भूखंडों का आवंटन भूमि की उपलब्धता बुनियादी सुविधाओं के विकास और पानी की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है जो रोहिणी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन में बाधा है।

[हिन्दी]

कृषि राज सहायता को वापस लेना

4670. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि पर राज सहायता को कम करने/वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र के विभिन्न घटकों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशियों आदि पर राजसहायता दी जाती है। यह राज सहायता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुसार बांटी जाती है।

[अनुवाद]

सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियां

4671. **श्री बी०एल० शर्मा प्रेम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में अनेक सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियां विशेष रूप से ग्राम विहार सहकारी ग्रुप हाउसिंग समिति ने जाली हलफनामे पेश किए थे कि उनके पास दिल्ली में कोई मकान नहीं है अथवा डी०डी०ए० में फ्लैटों के आवंटन के लिए वे पंजीकृत नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मामले में पता लगाए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्रवाई करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पंजीयक, सहकारी समितियों ने बताया है कि सदस्य बनने के समय व्यक्ति के इस आशय का एक शपथ पत्र देना होता है कि वह, उसकी पत्नी अथवा आश्रित बच्चों का दिल्ली में कोई मकान अथवा रिहायशी भूखंड नहीं है। समिति के सदस्यों को समिति द्वारा भूखंड/फ्लैट के आवंटन से पूर्व दुबारा एक शपथ पत्र दाखिल करना अपेक्षित होता है। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ सदस्यों ने असत्य शपथ-पत्र दाखिल किये हैं तो आरोप का सत्यापन करने के लिए जांच की जाती है और यदि, वह सत्य पाया जाता है तो व्यक्ति की सहायता समाप्त कर दी जाती है। ग्राम विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी के सदस्यों द्वारा असत्य शपथ पत्र दाखिल करने के बारे में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में आग

4672. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में लगी आग की घटनाओं का वर्षवार तथा घटनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन घटनाओं में कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आग लगने की कुल 546 घटनाएं हुई, ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं—

1989-90	196
1990-91	199
1991-92	151

(ख) आग लगने की इन घटनाओं में लगभग 3.27 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की हानि सूचित की गई है।

(ग) और (घ) 15-1-1990 को पुराने जमुना पुल के नजदीक जे०जे० कालोनी और 23-4-1990 को थाना पहाड़गंज के अन्तर्गत मोतियाखान की झुग्गी झोंपड़ी बस्ती में आग लगने की घटनाओं की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी। इन दोनों मामलों में जांच अधिकारी का मत था कि अवैध रूप से बिजली के कनेक्शन लेने के कारण हुए बिजली के सोर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। जांच-अधिकारी द्वारा पता लगाए गए निष्कर्षों को निवारात्मक और सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित विभागों को भेज दिए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

4673. **श्री दाऊदयाल जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवारों को पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया; और

(ख) इस मुआवजे का भुगतान करने के लिए निर्धारित किए गए मानदण्ड का ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने तारीख 10-7-90 के आदेश संख्या 723-जी० आर० (जी० ए० डी०) 1990 के तहत आतंकवादी हिंसा में मारे गए या स्थायी रूप से/आंशिक रूप से अपंग हुए व्यक्तियों को अनुग्रह पूर्वक सहायता की अदायगी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। (विवरण संलग्न)।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (30-6-92 तक) क्रमशः 7.5 करोड़ रुपए, 13 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई।

विवरण

जम्मू व कश्मीर सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

विषय : कानून और व्यवस्था से संबंधित गड़बड़ी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत की स्वीकृति।

सन्दर्भ : प्रशासनिक परिषद निर्णय संख्या 20, दिनांक 29-6-1990

1990 का आदेश संख्या 723—जी० आर० (जी० ए० डी०) दिनांक 10-7-1990

उपर्युक्त विषयक किसी भी आदेश या नियम या विनियम में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी कानून और व्यवस्था के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की सिविल अव्यवस्था के कारण हुई

हिंसा के परिणामस्वरूप मारे गए या स्थायी आंशिक रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों को निम्नलिखित अनुग्रह राहत का भुगतान किया जायेगा :

(क) मजिस्ट्रेट और पुलिस कार्मिक

1. मृत्यु होने पर	1.25 लाख रुपये
2. स्थायी रूप से विकलांग होने पर	0.25 लाख रुपये
3. आंशिक रूप से विकलांग होने पर	0.10 लाख रुपये

टिप्पणी-1

अनुग्रह राहत केवल उन लोगों को दी जाएगी जो उचित रूप से सरकारी ड्यूटी करने के परिणामस्वरूप मारे गए अथवा विकलांग हुए हों।

टिप्पणी-2

अनुग्रह राहत पुलिस कार्मिकों के मामले में पुलिस महानिदेशक और मजिस्ट्रेटों के मामले में सरकार के गृह विभाग द्वारा मंजूर की जाएगी।

(ख) अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिक

1. मृत्यु होने पर	1.25 लाख रुपये
2. स्थायी रूप से विकलांग होने पर	0.25 लाख रुपये
3. आंशिक रूप से विकलांग होने पर	0.10 लाख रुपये

टिप्पणी-1

अनुग्रह राहत उन लोगों को दी जाएगी जो उचित रूप से सरकारी ड्यूटी करने के परिणामस्वरूप मारे गए या या विकलांग हुए।

टिप्पणी-2

अनुग्रह राहत सरकार के गृह विभाग द्वारा मंजूर की जाएगी।

टिप्पणी-3

लाभभोगी को भुगतान संबंधित अर्द्धसैनिक बल के स्थानीय बटालियन के कमांडेंट द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी-4

मंजूरी और अनुग्रह राहत के भुगतान की प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन सहित वही होगी जो एस० आर० ओ० 570, दिनांक 10-9-1986 के तहत यथासंशोधित जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 249 एम० (ए०) की शर्तों के अनुसार अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अनुग्रह राहत है।

(ग) पुलिस कार्मिकों के अलावा अन्य सरकारी कार्मिक :

1. मृत्यु होने पर	1.00 लाख रुपए
2. स्थायी रूप से विकलांग होने पर	0.25 लाख रुपए
3. गम्भीर रूप से घायल होने पर (अर्थात् 24 घण्टे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने तक)	0.05 लाख रुपए
4. घायल होने/24 घण्टे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने तक	0.01 लाख रुपए
5. मामूली रूप से घायल होने तक (प्रथम चिकित्सा उपचार होने के बाद छुट्टी होने तक)	500 रुपये

टिप्पणी-1

अनुग्रह राहत केवल उन लोगों को देय होगी जो उचित रूप से सरकारी ड्यूटी करते समय मारे गए या विकलांग हुए।

टिप्पणी-2

अनुग्रह राहत संबंधित प्रभागीय आयुक्त द्वारा मंजूर की जाएगी।

(घ) सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य लोग :

1. मृत्यु होने पर	1.00 लाख रुपये
2. स्थायी रूप से विकलांग होने पर	0.25 लाख रुपये
3. गम्भीर रूप से घायल होने पर (अर्थात् 24 घण्टे से अधिक समय तक अस्पताल में) भर्ती रहने तक	0.05 लाख रुपये
4. घायल होने पर (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में रहने तक)	0.01 लाख रुपये
5. मामूली रूप से घायल होने तक (प्रथम चिकित्सा उपचार के बाद छुट्टी किए जाने पर)	500 रुपये

टिप्पणी-1

अनुग्रह राहत निम्नलिखित लोगों को दी जाएगी :

(क) जिनका वास्तविक हिंसा या उसको भड़काने में हाथ न हो।

(ख) जो विशेष रूप से मारे गए हों।

टिप्पणी-2

अनुग्रह राहत सरकार के गृह विभाग द्वारा मंजूर की जाएगी और उसका वितरण 1989

के सरकारी आदेश संख्या 121 (राजस्व) दिनांक 11-5-89 की शर्तों के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ग) उचित सम्पत्ति का नुकसान (बम विस्फोट या किसी भी अन्य प्रकार की तोड़फोड़ के कारण संबंधित क्षेत्र के कार्यकारी अभियन्ता आर० एण्ड बी०) द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर जिन व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा उस व्यक्ति को नुकसान का 50 प्रतिशत अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा दो लाख रुपए होगी।

II. नुकसान की एक लाख रुपए से कम मूल्यांकित राशि तक की अनुग्रह राहत की स्वीकृति संबंधित मंडलीय आयुक्त द्वारा की जाएगी। नुकसान की एक लाख रुपये से अधिक अमूल्यांकित राशि की अनुग्रह राहत की स्वीकृति सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा की जाएगी।

जम्मू और काश्मीर में आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों नजदीकी रिश्तेदार/आश्रितों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण।

(क) पुलिस कर्मी	
1. मृत्यु होने पर	1.25 लाख रुपये
2. स्थायी रूप से अपंग होने पर	0.25 लाख रुपये
3. आंशिक रूप से अपंग होने पर	0.10 लाख रुपये
(ख) सिविलियन	
1. मृत्यु होने पर	1.00 लाख रुपये
2. स्थायी रूप से अपंग होने पर	0.25 लाख रुपये
3. गम्भीर रूप से जख्मी होने पर (अर्थात् 24 घंटे से अधिक समय तक अस्पाल में भर्ती होने पर)	0.05 लाख रुपये
4. जख्मी होने पर (24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर)	0.01 लाख रुपये
5. मामूली रूप से जख्मी होने पर (प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई)	500 रुपये
(ग) केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी	
1. मृत्यु होने पर	1.00 लाख रुपए
2. स्थायी रूप से अपंग होने पर	0.25 लाख रुपए
3. गम्भीर रूप से जख्मी होने पर (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने तक)	0.05 लाख रुपए

4. जख्मी होने पर (24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने पर)　　　　0.01 लाख रुपए

5. मामूली रूप से जख्मी होने पर (प्रथम उपचार के बाद छुट्टी कर दिए जाने पर)　　　　500 रुपए

इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों सहित केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यूटी के दौरान मारे गए, के परिवार, फैमिली पेंशन, ग्रुप इन्शोरेंस और उनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत अन्य लाभों के पात्र हैं।

2. ऊपर उल्लिखित मामलों (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के संबंध में अनुग्रह पूर्वक राहत के खाते में किया गया व्यय खाताशी 2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-II अन्य राहत उपायों से पूरा किया जाएगा।

3. किसी लम्बित मामले को तदनुसार ही उस पर निर्णय लिया जाएगा।

4. वर्तमान संवैधानिक नियमों के संबंधित उपबंधों में संशोधन जब कभी आवश्यक हो अलग से किए जाएंगे।

राज्यपाल के आदेश से—

हस्ताक्षर
(अजीत कुमार)
सरकार के आयुक्त/सचिव, सामान्य
प्रशासन विभाग, दिनांक 10-7-1990

राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्मित आवास

4674. **श्री रामनारायण बैरवा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को आवास आबंटित करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान साधारण पूल में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए क्वार्टरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनाए गए क्वार्टरों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण सभी सरकारी कर्मचारियों को आवंटनार्थ साधारण पूल में मकानों का निर्माण करना सम्भव नहीं है। तथापि, निधियों के नियतन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए साधारण पूल में और अधिक क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति देना सरकार जारी रखेगी।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित रिहायशी वास को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	वर्ष	पूर्ण किए गये क्वार्टरों की संख्या	शहर	राज्य	ए	बी	सी	टाइपवार ब्यौरे I	II	III	IV	V	VI	विशेष	होस्टल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1.	1989-90	1631	दिल्ली	संघशासित क्षेत्र		184			90	300						574
			कानपुर	उत्तर प्रदेश				121	145	154	30	4				354
			इलाहाबाद	—वही—								3				3
			हैदराबाद	आंध्र प्रदेश											32	32
			बंगलौर	कर्नाटक											30	30
			शिलांग	मेघालय							4					4
			कोहिमा	नागालैंड						40						40
			बम्बई	महाराष्ट्र				90	120	60					40	400
			इन्दौर	मध्य प्रदेश				42	84		6					132
			नागपुर	महाराष्ट्र				56			32	24				112
			कलकत्ता	प० बंगाल												
						184		309	529	454	72	31			102	1681

2. 1990-91	1108	बंगलौर	कर्नाटक					64	70	42	8			184
		मद्रास	तमिलनाडु					54	102	—	—		—	156
		कोचीन	केरल				32	48	—	24	4	—	—	108
		कलकत्ता	प० बंगाल				288	112	88					488
		नागपुर	महाराष्ट्र					72	80					152
		शिलांग	मेघालय	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4
		इम्फाल	मणिपुर	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	16
				—	—	—	320	366	340	70	12	—	—	1108
3. 1991-92	809	नई दिल्ली	संघशासित क्षेत्र	—	—	—	556	21	—	—	—	—	—	277
		कलकत्ता	प० बंगाल	—	160	—	48	—	—	—	—	—	—	208
		अगरतल्ला	त्रिपुरा	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6
		चण्डीगढ़	संघशासित क्षेत्र	90	152	—	—	—	—	—	—	—	—	242
		कोचीन	केरल	—	16	16	—	—	—	—	—	—	—	32
		इन्दौर	मध्य प्रदेश	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	6
		कानपुर	उत्तर प्रदेश	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	10
		शिमला	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	24	4	—	—	—	—	—	28
योग : 3598				90	238	22	340	29	—	—	—	—	—	809

[अनुवाद]

इण्डिया गेट का विकास

4675. श्री अंकुशराव टोपे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डिया गेट का पुनः विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इण्डिया गेट के आस-पास का क्षेत्र काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है तथा सायंकाल में आम लोग इस क्षेत्र में एकत्र होते हैं एवं कुछ मेले भी आयोजित किए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में पार्किंग स्थल की बड़ी मांग है। इसलिए नई दिल्ली नगर पालिका ने यातायात प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ अभिकरण द्वारा अध्ययन कराया है। इस अध्ययन और यातायात पुलिस के परामर्श के आधार पर एक नया एकतरफा यातायात चालू किया गया है जिसकी जनता ने भली प्रकार से सराहना की है। इससे "सी" हैक्सागन में यातायात सुगम हुआ है।

[हिन्दी]

पटना में स्मारक की स्थापना

4676. श्री विजय कुमार यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना में मुख्य स्थान पर स्वर्गीय श्री सुनील मुखर्जी और श्री रामावतार शास्त्री के किसी स्मारक की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में जनसंहार

4677. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री शंकर सिंह बाघेला :
श्री महेश कनोडिया :
श्री प्रकाश वी० पाटिल :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990, 1991 में और 1992 के दौरान अब तक जम्मू-कश्मीर में हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) वर्ष 1990, 1991 में और 1992 के दौरान अब तक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, और अन्य राज्यों में अर्द्ध सैनिक बलों के राज्यवार कितने सैनिक मारे गए;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान पंजाब और कश्मीर घाटी के अनुमानतः कितने आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया; और

(घ) इस अवधि के दौरान उन्हें दिए गए हथियार और गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है :

	1989	1990	1991	1992 (31-7-92 तक)
1. आतंकवादी हिंसा में मारे गए सिविलियनों की संख्या	19	461	382	371
2. मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या	8	154	168	82

पंजाब सरकार ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :

	1989	1990	1991	1992 (30-6-1992 तक)
1. आतंकवादी हिंसा में मारे गए सिविलियनों की संख्या	1168	2467	2586	980
2. मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या	152	493	493	150

असम के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर 1990 में 109 सिविलियन, 1991 में 190 सिविलियन और 1992 में (31-7-92 तक) 32 सिविलियन आतंकवादी हिंसा में मारे गए। इसके अलावा 1990 में 32 सुरक्षा बल कार्मिक, 1991 में 19 और 1992 (31-9-92 तक) 11 सुरक्षा बल कार्मिक आतंकवादियों द्वारा मारे गए।

कोई निश्चित अनुमान बताना कठिन है लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में कई हजार आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें बड़ी संख्या में शस्त्र और गोला बारूद उपलब्ध कराया गया।

पटसन आधुनिकीकरण निधि

4678. डा० असीम बाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) पटसन आधुनिकीकरण निधि को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है;

(घ) पटसन आधुनिकीकरण निधि से पटसन किसानों को क्या लाभ हुआ है; और

(ङ) क्या देश में पटसन विकास कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीजों के वितरण, उपस्करों; उर्वरकों, पौध संरक्षण रसायनों, तथा सड़न टैंकों के निर्माण पर राजसहायता के रूप में पटसन उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को पैकेज प्रदर्शनों के आयोजन एवं कल्चर तथा सड़ाने की उन्नत विधियों में कृषकों के प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) पटसन आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत पटसन मिलों को आधुनिकीकरण के लिए ऋण दिया जाता है।

(घ) पटसन उत्पादकों को पटसन आधुनिकीकरण निधि से कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता। तथापि, पटसन आधुनिकीकरण निधि से पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पटसन आधारित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे कच्ची पटसन की मांग तथा इसके मूल्यों में वृद्धि होती है और पटसन उत्पादकों को लाभ होता है।

(ङ) सरकार ने अनुसंधान तथा विकास कार्य को प्रोत्साहित किया है, पटसन के विविध उत्पादों के उत्पादन के लिए विपणन में सहायता प्रदान की है और हथकरघा तथा हस्तशिल्प के विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों को पटसन यार्न/धागे की आपूर्ति पर आबकारी शुल्क माफ कर दिया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पटसन मिलों पर रियायती दरों पर आबकारी शुल्क लगाया है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा की जा रही गुप्तचरी

4679. श्री अरविंद मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर और देश के अन्य भागों में पाकिस्तान द्वारा की जा रही गुप्तचरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने पाक गुप्तचरों को गिरफ्तार किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए, सीमा पर बाड़ लगाकर, सीमा पर प्रभावकारी गश्त आदि लगाकर निगरानी को और सघन कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संस्थानों के आस-पास सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है।

(ग) सूचना प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

गन्ने के विकल्प

4680. **श्री नवल किशोर राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की फसल के लिए अधिक पानी और भूमि की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चुकन्दर जैसी किसी वैकल्पिक फसल को लोकप्रिय बनाने का विचार है; और

(घ) गन्ने के इन विकल्पों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) देश के विभिन्न गन्ना उगाने वाले राज्यों में गन्ने में पानी की जरूरत 1400 मि० मी० से 3500 मि० मी० के बीच होती है। गन्ने की फसल 12-20 महीने तक जमीन को घेरे रहती है।

(ग) गन्ने की वैकल्पिक फसल के रूप में चुकन्दर की खेती देश के अधिकतर हिस्सों में सफल नहीं रही है। फिर भी, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में चुकंन्दर को पूरक फसल के रूप में उगाया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"क्लस्टर एप्रोच" के अन्तर्गत गांव

4681. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से कटक और सम्बलपुर जिलों के कुछ गांवों को "क्लस्टर एप्रोच" के अन्तर्गत घोषित करने और कालाहांडी जिले में कुटियाकोंड विकास एजेंसी में 17 और गांवों को शामिल करने के बारे में भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्बलपुर जिले में तीन समूहों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त हुआ था और इसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि समूहों के गठन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र सटे

हुए नहीं हैं । मंत्रालय के विचार राज्य सरकार को सूचित कर दिए गए थे । उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कटक जिले के दानागुडी प्रखंड में एक समूह के रूप में शामिल किए जाने हेतु 8 ग्रामों का प्रस्ताव भी किया गया था । निर्देशक नक्शे के अभाव में इन ग्रामों के सामीप्य का पता लगाने के लिए इस प्रस्ताव की जांच सम्भव नहीं है । राज्य सरकार से इसे भेजने का अनुरोध किया गया है । उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कालाहांडी जिला स्थित कुटियाकोंध्र विकास एजेंसी में स्थित 17 और ग्रामों को शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा गया था । आदिवासी उप योजना क्षेत्र के बाहर वाले आदिवासियों को क्योंकि विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है, अतः मंत्रालय का विचार है कि प्रस्तावित 17 ग्रामों में रहने वाले आदिवासी भी छितरे हुए आदिवासियों के अंतर्गत राज्य सरकार को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता में से वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इन ग्रामों के आदिवासियों के विकास हेतु राज्य योजना संसाधनों में से निधियां प्रदान कर सकती है । राज्य योजना निधियों के योगज के रूप में छितरे आदिवासियों के लिए उपलब्ध निधियों में से, विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा सकती है । मंत्रालय के विचार राज्य सरकार को सूचित कर दिए गए हैं ।

[हिन्दी]

नर्मदा नदी द्वारा भू-कटाव

4682. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे की कितनी भूमि भू-कटाव के कारण खेती के लायक नहीं रह गई है;

(ख) क्या इन भूमि को समतल बनाने और भू-कटाव रोकने के लिए कोई अभियान चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) नर्मदा स्रवण क्षेत्र मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में फैला है जिसका कुल स्रवण क्षेत्र लगभग 85.01 लाख हैक्टेयर है । सर्वेक्षण किए गए कुल 68.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से अब तक 10.89 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपयुक्त मृदा तथा जल-संरक्षण उपायों से सुधार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है ताकि भू-कटाव को रोका जा सके ।

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों के सुधार के लिए इस समय कोई केन्द्रीय योजना नहीं है ।

[अनुवाद]

बंजारा जनजातियों का कल्याण

4683. **श्री के० प्रधानी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां बंजारा जनजातियां रहती हैं;

(ख) क्या उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार स्थिति क्या है;

(घ) उन जनजातियों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ख) (ग) बंजारों को आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित जनजाति तथा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां बंजारों को या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उनसे संबंधित सूचना नहीं रखी गई है।

(घ) और (ङ) आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत जिसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता, वानिकी, लघु उद्योग आदि शामिल हैं। बंजारों सहित अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अथवा योजनाएं शुरू की गई हैं।

उर्वरकों के मूल्य

4684. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और बड़े किसानों के स्वामित्व में कितनी-कितनी भूमि है;

(ख) छोटे किसानों, सीमन्त किसानों और बड़े किसानों द्वारा पृथक-पृथक रूप से कुल कितनी-कितनी मात्रा में नाइट्रोजन फास्फेट उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) देश में और पड़ोसी देशों में उर्वरकों के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कृषि संगणना (1985-86) के आधार पर किसानों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रचालित क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है (विवरण-I)।

(ख) किसानों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा खपत किए गए उर्वरक के लिए पृथक से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारत और पड़ोसी देशों में उर्वरकों के प्रचलित मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण-II)।

विवरण-I

कृषि संगणना 1985-86 के अनुसार कृषकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रचालित क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र०सं०	प्रमुख आकार वर्ग	प्रचालित क्षेत्र* (हजार हैक्टेयर)
1	2	3
1.	मार्जिनल	22042 (13.4)

1	2	3
2.	छोटी	25708 (15.6)
3.	अर्ध-मध्यम	36666 (22.3)
4.	मध्यम	47144 (28.6)
5.	बड़ी	33002 (20.1)
	योग	164562 (100.0)

*कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

विवरण-II

भारत और पड़ोसी देशों में विभिन्न उर्वरकों के मूल्य**

	देश	वर्ष	(प्रति मीटर टन पोषक तत्व के मूल्य अमरीकी डालर में)		
			यूरिया	सिंगल सुपर फास्फेट	म्यूरिएट आफ पोटाश
1.	पाकिस्तान	1988-89	288	284	—
2.	बंगलादेश	1988-89	335	—	229
3.	श्रीलंका	1987-88	210	—	156
4.	नेपाल	1988-89	342	—	144
5.	मलेशिया	1988-89	272	—	165
6.	जापान	1988-89	857	1845	54 3
7.	फिलीपीन्स	1988-89	406	750	275
8.	चीन	1988-89	उपलब्ध नहीं	—	—
9.	भारत*	1988-89	353	410	150

*14-8-91 से इन मूल्यों में 30 प्रतिशत और अधिक वृद्धि कर दी गई है।
**स्रोत : उर्वरक सांख्यिकी : 1990-91

कश्मीर घाटी में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालय

4685. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत आने वाले अथवा इनसे सम्बद्ध कार्यालय बन्द किए गए हैं अथवा आंशिक या पूर्ण रूप से अन्यत्र ले जाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो घाटी में अभी भी कार्यरत ऐसे कार्यालयों तथा एककों के नाम क्या हैं और 1 जनवरी, 1990 तथा 30 जून, 1992 को इनमें कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी संख्या कितनी है;

(ग) बन्द किए गए अथवा पूर्ण रूप से अन्यत्र स्थानान्तरित कार्यालयों व एककों के नाम क्या हैं;

(घ) इस प्रकार कार्यालयों के स्थानान्तरण अथवा बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ये कार्यालय कब से पुनः पूर्ण रूप से घाटी में कार्य करना आरम्भ करेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है । प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा आत्मघाती दस्तों का गठन

4686. **श्री गुरुदास कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी उग्रवादियों ने एक आत्मघाती दस्ते का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन आत्मघाती दस्तों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सरकार को कुछ आतंकवादी-गिरोहों द्वारा सुरक्षा बलों और प्रतिष्ठानों पर आक्रमण करने के लिए कथित आत्मदाह दस्तों के होने अथवा बना लेने संबंधी रिपोर्टों की जानकारी है । सुरक्षा बल इस बारे में सतर्क तथा चौकस हैं ।

कश्मीर घाटी में महिलाओं को परेशान किया जाना

4687. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में "वीमेन वर्स्ट सफरर्स इन वैली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1990-91 और 1992 में अब तक पृथक्-पृथक् जम्मू-कश्मीर में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, कितनी महिलाओं की हत्या की गयी और कितनी महिलाओं को अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना पड़ा और धर्म परिवर्तन करना पड़ा; और

(घ) राज्य में आतंकवादियों के उत्पीड़न से महिलाओं को बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को प्रश्नाधीन समाचार की जानकारी है ।

(ख) और (ग) सरकार निर्दोष महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचारों की घोर निन्दा करती है । कश्मीर में, महिलाओं को आतंकवादियों के अत्याचारों से बचाना, राज्य में आतंकवाद को नियंत्रित करके समग्र प्रयासों का एक भाग है ।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार आतंकवादी

4688. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 को और 1 अप्रैल, 1992 को जम्मू और कश्मीर में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे और कितने आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था; और

(ख) 1 जनवरी, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 के बीच प्राधिकारियों के सामने कितने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च, 1991 तक 3751 गिरफ्तारियां की गईं और 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक 1697 गिरफ्तारियां की गईं, इस प्रकार 31 मार्च, 1992 तक गिरफ्तारियों की कुल संख्या 5448 हो गई । फिर भी गिरफ्तार किये गये लोगों में से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्राथमिक जांच-पड़ताल अथवा न्यायालय के आदेशों के बाद रिहा कर दिया गया है और पैरोल/जमानत पर छोड़ दिया गया । जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च, 1992 तक 733 आतंकवादियों ने प्राधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह

4689. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी विभागों ने अपने कर्मचारियों के लिए गर्मी की छुट्टियां बिताने हेतु विश्राम गृह की सुविधा प्रदान करने के लिए इनका निर्माण किया है अथवा इनकी खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं तथा ये विश्राम गृह किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) क्या इन विश्राम गृहों के आबंटन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन विभागों का विचार भविष्य में ऐसे कुछ और विश्राम गृहों का निर्माण/खरीद करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम):(क) से (च) शहरी विकास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) के नियंत्रणाधीन विद्यमान होस्टलों/अवकाश गृहों से सम्बन्धित अपेक्षित विवरण संलग्न है। गोवा, ऊटी, मैसूर, अमरकण्टक, नैनीताल, पुरी, दार्जिलिंग, गंगटोक, कलिम्पोंग, कोडाइकनाल, श्रीनगर, मदरई, वाराणसी और दिल्ली में भी अवकाश गृह बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों द्वारा निर्मित/अधिप्राप्त अथवा निर्माण के लिये प्रस्तावित स्यूट्स के ब्यौरे शहरी विकास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) द्वारा केन्द्रीय रूप से नही रख जाते।

विवरण

(क) मानदण्ड : सेन्ट्रल गवर्नमेंट टूरिंग आफीसर्स हॉस्टल्स :

ये वास सुविधाएं उपलब्ध करते हैं और मुख्यतः सांसदों और दौरे पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अवकाश राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र/स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी दौरे अथवा अवकाश पर, सांसदों/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ गये गैर-सरकारी व्यक्ति और सेवा निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन इस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उनके मामलों में, तथापि कोई अग्रिम बुकिंग/आरक्षण नहीं किया जायेगा।

2. **अवकाश गृह** : ये उपर्युक्त सभी श्रेणी के व्यक्तियों को वास सुविधाएं उपलब्ध करेंगे।

3. **रहने की अवधि** : वास अधिकतम 10 दिन की अवधि के लिये दिया जायेगा। आपवादिक मामलों में सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली में सम्बन्धित उप निदेशक के पूर्व अनुमोदन से, जो आवश्यकता होने पर सम्पदा निदेशक के आदेश प्राप्त करेगा, 10 दिन से आगे कुल 30 दिन के लिये वास की अनुमति दी जायेगी।

अन्य शर्तें :

(क) एक व्यक्ति/परिवार के लिये केवल एक कमरा बुक किया जायेगा, अपवादिक मामलों में गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये निर्धारित प्रभारों की अदायगी करने पर अतिरिक्त कमरे के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

(ख) स्यूट्स कमरे में खाना पकाने, चाय बनाने की अनुमति नहीं होगी यदि कमरे में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) जिस व्यक्ति को होस्टल में वास दिया गया है सायं 10.00 बजे के पश्चात् उसके साथ किसी अनधिकृत व्यक्ति को रहने अथवा मिलने आने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) होस्टल/अवकाश गृह में मादक द्रव्यों के सेवन की अनुमति नहीं होगी।

(ख) टूरिंग आफिसर्स होस्टल्स/अवकाश गृहों के ब्यौरे :

सैन्ट्रल गवर्नमेंट टूरिंग आफीसर्स होस्टल्स निम्नलिखित स्थानों में हैं :

1. निजाम पैलेस, कलकत्ता
2. (क) चर्च गेट/ओल्ड सी० जी० ओ० बिल्डिंग, बम्बई
   (ख) नेपियन सी रोड, बम्बई
3. शास्त्री भवन, मद्रास
4. डमलर, बंगलौर
5. बेलेयर (पंकुलर) त्रिवेंद्रम
6. केन्द्राचल कालोनी, सैक्टर "के" अलीगंज, लखनऊ

अवकाश गृह :

1. ग्रांड होटल, शिमला
2. कन्याकुमारी
3. मसूरी

अनाथ बच्चों का कल्याण

4690. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से महानगरों में अनाथ बच्चों के कल्याण और समुचित विकास पर निगरानी रखने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार का आवारा-बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना में उन्हें पोषण, स्वास्थ्य, गैर-औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी कल्याण सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सरकार का आवारा-बेसहारा बच्चों के लिए यूनिसेफ की सहायता के अंतर्गत छह महानगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद में ऐसी श्रेणी के बच्चों का भारी संकेंद्रगक है। एक नगर स्तरीय कार्यक्रम आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है। आवारा-बेसहारा बच्चों के लिए ये योजनायें स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों पर सहायता दी जाएगी।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका में भर्तियां

4690-क. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका में कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम/दिल्ली प्रशासन जैसे अन्य सरकारी अर्द्ध-सरकारी, स्थानीय निकायों की, तरह इस निकाय में कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका में लिपिकीय सहायक और कनिष्क आशुलिपिक के पद पर भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई भर्ती नहीं की जाती है। पहले, संघ लोक सेवा आयोग से "समूह-क" के पदों पर चयन के लिए अनुरोध किया गया था लेकिन आयोग ने इसके लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1991 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जबकि नई दिल्ली नगरपालिका इसी अधिनियम द्वारा शासित है।

———

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक के बाद ही दूसरी दीजिए। मुझे अभी यह प्राप्त नहीं हुई है। मुझे यह मिल जाएगी।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलोर) : महोदय, मेरे पास कुछ पत्र पत्र हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी जांच पड़ताल करूंगा। मुझे इन्हें जांचने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, कल नागालैंड में भारतीय सुरक्षा सैनिकों की दस्ती टुकड़े पर नागा विद्रोहियों ने घात लगाकर आक्रमण किया जिसमें 29 सुरक्षा सैनिक मारे गये। वे विद्रोही भागकर बंगलादेश में प्रवेश कर गये। इसी तरह से कल ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ ने एक जलसे में शरीक होकर एक जुलूस का नेतृत्व किया और खुद नारा लगाया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या भारत सरकार की सूचना में यह बात आई है और भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? ऐसा लगता है नागालैंड, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर में जो घटनायें हो रही हैं उनमें सरकारी दल जो है उसके राजनैतिक तौर-तरीकों के कारण वहां ऐसी राजनैतिक परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे वहां आतंकवादियों को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार के गठन से इनको संतोष न होकर नागालैंड में दल-बदल की प्रक्रिया के तहत इन्होंने वहां की जनभावना पर कुठाराघात किया है। कुछ वर्ष पहले कश्मीर, पंजाब में भी यही किया था। दलगत राजनीति को लेकर ये लम्बी-लम्बी बात करते

हैं कि राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय एकता के लिए सब लोग एकजुट हो जायें और देश की सुरक्षा करनी चाहिए। क्या राजनैतिक आधार पर सरकार कोई आंतरिक पहल करने की चेष्टा करेगी ?

भारत सरकार ने पाकिस्तान और बंगलादेश से इस संबंध में क्या किया, क्या कोई विरोध प्रकट किया है, अगर किया है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है। जो जवाब आया है उससे भारत सरकार संतुष्ट है क्या, हम देश के हित में राष्ट्र के हित में यह जानना चाहेंगे कि भारत सरकार की इस संबध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम् सवाल है जो हरि किशोर सिंह जी ने उठाया है। जब बामुजो सरकार थी उसके बाद आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया और अब यह दिल्ली की सरकार की सीधी जिम्मेदारी है चह्वाण साहब बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बामुजो सरकार जब थी तो आतंकवाद पर काबू पाने के लिए उसने एक प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। बाद में भारत सरकार के टेकओवर करने पर बामुजो सरकार का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है उस पर क्या कार्यवाही हुई, अगर नहीं हुई तो इसीलिए ये चीजें हुई हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, इस बारे में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि वहां की सरकार को बर्खास्त करके आज 4-4-1/2 महीने हो रहे हैं, छः महीने में आपको वहां चुनाव कराने हैं। क्या आप वहां पर समय पर चुनाव कराने जायेंगे या परिस्थिति को इस तरह से बिगाड़ कर उसको कश्मीर या पंजाब की तरफ पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसके बारे में माननीय गृह मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। आपको इस बारे में फैसला आजकल या परसों में लेना है, हफ्ते दो हफ्ते में वहां पर आपको चुनाव घोषित करना है। मेरे पास जो जानकारी है, इसके अनुसार आप वहां पर चुनाव न कराते हुए छः महीने के लिए और समय मारने का काम करने जा रहे हैं। उसके जो नतीजे होंगे, वह इतने भयावह होंगे कि फिर आगे सरकार यह न कहे कि हम लोग क्या करें ?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, मैं सदन का और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हमारे राष्ट्र के चरित्र, संस्कृति की तीव्रगति से जो पतन हो रहा है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में कुछ दिन पहले जवाहर रोजगार योजना पर प्रश्नकाल में चर्चा हुई थी, सदन के सभी सदस्यों ने कहा कि इस योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ये बहुत दुख का विषय है। परन्तु मेरी चिन्ता इससे भी अधिक इस बात पर है कि इस योजना से हमारे ग्रामीण लोगों के चरित्र का इतना पतन हो रहा है कि अगर इसको तुरन्त न रोका गया तो देश का भविष्य अंधकार में चला जायेगा। हमारा देश गांवों में बसता है, आज स्थिति यह है कि ग्राम प्रधान के चुनाव में लाखों रुपया खर्च किया जाता है और शराब खुलेआम चलती है। प्रधान चुनाव जीतकर जवाहर रोजगार योजना से पैसा बनाना प्रधानों का एक मात्र प्रमुख उद्देश्य हो गया है। इस प्रकार गांव की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र तेजी से खत्म हो रहा है यह हमारे लिए सबसे अधिक चिन्ता का विषय है, क्योंकि साथ ही इस देश के लाखों गांवों से ही हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं चरित्र बना है और बनेगा।

अतः मेरी प्रधान मंत्री से सबल निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र ऐसी व्यवस्था बनायी जाये कि भ्रष्टाचार का कैंसर जो जवाहर रोजगार योजना में फैल रहा है, इस पर तुरन्त और प्रभावकारी

रोक लगे । इन कामों का सक्षम मॉनीटरिंग इंस्पेक्शन और भ्रष्ट लोगों को कड़ा दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण (कराड़) अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ ने 11 अगस्त को 'विरोध बन्द' का आव्हान किया है । इससे मोटर स्प्रिट, डीजल और लूब्रीकैंट्स बेचने वाले लगभग 14,000 पेट्रोलियम बिक्री-केन्द्र बन्द होंगे । इससे लोगों को न केवल भारी कठिनाई होगी, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्रीमन, पेट्रोलियम व्यापारी यथार्थपरक और लाभप्रद कमीशन की मांग करते रहे हैं जोकि 1961 में लगभग 8 प्रतिशत से कम होते-होते आज लगभग एक प्रतिशत रह गया है। हम सभी को मालूम है कि मुद्रास्फीति से ऊपरी लागत अधिक हो गई है और पैसे की कीमत भी कम हो गई है । ब्याज की दरें बढ़ गई हैं । इस व्यापार को चलाना पूर्ण रूप से अलाभप्रद हो गया है और इसके फलस्वरूप खराब सेवा मिलती है । और अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि छोटे व्यापारी इस व्यवसाय में बने रहने के लिए मिलावट करने और ठगने के लिए प्रवृत्त होते हैं ।

हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष 2 सितम्बर, 1991 को हड़ताल का आह्वान किया गया था । मेरे विचार से पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव को व्यापारियों से हड़ताल न करने के लिए दूरदर्शन से अनुरोध करना पड़ा । मैं यह भी जानता हूं कि पिछले वर्ष दीवाली से पूर्व ही निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट आश्वासन दिया गया था । अभी तक कुछ नहीं हुआ है ।

तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है और फाइल मंत्रालय में लम्बित पड़ी है । इसने मूल्य-आधारित सूत्र का सुझाव दिया है । लेकिन निर्णय अभी भी लम्बित है।

महोदय, हम नई आर्थिक नीति पर चल रहे हैं जिसमें हम कम मूल्य रखने पर जोर दे रहे हैं तथा यहां तक कि शुल्क कमीशन लागू करने की भी सोच रहे हैं । लेकिन लम्बे समय से चल रही इस समस्या के प्रति सतत उदासीनता ने व्यापारियों को टकराव का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है । ये गलत संकेत संप्रेषित किए जा रहे हैं कि जब तक आप टकराव का रास्ता नहीं अपनाएंगे, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी ।

मैं पेट्रोलियम मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सभा को स्पष्ट आश्वासन दें कि वह इस मामले पर अविलंब रूप से निर्णय करेंगे ताकि प्रस्तावित हड़ताल टाली जा सके ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी है तथा पहले मैं दक्षिणी अफ्रीका के पराक्रमी व्यक्तियों को बधाई देना चाहता हूं जोकि रंगभेद के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं । इस तथ्य के बावजूद कि दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबंध वापिस ले लिए गए हैं, स्थिति जटिल बनी हुई दिखती है । मैं चाहता हूं कि यह सभा दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध अपनी साहसिक लड़ाई में श्री मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को हमारी प्रशंसा और समर्थन संप्रेषित करें ।

दूसरी बात, जिसकी तरफ मैं इस सभा का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि अमरीका विश्व भर में जो दबदबा पैदा कर रहा है उस खतरे के साथ ही साथ अभी हाल ही में

उसने इराक की आजादी को खतरा पैदा करने के लिए कुवैत के साथ एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। पिछले युद्ध के दौरान, उनके मुंह खून लग गया था और अब वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह अपनी सम्प्रभुता से हाथ धो बैठे। इराक अमरीकी थल सेना और नौसैनिक बलों की चुनौती से पंगु बन गया है।

12.11 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं चाहता हूं कि ऐसे मामले पर, जिसमें विश्व में कोई गुट-निरपेक्ष देश विश्व की एकमात्र महाशक्ति द्वारा डराया-धमकाया जाता है, विदेश मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार को इराक के विरुद्ध अमरीकी नौसैनिक कार्यवाही की आलोचना करने वाला वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यदि किसी विषय विशेष पर प्रत्येक सदस्य बोलने लगे, तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। अन्य विषय भी हैं जिनके संबंध में दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। हमें कतिपय मानदण्डों का पालन करना होगा। मैं अब श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को आमंत्रित करता हूं।

···(**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक रूप से पिछड़े बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्र में अवस्थित फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का सिकन्दरी का खाद कारखाना, जिसमें करीब 4,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता बन्द कर दिए जाने के कारण बन्दी के कगार पर है। कार्यशील पूंजी के अभाव में कच्चे माल, रसायन एवं अन्य सामग्री के आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठानों का भारी बकाया भुगतान न होने की दशा में कच्चे माल एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति बाधित होती रहती है। फलस्वरूप बार-बार उत्पादन पर असर पड़ता है।

गत सितम्बर, 1991 से सरकार ने कैप्टिव पॉवर प्लांट सहित अन्य प्लांटों की सभी पुनर्गठन योजनाएं (रीवैंपिंग स्कीम) स्थगित कर दी हैं जिसके चलते अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनिया और यूरिया के उत्पादन पर व्यापक असर पड़ा है। खासकर चालीस वर्ष पुराने कैप्टिव पॉवर प्लांट के चलते प्लांटों की विद्युत आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है जिसके चलते उत्पादन के साथ-साथ कई संवेदनशील उपकरणों पर बुरा असर पड़ा है। इस परिस्थिति से उबरने के लिए आवश्यक है कि सभी पुनर्गठन योजनाओं को अविलंब चालू किया जाए। सिंदरी खाद कारखाने को चालू रखने के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी का प्रबंध किया जाए और वहां नया कैप्टिव पॉवर प्लांट लगाने की प्रस्तावित योजना को स्वीकृत किया जाए।

आदिवासी बहुल झारखंड क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यह प्रशासनिक दृष्टि से भी अनिवार्य है कि सिंदरी के पुनरुद्धार के लिए तमाम अल्पकालिक उपायों पर अमल किया जाए और दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए वहां नया खाद कारखाना लगाने की अवधारणा अभी से ही ग्रहण की जाए। ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के नामों के अनुसार बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य 10 बजे से पूर्व संसद में आते हैं। वे सूचनाएं देते हैं और उनकी क्रमानुसार सूची बनती है। यदि प्रत्येक सदस्य एक मिनट का समय ले, तो मेरे विचार से अधिक सदस्य अपनी शिकायतें रख सकते हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सूची के नामों के अनुसार बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैंने सूचना 10 बजे से पूर्व ही दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमन् अहमद जी, यदि आपने अपना नाम दस बजे से पूर्व ही दे दिया है, तो निश्चित रूप से आपका नाम सूची में होगा। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य एक मिनट का समय लें, तो मेरे विचार से अधिक सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। यदि कतिपय सदस्य तीन से पांच मिनट तक बोलते हैं, तो देवेन्द्र प्रसाद जैसे सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा और वे अपनी शिकायतों को कक्ष से बाहर दीर्घा में अभिव्यक्त करेंगे···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका नाम सूची में है, तो आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल नहीं रहा हूं बल्कि आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आपकी सहायता के लिये एक बात कहना चाहता हूं। मैं जीरो-आवर में नहीं बोल रहा हूं लेकिन जीरो-आवर में हम अनलिस्टिड बिजिनेस डिस्कस करते हैं, उन अनलिस्टिड बिजिनेस में अनलिस्टिड मैम्बर्स को भी बोलने का मौका आपको देना चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है। धन्यवाद। श्री शोभनाद्रीश्वर राव, आपको समय-सीमा के बारे में जानकारी है। आपको अधिक मित्रों को अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : श्रीमन्, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अभी हाल ही में विजयवाड़ा और सिकन्द्राबाद के बीच और विजयवाड़ा-मद्रास शहर के बीच अन्तर शहरी रेल सेवा के रूप में शुरू की गई क्रमश: सतवाहन एक्सप्रेस तथा पिनाकिनी एक्सप्रेस में जो किराया लिया जा रहा है, उसमें हो रही विसंगति के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि यद्यपि रेलवे ने इनमें प्रथम श्रेणी की बोगी जोड़ी नहीं है, वे वातानुकूलित कार डिब्बों में यात्रा करने के लिए

यात्रियों से प्रथम श्रेणी का किराया ले रहे हैं। उदाहरणार्थ, विजयवाड़ा और सिकन्द्राबाद का वातानुकूलित चेयर कार का किराया 150 रु० है, जबकि प्रथम श्रेणी का किराया 249 रु० है। रेलवे वातानुकूलित चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों से 150 रु० की बजाय 249 रु० ले रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से इस विसंगति की तरफ ध्यान देने और इसे दूर करने तथा एक्सप्रेस रेलों में लिया जाने वाला वातानुकूलित चेयर कार का किराया ही लेने का आग्रह करता हूं। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : शोभनाद्रीश्वर राव महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें। बहुत से माननीय सदस्यों को पिछले आठ दिनों से बोलने का अवसर नहीं मिला है, यद्यपि वे कार्यालय में 10 बजे आए थे। आप जैसे वरिष्ठ सदस्यों को अन्य सदस्यों को अवसर देना चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं अंतिम वाक्य बोल रहा हूं। इस समय तक तो यह पूरा भी हो जाता।

श्रीमन्, मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में गोदावरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। विजयवाड़ा से ओंगल और विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम के बीच रेलों के पटरियों से उतरने की घटनाएं और अन्य दुर्घटनाएं हो रही हैं। अतः, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी को रेल-पथों को ठीक से बचाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं ताकि पटरियों से इस तरह से गाड़ियां न उतरें।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारे एक बहुत वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं—श्री भगवत दयाल शर्मा—कल दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। उनके लड़के के साथ मारपीट की गयी, उनके हाथ की घड़ी छुड़ा ली गयी, चेन छीन ली गयी और उनके पास से कैश ले लिया गया।

श्री भगवत दयाल शर्मा इस देश के एक वरिष्ठतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज हैं और जब हमारा देश, तीन दिन बाद, "भारत छोड़ो आन्दोलन" की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, ऐसे समय पर दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, माननीय भगवत दयाल शर्मा जी के साथ, हम न केवल उसकी भर्त्सना करते हैं बल्कि माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी, जो पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना ढंग से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त बर्ताव किया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उनसे जो चेन और घड़ी आदि छीनी गयी हैं, उसके लिये दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस घटना के सम्बन्ध में सदन में बयान दें और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : उपाध्यक्ष जी, श्री दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उम्मीद करता था कि कोई न कोई मंत्री उसकी ओर ध्यान देगा। पं० भगवत दयाल शर्मा, राज्यपाल रहे हैं, मुख्य मंत्री रहे है, स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं और उनके और उनके पुत्र के

साथ जैसा दुर्व्यवहार हुआ और उन्होंने मुझे टेलीफोन पर सूचना दी थी, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रहें और दिल्ली में होती रहें, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके ऊपर अगर तुरन्त एक्शन नहीं लिया जाएगा और निराकरण नहीं किया जाएगा, तो फिर यहां पर लोग समझेंगे कि मनमानीपन जैसा भी है चल सकता है और इसीलिए मैं फिर से ध्यान दिलाता हूं सरकार का और संसदीय कार्य मंत्री का कि वे तुरन्त गृह मंत्री को बताकर इस बारे में उचित कार्रवाई करवाएं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : अध्यक्ष महोदय, जो भी हुआ है, यह बहुत बुरा है अगर हुआ है। जैसा अपोजीशन के लीडर ने फरमाया है, हम गृह मंत्री को बताएंगे इसके बारे में जानकारी दें।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मंत्री महोदय को इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)** यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है, जिसमें इस देश के एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। उनके साथ थाने में डांट-डपट और गाली-गलौच किया जा रहा है। इसे सहन नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कुछ किया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि सरकार द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, सदस्य चाहते हैं कि आपको वक्तव्य देना चाहिए। क्या आप वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं? **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, मैंने कहा है कि मैं गृह मंत्री के ध्यान में इस बात को लाऊंगा और समुचित कार्यवाही करूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढा जी, आप अपनी बात जारी रखें। आपको एक आदर्श वक्ता बनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं निवेदन कर रहा था श्रीमान् कि 8 करोड़ राजस्थानी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसका बहुत अच्छा साहित्य है, जिसका व्याकरण है, जिसके बड़े-बड़े कवि, साहित्यकार हुए हैं। कन्हैया लाल सेतिया और चन्द्रवरदायी जैसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने भक्तिराज रासो जैसे बहुत बड़े साहित्य की रचना की, उस भाषा को अब तक हमारे संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। अब इस समय और कुछ समय के बाद में मणिपुरी भाषा और नैपाली भाषा को मान्यता देने के लिए एक बिल आने वाला है। मेरा निवेदन है कि उसके साथ राजस्थानी भाषा को शामिल कर लिया जाए और राजस्थानी इसके लिए बहुत बड़ा आन्दोलन राजस्थान में

कर रहे हैं। हालत इतनी विकट है कि जालौर में श्री मोहन लाल जी ने यहां तक कहा है कि वे आत्मदाह कर लेंगे और राजस्थान बन्द होगा और इसकी प्रचण्ड प्रक्रिया होगी। अतः मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री इसको संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लें।

राजस्थान सरकार ने इसके लिए पत्र लिखा है। मैं आज ही मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत से मिल कर आया हूं। मंत्रिमण्डल ने इसके बारे में प्रस्ताव पास किया है। इसलिए आपकी दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। हिन्दी साहित्य अकादमी ने इसके लिए रिकगनीशन दी है और इसकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो ट्विन क्राइटीरिया थे, वे दोनों क्राइटीरिया यह राजस्थानी भाषा फुलफिल करती है। इसलिए इसको मान्यता दी जाए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए इस समय बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, इसके सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय मैं इस सदन में उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ने का 330 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है और उसके लिए हमारी केन्द्र सरकार दोषी है क्योंकि 35 प्रतिशत चीनी फ्री सेल की होती है और 65 प्रतिशत चीनी लेवी की होती है, लेवी की शुगर को अभी तक रिलीज नहीं कराया है जिसके कारण केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को भुगतान नहीं किया है। इसके लिए मान्यवर केन्द्र सरकार दोषी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है जबकि उत्तर प्रदेश के कोआपरेटिव एक्ट के अन्दर यह दिया गया है कि हरेक गन्ना किसान को उसके गन्ने का भुगतान 15 दिन के अन्दर कर दिया जाएगा और अगर 15 दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है, तो मय सूद के, उसको भुगतान किया जाएगा।

मान्यवर, आज चार-चार और पांच-पांच महीने होने जा रहे हैं और 330 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के कारण उत्तर प्रदेश के सारे गन्ना किसान परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और कुछ आवश्यक कदम उठाए ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों की कठिनाई दूर हो सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपने हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सूची के अनुसार आपका नाम पुकारूंगा और निश्चय ही आपके नाम भी आ जाएंगे। मेरा आप सभी से केवल यही अनुरोध है कि आपको समय को देखना चाहिए और दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अवसर दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मुझे यहां पर आपके नाम शामिल करने का अधिकार नहीं है

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, मैं उड़ीसा के संबंध में एक बहुत ही गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पटनायक जी, आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। यदि सदस्य अपनी बात जल्दी खत्म कर दें तो अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल सकता है। आपको अपने मित्रों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान टी०वी० सीरियलों पर ले जाना चाहता हूं। आज जो टी० वी० सीरियल दिखाए जा रहे हैं वे ज्यादातर घटिया हैं। कुछ अच्छे सीरियल भी बने हैं जोकि हिन्दुस्तान के कल्चर पर बनाए गए हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा रामायण, महाभारत, सोर्ड आफ टीपू सुल्तान, और अब चाणक्य चल रहा है। ये बड़े सीरियल हैं जो हिन्दुस्तान की तारीख के ऊपर बनाए गए हैं।

मेरी गुजारिश आपकी तरफ से सरकार के लिए है कि एक सीरियल जो विक्रांत फिल्म्स के जरिए दिया गया है, वह तानसेन के लिए है, जो हिन्दुस्तान के साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। हिन्दुस्तान की संगीत की दुनिया में इतना बड़ा आदमी आज तक नहीं हुआ। इस तरह के सीरियल बनने से हिन्दुस्तान में नेशनल इन्टेंगरेशन और कम्युनल हारमनी में काफी फायदा होगा।

मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस सीरियल को कनसीडर करें। इस प्रस्ताव पर डिफरेंट पोलीटिकल पार्टीज, बी० जे० पी०, जनता दल, सी० पी० आई० आदि के 55 मेम्बर पार्लियामेंट द्वारा रिक्वेस्ट की गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर जिले में भाटीप्रोलू और कोलूर मंडलस में पोथारलंका, पेडालंका, पेसरलंका, किष्किधापालम, अमुथारलंका, गाजूलंका, इत्यादि सहित 16 गांव पीने के पानी की विकट समस्या का सामना कर रहे हैं। ये गांव जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित हैं और प्रति वर्ष पीने के पानी की समस्या का सामना करते हैं और इस वर्ष आंध्र प्रदेश में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण यह स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। उपलब्ध भूमिगत जल बहुत ही कठोर और खारा है और पीने के योग्य नहीं है।

इस स्थिति से निपटने हेतु इन 16 समस्याग्रस्त लंका गांवों के पीने के पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वर्ष 1982 में लगभग 90 लाख की लागत से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित संरक्षित पेय जल योजना बनाई गई है परन्तु इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस कठोर जल को जो मनुष्यों के पीने योग्य नहीं है, पीने से इन गांवों के निवासियों को अनेक चिरकालिक बीमारियां होने की संभावना है।

अतः, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित संरक्षित पेय जल योजना को, जिसका पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है, अनुमान तैयार किए जा चुके हैं और सरकार के समक्ष विचाराधीन है, को स्वीकृत और लागू करके इन 16 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए और इससे लगभग 30,000 जनसंख्या को प्रति वर्ष होने वाली असाध्य बीमारियों से बचाया जाए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए सदन और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे मित्र श्री लोढा ने ऐसे ही एक विषय को

अभी उठाया है । भारत के संविधान के मुताबिक देश की सभी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं मगर 15 भाषाओं का नाम संविधान में स्वीकृत है । आठवीं अनुसूची के बाहर सबसे पहले भाषा जो साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृत हुई वह मैथिली है, जिसका एक हजार बरस का पुराना समृद्ध साहित्य भी है । सात विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर तक और बी० एस० सी० तक पढ़ाई होती है, लेकिन मैथिली अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हुई है । आंदोलन होते रहे हैं । आज हजारों लोग बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं । 30 तारीख से कुछ लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं । 21 तारीख से धरना बोट क्लब पर चल रहा है लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है । मेरा आग्रह है कि मैथिली को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए जो कि बाकी भाषाओं में पहला दावा रखती है । राजस्थानी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृत भाषायें हैं । इस प्रकार ये 6 भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है । मेरा आग्रह है कि उन 6 भाषाओं को, जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृति मिली हुई है, उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए । ऐसा न हो कि कहीं उपद्रव और हिंसा हो जायें और फिर आप उसे शामिल करें । मैथिली वालों का कसूर है कि वे कोई हिंसा नहीं करते हैं । इसलिए मेरा आग्रह है कि सदन के सभी सदस्य इसका समर्थन करें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मानकू राम सोढ़ी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । नहीं । कृपया आप मेरी बात सुनिए । यदि प्रत्येक सदस्य हर एक विषय पर बोलना चाहता है तो इस सूची को बनाने का क्या फायदा है । उनका नाम सबसे पहले है ।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मुझे इसी विषय पर केवल एक मिनट का समय दिया जाए । यह मेरे क्षेत्र से संबंधित मामला है···व्यवधान···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं ।

[हिन्दी]

आप इस पर बाद में बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है और आपने अपने हाथ खड़े किए हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि आप बिहार से हैं और आपकी इसमें दिलचस्पी है ।

एक माननीय सदस्य : वह मिथिला क्षेत्र के हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस स्थिति में तो मुझे सुदर्शनराय चौधरी तथा अन्य सदस्यों सहित सभी को अनुमति देनी होगी। श्री उद्धव बर्मन और अन्य सदस्य राजनैतिक विषय पर बोलने के लिए अपने हाथ उठा रहे हैं जिसके बारे में हमें अत्यधिक दिलचस्पी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अंत में अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस सूची को पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुन्नील सुरेश जी, इस तरफ, उस तरफ का प्रश्न ही नहीं उठता। यह केवल विधेयकों में ही संभव है। इस समय मैं यहां पर सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० देवराजन जी, आप इसके बाद अपनी बात कह सकते हैं। मैं निश्चय ही अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ऐसा प्रिसिडेंट रहा है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसके बाद अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मेरे पास दो नियम नहीं हो सकते, एक आपके लिए और दूसरा वहां के लिए। वे भी अपनी बात करना चाहते हैं। तब मैंने उन्हें बताया कि उनके नाम उस सूची में नहीं हैं। यदि आप इसे विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो मैं अन्त में आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

आप बाद में इस पर बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रिय मित्र, यह अवसर प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। मैं उन्हीं सदस्यों को बुलाऊंगा जिनके नाम सूची में हैं।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोडी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई के अन्तिम सप्ताह में मध्य प्रदेश के बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर तथा कोन्टा व भोपालपटनम क्षेत्रों में भीषण वर्षा के कारण इन्द्रावती नदी में आई बाढ़ से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। इस बाढ़ से गरीबों की सैकड़ों झोंपड़ियां नष्ट हो गयीं, मवेशी बह गयीं तथा फसल को भारी नुकसान हुआ है। जगदलपुर का सम्पर्क इस बाढ़ के कारण शेष भागों से कट गया। रायपुर, कोन्टा, कोरापुर तथा भोपालपटनम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनेक पुल डूब गए। उड़ीसा के भास्कल डेम को बिना चेतावनी दिए खोल देने के कारण बाढ़ ने तेजी से विनाश किया। अतएव तीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर छोटे पुलों को ऊंचा किया जाए। बाढ़पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दी जाय तथा डुबान क्षेत्र के लोगों को स्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर जमीन को पूरा एक्वॉयर करके उनको हमेशा के लिए बसाया जाय ताकि बाढ़ से हमेशा जो गरीबों को, डुबान एरिया के लोगों को जो तकलीफ होती है, पैसा खर्च होता है, सरकार को परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है, उससे बचा जा सके ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरुचेंगोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

तमिलनाडु में द्रुतगति से औद्योगिक विकास करने के लिए लिग्नाइट खानों और उससे सम्बद्ध ताप विद्युत केन्द्रों का तेजी से विकास होना आवश्यक है।

पहली खान के विस्तार की परियोजना और 2500 करोड़ रु० की लागत वाले दो नए ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 210 मेगावाट है, को पी आई बी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। सी० सी० ई० ए० द्वारा अभी अनुमोदन दिया जाता है। इसे शीघ्र स्वीकृति दी जाए ताकि इस परियोजना को चालू किया जा सके। उत्पादित ऊर्जा का आवंटन केवल तमिलनाडु को किया जाना चाहिए क्योंकि पहली खान के सभी विद्यमान स्टेशनों से उत्पादित ऊर्जा अब तक तमिलनाडु को ही आवंटित की गई है और चूंकि तमिलनाडु को अपने कोयले के लिए दूरस्थ बंगाल, बिहार कोयला क्षेत्रों पर निर्भर करना होता है। इसी फार्मूले को लागू करते हुए राजस्थान को इसी परियोजना से 100 प्रतिशत ऊर्जा आवंटित की गई है।

सन् 2000 के अन्त तक लगभग 4500 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खानों और उससे सबद्ध ताप संयत्रों के विकास में काफी समय लगेगा। इन्हीं कारणों से यह राज्य तीसरी खान और उससे संबद्ध 1500 मेगावाट के ताप केन्द्रों की परियोजना को पूरा करने में हो रहे विलम्ब से चिन्तित है। यह परियोजना राज्य के दीर्घावधिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अतः मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को शीघ्र शुरू करें, कम से कम आठवीं योजना में तो आरम्भ करें। तमिलनाडु ने केन्द्र से परियोजना प्रस्तावों की जांच करने का अनुरोध किया है ताकि इसे शीघ्र ही चालू किया जा सके। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही 10 सदस्य बोल चुके हैं। अभी भी कुछ नाम बाकी हैं। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए। अभी तक सूची के सभी नाम नहीं बुलाए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री वी० धनन्जय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं सरकार के साथ-साथ श्री संतोष मोहन देव का ध्यान लक्या बांध को हुई क्षति के कारण कुद्रेमुख शहर की भयावह स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। वहां पर लक्या बांध के उत्प्लव मार्ग से पानी का अनियंत्रित बहाव है। हमें इसका उपचार करना होगा। कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। भू-स्खलन के कारण लक्या बांध के उत्प्लव मार्ग से पानी के अनियंत्रित बहाव से सारा क्षेत्र जल मग्न हो जाता है। इस शहर का राज्य के अन्य भागों और यहां तक कि जिले से भी सम्पर्क टूट जाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी में कार्य कर रहे अधिकांश कर्मचारियों को पहले ही वहां से हटाया जा चुका है। इसके अलावा एक और आशंका यह भी है कि यदि उत्प्लव मार्ग से पानी के बहाव को नियंत्रित नहीं किया जाता तो इससे भाद्रा बांध को भी खतरा पैदा होने की संभावना है।

महोदय, 14 गांवों के निवासियों को चेतावनी दी गई है और उनसे कहा गया है, कि वे ऐसी किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र को खाली करने के लिए तैयार रहें।

मुझे भय है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के खनन कार्य में प्रायः बाधा ही उत्पन्न हुई है और यदि इस तरह से उत्प्लव मार्ग से पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह वहां की भयावह स्थिति के बारे में सदन को जानकारी दें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में खनन कार्य रुक गया है अथवा ऐसी स्थिति में खनन कार्य आगे जारी रखा जा सकता है। माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। उन्हें अवश्य उत्तर देना चाहिए। मैं उनका उत्तर सुनना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहेंगे ?······उन्होंने इसे सुना है।

श्री वी० धनन्जय कुमार : माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से ऐसी आशा नहीं कर सकते कि वे अपनी ओर से उत्तर दें। यह असम्भव है।

(व्यवधान)

श्री वी० धनन्जय कुमार : वह इसकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार हैं। कृपया इसको देखें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे माफ कीजिए। सरकार ने इसे सुन लिया है तथा सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी। आप उसकी चिन्ता क्यों करते हैं ?

(व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे लिए समय का भी अभाव है।

(व्यवधान)

श्री वी० धनन्जय कुमार : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है तथा माननीय मन्त्री इसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि स्थिति बहुत खराब थी। उसमें दो दिन पश्चात रिसाव हुआ था। पानी का बहाव था। हमने सेना की सहायता ली थी तथा आज अधिक सैनिक गए हैं। केवल यहीं नहीं हमने यहां से उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा है। हमने वहां से कुछ लोगों को हटाया है। हां, कुद्रेमुख में भी कार्य को अंशतः रोका गया है। वहां से हटाए जाने वाले ग्रामीणों की भी सहायता कर रहे हैं तथा हम उनका ध्यान रख रहे हैं। आज श्रीमती तारा देवी भी उस स्थल पर गई हैं। मैंने उनके साथ एक अन्य अधिकारी को भेजा है। जो कुछ भी आवश्यक होगा वह राज्य सरकार के सहयोग से किया जायेगा। यदि कुछ और किया जाना है, तो आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब श्री उद्धव बर्मन बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : हां, इसे सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है। (व्यवधान)

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी केन्द्रों में सत्याग्रह पर बैठे हैं तथा विशेष कार्य भत्ते की मांग कर रहे हैं। उनका सत्याग्रह आज समाप्त होना है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 10 अगस्त से आमरण अनशन शुरू करेंगे। विशेषकर उन क्षेत्रों में कर्मचारी, केन्द्र सरकार तथा अन्य, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए विशेष कार्य भत्ते की मांग कर रहे हैं। पहले भी यह मामला उठाया गया था। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इससे पहले 10 तारीख को वे आमरण अनशन प्रारम्भ करें, सरकार को हड़ताली कर्मचारियों के साथ समझौता करना चाहिए।.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक अनुरोध करना है। आपके पास बीस मिनट का समय है। दस से अधिक सदस्यों को बोलना है। इसलिए, कृपया अपने भाषणों को छोटा करें।

श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर जिले के कान्हा में खण्डेलवाल ट्यूब मिल्स ने उत्पादन पूरी तरह बद कर दिया है तथा साथ ही वे फैक्टरी की जमीन को बेचने तथा करोड़ों रुपये कमाने का प्रबन्ध कर रहे हैं। श्रमिकों को आशंका है कि प्रबन्धक एक षड्यंत्र रच रहे हैं। वे सरकार द्वारा नाममात्र के मूल्य पर दी गई जमीन को बेच सकते हैं तथा अचानक फैक्टरी को बन्द कर सकते हैं तथा इस तरह सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी चली जायेगी। श्रमिकों ने मांग की है कि राज्य तथा केन्द्र सरकार को प्रबन्धकों के गैर-कानूनी कार्यों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रधान मंत्री का ध्यान उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी निगरानी रखने वाली संस्थाओं

को बनाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि बारह राज्यों में लोकपाल है। तथापि, दिल्ली में कोई लोकपाल नहीं है। केन्द्र सरकार के अभिकरणों के लिए भी कोई लोकपाल नहीं है। प्रधान मंत्री ने सभा के बाहर कहा है कि वह यह विधेयक लाने पर विचार करेंगे। पहले पांच अवसरों पर 1968, 1971, 1977, 1985 तथा 1989 में—भारत सरकार सभा में अखिल भारतीय स्तर पर लोकपाल विधेयक लाई थी।

लेकिन वे सभी निष्फल सिद्ध हुए। अत: मैं प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के स्तर तथा दिल्ली के लिए लोकपाल संस्था के बारे में उनका क्या विचार है?

और महोदय, संयोग से एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है जो उड़ीसा से संबंधित है। उडीसा लोक पाल संस्था को प्रारम्भ करने वाला प्रथम राज्य था। लेकिन विगत माह में एक अध्यादेश द्वारा, लोकपाल अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है जो पहले कभी नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोकपाल द्वारा तीन मंत्रियों के विरुद्ध जांच की जा रही थी तथा अचानक शायद जनता दल के मित्र इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे—लोकपाल अधिनियम को एक अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है, क्या उन्हें गवर्नर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा इस विषय में प्रधान मंत्री के क्या विचार हैं।

अतः मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस विषय में एक वक्तव्य दें तथा यह मेरी मांग है।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के ध्यान में एक गंभीर महत्वपूर्ण विषय पर लाना चाहता हूं। दिनांक 16 जुलाई, 1992 को दिन के 2.00 बजे विशाखापट्टनम में "इन्टक" के नेतृत्व में गठित संघर्ष समिति द्वारा आयोजित आम सभा में लगभग 400 श्रमिक फैक्ट्री गेट के बाहर टाईम आफिस के सामने एकत्रित हुए। संघर्ष समिति के पहले वक्ता श्री राघवेन्द्र राव ज्यों ही आम सभा को सम्बोधित करने लगे त्यों ही आम सभा में उपस्थित श्रमिकों को अचानक सी० आई० एस० एफ० के जवानों ने जिनके पास लट्ठ और रायफलें थीं, लाठियों की चैन बना कर चारों ओर से घेर लिया और कुछ जवानों ने मंच पर चढ़ कर वक्ता एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं को मंच से नीचे फेंक दिया और सभी श्रमिकों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले को श्रमिक समझ नहीं पाए। लगभग 5-7 मिनट बाद 40 सी० आई० एस० एफ० के अन्य जवान जो ड्यूटी पर नहीं थे, ने भी श्रमिकों की पिटाई शुरू कर दी। यह घटना वहां की पुलिस की मौजूदगी में हुई। पुलिस ने सी० आई० एस० एफ० के जवानों को बिना चेतावनी लाठी चार्ज करने से रोकने का प्रयास भी किया परन्तु उन्हें भी सी० आई० एस० एफ० के जवानों ने मारने की धमकी दी।

संघर्ष समिति द्वारा आयोजित मीटिंग की सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से मैनेजमेंट को कम से कम दो दिन पहले दी जा चुकी थी। इस घटना में 40 श्रमिक घायल और 16 गम्भीर रूप से घायल हुए जिनमें कुछ पत्रकार भी हैं। हिन्दुस्तान जिंक मैनेजमेंट के इशारे पर सी० आई० एस० एफ० द्वारा जिंक स्मेल्टर विशाखापट्टनम के श्रमिकों पर अमानुषिक अत्याचार की जितनी भी निन्दा की जाये उतनी कम है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिन्दुस्तान जिंक मैनेजमेंट से इस अमानुषिक व्यवहार की रिपोर्ट मांगी जाये और जिन सी० आई० एस० एफ० के जवानों ने निर्दोष श्रमिकों पर बिना पूर्व सूचना के लाठी चार्ज किया है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा की जाये।

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान दिल्ली-गाजियाबाद के मध्य स्थित साहिबाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि एक बड़ा जंक्शन है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं इसके दोनों तरफ विशाल औद्योगिक क्षेत्र बसा हुआ है और हजारों लोग प्रतिदिन अपने रोजगार एवं व्यावसायिक कार्यों हेतु रेलवे लाइन क्रास कर आर-पार जाते हैं। लेकिन यहां पर आने जाने के लिए अण्डर ब्रिज की सुविधा नहीं है जिससे कि हर महीने दो-तीन व्यक्ति इस रेलवे क्रासिंग पर कट कर मौत के शिकार हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 8 जुलाई को वहां पर तेजी नाम के एक व्यक्ति की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों ने धरना दिया और पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। 11 जुलाई से स्थानीय लोग वहां पर अनशन पर बैठे हुए थे और 18 जुलाई तक अनशन चला, जो कि अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर किया गया था।

अतः आपसे निवेदन है कि यहां के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार तुरन्त अंडरब्रिज बनाने के आदेश प्रदान करे।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक सवाल उठाने जा रहा हूं, जिसमें सरकार स्वयं अपने द्वारा बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, बंगलौर शहर देश के खूबसूरत शहरों में से एक है, आपके प्रदेश की राजधानी है, जिसकी खूबसूरती पर हम सब लोग गर्व करते हैं। आखिरकार, सरकार का एक संस्थान है आई० टी० डी० सी०, जिसके अन्तर्गत 5 स्टार होटल भी चलते हैं। आई० टी० डी० सी० का अशोका होटल है, जिसके खिलाफ वहां के कारपोरेशन ने चार्ज लगाया है।

[अनुवाद]

अशोका होटल ने वायु तथा जल प्रदूषण अधिनियम का उल्लंघन किया है।

[हिन्दी]

यह अशोका होटल भारत सरकार के सिविल एविएशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत है और इस होटल की बड़े होटलों में गिनती है।

[अनुवाद]

आई० टी० डी० सी० द्वारा चलाए जा रहे इस अशोका होटल ने बंगलौर के वायु तथा जल प्रदूषण अधिनियम का उल्लंघन किया है।

[हिन्दी]

जहां भारत सरकार को देश के सामने एक नजीर पेश करनी चाहिए वहां उसके संस्थान

के खिलाफ वहां के अनवायर्नमेंट मिनिस्टर ने बयान दिया है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस बारे में अपना बयान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वहीं पर कुमारकृपा गैस्ट हाउस है, उसके बगल में अशोका होटल का जो कूड़ा है, जिसको कारपोरेशन के ट्रक द्वारा फिकवाया जाना चाहिए, उसको वहीं पर डम कर दिया जाता है और वह कूड़ा ड्रेनेज लाइनों में जमा होता रहता है। बारिश के दिनों में ड्रेन वाटर के साथ यह कूड़ा कुमार ग्रुप गेस्ट हाउस तथा वहां पर जो बसाहट वाला क्षेत्र है, वहां पर पहुंच जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी देखने वाली चीज है कि कहीं सारे आई० टी डी० सी० के होटल्स में इसी प्रकार की कार्यवाही तो नहीं की जा रही, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता हो, जैसा बंगलौर में यह होटल दोषी पाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भारत सरकार का बहुत-बड़ा दोष बता रहा हूं, जिसमें भारत सरकार गुनहगार है। कम से कम सांसदों के सामने तो सरकार को इस प्रकार की नजीर पेश नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके बारे में बयान दे और जो भी इस प्रकार के होटल्स हैं, सब के बारे में सरकार को इस सदन को विश्वास में लेना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची हैं उनको बोलने का अवसर दिया जायेगा ताकि वे कोई चिन्ता न करें। वे सदस्य जो बोलने चाहते हैं, वे कृपया अपनी बात को संक्षिप्त करें।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : भारत में एड्स की जांच करने के लिए पश्चिमी ब्लाट किट्स भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माध्यम से केवल छः केन्द्रों को प्रदान की जाती है। केरल में ऐसा कोई केन्द्र नहीं है। यदि कोचीन में मेडिकल ट्रस्ट होस्पिटल को पश्चिमी ब्लाट किट्स की आपूर्ति की जाए तो वह यह परीक्षण करने के लिए तैयार है। राज्य में 1989 में एड्स के लिए एच० आई० वी० परीक्षण प्रारम्भ करने वाला यह राज्य में प्रथम हस्पताल है। जांच के विगत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कुछ ई० एल० आई० एस० ए० पाजीटिव मामले मिले जिनको क्रिश्चियन मेडिकल कालेज वेल्लूर भेजा गया था, जो पश्चिमी ब्लाट की पुष्टि के लिए निकटतम क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र है। एक दूरस्थ स्थान होने के कारण, यह पाया गया है कि ऐसे अधिकांश रोगी वैल्लूर स्थित उक्त केन्द्र नहीं गए तथा उनका कोई अता-पता नहीं है।

महोदय, मैं सरकार से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माध्यम से मेडिकल ट्रस्ट हास्पिटल, कोचीन को पश्चिमी ब्लाट किटों की आपूर्ति करने का अनुरोध करता हूं जो सरकार द्वारा निर्धारित यथोचित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है तथा जिसने 1989 से लगभग 17,000 परीक्षण किए हैं। धन्यवाद।

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यधिक लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं :

'दा फोराइट स्माल इन्वैस्टमैंट लिमिटैड', कलकत्ता अल्प बचतों के लिए एक पंजीकृत कंपनी

है; जिसकी समस्त भारत में लगभग 400 शाखाएं हैं। यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 1971 में पंजीकरण संख्या 27915 के साथ पंजीकृत है तथा इसका मुख्यालय 83, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में है। कम्पनी संचालक लोगों में अल्प बचतों को प्रोत्साहित करते हैं। यह वार्षिक रिपोर्ट तथा तुलनपत्र भी प्रकाशित करती है जो पोलिसी-धारकों को यह आश्वासन देती है कि इस तरह एकत्रित धनराशि का सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश किया जायेगा तथा कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक में पूर्ण नियंत्रणाधीन है। इसके अतिरिक्त पॉलिसी धारकों को साधारण बीमा कम्पनी के दुर्घटना बीमा व्यक्ति का भी लाभ होगा। स्वाभाविक है कि लोग आकृष्ट हुए। हजारों लोगों ने पंचवर्षीय पोलिसियां लीं। कम्पनी ने नियमानुसार जिन पॉलिसीधारकों की पॉलिसियां 1987 तक परिपक्व हो जा रही थीं उन्हें उनकी परिपक्व देय राशि लौटा दी थी। जनवरी, 1988 से कम्पनी ने परिपक्व देय राशि का भुगतान रोक दिया। इसके कारण पॉलिसीधारकों में खिन्नता आई।

अतः मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे करोड़ों रुपयों के इस घोटाले की जांच करें तथा परिपक्व राशि का शीघ्र भुगतान करवाएं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा ने सवाल उठाया कि मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि मैथिली कोई भाषा नहीं है, यह बोली है, खास क्षेत्र की बोली है और खास क्षेत्र में खास जाति के लोग बोलते हैं, पूरे बिहार के लोग नहीं बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी क्षेत्रीय भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास हो, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन पूरे देश में मैथिली भाषा बोलने वाले मात्र तीन करोड़ हैं। इससे ज्यादा हमारे देश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या है। यह करीब 15 करोड़ है : अगर मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में डालने की बात हो रही है तो इससे ज्यादा संख्या भोजपुरी भाषा बोलने वालों की है। इसको भी संविधान की अष्टम अनुसूची में डालना चाहिए। साथ ही, मजही, नेपाली और संथाली भाषा को भी संविधान की अष्टम अनुसूची में डालना चाहिए। अगर मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में डाला जाएगा तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और देश खण्ड-खण्ड में टूटेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित कर देना चाहता हूं कि अगर मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में डाला गया तो उससे पहले भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में डालने की जरूरत है। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम सवाल है। आपने बोलने के लिए समय दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं किसी भी क्षेत्रीय भाषा का विरोधी नहीं हूं। हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास हो, लेकिन जो "भाषा" हो उसके आधार पर विकास हो।

उपाध्यक्ष महोदय, जो संथाली भाषा है, मजही, भोजपुरी भाषा है इन भाषाओं को जानने वाले आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा लोग बिहार में हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैथिली भाषा के साथ-साथ अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मजही है, संथाली है, नेपाली है इनको भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष

महोदय, ध्यान यह रखना चाहिए कि जो राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है, वह राजकाज की भाषा है, यह राष्ट्रीय भाषा बनी रहे ताकि क्षेत्र का उत्थान हो, देश का उत्थान हो। राष्ट्रीयता बनी रहे।

[अनुवाद]

1.00 म० प०

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, दूरदर्शन के कार्यकरण की सभी को जानकारी है, कि वह हमेशा पक्षपातपूर्ण, पूर्वाग्रही तथा अपने मार्गनिर्देशों एवं संहिता का उल्लंघन करता है और कारसेवा दिखाता रहा है। 40 से अधिक संसद सदस्यों ने इस पर अपील की। परन्तु दूरदर्शन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की।

अब दूरदर्शन ओलंपिक खेलों को दिखाने के नाम पर विज्ञापन दाताओं को मदद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बाहरी लोगों से अनुबंध भी किया है। यह देखा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों के प्रसारण के दौरान, वे विज्ञापनदाताओं के लाभ हेतु अंग्रेजी समाचारों के समय में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

इस प्रकार की स्थिति में, जब इस प्रकार की अपक्रिया तथा अनियमितता चल रही है, जब धारावाहिकों के चयन में भ्रष्टाचार के आरोप हेतु सी० बी० आई० की जांच भी चल रही है, इस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लगभग असहाय है। अधिकारियों को प्रधानमंत्री के कार्यालय तथा अन्य जगहों पर ले जाया गया है। दैनिक तथा नियमित कार्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

ऐसी परिस्थिति में, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं तथा यह मांग करता हूं कि दूरदर्शन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण को कैसे सुधारा जा सके, इस हेतु सरकार वक्तव्य दे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं श्री रूपचन्द पाल का पूर्णतः समर्थन करती हूं। यह बहुत आवश्यक है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, दिल्ली क्षेत्र के लगभग 500 वायुदूत कर्मचारी शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। प्रबंधन ने इन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। दिल्ली क्षेत्र के कई वायुदूत कर्मचारियों को बिना किसी कारण बताए निलंबित कर दिया है। प्रबंधक संघ के प्रतिनिधियों से नहीं मिल रहे हैं। वायुदूत कर्मचारी संघ ही एकमात्र ऐसा संघ है जिसमें इसके अधिकांश कर्मचारी सदस्य हैं।

ये कर्मचारी शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। परन्तु प्रबंधक चुप्प बैठे हुए हैं। प्रबंध निदेशक प्रतिनिधियों से नहीं मिल रहा है। दिल्ली से चलने वाली सभी वायुदूत उड़ानें शुक्रवार से रद्द की जा चुकी हैं। तब भी प्रबंधन हड़ताल का समाधान ढूंढने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

मैं नागरिक उड्डयन मंत्री से यह मांग करता हूं कि वे हस्तक्षेप करें तथा वायुदूत के प्रबंधकों को यह निर्देश करें कि वे कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर सकें तथा शुक्रवार से जो हड़ताल चल रही है उसका समाधान निकालें।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत बहुद्देशीय स्वर्ण-रेखा परियोजना चाण्डिल, प० सिंहभूम के विस्थापित परिवारों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। सरकारी नियमों एवं निर्देशों का पालन परियोजना के प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है। जैसे—अनेक परिवारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। विस्थापित परिवार के लोगों को नौकरी नहीं दी गयी है। विकास पुस्तिका भी नहीं दी गयी, कुआं, तालाब, मकान, पेड़ आदि के भुगतान में भी काफी गड़बड़ी की गई है। एक ही तरह के मकान का दो तरह से भुगतान किया गया है। एक ही गांव के आधे हिस्सा का भुगतान हुआ है और आधा का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। पुनर्वास की व्यवस्था, शिक्षा, यातायात, पेयजल एवं आवागमन की व्यवस्था, बिजली, सिंचाई आदि कोई भी सुविधा विस्थापित परिवारों को नहीं दी गई है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। इस परियोजना में काफी घोटाला भी किया गया है एवं किया भी जा रहा है। एक मत अभियंता की पत्नी को तृतीय वर्ग में नियुक्त कर उसे बंगला और कार मुहैया किया गया है। इसकी नियुक्ति कैसे हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि एक संसदीय जांच दल परियोजना में भेजकर समस्त बातों की जांच करायी जाए एवं सरकार उस पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे अन्यथा वहां कभी भी उग्र आन्दोलन हो सकता है। पिछले वर्ष भी बहुत से गांव पानी में डूब गए थे और इस बार भी भुगतान नहीं हुआ है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हुई है और इस बार भी गांव डूबने वाले हैं।

श्री भीम सिंह पटेल (रीवा) : आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान ऐसे विषय की ओर खींचना चाहता हूं जिसके बारे में राजतंत्र में सुना होगा, प्रजातंत्र में ऐसी घटना कभी-कभी होती है। 1-6-92 को मध्य प्रदेश में जबलपुर से कटनी, सिहोरा में चमार जाति के उप जाति बरमाया जाति में समाज सुधार के लोगों ने लगभग 584 गांवों के पढ़े-लिखे लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने संकल्प लिया कि ऐसा काम जिससे हम अपमानित होते हैं, जिससे हमारा सामाजिक दर्जा गिरता है और समाज में अपमान होता है हम यह काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जानवरों की लाश नहीं ढोयेंगे और न ही उनकी खाल निकालेंगे। यह सूचना उन्होंने सरपंचों को दी तो उन सरपंचों ने बैठक करके फैसला किया कि अगर ये मरे जानवरों को नहीं उठाएंगे और खाल नहीं निकालेंगे तो उन पर सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। हर गांव के सरपंच ने 500 रुपये प्रतिबंध लगाया जो भी उनकी मदद करेंगे, परिणामतः 7 तारीख को पोरनिया गांव में आक्रमण हुआ, पुलिस गई और एक हफ्ते रही। 11 तारीख को पुलिस हटी तो ठीक 12 तारीख को उस गांव के सरपंच ने आक्रमण कर दिया। औरतों को मारा-पीटा, घरों को जलाया, एक लड़के ने शौच क्रिया कर दी जहां हमेशा करता था नाले के किनारे, उससे टट्टी उठवाई गई वह दस साल का पांचवीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का है। आप समझ सकते हैं कि पढ़े-लिखे समाज के लोगों ने यह मीटिंग की और फैसला किया कि ऐसा काम नहीं करेंगे तो उन पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। सिहोरा, गरखेड़ा आदि 584 गांवों के लोगों पर अत्याचार की सूचनाएं रोज-रोज आ रही हैं। यह विभीषिका न बन जाये, खतरनाक स्थिति बन गई तो जातीय दंगा हो सकता है। इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि आप उधर ध्यान दें और केन्द्रीय गृह मंत्री वहां के गृह मंत्री को सूचित करें कि इस पर कंट्रोल करें और तुरन्त कार्यवाही करके नियंत्रण रखें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी से, अमरीका द्वारा इराक के विरुद्ध नौ सेना के प्रयोग के संबंध में उठाए गए मामले पर पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इराक ने कुवैत पर अपने हक को पुनः दोहराया है। 1 अगस्त को इराक के उपराष्ट्रपति श्री तहयासिन रमादान ने एक भाषण में कुवैत पर अपने हक को पुनः दोहराया है। कल ही यह बताया गया है कि राष्ट्रपति श्री सद्दाम हुसैन ने भी कुवैत पर अपने हक की बात को दोहराया है। जहां तक इस मामले पर भारत का संबंध है, उसको बड़ा भारी दायित्व है। वहां पर लगभग 1 लाख भारतीय निवास करते हैं। उन्हें इस बात की नाराजगी है कि भारत सरकार ने कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है। यदि कुछ हो जाता है तो भारत सरकार क्या स्थिर कदम उठायेगी, जो कि पिछले खाड़ी युद्ध में हमने देखा है? खाड़ी युद्ध के दौरान भारत के लोगों ने जिस प्रकार की असह्य वेदना तथा कठिनाइयों का सामना किया है वह हमें पूरी तरह याद है और इस प्रकार के हक, जैसे कि इराक की प्रेस ने कुवैत पर अपनी जो प्रभुसत्ता जताई है, वह अनुचित है। और इराक द्वारा इस प्रकार हठीलेपन के परिणामस्वरूप कुवैत को अमरीकी सेना का सहारा लेने पर बाध्य किया है ताकि इराक घबरा जाए। अतः, हालांकि इराक के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं तथा हम लोग इराक की प्रभुसत्ता को कायम भी रखेंगे, फिर भी हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए, कुवैत पर इराक का हक जताना अनुचित है तथा भारत और इराक के हित हेतु वह कुवैत की भूभागीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का समर्थन करेगा।

————

1.10 म० प०

[अनुवाद]

प्रतिभूतियों, शेयरों, बंधपत्रों आदि से संबंधित संव्यवहारों में हुई अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों तथा इसके सभी पहलुओं और दुष्प्रभावों की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि दोनों सभाओं के 30 सदस्यों, 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से, की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाए :

(एक) प्रतिभूतियों, शेयरों, बन्ध-पत्रों तथा अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित संव्यवहारों में हुई ऐसी अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों, जो प्रकाश में आए हों या प्रकाश में आएं, तथा इसके सभी पहलुओं और दुष्प्रभावों तथा तत्संबंधी संव्यवहारों में बैंकों, स्टाक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका, की जांच करना।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करना।

(तीन) उपर्युक्त संदर्भ में नियंत्रण तन्त्र तथा पर्यवेक्षी तन्त्र के किसी दुरुपयोग तथा उनकी विफलताओं/कमियों का पता लगाने।

(चार) भविष्य में ऐसी विफलताओं को समाप्त करने तथा उन्हें पुनः न होने देने के लिए सुरक्षापायों और प्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें करना।

(पांच) भविष्य में अनुपालनीय नीतियों तथा विनियमों के बारे में समुचित सिफारिशें करना।

कि लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे :—

(1) श्री मणि शंकर अय्यर
(2) श्रीमती बासवा राजेश्वरी
(3) श्री विजय कुमार राजू भूपतिराजू
(4) श्री पी० सी० चाल्को
(5) श्री निर्मल कांति चटर्जी
(6) श्री कमल चौधरी
(7) श्री मुरली देवरा
(8) श्री जार्ज फर्नाण्डीज
(9) श्री जसवंत सिंह
(10) श्री राम निवास मिर्धा
(11) श्री राम नाईक
(12) श्री पी० जी० नारायणन
(13) डा० देबी प्रसाद पाल
(14) श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही
(15) श्री श्रवण कुमार पटेल
(16) श्री हरिन पाठक
(17) श्री रवि राय
(18) श्री पी० एम० सईद
(19) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन; और
(20) श्री सुनील चन्द्र वर्मा

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेगा।

समिति विधिवत् रूप से गठित हो जाने के दिन से कार्य करना शुरू करेगी।

कि समिति को सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी।

कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अंत तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन दे सकेगी।

कि संसदीय समितियों से संबंधित सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम लागू होंगे।

कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से विभिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

महोदय, यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले क्रम संख्या 5 पर श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम दिया गया था। यह एक गलती थी। अब हमें उनके दल से सही नाम प्राप्त हो गया है जो कि श्री निर्मल कांति चटर्जी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि निम्नलिखित की जांच करने के लिए दोनों सभाओं के 30 सदस्यों, 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से, की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाये :

(एक) प्रतिभूतियों, शेयरों, बन्ध-पत्रों तथा अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित संव्यवहारों में हुई ऐसी अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों, जो प्रकाश में आए हों, या प्रकाश में आएं, तथा इसके सभी पहलुओं और दुष्प्रभावों तथा तत्संबंधी संव्यवहारों में बैंकों, स्टाक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका, की जांच करना।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेवारी नियत करना।

(तीन) उपर्युक्त संदर्भ में नियंत्रण तन्त्र तथा पर्यवेक्षी तन्त्र के किसी दुरुपयोग तथा उनकी विफलताओं/कमियों का पता लगाने।

(चार) भविष्य में ऐसी विफलताओं को समाप्त करने तथा उन्हें पुनः न होने देने के लिए सुरक्षापायों और प्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें करना।

(पांच) भविष्य में अनुपालनीय नीतियों तथा विनियमों के बारे में समुचित सिफारिशें करना।

लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे—

(1) श्री मणि शंकर अय्यर

(2) श्रीमती बासवा राजेश्वरी

(3) श्री विजय कुमार राजू भूपतिराजू

(4) श्री पी०सी० चाक्को

(5) श्री निर्मल कान्ति चटर्जी

(6) श्री कमल चौधरी

(7) श्री मुरली देवरा

(8) श्री जार्ज फर्नान्डीज

(9) श्री जसवन्त सिंह

(10) श्री राम निवास मिर्धा

(11) श्री राम नाईक

(12) श्री पी०जी० नारायणन

(13) डा० देवी प्रसाद पाल

(14) श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही

(15) श्री श्रवण कुमार पटेल

(16) श्री हरिन पाठक

(17) श्री रवि राय

(18) श्री पी०एम० सईद

(19) श्री के०पी० उन्नीकृष्णन; और

(20) श्री सुशील चन्द्र वर्मा

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को इसका सभापति नियुक्त करेगा।

समिति विधिवत् रूप से गठित हो जाने के दिन से कार्य करना शुरू करेगी।

कि समिति को सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा।

कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अन्त तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन दे सकेगी।

कि संसदीय समितियों से संबधित सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम लागू होंगे।

कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से विभिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी ।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अभी-अभी पेश किया गया प्रस्ताव सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक दलों के बीच व्यापक सहमति का परिणाम है और मुझे यह कहना चाहिए कि इसने लोगों में उच्च अपेक्षाएं पैदा की हैं, क्योंकि अब तक सफतापूर्वक समाप्त हुआ अन्वेषण संबंधी सारा कार्य या तो सरकारी अन्वेषण एजेन्सियों द्वारा किया गया है अपना फिर यह कार्य जांच आयोग द्वारा किया गया है जैसा कि मुन्धरा वाली घटना के मामले में हुआ था । जांच आयोगों में से कुछ ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है । अब हम सभी एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जिसने संसद को भी एक परीक्षा में डाल दिया है । क्या एक संसदीय समिति सभी गलत बातों को उजागर करने में सफल हो सकेगी जो इस मामले में घटी हैं और जिनके परिणाम स्वरूप इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसे प्रत्येक व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत का सबसे घिनौना कांड माना है ? इसलिए विचारणीय विषयों में कुछ परिवर्तन किए गए थे । निस्संदेह ही, आमतौर पर विचारणीय विषय में सभी बातें आ जाती हैं । किन्तु मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस संकल्प के बाद में आम की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है :

"कि संसदीय समिति से संबंधित सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम लागू होंगे (जो भी मूल रूप में हैं किन्तु इसमें निरन्तर यह कहा गया है कि) समिति, यदि आवश्यकता पड़ती है, तो कतिपय मामलों में अध्यक्ष की अनुमति से भिन्न प्रक्रिया अपना सकती है ।"

यह बात विशेष रूप से शामिल की गई थी क्योंकि हमारे सामने आम परिपाटी यह थी कि समिति के समक्ष मंत्रियों को नहीं बुलाया जाएगा । नियमों के अंतर्गत इस पर रोक नहीं लगाई गई है किन्तु ऐसी परम्परा है । हमने इस विशेष मामले में, विशिष्ट रूप से उस समय यह सोचा कि जब सरकार भी इस बात की इच्छुक है कि उसके सभी मंत्री खरे हैं और कहीं भी शंका की गुंजाइश ही नहीं है । समिति, यदि यह आवश्यक समझे तो मंत्री को अध्यक्ष की अनुमति से बुला सकती है । यहां ये प्रावधान यह देखने के लिए रखे गए हैं कि यह समिति, जिससे ह' उच्च अपेक्षाएं हैं, सौंपे गए काम को पूरा करने में समक्ष बन सके ।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे वित्तीय समितियां पूर्ण रूप से गैर-दलीय आधार पर कार्य करती हैं, उसी प्रकार यह संयुक्त संसदीय समिति भी गैर-दलीय आधार पर कार्य करेगी । कुल मिलाकर सभा की यह परम्परा रही है कि चाहे यह लोक लेखा समिति है अथवा प्राक्कलन समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति है, वे सामान्य रूप से अपने दल के पूर्वाग्रहों और झुकावों का परित्याग करके गैर-दलीय ढंग से कार्य करते हैं । मुझे विश्वास है, मुझे यह आशा है कि कम-से-कम यह देश इस विशिष्ट संयुक्त संसदीय समिति से अत्यधिक अपेक्षा करता है कि इस समिति के सदस्य जिन्हें इस समिति में कार्य करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, वे

उस परम्परा का निर्वाह करेंगे। वास्तव में वे इससे भी ऊपर होंगे और उसे खोज निकालने में सक्षम होंगे जो इस घृणित कार्य के लिए वास्तव में उत्तरदायी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इस समिति में कुल मिलाकर सभी दलों के प्रतिनिधि हैं जिससे कि इसकी गंभीरता के बारे में कोई भी व्यक्ति प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा है और इसके सभी पहलुओं पर परिणाम दिए जा सकते हैं। जहां तक इस मामले का संबंध है, प्रधान मंत्री महोदय ने स्वयं इस प्रकार की समिति नियुक्त करने की आवश्यकता की बात मानी थी। वित्त मंत्री महोदय के वक्तव्य में भी यही बात कही गई है कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। यह बात मानी जा सकती है कि चोरियां, सांठ-गांठ और निधियों का गलत विनियोजन, सार्वजनिक धन को दूसरे कार्यों में लगाना और ये सब बातें आदि होती रही हैं। इस प्रकार के मामले में मुझे आशा है कि इस क्षण मुझे कोई शंका नहीं है जब तक कि कुछ घटना नहीं हो जाती, यहां अब मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, पर इस कार्य में पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यदि मंत्रियों में से किसी ने समिति को सूचना देनी है अथवा मंत्रियों में से किसी के पास कोई सूचना है तो वह स्वयं ही वह सूचना समिति को दे देना। इसलिए इस समय मुझे यह आशा है कि सभी मंत्रियों की ओर से भरपूर सहयोग दिया जाएगा और समिति को किसी मंत्री को समिति के समक्ष बुलाने के लिए अध्यक्ष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मैं महसूस करता हूं कि देश इस समिति के निष्कर्षों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। यद्यपि समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिसम्बर तक का समय दिया गया है, परन्तु धोखेबाजी का जाल इतना लम्बा बिछा हुआ है कि इसमें समय लगेगा। मैं आशा करता हूं कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर समिति अपना कार्य पूरा कर लेने का प्रयास करेगी।

महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से सभी सदस्यों को अपना सहयोग तथा शुभकामनाएं देता हूं। संसदीय कार्यकरण की यह वैभवशाली परम्परा रही है—जैसा कि आडवाणी जी ने पहले सही ही कहा है—कि समितियां निर्दलीय रूप में कार्य करती हैं। कुल मिलाकर, एक अथवा दो बार ही उल्लंघन हुआ है, जैसाकि मैंने कहा है कि यह उल्लंघन सुखद नहीं रहा है, परन्तु उल्लंघन हुआ है। अतः इस समिति को भी वही उदाहरण और परम्परा बनाए रखना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट देनी चाहिए जिससे न केवल दोषी व्यक्तियों का पता लगाने में सहायता मिलेगी अपितु इससे देश में बेहतर तथा और अधिक सुस्पष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना तथा उनके कुशल कार्यकरण में भी मदद मिलेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, यहां पर व्यक्त किए गए विचारों का मैं समर्थन करता हूं एवं उनकी पुष्टि करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समूचा देश स्वतंत्र भारत में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले को लेकर गंभीर रूप से चिन्तित है। यह अच्छी बात है कि लोग इस समिति में विश्वास करें क्योंकि यह सबसे बड़ी न्याय सभा होगी जिसमें हम सभी प्रतिनिधित्व करेंगे तथा जिसे न केवल गहराई में जाकर छानबीन करने एवं दोषी व्यक्तियों का पता लगाने का पूरा अवसर प्राप्त होगा बल्कि वह कतिपय उपायों का भी सुझाव देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार के किसी घोटाले की पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्यवश इस घोटाले का पता

चलने के बाद हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख को काफी धक्का लगा है। इसका पता चलने के बाद, अनेक लोग अनेक देश और अनेक निवेशक, जो भारत में पूंजी निवेश करना चाहते थे, को यहां के बारे में गंभीर संदेह पैदा हो गया है।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि यदि यह समिति किसी मंत्री से कुछ पूछताछ करना चाहे अथवा—जैसा कि श्री जसवंत सिंह जी कह रहे थे—कोई मंत्री स्वयं इस समिति की सहायता करना चाहे तो समिति को न केवल ऐसा करने का अवसर देना होगा बल्कि समिति को सभी आवश्यक दस्तावेज और पत्र प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। समिति को इस प्रकार की शक्ति भी प्रदान करनी चाहिएं जिससे कि वह तथ्यों की विस्तारपूर्वक जांच कर सके।

मैं आशा करता हूं कि सरकार उन सभी विभागों, मंत्रालयों तथा अन्य संबंधित संगठनों एवं व्यक्तियों को भी यथाशीघ्र समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का अनुदेश जारी करेगी, जिनसे समिति पूछताछ करना चाहेगी। किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना विलम्ब होगा उतना ही लोगों के मन में और अधिक शंका उत्पन्न होगी।

अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार यह भी देखेगी कि उस समिति को सारी सुविधाएं प्राप्त हों और वह भी जल्द से जल्द जिससे कि समिति अपना कार्य प्रभावशाली तरीके से कर सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, अभी जो ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के टर्म्स आफ रफरेंस से सम्बन्धित प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के सामने रखा, हम उसका स्वागत करते हैं। एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी कुछ साल पहले बोफोर्स के मामले की जांच के लिए भी बनी थी लेकिन उसमें टर्म्स आफ रेफरेंस के सवाल पर काफी मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण सम्पूर्ण विपक्ष ने उसमें शिरकत नहीं की थी। लेकिन आज भिन्न परिस्थितियों में, टर्म्स आफ रेफरेंस के सवाल पर, एक हिसाब से व्यापक सहमति हुई है और उसके आधार पर यह तय हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि यह कमेटी जल्द से जल्द अपना काम पूरा करे।

ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी को गठित करने की मांग, इसी सदन में, जब स्कैम पर चर्चा शुरू नहीं हुई थी, स्कैम का सवाल मात्र उठाया गया था तो पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह जी ने और कई माननीय सदस्यों ने, इस जे०पी०सी० के सवाल को उठाया था। जनमत का आदर करते हुए, प्रधान मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को यहां रखा था और उसी के अनुरूप आज यह कमेटी गठित होने जा रही है।

हम यह उम्मीद करते हैं कि इस कमेटी को जो काम सौंपा जाने वाला है, उसे वह जल्द से जल्द निष्पादित करे और इस काम में सरकार का भी पूरा सहयोग मिलना चाहिये और इसमें अनावश्यक किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये। यह सही है कि दोषी का पता लगाने के साथ-साथ आगे इस दिशा में सुधार कैसे हो. इसके लिए भी कमेटी को सुझाव देना चाहिए और हम

समझते हैं कि कमेटी निश्चित रूप से अपने इस कार्य को सफलतापूर्वक निर्वहन करेगी और मैं पुनः जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं चूंकि इस मामले में जैसी आम चर्चा है शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के ऊपर शक की सुई घूम रही है, इसलिए हम यह उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष भाव से कमेटी काम ही नहीं करेगी बल्कि सरकार भी सारे फैक्ट जिनको कमेटी जानना चाहेगी, जिनको जानना मुनासिब समझेगी, उनको कमेटी के समक्ष रखेगी और इसके सम्बन्ध में भी किसी भी प्रक्रिया या दूसरे मसले को उठाकर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा ताकि सच्चाई की गहराई तक यह कमेटी पहुंच सके।

इस देश के खासकर उच्च पदों पर जो भ्रष्टाचार है और उच्च पदों पर भ्रष्टाचार करके आमतौर पर लोग बगैर दण्ड भोगे हुए निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा और यह कमेटी सचमुच ऐतिहासिक निर्णय पर पहुंचेगी और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में और इस प्रकार के घोटालों से मुक्त कराने में एक ऐतिहासिक फैसले पर पहुंचेगी। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सी०पी०आई० की ओर से इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन जिस माहौल में किया गया है और जिस तरह से सभी दलों और सभी पार्टियों की सहमति इसमें की गई है यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और इसलिए इसका नतीजा भी काफी अच्छा होगा। पूरे देश की जनता इस पर काफी आशा भरी नजरों से देख रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार या माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जिस तरह से इस सदन में आश्वासन दिया है सरकार का आचरण उसी के अनुकूल होगा और अगर सरकार ने पूरी तरह से इसमें सहयोग किया, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि देश के अन्दर जो बातें चल रही हैं और जिस तरह से बार-बार बड़े-बड़े लोगों का नाम इससे सम्बद्ध किया जाता है, आम जनता के बीच में यह बात पैदा होती है, लेकिन जिस तरह से सक्षम यह जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, उससे मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम यह कमेटी ठीक ढंग से और सफलतापूर्वक करेगी और अपनी मंजिल पर पहुंचेगी और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने में, इस प्रकार की गड़बड़ियों को देश के अंदर मुकाबला करने में आने वाले दिनों में एक कारगर कदम यह कमेटी उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात राष्ट्र के समक्ष स्पष्ट है। समिति तो एक अथवा 100 भी हो सकती हैं लेकिन अगर वे पैसा वापस प्राप्त करने में असफल रहती हैं, अगर वे दोषियों को सजा दिलाने में असफल रहती हैं तो देश में कोई भी कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं होगी तथा सरकार का कोई भी संवैधानिक कार्यकरण सम्भव नहीं हो सकेगा।

राष्ट्र के समक्ष मुद्दा आगामी चुनाव है, न कि अयोध्या अथवा हरिजनों और गिरिजनों पर किये जाने वाले अत्याचार। राष्ट्र के समक्ष वह मुद्दा नही है।

मान लीजिए, समिति द्वारा वास्तविक तथ्य सामने नहीं लाए जाते हैं तो इस देश में कोई भी नियम नहीं होगा। धनी लोग इस देश में सुरक्षापूर्वक नहीं रह सकेंगे।

पंजाब और कश्मीर में इतनी सेना होने, इतना बड़ा पुलिस बल होने के बावजूद हम वहां अनैतिक प्रशासन होने के कारण स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्ट सरकार पंजाब अथवा कश्मीर अथवा अन्यत्र कहीं भी स्थिति पर कभी भी काबू नहीं पा सकती है। अतः इस समिति के पास इस लोकतंत्र में पहले कार्य कर चुकी किसी भी अन्य समिति की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां हैं। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपना सहयोग देने तथा विरोधी दलों द्वारा भी अपने हितों को अलग रख कर ईमानदारी के साथ कार्य करने और सच्चाई सामने लाने का अनुरोध करता हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस समिति के गठन को लेकर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए इस अवसर को उपयुक्त समझा है, जिसमें तेलगु देशम पार्टी की उपेक्षा की गई है।

हमने स्वयं इस समिति के संवैधानिक गठन की वकालत की है। लेकिन इसमें मैंने पाया कि हमारी तेलगु देशम पार्टी की उपेक्षा की गई है और इसका अवसर विखंडित समूह को दिया गया है। यहां तक कि उन पार्टियों को भी इस समिति में स्थान दिया गया है जिनके पास इस सदन का केवल एक मात्र सदस्य है। इसका कारण सरकार ही भलीभांति जानती है। अतः हम इस समिति की रचना को लेकर अपना तीव्र विरोध प्रकट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विषय पर पुनर्विचार करेगी तथा तेलगु देशम पार्टी को भी अवसर देगी जिससे कि वह समिति के कार्यकरण से स्वयं को सहबद्ध कर सके।

मैं सरकार से विपक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार करने का आह्वान करता हूं कि समिति का सभापति विपक्ष के नेताओं—जो इस समिति के सदस्य हैं— में से कोई एक होना चाहिए।

हमारे पास बोफोर्स मामले की जांच करने के लिए पूर्व में गठित संयुक्त संसदीय समिति का अनुभव भी है। उस समय भी, हमने सुझाव दिया था कि सरकार को लोक लेखा समिति की भांति सभापति का पद विपक्ष को देने की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि पार्टी की सदस्य संख्या पर ध्यान दिए बिना यह सरकार ही है जो कतिपय घटित चीजों के लिए जिम्मेदार रही है। विपक्ष की यह जिम्मेदारी भी है कि वह सरकार द्वारा की जा रही चूकों, उसकी कमियों, त्रुटियों का पता लगाए और उनका सूक्ष्म निरूपण करे। अतः उपयुक्त यही होगा कि, जिस प्रकार लोक लेखा समिति के सभापति का पद विपक्ष को दिया जाता है उसी प्रकार, मैं सरकार से विपक्ष के इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए जोरदार आग्रह करता हूं कि इस समिति का सभापति भी विपक्ष के नेताओं में से किसी एक को—जो इस समिति का सदस्य हो—बनाया जाना चाहिए।

जैसा कि सरकार ने हमारी पार्टी की सच्ची मांग की उपेक्षा की है, हम इसके विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हमारे पास इसका उत्तर है लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जा सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उन लोगों को शामिल किए जाने का क्या तुक बनता है जो अलग हो गए समूह के सदस्य हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस संयुक्त संसदीय समिति के गठन का स्वागत करता हूं। यह इस समिति, जो कि इस गरिमायुक्त सदन का प्रतिनिधित्व करती है, का उत्तरदायित्व है, कि वह न केवल सबसे बड़े घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाये अथवा उसे निर्धारित करे अपितु, इसके साथ-साथ यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वह निकट भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों और विनियमों के संबंध में सिफारिशें भी करे।

मैं नीतियों पर बल देता हूं। वास्तव में यह उन सभी मुद्दों को उठाने का अवसर नहीं है, लेकिन इस तरह के घोटाले के लिए नीति संबंधी निर्णय भी उत्तरदायी है जिसके लिए मैं समझता हूं कि समस्त देश और विश्व हमारी ओर देख रहा है।

समिति की रचना के संबंध में भी मुझे कतिपय आशंकायें हैं। यह सदन का प्रतिनिधित्व करती है, सभी राजनैतिक दल, चाहे उनकी कितनी भी संख्या हो और जो सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। चाहे जो भी हो, मेरा सदन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बल्कि मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। अतः यह समिति पूर्णतः व्यापक होनी चाहिए और इसमें सदन के सभी वर्ग शामिल होने चाहिए, चाहे उनके दल में सदस्यों की कितनी भी संख्या क्यों न हो।

अंत में, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस समिति को पूरा सहयोग देगी और मैं सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यदि समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह टिप्पणी की जाती है कि सरकार ने इसे पूरा सहयोग नहीं दिया है तो सरकार को उसके गंभीर परिणाम झेलने होंगे। अतः मैं सरकार से उसके हित में ही अनुरोध करता हूं कि वह स्वेच्छा से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आगे आये ताकि सरकार स्वयं कठघरे से बाहर आ सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं, इस प्रश्न पर बाद में आऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संयुक्त संसदीय समिति हेतु विचारणीय विषय तैयार करने में विपक्षी दल के नेता और विभिन्न राजनैतिक दलों और समूहों के नेताओं द्वारा दिए गये पूर्ण सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस संबंध में विपक्ष के नेता और विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से पूर्णतः सहमत हूं कि सरकार भी अन्य बैंकों अथवा जो कोई भी इसमें शामिल है, अतिरिक्त इसमें शामिल व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संबंध में सत्य जानने की उतनी ही इच्छुक है। किन्तु इसके साथ-साथ मैं आशा करता हूं कि समिति भी एक स्थायी समाधान ढूंढ निकालेगी ताकि इस प्रकार का घोटाला पुनः कभी न हो।

जहां तक सरकार का संबंध है, मैं इस माननीय सदन को आश्वासन देता हूं कि हम समिति को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे और सरकार इस समिति के सदस्यों को पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करेगी। इस प्रकार जहां तक सरकार की ओर से सहायता का संबंध है, इसमें कोई संदेह

नहीं होना चाहिए। मुझे समिति के सदस्यों पर विश्वास है—जब एक बार वे सदस्य बन जाते हैं, तो वे सदस्य हैं, चाहे वे इस ओर से हों अथवा उस ओर से—वे सभी सुबुद्ध सदस्य हैं। मैं आशा करता हूं कि वे एक स्थायी समाधान खोज निकालेंगे और सरकार के पूर्ण सहयोग से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे।

माननीय सदस्य श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे द्वारा कुछ मुद्दे उठाये गए हैं। मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक सत्तारूढ़ दल का संबंध है, मैंने उससे एक सीट भी अधिक नहीं ली है जितने की मेरी पार्टी पात्र है।

जहां तक वामपंथी दलों का संबंध है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वयं यह सुझाव दिया था कि मेरी पार्टी को अपने दल से एक अतिरिक्त सदस्य लेना चाहिए और मुझे राज्य सभा में उनके लिए एक सीट छोड़नी चाहिए। यह एक आन्तरिक व्यवस्था है जो उनमें से कुछ को ज्ञात नहीं होगी। उनके नेताओं के अनुरोध पर मैंने ऐसा किया है। श्री सोमनाथ चटर्जी यह जानते हैं।

जहां तक छोटे दलों का संबंध है, इनमें तेलगु देशम, डी० एम० के०, टी० डी० पी० विभाजित, जनता दल विभाजित, जे० एम० एम० विभाजित और अन्य हो सकते हैं, मैंने उनके लिए भी दो सीटें रखी थीं। अतः, जे० एम० एम० विभाजित, जनता दल विभाजित और टी० डी० पी० विभाजित ने मुझे एक नाम दिया है, इसलिए मैंने उन्हें सदस्यता दी है। एक नाम के संबंध में, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे यहां नहीं थे। इस पर मैंने कल उनके दल के नेता श्री पद्मनाभम से चर्चा की थी। मेरी उनके साथ कल और परसों दो बार बैठक हुई। यदि वे कल तैयार होते तो मैंने कल ही इसकी घोषणा कर दी होती। मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वे तैयार नहीं थे। मैंने उनमें से चयन के लिए उनके और डी० एम० के० के लिए एक सीट रखी थी। यद्यपि संख्यावार वे इसे प्राप्त नहीं कर सके। चूंकि मैंने एक सीट तीन अन्य दलों को दे दी थी इसलिए मैंने उनके लिए भी राज्य सभा में एक सीट रखी थी। और वह विकल्प उनके लिए अभी भी है।···(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या ये विभाजित दल जिनका आपने उल्लेख किया है, की अपेक्षित संख्या हैं?···(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : हमारी पार्टी आपकी पार्टी के जितनी बड़ी है··· **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्हें अन्य दो दलों का समर्थन प्राप्त है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि दो, तीन दलों ने इकट्ठा होकर एक नाम दिया है।

यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि आपके दल की भी अपेक्षित संख्या नहीं है, यदि श्री राव के नेतृत्व में टी० डी० पी० और डी० एम० के० आपस में ही इस मामले पर विचार करके कोई निर्णय लेती हैं तो मैं उन्हें राज्य सभा में एक सीट दे दूंगा। मैं पिछले दो दिनों से दोनों दलों के नेताओं के साथ परामर्श कर रहा हूं और मैंने एक सीट उनके लिए छोड़ दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि निम्नलिखित की जांच करने के लिए दोनों सभाओं के 30 सदस्यों, 20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से, की एक संयुक्त समिति नियुक्त की जाये—

(एक) प्रतिभूतियों, शेयरों, बन्ध-पत्रों तथा अन्य वित्तीय लिखतों से संबंधित संव्यवहारों में हुई ऐसी अनियमितताओं तथा कपटपूर्ण छल साधनों, जो प्रकाश में आए हों या प्रकाश में आएं, तथा इसके सभी पहलुओं और दुष्प्रभावों तथा तत्संबंधी संव्यवहारों में बैंकों, स्टाक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका, की जांच करना।

(दो) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में व्यक्तियों, संस्थाओं या प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करना।

(तीन) उपर्युक्त संदर्भ में नियंत्रण तंत्र तथा पर्यवेक्षी तंत्र के किसी दुरुपयोग तथा उनकी विफलताओं/कमियों का पता लगाने।

(चार) भविष्य में ऐसी विफलताओं को समाप्त करने तथा उन्हें पुनः न होने देने के लिए सुरक्षापायों और प्रणाली में सुधार हेतु सिफारिशें करना।

(पांच) भविष्य में अनुपालनीय नीतियों तथा विनियमों के बारे में समुचित सिफारिशें करना।

कि लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे—

(1) श्री मणि शंकर अय्यर

(2) श्रीमती बासवा राजेश्वरी

(3) श्री विजय कुमार राजू भूपतिराजू

(4) श्री पी० सी० चाक्को

(5) श्री निर्मल कान्ति चटर्जी

(6) श्री कमल चौधरी

(7) श्री मुरली देवरा

(8) श्री जार्ज फर्नान्डीज

(9) श्री जसवन्त सिंह

(10) श्री राम निवास मिर्धा

(11) श्री राम नाईक

(12) श्री पी० जी० नारायणन

(13) डा० देवी प्रसाद पाल

(14) श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही

(15) श्री श्रवण कुमार पटेल

(16) श्री हरिन पाठक

(17) श्री रवि राय

(18) श्री पी० एम० सईद

(19) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन; और

(20) श्री सुनील चन्द्र वर्मा

कि अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इसका सभापति नियुक्त करेगा।

समिति विधिवत् रूप से गठित हो जाने के दिन से कार्य करना शुरू करेगी।

कि समिति को सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी।

कि संयुक्त समिति संसद के अगले सत्र के अन्त तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन दे सकेगी।

कि संसदीय समितियों से संबंधित सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम लागू होंगे।

कि समिति कतिपय मामलों में आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति से विभिन्न प्रक्रिया अपना सकेगी।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस समिति में सम्मिलित हो और उपर्युक्त के अनुसार समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त सदस्यों नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा 5 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैंने सूचना दी है···(**व्यवधान**)···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या यह आंतरिक लड़ाई है ?

श्री राम नाईक : यह एक सदस्य और कार्य मन्त्रणा समिति के बीच की लड़ाई है।

महोदय, सरकार ने अधिसूचना के द्वारा स्थानीय टेलीफोन काल्स का समय घटाकर पांच मिनट कर दिया। मैंने इस अधिसूचना को नियमों के अनुसार रद्द करने के लिए संशोधन दिया है। मैं चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति को इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ समय नियत करना चाहिए और इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अतः मैं मांग करता हूं कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ समय, कम से कम दो घंटे अलग रखने चाहिए क्योंकि यह पूरे भारत से और जहां कहीं भी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं, जिनका स्थानीय कालों का समय घटाकर पांच कर दिया गया है, संबंधित है। इसका अर्थ है सरकार संसद से मंजूरी प्राप्त किए बिना अधिक वसूली करेगी। महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रस्ताव को कार्य मंत्रणा समिति को वापस भेजा जाए, अथवा कम से कम मुझे आश्वासन दिया जाना चाहिए कि अगले सप्ताह में जब कार्य मंत्रणा समिति चर्चा करेगी, तो कुछ समय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए दिया जाये, जो पूरे भारत के उन टेलीफोन उपभोक्ताओं से संबंधित है, जिनके पास इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंजों के टेलीफोन है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हम इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय द्वारा कल की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से उठाया गया था। अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की थी कि चालू सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है।

श्री राम नाईक : महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा, मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 5 अगस्त, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, बार्सिलोना में जो 25वें ओलम्पिक खेल हो रहे थे, उनमें भारतीय खिलाड़ियों की बुरी तरह पराजय के बाद, माननीय खेल मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक भी भारतीय खिलाड़ी को एक भी पदक नहीं मिला इसलिए इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग, में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस्तीफा देने से बार्सिलोना में मेडल मिलता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, बार्सिलोना में मैडल क्यों नहीं मिला है, इसके लिए डिसकशन कीजिए। पहले जो हाउस में डिसकशन हुआ था, उस समय बताया था कि इस दफा डिपार्टमेंट की ओर से कोई कमी नहीं हुई है। जितनी कोचिंग देने का था, जितना ट्रेनिंग देने का था, जितना फारन एक्सपोजर देने का था, हम लोगों ने दिया। लेकिन···(व्यवधान)···आप बोलने दीजिए, इसके बाद आप पूछिए। ···(व्यवधान)···उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं मौका चाहती हूं। मैं बहुत फ्रैंक और ऑनेस्ट हूं।···(व्यवधान)···हमारे बोलने के बाद आप बोलिए। बार्सिलोना में जो टीम गयी है, और जो कैंडीडेट सिलैक्ट करते हैं, वह नेशनल फैडरेशन्स ओलम्पिक एसोसिएशन है, वे ही करते हैं। हम लोग एसिस्टेंस देते हैं। जितना भी एसिस्टेंस वे चाहते हैं, वह हम लोगों ने डिपार्टमेंट की तरफ से दिया है। मुझे यह कहने में कोई अफसोस नहीं है कि···(व्यवधान)···

श्री छेदी पासवान : जिसको कोई जानकारी नहीं है, उसको आप सिलेक्शन बोर्ड में क्यों रखती हैं।···(व्यवधान)···

कुमारी ममता बनर्जी : आप सुनिए। आपने जो क्वैश्चन रेज किया है, तो उसका जवाब देने का मौका भी देना चाहिए।···(व्यवधान)···जो क्वैश्चन रेज किया है, उसका जवाब भी सुनना चाहिए। स्पोर्ट एच०आर०डी० मिनिस्ट्री में डिसकशन हुआ है। हम तो चाहते हैं कि स्पोर्ट प्रायोरिटी में आए, यह आप लोगों को मालूम है। मलेशिया वन-थाउजेंड स्पोर्ट में खर्च करता है और यूरोपियन कन्ट्रीज में बजट का दस प्रतिशत खर्च होता है, लेकिन हमारे यहां बजट में दस परसेंट कट हुआ है। ऐसी स्थिति में हम कैसे इक्विपमेंट दे सकते हैं। लिम्बा राम कोशिश किया है। किसी भी प्लेयर को डिसहार्टन नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि हॉकी में हमारा प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन लिम्बा राम कोशिश किया है। एक गांव का लड़का होने के नाते···(व्यवधान)···आप खाली चिल्लाता है, आप बोलने का मौका दीजिए।···(व्यवधान)···जब मैडल नहीं मिलता है, तो चिल्लाता है। मैं एक बात कहना चाहती हूं, इस पर डिसकशन कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, स्पोर्ट में हम लोग कोई पोलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। हर एम० पी० को हम हाउस में एक बात और कहना चाहते हैं, कि है कोई ताकत कोई रिजोल्यूशन ला सकता है। कोई पोलिटिकल लीडर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई फैडरेशन का हैड नहीं हो सकता है। मैं इसके लिए तैयार हूं, आप एम० पी० लोगों से पूछ लीजिए, यदि कोई रिजोल्यूशन बनाना चाहते हैं···(व्यवधान)···मेरा दूसरा प्वाइंट है···(व्यवधान)···आप बोलने नहीं देता है, क्यों चिल्लाते हो।···(व्यवधान)···

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : कोई मैडल नहीं मिला है, भारत की जो शर्मनाक हार हुई है, उसकी जिम्मेदारी खेल मिनिस्ट्री पर डालिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं, खेल मिनिस्ट्री पर नहीं है। फैडरेशन का है और इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन का है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं मंत्री महोदय से सभा में वक्तव्य देने के लिए अनुरोध कर सकता हूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं पोजीशन को क्लैरिफाई करना चाहती हूं। एक और बात है ···(व्यवधान)···आप क्यों नहीं सुनते हैं। हमें बोलने दीजिए। मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। ···(व्यवधान)···

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे, वे भावावेश में आकर कोई बात न कहें। चूंकि भावावेश में आकर ऐसी बात कह जायेंगी, जो इनकी ही सरकार के खिलाफ हो जाएगी। हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि बार्सिलोना ओलम्पिक में जो कुछ हुआ है, हमारी जो शर्मनाक पराजय हुई है, खेल के संबंध में एक फुल स्टेटमेंट दे दें, तो वह बेहतर रहेगा। समय लेकर फुल स्टेटमेंट देना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं तैयार हूं।···(व्यवधान)···जब आपने क्रिटिसाइज किया है, तो आपको सुनना चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : जिस प्रकार भारत की शर्मनाक हार हुई है, उसका पूरा वक्तव्य सदन में देना चाहिए।···(व्यवधान)···

कुमारी ममता बनर्जी : जो मिशन हमारा गया है, मिशन के आने के बाद हम जरूर स्टेटमेंट देगा। अगर हाउस डिसीजन ले, तो एक और बात है। आई ओ ए को और फैडरेशन को हम लोग तैयार करेंगे। अगर हाउस चाहता है तो चार वर्ष के लिए हम कोई टीम नहीं भेजेंगे। (व्यवधान) उसको हम शांति से कांसनट्रेट करेंगे। (व्यवधान) लेकिन डिसकशन करना पड़ेगा और हाउस को कांफीडेंस मे लेकर, सबका ओपिनियन एक साथ में होना चाहिए। सर, नहीं तो सलेक्शन में क्या होता है, हम लोग बोलता है और जब सलेक्शन होता है तो आप लोग ज्यादा परस्यु करते हैं इसको लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए, यह भी नहीं होना चाहिए। खेल-कूद को अगर आगे जाना है तो पोलिटिक्स को बन्द करिए। (व्यवधान) आप लोगों को एक साथ में काम करना है यह भी जरूरी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.50 म० प० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.50 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.50 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

——————

[अनुवाद]

2.55 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.55 म० प० पर पुनः समवेत हुई
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1991-92 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : महोदय, श्रीमती शीला कौल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2432/92]

(2) (एक) भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2433/92]

वर्ष 1992-93 आदि के लिए इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के बीच समझौते का ज्ञापन

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बालमेरलॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2434/92]

(2) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2435/92]

(3) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2436/92]

(4) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2437/92]

(5) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2438/92]

(6) बोंगाई रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2439/92]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) दिल्ली (दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ) नियन्त्रण आदेश, 1992, जो 23 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 540 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) मध्य प्रदेश (दुग्ध और दुग्ध पदार्थ) नियन्त्रण संशोधन आदेश, 1992, जो 23 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 541 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) का० आ० 542 (अ), 23 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के अंतर्गत पंजीकरण तथा पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए शुल्क अदायगी की रीति विनिर्दिष्ट की गई है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2440/92]

(2) भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1992 जो 24 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 119 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (शुल्क और भत्ते) विनियम, 1992 जो 1 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 394 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 2441/92]

कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लि०, बंगलौर की वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2442/92]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1992 जो 20 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 534 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2443/92]

नियम 377 के अधीन मामले

2.57 म०प०

(एक) मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी पुष्पा देवी सिंह (रायगढ़) : रायगढ़ मध्य प्रदेश का औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है । इसका पिछड़ापन जारी रहने का कारण वहां उद्योगों का अभाव है । इस आदिवासी बहुल जिले में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है ।

उस जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए विशाल संभावनाएं हैं क्योंकि वहां खनिज कोयला तथा वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में है। इसके अतिरिक्त वहां पल्प-यूनिट (गूदा निकर्षण एकक), कृषि-आधारित एककों तथा शाल के बीजों के लिए निष्कर्षण संयंत्र भी स्थापित करने के व्यापक अवसर हैं। कच्चा-माल, जल, श्रमिक और भूमि जैसी मूलभूत सुविधाएं उद्योगों की स्थापना के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

अगर इन उद्योगों की स्थापना की जाती है तो इससे राज्य की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में काफी मदद मिलेगी तथा स्थानीय बेरोजगार लोगों को वहीं के औद्योगिक एककों में उपयुक्त रोजगार भी मिल जाएगा। इस प्रकार, इन लोगों की आर्थिक हालत में भी सुधार होगा।

अतः, मैं अनुरोध करती हूं कि रायगढ़ जिले में औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु कदम उठाए जाएं।

(दो) महाराष्ट्र में सोनेगांव हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, नागपुर सोनेगांव हवाई-अड्डे के नाम से जाना जाता है, इसे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग अनेक वर्षों से चली आ रही है जिसे हर बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि यहां पैसेंजर ट्रैफिक पर्याप्त नहीं है या आर्थिक दृष्टि से घाटे का है।

हर बार, जब भी नागपुर और विदर्भ में कुछ विकास करने की मांग आयी तो उसे बहाने बनाकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। जबकि भाषावार प्रान्त रचना के वक्त "नागपुर करार" के अन्तर्गत विदर्भ और नागपुर का महत्व हर दृष्टि से कायम रखने का वायदा राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया था, जिसे धीरे-धीरे भुलाया जाता रहा है।

नागपुर एक जमाने में मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, जिसका आजादी की लड़ाई में भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। भारत के मध्य में होने से सुरक्षा की दृष्टि से एक पर्याप्त रूपी स्थान है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी उपेक्षा हो रही है। आज एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट बुटीबोरी नागपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बन रही है जहां बड़े-बड़े उद्योग लगने जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

इसको ध्यान में रखकर सोनेगांव हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय कारगो हवाई अड्डा बनाने की मांग उपयुक्त होगी। अगर यहां अन्तरराष्ट्रीय कारगो हवाई अड्डा बनता है तो बाम्बे, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहरों की भीड़ कम होगी और नागपुर भारत के मध्य में होने से व्यापार सुलभ होगा तथा परिवहन खर्च में भी कमी आएगी। ये आर्थिक दृष्टि से फायदे की भी है। सोनेगांव एयरपोर्ट पर एयरफोर्स कमाण्ड का मुख्यालय है और आधुनिक तकनीकी से पर्याप्त अन्तरराष्ट्रीय दर्जे के साधन उपलब्ध हैं जो एक वक्त में 20 से 30 विमानों का संचालन और निर्देशन कर सकते हैं। इन्टरनेशनल कारगो एयरपोर्ट बनाने के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है।

सरकार की नीति सभी क्षेत्रों का समन्वित विकास करने की है तथा क्षेत्रीय भेदभाव को टालने की दृष्टि से यह मांग न्यायोचित है। इस दृष्टि से सोनेगांव नागपुर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मान्यता देकर विकास किया जाए।

(तीन) केरल के इडुक्की जिले के लिए समेकित विकास कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की): महोदय, केरल का पहाड़ी पिछला जिला इडुक्की भयावह समस्याओं और कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। भयंकर सूखा और विनाशकारी बाढ़ तथा विध्वंशकारी भूस्खलन और झंझावात खेती को पूर्णरूपेण नष्ट कर डालते हैं। किसानों की गरीबी तो आम बात बन गई है।

उनकी काली मिर्च की लताएं उन्हें शीघ्र मुरझा देने वाली जैसी बीमारी से ग्रस्त होकर बुरी तरह प्रभावित हैं। काली मिर्च की कीमत इतनी अलाभकारी है कि इससे बढ़ी हुई उत्पादन लागत भी नहीं निकल पाती है। नारियल, काफी, इलायची, अदरख इत्यादि की स्थिति भी निराशाजनक है। गर्मी के दौरान पानी का अभाव एक दूसरी दुर्दम्य चुनौती है। पर्यटन को इस जिले में पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है, जिसके यहां इस सम्बन्ध में उच्चतम सम्भाव्यता तथा सामर्थ्य है। केन्द्र और राज्य सरकारों को इस पिछड़े जिले के संपूर्ण विकास हेतु सम्मिलित समेकित कार्यक्रम बनाने चाहिए तथा युद्ध स्तर पर इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू करना चाहिए।

(चार) उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

3.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर और झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के डाक विभाग की जो नीति है, उसके अनुसार डाकघर दोनों जनपदों में शुरू नहीं किए जा सकते हैं और जिन नए डाकघरों को पिछले वर्ष कार्य करना शुरू कर देना चाहिए था वे अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि नए डाकघर खोलने की जो सरकार की नीति है और देश के ग्रामों में जिस मानदण्ड पर खोले जा रहे हैं उसी प्रकार उसी नीति और मानदण्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए डाकघर स्थापित किए जाएं तथा इस बात की जांच कराई जाए कि जो गत वर्ष नए डाकघर स्थापित हो जाने चाहिए थे, वे स्थापित हुए हैं या नहीं। यदि नहीं हो पाए तो उनको तुरन्त स्थापित किया जाए।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मानदण्ड के अनुसार झांसी ललितपुर जनपद के गांवों में नये डाकघर एक वर्ष के भीतर स्थापित करें तथा उनकी सूची तुरन्त प्रकाशित की जाए।

(पांच) केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : महोदय, जैसा कि हाल ही के समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट से स्पष्ट है, समूचे देश तथा विदेशों में भी फैले 771 केन्द्रीय विद्यालयों के 35,000 शिक्षकों ने 14 जुलाई, 1992 से अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संगठन के तत्वावधान में चरणबद्ध आन्दोलन शुरू करने का निर्णय लिया है जिसकी मांग उनके 11 सूत्री मांग-पत्र के मानना तथा 1991-92 से संबंधित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मामलों की उच्च स्तरीय जांच करवाना है।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के साथ शीघ्र ही बातचीत कर उन्हें आश्वस्त करें तथा मामले को निपटाएं।

(छः) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जनपदों के मुख्यालयों में रेशम डिपो खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम बदन (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल में प्रमुख रूप से आजमगढ़ जनपद एवं मऊ जनपद में बनारसी रेशमी साड़ियों की बुनाई हैंडलूम पर कुशल श्रमिकों द्वारा बड़े पैमाने पर होती है। जनपद आजमगढ़ एवं मऊ मुख्यालयों पर कोई भी रेशम का डिपो नहीं है, जिसकी खरीद-फरोख्त के लिए बुनकरों को अपने गृह जनपदों से काफी दूर जाना पड़ता है। वाराणसी, कलकत्ता तथा कई दूर-दराज स्थानों से बुनकरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बाहरी स्थानों से रेशम लाने में बुनकरों को कई प्रकार के दलाल तथा बिचौलियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हैरान व परेशान किया जाता है। बुनकरों का आर्थिक एवं शारीरिक रूप से नुकसान होता है। आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की रेशमी साड़ियां अपनी कारीगरी के लिए देश-विदेश में विख्यात हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के बुनकरों के होसला को बढ़ाने के लिए आजमगढ़ मऊ जनपद मुख्यालयों पर रेशम डिपो खुलवाने के लिए केन्द्र सरकार से मांग करता हूं ताकि पूर्वांचल का विकास हो सके।

(सात) पश्चिम बंगाल के संतरागाची रेलवे स्टेशन पर रेलवे सेंक्चुअरी का विकास किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

हावड़ा में, म्यूनिसिपल वार्ड सं० 45, उत्तर बक्सराह में संतरागाची रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट दक्षिण-पूर्वी रेलवे झील के नाम से सामान्यतया जानी जाने वाली जलभूमि है जिसका परिमाप लगभग 13,75,000 वर्ग फुट है तथा यह रेलवे कार्यालय के दक्षिण में स्थित है। नवम्बर

के प्रारम्भ से फरवरी के अंत तक, जाड़े में, यहां काफी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं जिसमें प्रधानतया व्हिसलिंग जील', 'कामन जील', 'काटन जील', 'गैग्जिनी', 'शोवलर', आदि हैं।

रेलवे द्वारा वहां एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर झील का नाम "रेलवे सेन्टेनरी सैंक्चुअरी" (पक्षीरालय) अंकित किया गया है। लेकिन विकास कार्य—जैसे झील के किनारे वृक्षारोपण, रुचिकर तथा खूबसूरत स्थानों का सृजन, आदि रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए इसे एक आवास के रूप में बनाए रखने हेतु नितान्त रूप से आवश्यक है। पश्चिम बंगाल सरकार के वन-निदेशालय ने क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है तथा कहा है कि यह कार्य शुरू किया जा सकता है बशर्ते रेलवे की जमीन पर कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसमें रेलवे की जमीन के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि रेलवे को केवल उसकी अनुमति देनी होगी। इसके अतिरिक्त, रेलवे द्वारा झील से मछली पकड़ने के लिए सावधिक पट्टे पर देने की बात सेन्टेनरी सैंक्चुअरी के मूल उद्देश्य के ही विरुद्ध है। अत: मैं केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के जल भूमि विकास प्राधिकरण को आवश्यक अनुमति दिलवाए जिससे कि आवश्यक कार्य शुरू किया जा सके और सार्वजनिक हित में झील को मछली पकड़ने के लिए नए पट्टे पर देने से रोका जा सके।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पोंग बांधों के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : पोंग बांध का निर्माण कार्य छठे दशक में हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में हुआ और उस समय लगभग 30 हजार परिवार इससे प्रभावित हुए। तत्कालीन नियमों के अनुसार 16,100 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटित की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन सबको यह भूमि नहीं दी गई। अब लगभग 5,683 परिवारों को भूमि के अधिकार प्राप्त हुए हैं, परन्तु उन्हें भी 1972 के बाद 1992 में 20 वर्ष पूरे होने पर जो मिल्कियत के अधिकार मिलने थे, वे नियमों में परिवर्तन करके 5 वर्ष के लिए और टाल दिये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भाखड़ा बांध और पोंग बांध जैसे अनेक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानकर कुर्बानियां दीं। अपनी उपजाऊ भूमि, लहलहाती फसलें, केवल इसलिए उजड़ जाने दीं, ताकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मरुस्थलों में बहार आ सके, हरियाली आ सके।

केन्द्र सरकार और सम्बन्धित प्रदेश सरकारें इन विस्थापितों की समस्याओं को हल करने के लिए गम्भीर नहीं हैं। ये विस्थापित लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। यदि उन्हें तुरन्त न्याय नहीं दिया गया, तो फिर शायद हिमाचल प्रदेश जैसे शांतिप्रिय प्रदेश के भोले-भाले लोग भी आन्दोलन की राह पकड़ लेंगे।

मेरा केन्द्र सरकार और सम्बन्धित प्रदेश सरकारों से अनुरोध है कि हिमाचल के भाखड़ा बांध, पोंग बांध तथा अन्य बांधों के जो विस्थापित हैं, उन सबकी समस्याओं को न केवल मानवीय आधार पर अपितु राष्ट्रीय एवं नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए हल करने के लिए तुरन्त कदम

उठायें, ताकि जो लोग राष्ट्रीय हित में अपने जन्म-स्थान, अपनी मातृभूमि को छोड़कर तीसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं, उन्हें यह आभास हो सके कि अगर राष्ट्रीय हित में उन्होंने बलिदान किया है, तो सरकार उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल करने के लिए गम्भीर एवं ईमानदारी से सक्रिय प्रयास कर रही है।

(नौ) आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा-कोटिपल्ली रेल लाइन को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : काकीनाड़ा-कोटिपल्ली रेलवे लाइन को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बन्द कर दिया गया था। उसके बाद देश में इस लाइन को छोड़कर अन्य सभी रेलवे लाइनों को पुनः चालू कर दिया गया था। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा काकीनाड़ा-कोटिपल्ली रेलवे लाइन को पुनः चालू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए खर्च करके एक सर्वेक्षण कराया गया था। मै जानता हूं कि सर्वेक्षण दल ने इस तथ्य के कारण इस लाइन को पुनः चालू करने की जोरदार सिफारिश की थी कि इससे न केवल कृषि उत्पादों, जैसे—धान, नारियल, इत्यादि का परिवहन देश के विभिन्न भागों में करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे इस क्षेत्र की लगभग 50 लाख जनसंख्या का मुख्य भूमि तक आवागमन भी सुविधाजनक तथा आसान हो जाएगा। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को मुख्यतया सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि इस लाइन को पुनः चालू करने से मालभाड़े तथा यात्री-किराए से प्राप्त होने वाला संभावित राजस्व भी देश की ऐसी अन्य किसी लाइन के मुकाबले काफी अधिक होगा। इस सबके अतिरिक्त सर्वेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि इस लाइन का विस्तार भी काकीनाडा से पश्चिम गोदावरी जिले में नरसापुर तक किया जाय। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर शीघ्र कार्यवाही करें।

———

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1992-93 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1988-89—जारी

3.09 म० प०

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा शुरू करेंगे। अब डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष जी, कल इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए मैं कह रहा था कि किस प्रकार सरकार ने रेल लाइनों के गेज परिवर्तन हेतु नीति निर्धारित की है वह स्पष्ट नहीं है। उस गेज परिवर्तन के बारे में जो यहां पर वक्तव्य दिया गया, उसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"देश की परिवहन संबंधी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास तथा साथ ही साथ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को भी तेजी प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 6,000 कि० मी० चुनिन्दा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के लिए एक कार्य योजना प्रारम्भ की है।"

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने 6 हजार किलोमीटर का दिया है इसमें केवल चार ही सेक्शन दिए गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भाग और भी हैं। देश में या ऐसे सेक्शन हैं जहां मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश की ऐसी लाइन के बारे में दिलाना चाहूंगा जो पश्चिम रेलवे रतलाम डिवीजन में है और जो नीमच से लेकर रतलाम तक है। इस लाइन के बारे में भी आपके मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण कराया गया और इस बात को उपयुक्त पाया गया कि इस लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता होती यदि इन अनुपूरक मांगों में इनको भी शामिल किया जाता। मैं जानना चाहूंगा कि इस क्रम में आप कब लेने वाले हैं, इस पर कार्यरूप में परिणत करने का विचार करने के बारे में आपकी स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा की बात की है। इसी संदर्भ में जो उन्होंने अनुपूरक मांग संख्या 16 में कहा है उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में कई सुपर फास्ट ट्रेन्स चल रही हैं और गत दो-तीन वर्षों में इनकी संख्या 34 से बढ़कर 72 हो गयी है लेकिन सामान्य जनता की सुविधा के लिए जो ट्रेनें चाहिए, वे नहीं है। यही कारण है कि यात्री दबाव के कारण उस सुपर फास्ट ट्रेन को स्थान-स्थान पर रोकने की बात आती है। और अब इनको सुविधा दी जाय तो कहा जाता है कि हम लोग इन सुपर फास्ट गाड़ियों को हर स्थान पर नहीं रोक सकते हैं और इससे कठिनाई पैदा होगी। जहां आप एक विशिष्ट वर्ग के या एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे जाने के लिए सुविधा देते हैं तो सामान्य जनता के लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए। इसमें राजधानी हो या शताब्दी हो या और ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन हो जिसमें अधिभार भी रखा गया है, इस प्रकार की ट्रेनों के लिए आप खूब विज्ञापन देते हैं लेकिन हालत यह हो गयी है कि कई सुपर फास्ट गाड़ियां भी सामान्य गाड़ी की तरह से हो गयी हैं और उनको सुपर फास्ट ट्रेन कहना ही निरर्थक हो गया है। उदाहरणार्थ—वेस्टर्न रेलवे की डीलक्स या पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियां सुपरफास्ट हैं और इस पर अधिभार भी लगता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से अवध एक्सप्रेस एक सेक्शन में सामान्य गाड़ी होकर चलती है और दूसरे सेक्शन में मेल हो जाती है लेकिन अधिभार उस पर भी लिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि इस पर जो सरचार्ज लिया जाता है उसको समाप्त करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए और सामान्य जनता की सुविधा के लिए सामान्य यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाये और वर्तमान में चल रही गाड़ियों में अधिक सवारी डिब्बे लगाए जाएं। सामान्य यात्रियों के लिए कोई न कोई विकल्प तो होना चाहिए जिससे वे भी सुविधायें प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त जो दूसरी मेल या एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, उनमें सामान्य लोगों को

सुविधा नहीं मिलती क्योंकि रिजर्वेशन काफी रहता है और स्थान-स्थान पर ठहरती नहीं हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी आपने इन्दौर से निजामुद्दीन के बीच में एक गाड़ी नई चलाई है। इस रूट पर कई ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं—शामगढ़, महीपपुर, भवानीमण्डी, रामगंज मण्डी इत्यादि। इन स्टेशन पर यह गाड़ी रुकती नहीं, दूसरी सुपरफास्ट भी नहीं रुकती है तो सामान्य यात्रियों के लिए कैसे यात्रा संभव होगा? जब सुपरफास्ट गाड़ियां भी बड़े-बड़े स्टेशन पर नहीं रुकें और नई गाड़ी जो चलायी है, वह भी नहीं रुके तो ऐसी गाड़ी का फायदा क्या हो? जनता को यह अपेक्षा थी कि इस गाड़ी को इन महत्वपूर्ण स्टेशन पर रोका जाता और वे सुविधा प्राप्त कर सकेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि रेल मंत्री सामान्य लोगों की सुविधाओं की तरफ कतई ध्यान नहीं रखते हैं। छोटे स्टेशनों पर छोटा लदान बन्द हो गया है। मेरे क्षेत्र से 'पान' का लदान होता है, यहां निर्यात होता है, उत्पादक परेशान हैं, कृपया देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि शामगढ़ स्टेशन पर अत्यंत आधुनिकतम बेस किचन के लिए रेलवे ने लाखों रुपए खर्च करके प्रावधान किया बेस किचन बना जो सुपर फास्ट गाड़ियों की दृष्टि से है लेकिन सुपर फास्ट गाड़ियां भी नहीं रुकती हैं और उस माडर्न किचन का उपयोग नहीं रह गया है। यह बेस्ट किचन इस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था कि वहां सुपरफास्ट गाड़ियां रुकेंगी और यात्रियों को खाना नाश्ता आदि के लिए उचित सहायता मिल पाएगी लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप यात्रियों को सुख देने की बात करते हैं या उनकी सुरक्षा और संरक्षा की बात करते हैं लेकिन इसे पूरा नहीं करते हैं। इन बातों को देखते हुए आपको तो सामान्य जनता के लिए और अधिक सुविधायें प्रदान करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यात्रियों को सुविधायें इतनी कम हैं, मैं उनके विस्तार में और तो नहीं जाना चाहता लेकिन जहां तक सामान्य जनता को सुविधा देने की बात है, यह जरूरी है। एक बात दूसरी ध्यान में आयी है जिसे मैं समझता हूं कि उस दायरे में लाने का प्रयत्न कर रहा हूं जो यात्रियों की सुविधा से सम्बन्धित है। आपने अपनी अनुपूरक मांगों में इनको स्थान नहीं दिया है परन्तु इसको स्वीकृति देने या उसके अन्दर सहयोग देने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर नई ट्रेन चलाने के बजाय गाड़ियों के डिब्बों की संख्या 17, 18 तक कर दी है। तो कई डिब्बे तो प्लेटफार्म के बाहर चले जाते हैं और वहां से किसी को पानी पीने के लिए प्लेटफार्म पर आना हो तो वह भी नहीं आ पाते।

3.14 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

इसके लिए प्लेटफार्म को बड़ा किया जाना चाहिए ताकि उससे जनता को सुविधा प्राप्त हो। गाड़ियों में 17-18 डिब्बे लगे हैं और प्लेटफार्म का पता नहीं है और लोग रात को ठोकरें खाते हैं और पटरियों पर गिर जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है :

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुपरफास्ट ट्रेन्स की गति की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज उनकी हालत क्या है? राजधानी ऐक्सप्रेस चलती है, शताब्दी ऐक्सप्रेस चलती है तो

कभी दो घंटे और कभी डेढ़ घंटे लेट होती है। सुपरफास्ट गाड़ियों की गति पहले 140 कि० मी० प्रति घंटा रखी गई थी। उसको घटाकर 120 कर दिया और अब घटाकर 110 कि० मी० प्रति घंटा कर दिया गया है। दूसरे देशों में सुपरफास्ट गाड़ियों की गति तो 300 से 450 कि० मी० प्रति घंटा तक होती है और हमारे यहां 140 कि० मी० प्रति घंटा से भी घटाकर 110 कि० मी० प्रति घंटा कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को देखा जाना चाहिए और अगर सुपरफास्ट ट्रेन का अधिभार आप ले रहे हैं तो उन्हें निश्चित गति पर चलना चाहिए।···**(व्यवधान)**···अन्यथा अधिभार समाप्त हो।

अब मैं गाड़ियों के रख-रखाव की बात पर आता हूं। पहले इसके लिए विभिन्न स्थानों पर रख-रखाव केन्द्र होते थे जहां गाड़ियां घंटे दो घंटे खड़ी रहती थीं और सारी ट्रेन चैक होती थी। अब तो गाड़ी दिल्ली पहुंचती है और डिब्बे में सफाई होने के बाद प्लेटफार्म से ही वापस चल देती है। इसको चैक किया गया या नहीं इसको नहीं देखा जाता। इस काम के लिए पहले अतिरिक्त स्टाफ भी रखा जाता था मगर आपने कर्मचारियों को कम करने की नीयत से काम किया और गाड़ियों का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं हो रहा है और परिणाम 5-10 वर्ष चलकर वह गाड़ियां चलने लायक नहीं रहेंगी। आपका बहुत सारा माल स्क्रैप हो जाएगा, यहां स्क्रैप का उपयोग हुआ है। मैं स्क्रैप माल का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि यह कहा गया कि जो स्क्रैप का माल बेचा गया उसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं और स्क्रैप के अन्दर नया सामान तक बेचा गया, नई पटरियां बेच दी गईं। अब वह किनको बेचा गया यह तो मन्त्री महोदय ही बताएंगे, लेकिन, वह गलत ढंग से बेचा गया। उसमें सारी प्रक्रिया ठीक से नहीं अपनाई गई है और उसमें भी करोड़ों का घोटाला हुआ है। यह अनेक अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है। मैंने इस बारे में आपसे निवेदन किया था और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। सुपरफास्ट अधिभार को पुनः दोहराता हूं। यह गम्भीर मामला है। यह 9 जुलाई 1992 के "हिन्दुस्तान" में छपा है। इसमें बताया गया है कि "तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सचिव श्री पुष्पवनम "सुपरफास्ट लेवी" के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पटरी दो स्थानों के बीच कमजोर है और इसके बीच गति 20 कि० मी० प्रति घंटा रहती है। जो ट्रेन चल रही है, वह सुपरफास्ट है, तो क्या इस रफ्तार का मजा लेने के लिए यात्री से अधिभार वसूला जा रहा है।" अब तो 110 नहीं 105 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार रह गई है जो पहले 160 या 140 कि० मी० प्रति घंटा होती थी। माननीय मंत्री महोदय इस पर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से उस तरफ आना चाहता हूं जो मैंने कल उद्धृत की थी। यह पी० ए० सी० की रिपोर्ट के पृष्ठ 32 पर पैरा 1.37 है।

[अनुवाद]

"समिति को वर्ष 1988-89 के दौरान रेल मन्त्रालय द्वारा संचालित विनियोग सं० 3 तथा अनुदान सं० 16 में क्रमशः एक लाख तथा 20.55 लाख तक के व्यय का गलत वर्गीकरण किए जाने का भी पता चला है। यह दोषपूर्ण बजट नियन्त्रण तथा मंत्रालय की व्यय इकाइयों द्वारा सतर्कता के अभाव का द्योतक है जिनकी वजह से गलत वर्गीकरण अनदेखा रह गया और इसे ठीक समय पर नहीं किया जा सका। समिति की यह इच्छा है कि इस तरह की चूकों के बारे में जांच की जाए तथा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित

किए जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए कि इस तरह के गलत वर्गीकरण की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।"

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि आपने इसकी तरफ ध्यान दिया होगा और आप कुछ कार्यवाही कर रहे होंगे।

अन्त में, मैं आपका ध्यान फिर उसी तरफ ले जाते हुए, अपनी बात समाप्त करूंगा, लोकोमोटिव के बारे में जैसा आपने अभी कहा है मैं आपका ध्यान "इण्डियन एक्सप्रेस" के 9 फरवरी के अंक में जो समाचार छपा है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"यह बात समझ से परे है कि भारतीय रेलवे जो बजट सम्बन्धी कटौतियों से गुजर रहा है और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का साधन खोज रहा है यकायक ही कुछ ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी वाले इन्जन खरीदने के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय करने का आडम्बर दिखाए जिनके लिए इसके पास मरम्मत, रख-रखाव अथवा फालतू पुर्जे सम्बन्धी आधारिक संरचना मौजूद नहीं है। सम्भवत: श्री जाफर शरीफ के पास इन सभी बातों का उत्तर है और एक दिन वे जनता को भी उनसे अवगत कराएंगे।"

[हिन्दी]

इसमें जो कुछ कहा गया है, मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूंगा। इन शब्दों के साथ, रेलवे की गति के बारे में, यात्रियों को संरक्षा देने के बारे में, यात्रियों को सुविधाएं देने के बारे में, अन्य अमेनिटीज देने के बारे में, जनता को अधिकाधिक सुविधाएं मिलने के बारे में, सामान्यत: मेरा जो अभिमत है, उसे मैंने आपके सामने रखा, मैं समझता हूं कि इनकी तरफ आपका ध्यान निश्चित रूप से है और मैंने जो बातें कही हैं, मैं आशा करता हूं कि आप उन सबका उत्तर देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों और वर्ष 1988-89 के लिए बजट (रेल) के सन्दर्भ में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं माननीय रेल मन्त्री जी को क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने की साहसिक शुरूआत और नीति निर्णय करने के लिए बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि यह कार्य एक तरफ से पहले ही आरम्भ हो चुका है और बड़ी लाइन दो अथवा तीन वर्षों तक हुबली पहुंच जाएगी और तत्पश्चात् अगले दो वर्षों तक वासकोडिगामा तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर गोवा तक इस बड़ी लाइन को पहुंचने में 5 वर्ष लग जाएंगे। मैं माननीय रेल मन्त्री जी से पूछना चाहता हू कि क्या यह अति आवश्यक है कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का काम केवल एक छोर से ही आरम्भ किया जाए। क्या हम गोवा से भी एक ही समय में यह कार्य आरम्भ नहीं कर सकते ताकि दोनों छोर की लाइनें पांच वर्षों के बजाय तीन

वर्षों में हुबली पर आकर मिल जाएं ? क्या उन लाइनों को वरीयता देना लाभकारी नहीं होता जो सरकार और रेल विभाग को करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा और विशाल राजस्व की प्राप्ति कराती हैं ?

होस्पेट-हुबली-गोवा लाइन और मिराज-लोन्डा लाइन परिवर्तन को प्राथमिकता देने से गोवा तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से खनिज लोहा और अन्य खनिजों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे गोवा से कर्नाटक, पुणे और बम्बई के लिए यात्री और माल यातायात के साथ-साथ व्यापार में भी काफी वृद्धि होगी। गोवा में विकास की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय रेल मन्त्री जी से कि अनुरोध करता हूं कि वह गोवा में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने को उच्च वरीयता प्रदान करें।

खान पान सेवाओं और स्टेशनों में अनुरक्षण को सुधारने की काफी आवश्यकता है। गोवा एक्सप्रेस जो गोवा से दिल्ली पहुंचने में पूरे 44 घन्टे लेती है, में भोजनयान (पेन्टरी कार) नहीं है। इसकी अविलम्ब व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि यात्रियों को गरम और ताजा भोजन मिल सके, यह निवेदन मैंने पिछले वर्ष भी किया था।

'पैलेस ऑन व्हील्स' नामक शाही गाड़ी गोवा से कर्नाटक और अन्य राज्यों से पर्यटकों के लिए आरम्भ करने हेतु अक्तूबर, 1992 से शुरू की जानी थी। तथापि इसे विलम्बित किया जा रहा है। यदि यह चालू हो जाती तो बहुत से स्थानीय और साथ ही विदेशी पर्यटक इसकी तरफ आकर्षित होते। अतः हम माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले पर गौर करें क्योंकि यह गाड़ी अभी तक तैयार नहीं हुई है।

मंडल रेलवे समिति की बैठक हर छह मास में हुबली में हो रही है तथापि इस समिति में किसी सांसद को शामिल नहीं किया गया है, अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि गोवा के सांसद को इस समिति में लिया जाए ताकि वह बैठक में गोवा के लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में बता सकें।

गोवा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कोंकण रेलवे परियोजना का काम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। यदि रेलवे को गोवा में कोई परेशानी हो रही है तो कृपया मुख्य अभियंता के माध्यम से हमें यह बताइए कि उन्हें क्या-क्या परेशानियां हो रही हैं ताकि हम उन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान कर सकें। तथापि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए हम सभी को कठोर परिश्रम करना है चूंकि यह परियोजना चारों राज्यों के लिए वरदान स्वरूप है।

घाटे की रेल लाइनें रेलवे वित्त पर बोझ डालने वाली हैं। इन्हें जारी रखने का मुख्य कारण सामाजिक दायित्व है। परन्तु इन रेल लाइनों को ऐसे बस मार्गों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिनका संचालन राज्य सरकार अथवा निजी परिवहन निगमों द्वारा किया जाए। बसें ज्यादा स्थानों पर रुक सकेंगी और इस प्रकार अपेक्षाकृत ज्यादा लोगों की आवश्यकताएं पूरी करेंगी।

गोवा में परनेम तालुका में, जोकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एक बड़े उद्योग की अत्यधिक आवश्यकता है। वर्तमान में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी उद्योग शुरू करने की इच्छुक नहीं

है। तथापि मैं यह समझता हूं कि गोवा पोत कारखाना जोकि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अच्छी तरह चल रहा है और भारी मुनाफा कमा रहा है। यह रक्षा मन्त्रालय के अधीन है। यदि इसे अवसर प्रदान किया जाए तो यह बड़ी सुगमता से रेल डिब्बों तथा शयनयान विनिर्माण की अपनी इकाई शुरू कर सकता है। इसके लिए विक्रय मूल्य वही वर्तमान मूल्य होना चाहिए जिस पर यात्री डिब्बे तथा शयनयान खरीदे जा रहे हैं। इस दिशा में भूमि का अधिग्रहण, गोवा की सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना तथा अन्य सभी पहलुओं के बारे में भली-भांति योजना तैयार करके की जा सकती है। इस संदर्भ में मूलभूत आवश्यकता की परिकल्पना माननीय रेल मन्त्री जी द्वारा की जानी चाहिए ताकि इससे अन्ततः इस निर्धन तालुक के लोगों की बेरोजगारी की मूलभूत समस्या अन्ततः हल हो जाए। मैं समझता हूं कि रेलवे के पास बहुत-सी जमीन खाली है और करोड़ों रुपये वनरोपण कार्यक्रम पर व्यय किये जाते हैं। क्या यह सच है कि इस प्रक्रिया में जो पौधे लगाए जाते हैं वे ना तो फलदायी वृक्ष हैं और न इनसे किसी तरह की जलावन लकड़ी पैदा हो रही है? वृक्ष लगाने का प्रयोजन पारिस्थितकी सन्तुलन स्थापित करना है। क्या फलदायी वृक्षों तथा जलावन लकड़ी पैदा करने वाले वृक्षों के रोपण में तथा रेलवे की करोड़ों रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित कराने से इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है? दूसरे मेरे विचार में यह समस्त रोपण कार्य ठेके के आधार पर किया जाता है। क्या हम इस कार्य को जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से करवाने पर विचार नहीं कर सकते? यदि इस रोपण कार्य को जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से किया जाए तो उस स्थिति में निर्धन वर्गों के हजारों बेरोजगार परिवारों को अपनी आजीविका मिल सकती है। ठेका देने का कारण यह है कि वन रोपण का कार्य ठेके के अनुसार किया जाता है, क्या वे लोग इन पौधों के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। परन्तु ऐसा नहीं है, रेलवे द्वारा समुचित पर्यवेक्षण से वृक्ष लगाने का काम बेरोजगार निर्धन श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है। पंचायत को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए और उसे पौधों का पर्यवेक्षण और पोषण करने के लिए कहा जाना चाहिए और इस प्रकार होने वाली आय पंचायत को ही पंचायत द्वारा पर्यवेक्षण तथा पोषण हेतु किये जाने वाले व्यय के लिए दी जा सकती है। जवाहर रोजगार योजना निर्वाचित लोगों के हाथ में शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से प्रारम्भ की गई है। निर्वाचित लोगों को गांवों के निर्माण कार्य में शामिल करना हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना है। इस योजना को तैयार करने में अनेक विशेषज्ञों और व्यक्तियों ने मेहनत की है। संभव है कि आज जवाहर योजना के कार्यंकरण में कुछ कमियां हैं परन्तु समुचित पर्यवेक्षण तथा दायित्व निर्धारण से इन अनियमितताओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस तरह हम अपने स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी द्वारा संजोए गए स्वप्न को पूरा कर सकेंगे और निर्धन बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के उत्थान में योगदान दे सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति जी, रेलवे के सिलसिले में पूरक मांगों के बारे में जब बहस हो रही है, आज यह अच्छा है कि रेल मंत्री जी भी हैं और वित्त मंत्री भी बैठे हैं, रेलवे बजट जब जाफर शरीफ साहब ने सदन के सामने पेश किया था तो इस सदन में उड़ीसा के सदस्यों की तरफ से बहुत गुस्सा जाहिर किया गया था, क्योंकि उड़ीसा के प्रति रेलवे विभाग की तरफ से बहुत अन्याय हुआ था।

मैं इस सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले महीने 24 तारीख को यह एक अनोखी चीज हुई थी कि उड़ीसा विधान सभा के स्पीकर के नेतृत्व में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव के

अनुसार विधान सभा का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधान मंत्री से मिला था और मैं मानकर चलता हूं कि जाफर शरीफ साहब भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। उस वक्त उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर दास के नेतृत्व में उड़ीसा विधान सभा का जो ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधान मंत्री से मिला था तो उन्होंने प्रधान मंत्री को और रेलवे मंत्रालय को एक मैमोरेण्डम भी दिया था। विधान सभा, जो कि उड़ीसा के जनसाधारण की प्रजातांत्रिक संस्था है, वहां जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी को लेकर जो मैमोरेण्डम बनाया गया था, स्पीकर के नेतृत्व में यहां आकर वह उन्होंने दिया था।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा की जो स्थिति है, पिछड़े राज्यों की जो अपार गरीबी है और जिस तरीके से रेलवे विभाग में ब्रिटिश सरकार के जमाने से अन्याय हुआ है, उस सिलसिले में यह मैमोरेण्डम दिया गया था। इस मैमोरेण्डम में यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के जमाने से,

[अनुवाद]

"ब्रिटिश राज के दौरान भारत में रेल पटरियों का निर्माण साम्राज्यिक वरीयताओं, सेना के गमन क्षेत्र, खनिज सम्पत्ति के उपयोग, और कभी-कभी अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए होती थी। 1947 में जब हमने आजादी हासिल की थी तब तक उड़ीसा में लगभग 1,000 किलोमीटर की रेल पटरियां मुख्यत: प्रेसीडेंसी शहरों को अर्थात कलकत्ता-बम्बई और कलकत्ता-मद्रास को जोड़ने के लिए बिछाई गई थीं और यह पटरियां कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर राज्य के केवल बाह्यांचल को छूती थीं। राज्य की 40% से अधिक की जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। आदिवासी तथा पिछड़ी है और राज के आंतरिक और सुदूर जिलों के बीच रेल सम्पर्क नहीं है।"

[हिन्दी]

यह शायद हिन्दुस्तान में एक ही राज्य है, जहां इतनी जबरदस्त प्राकृतिक सम्पदा रहते हुए भी बिना रेलवे के विस्तार के उस प्राकृतिक सम्पदा का कोई एक्सप्लायटेशन नहीं हो पाएगा इस लिहाज से स्टेट भी गरीब है। इस रेलवे के सिलसिले में उड़ीसा के साथ बहुत ही ज्यादती हुई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा का दर्जा देश के उन क्षेत्रों में से एक है जिन्हें स्वाधीनता के बाद के युग में भी भारतीय रेलवे की उल्लेखनीय विकास प्रक्रिया में सम्भवत: अपना उचित हिस्सा नहीं मिला जबकि उड़ीसा के समृद्ध दूरगामी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए भारतीय रेल ही बुनियादी साधन हैं। भारतीय रेल मार्ग कुल मिलाकर 62,367 किलोमीटर है। 1990-91 के अन्त में उड़ीसा के यह रेलमार्ग केवल 2002 किलोमीटर लम्बा है जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत यह मार्ग 7,135 किलो-मीटर तक फैला है। उड़ीसा का केवल 3.21 प्रतिशत भाग ही अब वन राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के अन्तर्गत आ पाया है। इससे संलग्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश (5023 किलोमीटर), बिहार (5,309 किलोमीटर), मध्य प्रदेश (5,869 किलोमीटर) और पश्चिमी बंगाल (3,816 मार्ग किलोमीटर) की तुलना में इस राज्य का रेल मार्ग रेलवे नेटवर्क में स्पष्ट भेदभाव और क्षेत्रीय असन्तुलन को

स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, यदि केवल उड़ीसा में ही स्वाधीनता के पश्चात् की अवधि में रेलवे नेटवर्क के विस्तार कार्य पर गौर किया जाए तो यह अनुपात तेजी से घट जाता है और राष्ट्रीय नेटवर्क का लगभग 1.60 प्रतिशत ही आता है।

[हिन्दी]

सभापति जी, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है। हमको लगता है हिन्दुस्तान में रेलवे विभाग की तरफ से जो अवहेलना हुई है, उड़ीसा अवहेलना का प्रतीक है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, उड़ीसा विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के हेतु स्पीकर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी को मैमोरेंडम दिया गया है और उस मैमोरेंडम में उड़ीसा की मांग को प्रस्तुत किया गया है। असल में यह चीज इसलिए हुई है कि कहीं-न-कहीं इसमें दिक्कत है और इसलिए जो भी दिक्कत है, उसको देखते हुए मैं कहूंगा, सदन से विनती करूंगा कि यह जो अन्याय हुआ है, उसके दूर करने हेतु कोई उपाय निकालने के लिए सदन को और सरकार को देखना चाहिए।

[अनुवाद]

इसे दक्षिण-पूर्व रेलवे का एक हिस्सा होने के कारण और इस पर रेल प्रणाली का अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण इससे अत्यधिक राजस्व अर्जित किया जाता है। उड़ीसा की भूमिका, जिसमें दक्षिण-पूर्वी रेलवे मार्ग कि० मी० का 28 प्रतिशत आता है, का कम महत्व नहीं है। यहां तक कि निर्यात भी लौह अयस्क, क्रोम, एल्युमिना तथा अन्य समुद्री उत्पादों तक ही सीमित है। राज्य के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए तथा आधारभूत सुविधाओं के मामले में केन्द्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण का सुझाव देती रही है किन्तु रेलवे की ओर से पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई तथा लापरवाही बरती गयी।

अभी तक राज्य के पास केवल एक सर्वथा पूर्ण प्रभाग है और वह है खुर्दा रोड और दूसरा नवम्बर, 1990 से आरम्भ हुआ है वह है संभलपुर प्रभाग। संभलपुर प्रभाग का निर्माण चरणों में हो रहा है। अतः यह सर्वथापूर्ण नहीं है और यह तलछढ़-संभलपुर नई रेल योजना का निर्माण कार्य समाप्त होने तक पूरी नहीं होगी।

[हिन्दी]

सभापति जी, उड़ीसा राज्य की तरफ से केन्द्रीय सरकार को बार-बार कहा गया है कि जोनल हैडक्वार्टर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

दक्षिण-पूर्व रेल को रेल सुधार समिति ने एक सर्वाधिक भार (लोडिंग) वाला क्षेत्र माना है और दूरी आकार तथा यातायात को देखते हुए यह दुःसाध्य होता जा रहा है। राज्य सरकार ने भुवनेश्वर स्थित मुख्यालय वाले एक नए क्षेत्र (जोन) के सृजन के लिए प्रस्ताव किया है जिस पर रेल मंत्रालय द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है जिसमें बरसुअन, किरिकुरू, बीरमित्रपुर और कलकत्ता-बम्बई ट्रंक मार्ग के जरिकेला से हिमगिर खण्ड को शामिल करते हुए राउरकेला में एक नया प्रभाग होगा।

नेटवर्क तथा सेवाओं में सुधार करने के लिए राज्य ने निम्नलिखित नए रेल संपर्कों का प्रस्ताव किया है। वित्तीय व्यवहार्यता के अलावा उड़ीसा जैसे प्रमुखतः जनजातीय तथा पिछड़े राज्य में निर्माण के लिए नई रेल लाइन के बारे में विचार करते समय जनजातीय और पिछड़े जिलों तथा विकास केन्द्रों अर्थात् नए विकास केन्द्रों को संस्थापित करने अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच बनाने के लिए विकासात्मक लाइनों के बारे में कार्यवाही करने में श्री बी० डी० पांडे, भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखना होगा।

यह एक स्वीकृत परियोजना है और कुछ वर्षों बाद निर्यात न होने के लिए रेल बजट से दैतारी से बंसपानी को हटा दिया गया है।

संपर्क (जखपुरा-दैतारी का प्रथम चरण 33 कि० मी०) का निर्माण हो चुका है और उसका संचालन हो रहा है। जब तक जखपुरा से बंसपानी का संपर्क मार्ग पूरा नहीं हो जाता, तब तक निवेश की पूर्ण संभावना का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इस संपर्क मार्ग से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों, जैसे जमशेदपुर (33 कि० मी०), बोकारो (69 कि० मी०) और बड़ाजामदा (289 कि० मी०) की पारादीप से रेल की दूरी में कमी आयी। इसके अलावा, यह संपर्क मार्ग पूर्वी तट पर ट्रंक मार्ग तथा कलकत्ता-बम्बई लाइन के बीच वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनाता है। राज खरसुआन से खड़गपुर के बीच का विद्यमान मार्ग विस्तार दैतारी में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र, इससे सबद्ध औद्योगिक विकास तथा प्रस्तावित तेल शोधनशाला के संदर्भ में इस लाइन का सर्वाधिक महत्व है यह खनिज निर्यात कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है।

यह लाइन एक मात्र ऐसी लाइन है जो बैरंग-कटक-कपिलास रोड और कटक से पारादीप पत्तन के लिए रेल लाइन के आरंभिक स्थल को जोड़ती है। सरकार ने दैतारी स्थित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है और बाद में सहयोगी शाखाओं की भी स्थापना की जाएगी। पारादीप होते हुए बंसपानी-बदजामदा क्षेत्र से लौह अयस्क के 6 मिलियन टन के निर्यात का भी प्रस्ताव है। भविष्य में संभावना है कि पारादीप पत्तन लगभग 30 मि० टन तापीय कोयले की ढुलाई करेगा। तलछड़-राजथागढ़ (73 कि० मी०) को दोहरा करने का कार्य चल रहा है। दैतारी को भी जखापुरा-दैतारी-बंसपानी रेल संपर्क मार्ग में से एक ही लाइन (33 किमी०) द्वारा जखापुरा की मुख्य लाइन से जोड़ दिया गया है। कटक पारादीप को उपरोक्त संदर्भ में दोहरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। 17 मार्च, 1992 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दक्षिण-पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक से मामले को शीघ्र निपटाने के लिए एक्सप्रेस राजमार्ग से पारादीप के साथ जखापुरा से एक वैकल्पिक लाइन की संभावना का पता लगाने के लिए पहले ही कह दिया है। खुर्दा मार्ग-पुरी खण्ड को दोहरा करने के बारे में पुरी और कोणार्क के पर्यटक यातायात में वृद्धि होने से रेलगाड़ी की सेवाओं में वृद्धि होने और भावी विकास को देखते हुए विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति जी, तालचेर और गोपालपुर लाइन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में एक ही पोर्ट है और वह है पारादीप।

[अनुवाद]

उड़ीसा से अन्य कार्गो के अलावा पारादीप पत्तन के माध्यम से 30 मिलियन टन से अधिक तापीय कोयला भेजने की संभावना है। तालचेर कोयला क्षेत्र से सन् 2000 तक 58.21 मि०

टन कोयले का उत्पादन होगा। मात्र पारादीप पत्तन ही 30 मि० टन से अधिक कोयले की ढुलाई नहीं कर सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि पूर्वी समुद्री बोर्ड पर तालचेर से गोपालपुर पत्तन तक एक वैकल्पिक लाइन के बारे में केवल कोयले के लिए ही नहीं अपितु एल्यूमिना, इस्पात, इत्यादि के निर्यात के लिए भी विचार किया जाना चाहिए और यह एक वैकल्पिक बिक्री केन्द्र भी बन सकेगा। यह तक कि इस कोयला क्षेत्र को भी गोपालपुर पत्तन के मार्फत एक वैकल्पिक बिक्री क्षेत्र मिल सकेगा।

[हिन्दी]

सभापति जी इस सदन में कालाहांडी के भविष्य के बारे में दो बार बहस हुई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस जिले में लांजीगढ़ रोड, जूनागढ़, अम्बागुड़ा रेल लाइन को जब बनाया जाएगा तो हमको लगता है कि वहां के आदिवासी लोगों को बहुत काम मिलेगा।

इसलिए मैं मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करूंगा कि कालाहांडी के ट्राइबल लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लांजीगढ़ रोड, जूनागढ़, अम्बागुड़ा रेल लाइन को, खास करके मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

योजना आयोग ने इस परियोजना को जूनागढ़ तक स्वीकृत कर दिया है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अल्यूमिना संयंत्र के लिए आशयपत्र जारी किए जाने के अध्यधीन है। अनुमोदन मंडल ने कालाहांडी जिले में एक मि० टन अल्यूमिना संयंत्र के लिए आशयपत्र को स्वीकृति दे दी है। दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सम्प्रति इस परियोजना की अनुमानित लागत 80.28 करोड़ रु० है और पूंजी पर होने वाली आय के जूनागढ़ तक 15.45 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। जूनागढ़ से अम्बागुदा के बीच की दूरी का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सभापति जी, एक जिले का नाम फूलवानी है, वहां की जनता ने रेल लाइन का चेहरा भी अभी तक नहीं देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि :—

[अनुवाद]

अनेक बार सर्वेक्षण किया गया है। अन्तिम सर्वेक्षण फूलवानी नगर होते हुए खुरा से बोलनगीर की एक लाइन के लिए किया गया था। उपलब्ध आंकड़ों तथा उस समय उचित ठहराये गए प्रक्षेपणों के अनुसार यह पाया गया था कि पूंजी पर होने वाला लाभ लगभग 1 प्रतिशत होगा। अतः, यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना रेलवे के लिए अच्छी नहीं है। तथापि, विचारणीय बात यह है कि क्या जब तक वह परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं बन जाती तब तक बड़ी संख्या में आदिवासी, जो लगभग पूरे जिले में रहते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा विकास की मुख्य धारा से कटे रहे ? क्या यह अच्छा होगा ? जिले में, वन उत्पादों, खनिजों, ग्रेनाइट और मूल्यवान पत्थरों के खोजे न गए संसाधन हैं और बोलनगीर में आयुध फैक्टरी स्थित है। एक बार जब यह क्षेत्र खुल जायेगा तो इसके कारण होने वाले विकास से यह लाइन उत्तरोत्तर लाभकारी हो जायेगी। भारतीय रेलों की कुछ लाइनें, जिनमें कम लाभ होगा, विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनायी जा रही हैं।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं इसलिए इन दोनों लाइनों के ऊपर जोर देता हूं लांजीगढ़ रोड, जूनागढ़, अम्बागुढ़ा लाइन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में और ये लाइन फूलवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। इसलिए मैं कहता हूं—

[अनुवाद]

कोरापुट का दक्षिणी भाग, जो लगभग आदिम जातियों तथा पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों से भरा हुआ है, अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यह क्षेत्र न केवल खनिजों से सपन्न है, अपितु केन्द्र सरकार ने 1.5 लाख एकड़ से अधिक सिंचाई संभाव्यता का विकास करने के लिए भारी निवेश भी किया है। यह लाइन लाभकारी होगी क्योंकि यह 2 मिलियन टन सीमेंट संयंत्र की संस्थापना और जेपुर के पेपर संयंत्र के लिए बांस और सख्त लकड़ी के संचालन को सुनिश्चित करेगा। क्षेत्र में पर्याप्त सामाजिक उथल-पुथल है। अत्यधिक गरीबी तथा उपेक्षित परिस्थितियों में रहने वाले आदिवासी लोग विभिन्न उग्रवादी संगठनों के लिए आदर्श भर्ती केन्द्रों का कार्य करते हैं। एक रेल लाइन से क्षेत्र का विकास होगा और सामाजिक-आर्थिक परासरण की प्रक्रिया आरंभ हो जायेगी जिससे क्षेत्र धीरे-धीरे समाज के साथ मिल जायेगा।

मलकांगिरि, कोरापुट और कालाहांडी क्षेत्र में विशेषतः बाक्साइट, लाइमस्टोन, माइका इत्यादि जैसी खनिज सम्पदा का उपयोग करने के लिए अतिव्याप्त औचित्य को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस परियोजना पर विचार किया जाये क्योंकि कोरापुट-रायगढ़ा चालू रेल संपर्क मार्ग के 1992-93 में पूरा हो जाने की संभावना है।

यह लाइन अल्यूमिना और अल्युमिनियम उत्पादों के निर्यात के लिए नवनिर्मित गोपालपुर पत्तन को जोड़ेगी और इस भीतरी प्रदेश का विकास करेगी। कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र में तीन अल्युमिनियम संयंत्र संस्थापित किए जा रहे हैं। एन ए एल सी ओ (नाल्को) के विस्तार को भी ध्यान में रखना है। यह लाइन निर्यात गतिविधि के निपटान के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का कार्य करेगी और गोपालपुर पत्तन के लिए एक सहायक का कार्य करेगी।

राज्य सरकार निरंतर रूपसा-बानगिरिपोसी तथा नौपाड़ा-गुणपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की लगातार मांग करती रही है, लेकिन इस संबंध में रेल मंत्रालय से अभी तक कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नौपाडा-गुणपुर और रूपसा-बानगिरिपोसी रेल लाइनें आदिवासी जिलों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। चूंकि भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर लाइनों को बदलने पर जोर दे रहा है, इसलिए इन दोनों लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। मयूरभंज के इस आदिवासी जिले के विकास के लिए और 'आदिवासियों' को जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए रूपसा-बानगिरिपोसी लाइन का विस्तार डलघूमगढ़ अथवा बदम पहार तक किया जा सकता है और इसी प्रकार नौपाडा-गुणपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा सकता है और आदिवासी प्रदेश का विकास करने के लिए बिसम-कटक लाइन से जोड़ा जा सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, गुणपुर-नाओपाड़ा लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित करने की मांग काफी दिनों से चली आ रही है, वहां के निवासियों ने हड़ताल भी की और पुलिस एक्शन भी हुआ। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस काम को करना चाहिए।

[अनुवाद]

यदि व्हील और एक्सल प्लांट और रेलवे यात्री डिब्बा फैक्टरी को राऊरकेला में स्थापित करने का प्रस्ताव है तो रेलवे के पास राऊरकेला में पर्याप्त भूमि है।

[हिन्दी]

इसके बारे में भी केन्द्र सरकार को लिखा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

पैसिंजर्स एमिनिटीज के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उड़ीसा से मद्रास के लिए कोई फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी सेवाएं नहीं हैं। हावड़ा से मद्रास के लिए चलने वाली अधिकतर सुपरफास्ट रेलगाड़ियां देर रात में भुवनेश्वर से होकर जाती हैं। हावड़ा और पुरी के बीच फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करके पर्यटक यातायात में सुधार किया जा सकता है। भुवनेश्वर से मुम्बई के बीच कोणार्क एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों में अतिरिक्त 2-टियर वातानुकूलित डिब्बे लगाकर और 3-टियर डिब्बे लगाकर चलाने से सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त वातानुकूलित 2-टियर डिब्बा लगाकर सुधार किया जा सकता है।

पहले पुरी और तिरुपति के बीच पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रतिदिन चलती थी जिससे खुरदा रोड से आगे के तीर्थ यात्रियों को सुविधा होती थी। किन्तु दुर्भाग्यवश सेवाओं में कटौती कर दी गई और गाड़ी हावड़ा से तिरुपति जाते हुए जगन्नाथधाम नहीं रुकती। अब तिरुपति एक्सप्रेस पुरी से सप्ताह मे केवल एक ही बार चलती है। यदि यह प्रतिदिन चलाई जाती है तो दक्षिण उड़ीसा के तीर्थ यात्री इस गाड़ी का लाभ उठाना चाहेंगे।

भुवनेश्वर को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके ग्वालियर की भांति एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है तथा भुवनेश्वर में कोचिंग टर्मिनल सुविधा में नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाकर सुधार किया जा सकता है। पुरी में मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए एक यात्री निवास की आवश्यकता है तथा रैक्स और डिब्बों के उचित रख-रखाव के लिए पुरी में टर्मिनल सुविधाओं के विस्तार तथा सुधार की आवश्यकता है तथा इसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाकर विभिन्न धामों से जोड़ा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं इन सारी चीजों को इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि उड़ीसा की अवहेलना की जाती रही है, मैंने शुरू में भी कहा था। यदि इस सिलसिले में सरकार की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो उस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इस बारे में उड़ीसा विधान सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया गया है और विधान सभा के स्पीकर प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी से मिले थे। अब यदि रेल मंत्री जी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, कोई वचन नहीं दिया तो उड़ीसा के जनसाधारण के पास यही मैसेज जाएगा कि भारत सरकार जानबूझकर इस राज्य के लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है।

मेरे लायक दोस्त जाफर शरीफ साहब का अखबारों में ऐलान हुआ था, जब उड़ीसा के स्पीकर प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से मिले थे कि इस मेमोरेंडम पर, जो उड़ीसा की तरफ से दिया गया है, हम गंभीरता से विचार करेंगे। मैं चाहूंगा कि जाफर शरीफ साहब इस ओर ध्यान दें और मुझे आशा है कि मैंने जो सवाल उठाए हैं, उनका समुचित जवाब मंत्री महोदय देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शरद दिघे। मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे पांच या छः मिनट से अधिक न लें क्योंकि अन्ततः ये बहुत महत्वपूर्ण मांगें नहीं हैं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं तथा मैं इन मांगों के संबंध में कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

अब, **प्रथमदृष्टया**, ऐसा लगता है कि चार परियोजनाओं के लिए केवल 4 लाख रु० की मांगें हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से पढ़ें तो मालूम होगा कि इन मांगों के माध्यम से रेल मंत्रालय इन चार परियोजनाओं के लिए लगभग 295.50 करोड़ रु० की स्वीकृति चाहता है। पहली परियोजना कोटकापुरा-फाजिल्का सैक्शन 30 करोड़ रु० की है, दूसरी परियोजना मद्रास से तिरुचिरापल्ली 200 करोड़ रु० की है तथा तीसरी 20 करोड़ रु० की है। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करके मंत्रालय वास्तव में इन तीन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन मांग रहा है तथा चौथी परियोजना विद्युतीकरण की है जिस पर 45.50 करोड़ रु० की लागत आएगी। अतः जैसा कि मैंने कहा है इस सदन से मतदान द्वारा स्वीकृति के लिए वास्तव में 295.50 करोड़ रु० की राशि है और इन अनुपूरक मांगों द्वारा प्रत्येक के लिए केवल एक लाख रु० का सांकेतिक अनुदान मांगा गया है।

ये मांगें रेल मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में घोषित रेलवे नीति के अनुरूप हैं। मुख्य बल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर दिया गया है तथा इसका उन्होंने अपने भाषण के पैरा 15.3 में उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है, "समरूपी (यूनीगेज) लाइन का प्रश्न संसद्-विदों, अर्थशास्त्रियों, उद्यमियों और यहां तक कि आम जनता को भी उत्तेजित कर रहा है।"

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं संविधान के अनुच्छेद 100 (4) को उद्धृत कर रहा हूं जो इस प्रकार है—

> **"यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती है।"**

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं यह इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जिम्मेदारी संविधान के अन्तर्गत स्पीकर और सभापति पर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गणपूर्ति है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। श्री शरद दिघे अपनी बात जारी रखें।

श्री शरद दिघे : महोदय, अध्यक्ष की आंखें नहीं होती हैं, केवल संविधान ही उनकी आंखें होती हैं । यह ध्यान दिलाना होता है कि गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : आप अपना वक्तव्य जारी रखें ।

श्री शरद दिघे : रेलमंत्री ने बताया था कि "23,419 किलोमीटर का मीटर गेज मार्ग जो कुल मार्ग किलोमीटर का 38 प्रतिशत है इस प्रणाली में बाधक माना गया है ।" उन्होंने बताया है कि "जहां तक इसे बदलने का संबंध है 10,000 कि० मी० का पता लगाया गया है तथा इस पंच-वर्षीय योजना में 6,000 कि०मी० पर काम किया जाएगा ।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रेल मंत्री द्वारा पहले से अपने भाषण में घोषित की गई नीति के ही अनुरूप है । मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए इन सभी मार्गों को बिना पारी के चुनने के लिए किन मानदंडों को अपनाया गया है । अतः क्या हमारे कोई मानदंड हैं ? यह घोषणा की गई थी कि संसद सदस्यों की क्षेत्रीय बैठकें की जायेंगी और उसके बाद प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन क्षेत्रीय बैठकों में कोई निर्णय लिया गया है कि जहां तक परिवर्तन का संबंध है इन विशेष मार्गों को बिना पारी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

दूसरे, मैं पूछना चाहूंगा कि इस मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने आदि के बाद रद्दी (स्क्रैप) सामग्री की बिक्री के संबंध में समाचारपत्रों में की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए क्या कोई नई प्रणाली आरंभ की गई है । अनेक बार समाचार-पत्रों में जनता द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए हम यह जानना चाहेंगे कि क्या रेलवे ने कोई ऐसी प्रणाली प्रतिस्थापित की है जिसके द्वारा रद्दी (स्क्रैप) माल की बिक्री की जाती है तथा एक विशेष राशि वसूल की जाती है । जहां तक मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है, यह लगभग 600 करोड़ रु० था तथा वर्ष-प्रति-वर्ष इसमें वृद्धि हो रही है । अब यदि हम लाइन के परिवर्तन पर बल देते हैं तो हमें एक स्थायी तंत्र स्थापित करना होगा, जिसके अनुसार इस लाइन परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई रद्दी (स्क्रैप) को बाजार में बेचा जाएगा । उसे घोषित किया जाना चाहिए । जहां तक इन बातों का संबंध है, सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए ।

चौथी परियोजना विद्युतीकरण से संबंधित है । अतः मैं मुम्बई उपनगरीय विद्युत रेलवे का उल्लेख करूंगा । मुझे समाचार पत्रों में यह पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां तक मुम्बई उप-नगरीय सेवा का संबंध है, दैनिक यात्रियों की सुविधाओं में सुधार हेतु काफी गुंजाइश है और अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है । मैंने 4 मई को समाचार पत्रों में पढ़ा था कि रेलवे के तीन वरिष्ठ सेवानिवृत्त व्यक्तियों ने दृढ़तापूर्वक यह बात कही है कि पश्चिम रेलवे, मुम्बई उप-नगरीय सेवा में अव्यवस्था "विशेषज्ञों द्वारा निर्मित" है । इन तीन व्यक्तियों ने मुम्बई उच्च न्याया-लय में दायर किए गए हलफनामे में दृढ़तापूर्वक यह बात कही है कि यह उपनगरीय सेवा जिसके द्वारा प्रतिदिन लगभग 2.5 मिलियन लोग दैनिक यात्री करते हैं, बहुत ही अधिक भीड़-भाड़ वाली तथा महंगी केवल अव्यवस्था के ही कारण है । उनका विचार है कि जहां तक मुम्बई उपनगरीय सेवा का संबंध है बिना किसी आन्तरिक ढांचे और सुविधाओं की व्यवस्था के रेलवे विभाग सुरक्षात्मक तथा सुविधापूर्वक ढंग से एक दिन में 11 घंटों में वर्तमान 750 गाड़ियों की तुलना में एक दिन में 20 घंटों में 1600 गाड़ियां चला सकता है । मैं यह जानना चाहूंगा कि सेवा निवृत्त रेलवे अधिकारियों, जिन्होंने मुम्बई उच्च न्यायालय में हलफनामे दायर किए हैं, की ये टिप्पणियां सच हैं अथवा नहीं ।

4.00 म० प०

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसमें लगाये गये आरोपों में कोई सच्चाई है। यदि ऐसा है तो रेल मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच करें और जहां तक बम्बई शहर का संबंध है यदि वहां के यात्रियों की स्थिति में सुधार न केवल और अधिक निवेश करके बल्कि प्रबन्ध व्यवस्था में ही परिवर्तन करके लाया जा सकता है तो वह समुचित कार्यवाही करेंगे।

तत्पश्चात्, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मुम्बई उपनगरीय रेलवे में सुधार करने के लिए संसाधनों में वृद्धि करने का आगे क्या कार्यक्रम है। यह भी बताया गया था कि मुम्बई शहर में भूमि के वाणिज्यिक उपयोग, विशेष रूप से फालतू भूमि के विक्रय पर भी विचार किया गया था। इसके पश्चात् रेल मन्त्रालय ने प्रमुख स्टेशनों की इमारतों की ऊपरी छतों के वाणिज्यिक उपयोग पर भी विचार किया था। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस पर किस सीमा तक विचार किया गया है और मुम्बई उपनगरीय रेलवे के लिए इन साधनों को जुटाने और उसके बाद इन अतिरिक्त संसाधनों को व्यय करने की क्या संभावनाएं हैं ताकि यात्रियों की स्थिति में सुधार किया जा सके। इस दृष्टि से जहां तक अनुपूरक मांगों का संबंध है यदि कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है तो वह बहुत ही युक्तिसंगत होगा।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अतिरिक्त मांगों की क्या जरूरत थी। मांग संख्या 13 के लिए इसमें 14.23 प्रतिशत रखा है। इसमें कहा गया है कि चतुर्थ वेतन आयोग को लागू करने के लिए ये सप्लीमेंट डिमांड्स रखी गई हैं। 1989 में चतुर्थ वेतन आयोग आया था, क्या सरकार को उस समय याद नहीं था कि इसके लिए राशि की जरूरत पड़ेगी पेंशन के लिए, प्रॉविडेंट फंड के लिए।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं अथवा विरोध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं उस पर आऊंगा। हमारा कहना यह है कि इसकी क्या जरूरत थी। पेंशन तो आपको देनी पड़ेगी। कितनी पेंशन आदि में राशि व्यय होगी इसका हिसाब आपको रखना चाहिए था। वैसे अतिरिक्त मांगों के लिए सविधान में आर्टिकल 115 में प्रावधान है। पी० ए० सी० में भी इस पर डिसकशन हो चुका है।

अब मैं सप्लीमेंट डिमांड्स पर आता हूं। हम मंत्रीजी का अभिनन्दन करते हैं कि इन्होंने कंवर्शन किया है छोटी लाइन से बड़ी लाइन का यह मांग हमारी बहुत दिनों से चल रही थी। हमने इसके लिए संघर्ष किया है। हम लोग कलकत्ता से पुरुलिया पैदल भी गए हैं, इसको छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की हमारी बहुत पुरानी मांग रही है। पुरुलिया की आबादी आज 20 लाख है। हमारे राज्य के 15 जिलों में से सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला पुरुलिया है और इसमें भी ज्यादातर आबादी आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की है। हम इसके लिए सन् 1980 से मांग करते आ रहे थे कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए और 1985 में इस योजना

के लिए इंकार कर दिया कि यह वॉयोबल नहीं हैं और रमुनेटिव नहीं है। फिर भी हमें लड़ना पड़ा और फिर इसका एस्टीमेट बनाया गया। बाद में बोकारो से पुरुलिया तक सीधे छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ की एस्टीमेटेड कास्ट बताई गयी और काम भी शुरू हो गया।

[अनुवाद]

हम चाहेंगे कि इस वर्ष के अन्त तक काम पूरा करने संबंधी जो अनुदेश दिए गए हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 33 किलोमीटर लाइन में से केवल 11 किलोमीटर लाइन को ही बदलने की आवश्यकता होगी इसे इस वर्ष के अन्त तक विद्युतीकरण सहित पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें विद्युतीकरण कार्यक्रम भी शामिल है। इसे सातवीं योजना में शामिल किया गया था। परन्तु इस लाइन को बदलने का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था इसलिए उस समय विद्युतीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अतः इसे विद्युतीकरण कार्य के बाद किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बंकुरा जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण छोटी लाइन है, जो बंकुरा को बुर्दवान जिले से जोड़ती है। यह लगभग 81 किलोमीटर लम्बी है। इस लाइन का 1956 में अधिग्रहण किया गया था परन्तु इसका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। यह मेरे बंगाल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन जो दोनों जिलों को जोड़ती है और यदि तारकेश्वर से निकट एक रेलवे पुल बनाया जाता है तो उससे बंकुरा से हावड़ा तक सीधे सम्पर्क हो जाएगा। अतएव भविष्य में हम कार्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस लाइन का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और तत्पश्चात इसे बदलने का कार्य किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में समरूप लाइनों के बारे में उल्लेख किया है। इस पर अत्यधिक बहस हुई थी कि हमारे यहां समरूप लाइन प्रणाली होनी चाहिए अथवा बहुरूपी लाइन प्रणाली। अब सभी मीटर गेज लाइनों और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाएगा। अतः इस 33 किलोमीटर लाइन का, जिसके बारे में मैंने बताया है, को बड़ी लाइन में बदल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों महोदय ? मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है। मैंने केवल एक विषय पर ही बोला है। कृपया मुझे कुछ और समय तक बोलने की अनुमति दीजिए।

महोदय, यदि इस सेक्शन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाता है तो मेरा सुझाव है कि इन पुराने भाप इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे रेल मन्त्री जी का उत्तर प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि उस सेक्शन के लिए डीजल इंजन दिये जाएंगे। उस दिन मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मल्लिकार्जुन ने बताया था कि रेलवे में कुछ बेहतर प्रणाली अपनाने के लिए आर० डी० एस० ओ० में कुछ डिजाइन बनाए जा रहे हैं मेरी समझ में यही आया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि उस सेक्शन के यात्रियों की दुःखद स्थिति को दूर करने के लिए और साथ ही उस सेक्शन को अर्थक्षम बनाने के लिए पुराने भाप-इंजनों के स्थान पर डीजल-इंजनों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि रेल सेवाएं नियमित की जा सकें। यही मेरा अनुरोध है।

उत्पीड़ित रेलवे श्रमिकों की बहाली से संबंधित एक अन्य प्रश्न इस सदन के सभी सदस्यों को उत्तेजित कर रहा है। जब इस प्रश्न को बजट सत्र के पहले दिन उठाया गया था तो उत्तर

मिला था कि इसे मंत्रिमंडल ने अस्वीकार कर दिया है और वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद रेल मंत्री जी के साथ इस पर चर्चा की गई थी। उनका यह दृढ़ मत था कि कोयले से चलने वाले इंजनों को चलाने वाले रेल कर्मचारियों, जिन्हें बरखास्त कर दिया गया था बर्खास्तगी के मामलों की ओर तदन्तर उनके बरखास्तगी आदेशों को सक्षम न्यायालय, या तो उच्च न्यायालय अथवा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया था, की जांच की जाएगी और रेलवे उन्हें वापस लेगी तथा रेलवे उन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जाएगी। रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने मुझे यही बताया था, इसके बाद उन्होंने निर्णय की प्रतियां मांगीं। मैंने उन्हें सभी निर्णयों की प्रतियां दी थीं। उन कागजों का भार एक किलोग्राम था। मैंने 125 मामलों में दिए गए निर्णयों की प्रतियां उन्हें दी थीं। जिसमें रेल प्राधिकारियों द्वारा पारित किए गए बरखास्तगी आदेशों को उच्च न्यायालय अथवा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा रद्द किया गया था। तब से दो महीने बीत गए हैं परन्तु रेल मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

दूसरी ओर, कल मैंने माननीय मंत्री जी को रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारियों का 3 अगस्त का एक शपथ-पत्र दिया जिसका आशय बहुत ही स्पष्ट था और सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करने से था। उन्होंने वित्तीय सहायता के बारे में स्पष्ट नहीं बताया है, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय जानना चाहता था। रेल मंत्रालय ने कुल समय मांगा। माननीय मंत्री जी ने शपथ-पत्र को देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है यह उसके खिलाफ है।

मैं माननीय रेल मंत्री, श्री जाफर शरीफ से अनुरोध करूंगा कि कम से कम उन मामलों को जिन्हें उच्च न्यायालय अथवा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने बरखास्तगी आदेशों को रद्द कर दिया है, रेलवे को सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने 135 मामलों की जांच का आदेश दिया है क्योंकि उन कर्मचारियों को कोई पूछताछ किए बिना ही बरखास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने जांच का आदेश दिया था। मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय को उन मामलों की जांच के भी स्पष्ट अनुदेश दिए जाने चाहिए क्योंकि न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी अभी तक भी जांच-पड़ताल नहीं की जा रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि लाइनों के गेज को बदला जाना अनिवार्य है। परन्तु हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या हमें पहले बुनियादी ढांचा बनाना चाहिए अथवा हमारी समरूप लाइन प्रणाली होनी चाहिए और क्या इसके बाद राज्य की राजधानी अगरतला को रेल लाइन से जोड़ना होगा? हमारे देश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी रेल लाइन नहीं है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनापुर में एक किलोमीटर रेल लाइन भी नहीं है। त्रिपुरा के लोग अपनी राजधानी को रेलवे से जोड़े जाने की कब तक प्रतीक्षा करेंगे? हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है। इसके बाद, हकलाखी-बेलूरघाट रेल लाइन की भी योजना आयोग ने अनुमति दी थी, पहले साल कुछ राशि स्वीकृत की गई थी। इसके बाद हावड़ा-आमटा रेल लाइन के लिए स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1972 में नींव रखी थी। यह सम्पूर्ण हावड़ा-आमटा रेल लाइन के लिए थी न कि हावड़ा-बरगुचिया के लिए थी। अब मैं समझता हूं कि उस लाइन के लिए 1,000 रु० आवंटित किए गए हैं। अतः नई लाइनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए यद्यपि इसमें

वित्तीय बाधा है। इस समय आप लगभग 6000 कि० मी० लम्बी मीटर लाइन और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना चाहते हैं। आगरा-मिदनापुर जैसी लाइन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, व्यवहार्यता रिपोर्ट भेज दी गई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेक्शन के लिए विद्युतीकरण अनिवार्य है, इसके बाद खड़गपुर-विजाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तटीय लाइन है। अतः हमें नई लाइनों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसके बाद, हम इंजनों का आयात क्यों करें ? ए० बी० बी० कंपनी से 6,000 हार्स पावर के इंजनों का आयात करने के लिये हम कितनी राशि व्यय कर रहे हैं ? हमारे अपने अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) है और हमारा लखनऊ में बृहद बुनियादी ढांचा है। क्या उसमें इंजनों का कोई बेहतर डिजाइन बनाया जा सकता है ? चितरंजन में हमारी उत्पादन यूनिट है, चितरंजन यूनिट के श्रमिक उनके मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। इसके बाद, मैंने जमालपुर वर्कशाप का दौरा किया जो कि हमारे देश में सबसे पुरानी वर्कशापों में से एक है। हमारा बृहद बुनियादी ढांचा है परन्तु उसे समुचित उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

बहुत सारे वर्कशाप हमारे भारतीय रेलवे में हैं, जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चितरंजन रेल कारखाना बिजली के इंजन बनाने का बड़ा कारखाना है लेकिन आज वहां का जो मजदूर है, उसकी क्या हालत है।

[अनुवाद]

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे कि क्या इस यूनिट को कुछ निजी प्रबंधकों को सौंपा जा रहा है ? वह इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि क्या इस बारे में निर्णय ले लिया गया है। पिछले सप्ताह, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने बताया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा परन्तु कई सहायक यूनिटों का निजीकरण किया जा रहा है। ये सहायक यूनिटें कौन-सी हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन यूनिटें सहायक यूनिटें हैं और क्या कैटरिंग यूनिट एक सहायक यूनिट है। विभागीय कैटरिंग का प्रतिशत कितना है ? इसका केवल 5 प्रतिशत है और 95 प्रतिशत निजी प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों को इस निजी कैटरिंग का अनुभव है। जिन सदस्यों ने कालका मेल से यात्रा की है उन्हें इस बारे में जानकारी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने 20 मिनट का समय ले लिया है। अब आप अपनी बात समाप्त करें। कृपया सभापति के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : बहुत रद्दी खाना है। तिनसुकिया में भी बहुत रद्दी खाना है। फिर आप क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इससे क्या सर्विस अच्छी होगी ? किस कारण से आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्या इससे प्रॉफिट नहीं होता है ? मैं समझता हूं कि कैटरिंग डिपार्टमेंट

से आपको नुकसान नहीं होता है। फिर क्यों आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? क्या आपके पास वैगन की शार्टेज है? क्या हम वैगन नहीं बना सकते हैं? मल्लिकार्जुन जी ने परसों कहा था कि रेलवे का बहुत कम काम है। मैं कहता हूं कि रेलवे का सबसे ज्यादा काम है। हावड़ा में सुशान्त चक्रवर्ती जी की कांस्टीट्यूएंसी में, बानपुर में इसका कारखाना है।

[अनुवाद]

हम जानते हैं कि आपके यहां माल डिब्बों की कमी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माल डिब्बा निर्माण उद्योग की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। हमारे यहां सवारी डिब्बों की कमी है। क्या आप एक दूसरी कोच फैक्टरी स्थापित नहीं कर सकते? एक बार दुर्गापुर में कोच फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव था। आपके पूर्वाधिकारी श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा लिखा हुआ पत्र मेरे पास है। उस पत्र में इसका प्रस्ताव है। परन्तु दुर्गापुर में कोच फैक्टरी स्थापित करने के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। पत्र में यह लिखा है कि दुर्गापुर में कारखाना स्थापित करने के संबंध में वे तभी विचार करेंगे जब निधियां उपलब्ध होंगी। लेकिन आपने यह निर्णय किया है कि रेलवे कोई व्हील तथा एक्सल संयंत्र नहीं लगाएगी।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे अगले वक्ता को बोलने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अब अन्तिम तथा बहुत महत्वपूर्ण विषय रेलवे सुरक्षा बल को लेता हूं। केवल दो ऐसे प्रश्न थे जिन पर समस्त लोक सभा एकमत थी। एक हटाए गए रेलवे कर्मचारियों की बहाली के संबंध में तथा दूसरा रेलवे सुरक्षा बल संघ की मान्यता की बहाली के संबंध में था। यह निर्णय विगत सरकार ने लिया था। यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी, जब हम उस समय उनसे मिले, तो एक आश्वासन दिया था। महासचिव श्री झा आमरण अनशन पर थे। अनुरोध किया गया था। हम प्रधान मंत्री से मिले थे। उन्होंने हमें बताया था कि वे इस पर खुले दिमाग से विचार करेंगे। लेकिन पहले ही तीन माह बीत चुके हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कृपया रेलवे सुरक्षा बल की केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तुलना सी०आई०एस०, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे अन्य शस्त्र बलों से तुलना न करें। रेलवे सुरक्षा बल का अपना अलग संघ है जो मान्यता प्राप्त है। (व्यवधान) गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं। परसों, उन्होंने हमें बताया था कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल का अपना संघ है जिसे 1987 से पहले मान्यता प्रदान की गई थी। परन्तु मान्यता को वापस ले लिया गया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं आपको अन्तिम वाक्य बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों में अनुशासनहीनता की एक भी घटना का उदाहरण दे सकते हैं? अनुशासनहीनता की एक भी घटना नहीं है। जब केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में असंतोष, विद्रोह था, तो रेलवे सुरक्षा बल में पूर्णतया अनुशासन था। इसलिए, आप इस संघ की मान्यता की बहाली पर विचार क्यों नही करते? गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं, आप उनसे विचार-विमर्श कर सकते हैं।

महोदय, अब वे भाप इंजनों को हटा रहे हैं। मेरे पास, रेल बजट का उत्तर देते हुए 25 जुलाई, 1991 को रेल मंत्री द्वारा दिया स्पष्ट आश्वासन है। मैंने भाप इंजनों में ठेके के उन श्रमिकों का प्रश्न उठाया था जिन्हें कोयला तथा राख का कार्य करना पड़ता है। उत्तर यह था, "ठीक है, हमने पहले ही बताया है कि हम भाप इजनों के श्रमिकों को नहीं हटाएंगे, जो कोयला तथा अन्य से संबंधित कार्य करते हैं। लेकिन अब, वे इन भाप इंजनों को बन्द करके तथा भाप इंजनों की शेड को बन्द करके उनको निकाल रहे हैं। लगभग 20,000 श्रमिक हैं। मैं डा० पाण्डेय का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आश्वासनों संबंधी समिति में उन्होंने इन श्रमिकों का मुद्दा उठाया है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मुझे रिपोर्टरों से आपके भाषण को रिकार्ड न करने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे निरन्तर कार्य कर रहे हैं। जबकि ठेकेदारों को बदला गया है, लेकिन श्रमिक वही हैं। वे विगत 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं लेकिन श्री मल्लिकार्जुन इसमें व्यवधान डाल रहे हैं। आप कृपया उनसे कहें कि वे मेरे भाषण में विघ्न न डालें।

सभापति महोदय : कृपया सहयोग दें।

श्री के०वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, हमें भी 25-30 मिनट तक बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: 3000-4000 श्रमिक हैं तथा उनमें से अधिकांश हमारे देश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से हैं। रेलवे एक काफी बड़ा संगठन है जिसमें 16 लाख कर्मचारी हैं। क्या वे इन 3000-4000 श्रमिकों को समावेश नहीं कर सकते। मेरे मण्डल में, एक वर्ष में 1500 नैमितिक श्रमिकों की भर्ती की गई थी। क्या रेलवे इन 3000-3500 श्रमिकों का अपने यहां समावेश नहीं कर सकती? मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं*... (व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। श्री आचार्य मैंने पहले ही रिपोर्टरों से आपके भाषण का कुछ भी रिकार्ड न करने के लिए कह दिया है। अब श्री विश्वनाथ शास्त्री को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अभी रेलवे की अनुदान मांगों पर बहस चल रही है, इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अन्दर जो बहुत पहले से इस बात की मांग उठती रही है कि गाजीपुर जनपद के अन्दर गंगा नदी पर रेल ब्रिज बनाकर के उसे ईस्टर्न रेलवे की जो ब्रांच लाइन टारीघाट जाती है और आपकी दूसरी लाइन पूर्वोत्तर रेलवे की छपरा से ओड़ीहार तक की लाइन जो बड़ी लाइन में परिवर्तित कर रहे हैं, वहां बड़ी लाइन बन जाती है तो जिस तरीके से मुगलसराय के ऊपर आपके रेलवे का लोड बहुत है, उस लोड को कम करने के लिए डेहरी आन सोन से दिलदार नगर तक एक नई रेल लाइन बैठा देते हैं, तो वैकल्पिक रूट हो जाएगा। वैकल्पिक रूट हो जाने से मुगलसराय का लोड कम हो जाएगा। इससे केवल मुगलसराय का लोड ही कम नहीं होगा, बल्कि इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी कैंज्युल्टी यदि मुगलसराय रूट पर हो जाती है, तो ऐसा कोई रूट नहीं है जिसके द्वारा रेलवे का आवागमन आप जारी रख सकें। पूरे का पूरा दक्षिण भारत और दूसरी ओर उत्तर भारत का पूरा हिस्सा कट-आफ हो जाता है। इसलिए सामरिक दृष्टि से भी मैं आपसे मांग करूंगा कि डेहरी आन सोन से लेकर दिलदार नगर तक गाजीपुर होते हुए जो 75 किलो मीटर की नई रेलवे लाइन बैठाते हैं और वह रेलवे लाइन टारीघाट जाती है और गंगा नदी पर ब्रिज बना देते हैं और उसके बाद गाजीपुर से मऊ तक, जिसका आपने सर्वे भी कराया है, यह केवल आप 40 कि०मी० नई रेलवे लाइन बैठा देते हैं, तो एक तरफ गोरखपुर से सीधे जुड़ जाते हैं और दूसरी तरफ जौनपुर होते हुए आप बनारस और मुगलसराय के लोड को कम करते हुए एक वैकल्पिक रूट आप बना सकते हैं। अब गया से लेकर मुगलसराय तक जो तीसरी लाइन बैठाने जा रहे हैं, उससे फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि मुगलसराय से रूट पर लोड का प्रश्न यथावत बना रहेगा।

इसी प्रकार में एक मांग और करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि बहुत दिनों से इस बात की मांग होती रही है और वह मांग छितौनी-बगहा पर पुल बनाने की है। आप यदि उस पुल का निर्माण करा देते हैं तो सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, वह जुड़ जाता है। उसी तरीके से हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के अन्दर पांच वर्कशाप हैं और इन पांचों वर्कशापों की क्षमता आप दिन-प्रति-दिन घटाते जा रहे हैं। इस वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वर्कशॉप को आप मॉड्रनाइज कीजिए। मजदूरों को दूसरी जगह लगाइए। आप निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से दिन-प्रति-दिन बड़े पैमाने पर मजदूरों की छंटनी हो रही है। ठेकेदारी प्रथा आप ला रहे हैं, इस वजह से भी रेलवे मजदूरों के अन्दर बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसके ऊपर ध्यान देकर निजीकरण की प्रक्रिया को छोड़िए। बी॰एच॰ई॰एल॰ में आप निश्चित तौर पर लोकोमोटिव तैयार करा सकते थे और वे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन मालूम नहीं किन कारणों से अधिक रेट पर एबीबी को आपने आर्डर दिया है। आप निश्चित रूप से इसकी सफाई दीजिए।

हम इन्हीं मांगों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे पुनः मांग करेंगे कि गंगा के ऊपर गाजीपुर में रेल ब्रिज बनायें। साथ ही साथ आपने पटना से लेकर बनारस तक एक नई डीएमयू ट्रेन चलाई है, इस वजह से आपने दो-तीन पैसेंजर्स ट्रेनों को स्थगित कर दिया है। आपने यह भी आश्वासन दिया था कि एक दूसरी डीएमयू ट्रेन चलायेंगे। वह क्यूल से बक्सर तक ही चलती

है और बीच में पैसेंजर्स ट्रेन्स को रोक दिया गया है। हमारी आपसे मांग है कि जो ट्रेन क्यूल से बक्सर तक आप चला रहे हैं, उसको आप बनारस तक ले आइए। आपकी डी एम यू भी जो कुछ दिनों तक निश्चित समय तक चली है और आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी गाड़ी आम आदमियों के लिए दी थी जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी लेकिन आज वहां ऐसी स्थिति हो रही है कि पांच-पांच घटे वह लेट चल रही है। उस वक्त भी हम लोगों ने बात कही थी कि आप बक्सर से पटना और बक्सर से बनारस दो भागों में इसको बांट कर, अलग करके डी एम यू को चलाते हैं तो समय के अनुसार वह चल पाएगी।

इसलिए हमारी पुनः मांग है कि जो ट्रेन आपने रोक रखी है उसे या तो चलाइए या पटना जाने के लिए सुबह से लेकर के एक बजे तक कोई ट्रेन नहीं है, सुबह जो आपकी पेसेंजर ट्रेन है वह छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुकती हुई लोगों को लेकर के जाए। इसलिए हमारी मांग है कि आप पुनः या तो पेसेंजर ट्रेनों को चलाइए या दूसरी डी एम यू पुनः चलाइए जैसे कि पहले आपके विभाग ने योजना बनाई थी जो अब इस वक्त कार्यान्वित नहीं हो रही है उसको कार्यान्वित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री हाण्डिक। आप कृपया अपने भाषण को पांच मिनट तक सीमित रखें। यह मेरा अनुरोध है। कई वक्ताओं को बोलना है, और हमें इसे आज पारित करना होगा।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : महोदय, मैं प्रयास करूंगा। लेकिन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से मैं अकेला वक्ता हूं। रेलवे के संबंध में मेरे पास कुछ समस्याएं हैं।

सभापति महोदय : अन्तिम वक्ता ने केवल पांच मिनट का समय लिया है तथा मैं आपसे भी इसे पांच मिनट में समाप्त करने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : मैं पांच मिनट से थोड़ा-सा अधिक समय लूंगा।

महोदय, मैं 1992-93 के रेल बजट के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करते समय, उत्तर-पूर्व तथा विशेष कर असम में रेलवे सेवा की स्थिति पर मैं कतिपय टिप्पणियां करना चाहता हूं। निःसंदेह भारतीय रेलों को राष्ट्र की सेवा के लिए गर्व है। फिर भी, जब हम इसका क्षेत्रीयकरण करते हैं तथा रेल सेवा पर एक क्षेत्र में आम व्यक्तियों की सेवा के अर्थों में विचार करते हैं तो हमें यह मानना पड़ता है कि इस ओर काफी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह हो सकता है कि यह आम व्यक्तियों से संबंधित कार्य है। लेकिन, भारतीय रेलवे यह दावा करती है कि यह आम व्यक्तियों की सेवा है, इस तरह ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देने का प्रश्न आता है।

प्रथम वरीयता मैं रेलगाड़ियों तथा ब्रांच लाइनों की सेवा को सुदृढ़ करने को देता हूं। क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बों तथा शहरों में लोगों के अन्तर्वाह को कम करने से संबंधित है तथा रेलवे इस विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोगों के आने के कारणों का

विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि लोग कस्बों तथा शहरों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तथा यह सही भी है, यद्यपि एक अपेक्षाकृत अत्यधिक कीमत पर। लेकिन यदि हम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच संचार में सुधार करे, तो मेरा विश्वास है कि शहरी क्षेत्रों में लोगों का आना काफी कम होगा। इस संदर्भ में, ब्रांच लाइनों पर रेलवे सेवाओं में सुधार तथा उसे सुदृढ़ बनाने को प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए।

दुर्भाग्य से, असम में सेवाओं में सुधार करने की अपेक्षा कई ब्रांच लाइन सेवाओं को या तो पहले ही बन्द कर दिया गया है या वे बन्द किए जाने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान ब्रांच लाइन सेवाए इतनी खराब हैं कि इसे सेवा का नाम देना भी उचित नहीं है। इससे भी अधिक बुरी बात यह है कि शायद रेलवे प्राधिकारी यह सोचते हैं कि ब्रांच लाइन में सुधार करने के लिए कहना उचित नहीं है। मुख्य लाइन पर भी सेवा अच्छी नहीं है तथा उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। उदाहरणार्थ, शुरू-शुरू में, सवारी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के तीन जोड़ी को पहले ही तिनसुकिया डिवीजन से हटा लिया गया था। गुवाहाटी-तिनसुकिया-डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली मेल रेलगाड़ी के एक दूसरी जोड़ी, जो लगभग संपूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी में दौड़ती थी, को 1 जुलाई से हटाया जाना निर्धारित किया गया था। तथापि, मुझे अभी यह पक्का करना है कि क्या इसे हटाया गया अथवा नहीं। उसके बाद धुब्री-गुवाहाटी-रेलगाड़ी, जिसे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने की दलील पर 1988 में हटा लिया गया था, को अभी तक पुनः नहीं चालू किया गया है। असम सरकार द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, इसे अभी चालू नहीं किया गया है।

इसी प्रकार, ब्रह्मपुत्र घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर चलने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस को एक वर्ष पूर्व से इसी तरह की कानून और व्यवस्था की स्थिति की दलील पर हटा लिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्य श्री बालिन कुली द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले नगर लखीमपुर में वर्तमान में वर्ष से भी अधिक समय से एक भी रेलगाड़ी नहीं चलती है और इन सबका कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई भी रेलगाड़ी नहीं चलती है। गुवाहाटी और धुब्री के बीच में बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां अभी भी चल रही हैं। यह कैसे कानून और व्यवस्था की स्थिति का प्रश्न अब सामने आ रहा है। असम में यह स्थिति तो काफी समय से चल रही है। रेल सेवाओं को वापस लेने से यात्रा करने वाली जनता को काफी परेशानी पैदा हुई है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि असम के लोग इस बात से खुश हैं कि मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की लम्बे समय से चली आ रही उनकी मांग अब मान ली गई है। कम से कम 20 प्रतिशत काम लुमडिंग और गुवाहाटी के बीच हो रहा है। उस बात से हम खुश हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि सरकार मौजूदा रेल सेवाओं पर बिना विचार किए तथा उन पर गलत ढंग से सोच कर उन्हें वापस ले ले और समय के लोगों के हितों को ठेस पहुंचाए। मुझे पक्का यकीन है और मुझे जानकारी मिली है कि यह कार्य माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के बिना किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, मैं समूचे क्षेत्र के लिए बोल रहा हूं तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए इन रेल सेवाओं को पुनः शुरू किया जाना चाहिए और आगे जन प्रतिनिधियों का परामर्श लिए बिना कोई भी रेल सेवा बन्द नहीं की जानी चाहिए।

हम, संसद में जन प्रतिनिधियों के रूप में, लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि इतने महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन को जन प्रतिनिधियों की सलाह लिए बिना बन्द कर दिया जाता है जिससे न संसद सदस्य को बल्कि स्वयं संसद को ही इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इससे न केवल संसद सदस्य ही अप्रासंगिक हो जाते हैं अपितु स्वयं संसद का भी कोई मतलब नहीं रह जाता।

इसके अतिरिक्त स्टेशनों की हालत, कुछ को छोड़कर, खस्ता हैं बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि वे जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं।

मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में, सर्वाधिक पुराने स्टेशनों में से एक स्टेशन है मरियानी—उतना ही पुराना जितना कि असम में रेलवे पुरानी है—जिसकी हालत दयनीय है। स्टेशन के प्रवेश द्वार और प्लेटफार्म गेट को ले जाने वाले बरामदे में मानसून में काफी बरसात होने से वहां पानी भर जाता है जिससे यात्रियों को घोर असुविधा तथा परेशानी होती है। जेड० आर० यू० सी० सी० की बैठकों में पारित किए गए विभिन्न संकल्पों की ओर कोई ध्यान न देकर उन्हें नजरन्दाज कर दिया गया है। आज तक उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं, प्लेटफार्म 1 और 2 को जोड़ने वाला ऊपरी पुल एक वर्ष से भी अधिक समय से बन्द कर दिया गया है, इसका कारण रेलवे अधिकारियों को ही अच्छी तरह पता होगा।

4.45 म० प०

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

और इससे विशेष रूप से रात में चलने वाली रेल गाड़ियों अथवा 'शन्टिंग' कर रहे इंजनों से यात्रियों के जीवन को ही संकट उत्पन्न हो गया है। 40 वर्ष पहले बनाई गई प्लेटफार्म की छतों से काम नहीं चलता है और इसके नीचे केवल तीन अथवा चार डिब्बे ही आ पाते हैं—विशेष रूप से असम को समूचे देश से जोड़ने वाली लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों के अधिकांश डिब्बे प्लेटफार्म रोड के बाहर ही रह जाते हैं जिसके कारण बरसात में यात्रियों को काफी असुविधा होती है। इस प्रकार आप स्वयं यात्रियों के दुःख की कल्पना अच्छी तरह कर सकते हैं। रेलवे कालोनी तथा आस-पास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अत्यन्त खराब है और इस तथ्य के बावजूद कि वहां एक सब-स्टेशन अधिष्ठापित किया गया है, अभी इसे चालू नहीं किया गया है। रेलवे कर्मचारी वृन्द के लिए भी कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां एक छोटा-सा हस्पताल है और आप ऐसे कर्मचारियों से जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कराने की आशा कैसे कर सकते हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं?

मुख्य लाइन पर एक दूसरा स्टेशन भोजो है। स्थानीय जनता को रेल रोको आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा था और बाद में इसे समाप्त कर दिया गया, यद्यपि एक दिन का प्रतीकात्मक विरोध वहां किया गया। और यह भी मेरे द्वारा मनाने तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने के कारण, संभव हो सका। लेकिन आज तक, उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है और लोगों ने पुनः रेल रोको आन्दोलन की धमकी दी है। महोदय, उनकी मांगें क्या हैं? स्वच्छता में सुधार, पेय जल, यात्री प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म शो, टी-बुकिंग सुविधा और स्टेशन जाने वाली सड़क में सुधार। ये तार्किक और न्यायोचित मांगें तथा न्यूनतम सुविधाएं हैं जिनकी आकांक्षा यात्रा करने वाले लोग व्यस्त स्टेशनों पर कर सकते हैं। अगर आप स्टेशन द्वारा अर्जित राजस्व पर विचार

करते हैं तो यह भी कोई छोटी धनराशि नहीं है। बिना प्रथम श्रेणी की सुविधाओं को वहां से प्राप्त होने वाला राजस्व लगभग 1,62,000 रु० प्रतिमाह का होता है। यदि रेलवे स्टेशनों में सुधार करने के लिए राजस्व अर्जन को एक मानदण्ड माना जाए तो क्या मैं रेलवे प्राधिकारियों से पूछ सकता हूं कि स्टेशनों को ऐसी सुविधाओं से क्यों वंचित रखा जाना चाहिए ? मैं नहीं समझ पाता कि रेलवे द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं।

मैं आपको दो उदाहरण देता हूं—एक छोटे और एक बड़े स्टेशन का। पश्चिम बंगाल के आसनसोल डिविजन में रानीगंज एक उदाहरण है। रानीगंज—जो एक राष्ट्रीय महत्व का केन्द्र है तथा रानीगंज कोल फील्ड और इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स का केन्द्र बिन्दु है, तथा जहां से विशाल राजस्व आय प्राप्त होती है, वहां यात्री जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहां स्थानीय संसद सदस्य श्री हाराधन राय द्वारा बार-बार मांग किए जाने तथा अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद वहां कोई सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं रुकती है। मैं स्वयं जानता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा अनेक अभ्यावेदन दिए गए थे। वे चाहते हैं कि 2381 अप/2382 डाउन—एसी एक्सप्रेस, 2303 अप/2304 डाउन—एसी एक्सप्रेस, 2311 अप/2312 डाउन कालका मेल, 3005 अप/3006 डाउन अमृतसर मेल को वहां रोका जाये। मैंने एक बड़े स्टेशन का उदाहरण दिया है। अब मैं एक बहुत छोटे से स्टेशन का उदाहरण देता हूं। मैं आप द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड के बारे में जानना चाहता हूं। सिमालुगुड़ी मेरे चुनाव-क्षेत्र में है। वहां के लोग 5904 डाउन-असम मेल में उस स्टेशन के लिए कोटा दिए जाने की मांग कर रहे हैं जो कि एक बहुत छोटी-सी मांग है। लेकिन यह नहीं मानी गई है। अतः मैं नहीं समझता कि रेलवे कौन-सा मानदण्ड अपनाती है। बल्कि यह जानकर और दुख होता है कि सिमालुगुड़ी – मोरान ब्रांच लाइन पर कूजीबाली नाप का एक स्टेशन बन्द कर दिया गया है जिससे वाणिज्यिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो गई है, विशेषरूप से अनेक गांवों के सब्जी उत्पादनों को। यदि इस तरह के विरोधाभासी कार्य किए जाते हैं तो रेलवे किस तरह ग्रामीण लोगों को सेवा की प्राथमिकता दिए जाने का दावा करती है।

महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है रेलवे फाटकों पर कर्मचारी तैनात करना। रेलवे फाटकों पर कर्मचारी न होने से, विशेष रूप से ब्रांच लाइनों पर प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन वही पुराना औपनिवेशिक दृष्टिकोण अभी भी अपनाया जा रहा है अर्थात इन रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने के लिए मूलभूत सुविधाएं देने हेतु कीमत चुकाने के लिए स्थानीय लोगों को ही चुना जाए। मैं महसूस करता हूं कि एक कल्याणकारी राज्य का यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। मुआवजे की राशि जो रेलवे दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को देती रही है अथवा देनी पड़ती है, रेलवे फाटकों पर चौकीदार तैनात करने तथा उसे एक गेट और एक शेड प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, और वह भी हमेशा के लिए। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया है।

महोदय, ये वे समस्याएं हैं जो मैं आपके समक्ष उठा रहा हूं। क्या रेलवे तर्क और समझदारी की बात सुनेगी ? मैं उत्तर चाहता हूं। महोदय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन शिकायतों की जांच करेंगे। एक बार पुनः मैं रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों को अपना पूरा समर्थन देता हूं।

डा० राजागोपालन श्रीधरण (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों के समक्ष कुछ तथ्यों के साथ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। अन्य सदस्यों की भांति ही मैं भी यह जानने का अत्यधिक उत्सुक रहा हूं कि इतनी ढील दिए जाने के क्या कारण हैं जिससे सभा में दिए गए वचन और जो कुछ बाहर किया जाता है उसमें भारी विषमता रहती है। इसी के साथ-साथ मैं यह महसूस करता हूं कि यहां पर जितनी सहनशील जनता है उनके हित में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। यात्रियों की कमजोरी यह है कि जिन सुविधाओं के लिए वे अग्रिम रूप से भुगतान करते हैं उन्हें प्राप्त किए बिना ही सवारी कर लेना, अपना घोर विरोध प्रकट करने हेतु अपेक्षित इच्छा शक्ति की कमी है।

सभा के अन्दर बेहतर सुविधाओं का वचन देने की बात को उचित ठहराने के लिए जारी रहने वाली प्रक्रिया के रूप में वर्ष-दर-वर्ष किरायों में वृद्धि कर दी जाती है। रेलवे प्रशासन किराए में वृद्धि की बात को तो वफादारी के साथ क्रियान्वित कर देता है जबकि सुविधाओं की बात की पूर्ण रूप से अनदेखी कर देता है। उदाहरण के तौर पर बड़ी और छोटी लाइन की एक्सप्रेस गाड़ी के किरायों के वर्गीकरण में एकरूपता है जबकि गाड़ियों की गति में 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा का अन्तर है। सवारी डिब्बों की दशा पर भी ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। हर समय आपको अस्वच्छ और बिना झाड़ू दिए शौचालय, बदबूदार पानी, रिसते हुए नल और धीमी रोशनी आदि मिलेगी।

सुपर फास्ट प्रभार अजीब तरह के हैं कि इसके लिए आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम गति की गाड़ी के लिए भी यही भुगतान करना पड़ता है। ऐसी गाड़ियों के किराए की वापसी की बात तो कभी सुनने को ही नहीं मिलती है। लम्बी दूरी की यात्राओं के दौरान, यात्रियों को रसोईयान सेवा पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहना है। एक अथवा दो ही चीजें दी जाती हैं जो स्वादहीन तथा मात्रा में कम होती हैं जबकि खाद्य शुल्क में हर समय वृद्धि की जाती है।

मैं रेलवे कर्मचारियों के एक समूह के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं जिन्हें परेशानी भुगतनी पड़ रही है। ये वे कर्मचारी हैं जो बिना कोई पेंशन लिए सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा त्याग पत्र दे दिया है। ऐसे कुछ व्यक्तियों को अपने जीवन के अंतिम काल में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था जिन्होंने रेलवे में बीस वर्ष से भी अधिक समय तक सेवा की है। ये वे लोग थे जिन्होंने भविष्य निधि प्रणाली का चयन किया था जो कि उन दिनों प्रचलन में थी। मैं मंत्री महोदय से उनकी शिकायतों को देखने के लिए अनुरोध करूंगा। ये वही अंग्रेजी लोग थे जिन्होंने अपने योगदान से रेलवे को वर्तमान व्यापक ढांचे तक पहुंचाया।

मैं मंत्री महोदय को मद्रास-डिन्डीगल अनुभाग को छोटी लाइन से बड़ी में परिवर्तित करने सम्बन्धी मंजूरी देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं मन्त्री महोदय से आने वाली गाड़ियों के लिए सेंट थॉमस माऊंट स्टेशन पर तीसरे रेलवे प्लेटफार्म का निर्माण करने और थाम्बरम में रेलवे ऊपरि-पुल का निर्माण करने और क्रोमपेट में एक भूमिगत पैदल मार्ग बनाने का अनुरोध करता हूं।

मद्रास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की समुद्री तट से लुज तक निर्माण गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं। मैं मन्त्री महोदय को इसके लिए अपना धन्यवाद देता हूं और इस सेवा को लुज से थामणी तक बढ़ाने के लिए विनती भी करता हूं।

धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया) : सभापति महोदय, जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स रखी गई हैं उसका मैं विरोध करता हूं । जो पहले रेल बजट फरवरी में आया था उसमें साउथ और नार्थ में भेदभाव किया गया था । साउथ के लिए जितनी योजनायें ली गई थीं और साउथ में जितना खर्चा करने का प्रावधान है नार्थ में उतना नहीं है, ईस्ट में नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है । इस तरह से अन-बैलेंस्ड हो गया है । हम लोगों का बस चलता तो हम बजट पास नहीं होने देते, लेकिन बजट पास हो गया। मैं आपको बिहार और उड़ीसा के बारे में बताना चाहता हूं । एक किलोमीटर नई रेल लाइन खोलने का प्रावधान बिहार में नहीं किया गया है और न ही मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने के लिए एक किलोमीटर लाइन ही ली गई है । कई प्राब्लम बिहार में छोड़ दी गई हैं । जो ये सप्लीमेंटरी डिमांडस हैं मैं इसका घोर विरोध करता हूं । अगर हमारे जो सुझाव हैं उनको मान लिया जाये तो हम आपके आभारी होंगे, उम्मीद है कि आप उन्हे मान लेंगे । बिहार में ऐसे अनेक जिले हैं जो रेल लाइन से जुड़े नहीं हैं, जो जिला मुख्यालय हैं वे रेल लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं। 42 साल की आजादी के बाद भी उन मुख्यालयों को नहीं जोड़ा गया है । जैसे बिहार में गिरिडीह कोडरमा, दुमका, चतरा, हजारीबाग आदि जिले जिला मुख्यालय से नहीं जुड़े हैं । बिहार के साथ ऐसा घोर अन्याय होगा, ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी । रेल मंत्री जी ने बिहार को इतना नेग्लेक्ट किया है कि एक प्रकार से उसके साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया है। जबकि बिहार में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं । उनको ले जाने और लाने में कोई रेल आपने नहीं चलाई है । सवारी रेल भी आपने नहीं चलाई है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बौद्धगया अन्तर्राष्ट्रीय स्थल है और करोड़ों रुपयों का राजस्व उससे प्राप्त होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । देश-विदेश से लोग बौद्धगया, राजगीर में आते हैं । ईस्माइलपुर से फतेहा तक जो छोटी रेल लाइन है, पता नहीं उसकी पटरी कहां चली गई है । उससे लाखों लोगों को आवागमन में जो सुविधा होती थी वह खत्म हो गई है । इसलिए आप इस लाइन को ठेके पर चलाने के लिए दे दें । इस रेल लाइन को उखाड़-कर ले गए हैं । ऐसे ही आरा से सासाराम भी बन्द है । लाखों लोगों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है। राजगीर और बौद्धगया को जोड़ने का प्रस्ताव था जिससे विदेशी लोग जो आते हैं उनको परेशानी न हो लेकिन यह पूरा नहीं हो सका । ऐसे ही पटना से गया 100 किलोमीटर की दूरी पर है । पटना बिहार की राजधानी है और यहां सिंगल लाइन है उसको भी डबल लाइन करने का प्रस्ताव था पूर्व रेल मंत्री का, लेकिन वर्तमान रेल मन्त्री ने इसको भी इग्नोर कर दिया है । गया से नवादा तक सिंगल लाइन है । उसको भी इग्नोर किया गया है । जो लोग कार से गया से पटना जाते हैं उनको दो घंटे लगते हैं पटना पहुंचने में तो हमें दो घंटे लगते हैं और यदि रेल जायें तो 7-

5.00 म० प०

8 घंटे लग जाता है और वह भी पहुंचेंगे या नहीं ? इसमें रेलवे रेवेन्यू में लॉस हो रहा है । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए पटना से गया रेल लाइन को डबल किया जाए ।

सभापति महोदय, कोडरमा से गिरिडीह तक लम्बी दूरी है लेकिन वह रेल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है । इसका सर्वेक्षण हो चुका है और आपके मंत्रालय में पड़ा हुआ है । मेरा निवेदन है कि इसको पहले फेज में लेना चाहिए । इसी प्रकार बिहार के साथ अन्याय किया गया है कि कितने के बारे में बताऊं। कुछ मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा । दरभंगा से जयनगर छोटी रेल

लाइन है, उसको ब्राडगेज में करना था, अभी तक नहीं कर सके। शायद आप जानते हैं कि जयनगर से जनकपुर तक जो श्री रामचन्द्र जी एवं जानकी माता की बात करते हैं—उनका जन्म स्थान है—उसको करना चाहिए। पीछे पार्लियामेंट में हम राम और सीता को खोज रहे थे तो असली जगह तो उनकी जनकपुर है इसलिए हम लोगों को वहां जाने के लिए और आपके लिए भी सुविधा हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया गया है, उसमें सुधार करना चाहिए। इसके साथ एक डिमाण्ड और है कि बगहा-छितौनी रेल पुल बनाया जाना चाहिए लेकिन पैसे के अभाव में आज तक वह काम नहीं हुआ है और रेल अधिकारी कागज पर यह रिपोर्ट देते हैं कि यह पुल का कार्य चालू है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह काम बन्द है और वह भी पैसे के बिना। मेरी मांग है कि इसके लिए शीघ्र पैसा दिया जाये ताकि काम चालू किया जा सके। और पुल शीघ्र बन सके। इस पुल के बन जाने से आम जनता को सुविधा होगी। सभापति जी, मैंने राजगीर-बोधगया रेल लाइन के बारे में चर्चा की है। यहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और जो उसकी शिक्षाएं थीं, देश के लोग बुद्धिकरण नहीं कर सके और जो बुद्धिकरण किये हैं वे विदेशों में रहते हैं। बर्मा, थाईलैण्ड, जापान, हांगकांग, अमेरिका और चीन में बुद्ध के मार्ग को मानते हैं। उनकी संख्या आती रहती है। विदेशी लोगों को बहुत प्राब्लम होती है, इससे विदेशों में हमारे देश की बदनामी होती है कि टूरिस्ट्स को पूरी सुविधा नहीं है। इसका एक उदाहरण दूंगा कि एक जापानी टूरिस्ट यहां आये, रेलवे स्टेशन पर उनका अटैची छीनकर लोग भाग गये। ऐसी ही घटनायें बड़े पैमाने पर हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं उन रेल कर्मचारियों का नाम नहीं लूंगा जो इन चोरियों में शामिल रहते हैं। कई रेल कर्मचारी तो वहां पर 20-25 साल से बैठे हुए हैं जिनकी बदली आज तक नहीं हुई है। उनकी मदद से चोरी की जाती है और पाकेटमारी हो रही है। एक बात और बताना चाहता हूं कि एक हफ्ता पहले रेल मंत्री महोदय के पार्टी के एक एम० एल० ए० अवध एक्सप्रेस से फर्स्ट क्लास ए० सी० में ट्रेवल कर रहे थे। उनकी एक अटैची जिसमें कपड़े-लत्ते और 15-20 हजार रुपए थे, चोरी हो गए। उनको तो तब मालूम हुआ जब वे दिल्ली पहुंचने वाले थे। उनसे मैंने कहा कि आपको अगर जरूरत हो तो मैं आपको कपड़ा इत्यादि का उपाय कर दूंगा। लेकिन हमने पार्टी का ख्याल नहीं किया जबकि वे कांग्रेस पार्टी के थे। मैंने मानवता के नाते उनसे निवेदन किया कि आपकी पार्टी की सरकार है और सबसे ज्यादा चोरियां हो रही हैं कांग्रेस के राज में।...(व्यवधान)...मैं पांच मिनट और लूंगा।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मेरा यह सुझाव है कि उनकी पार्टी के सभी सदस्यों को पहले समय दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : सभापति जी, दूसरी समस्या मानसी से कटिहार बड़ी रेलवे लाइन की है। यह कार्य वर्षों से लंबित है। बड़ी रेल लाइन के अभाव में औद्योगिक विकास अवरुद्ध है। मधेपुरा से प्रतापगंज वाया सिंहेश्वर बिहारीगंज छोटी लाइन को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश

जमाने से एक सर्वेक्षण हुआ था। फिर पुन: सर्वेक्षण कराया गया जब जार्ज फर्नान्डीज रेलवे मंत्री थे। सर्वेक्षण किया हुआ है और उसकी रिपोर्ट इनके मंत्रालय में पेंडिंग है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि उस सर्वेक्षण पर कार्रवाई करनी चाहिए।

सभापति जी, चूंकि आपका आदेश हो गया है कि समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी कांस्टीटयूएंसी गया की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति जी, हमने निवेदन किया था कि राजधानी एक्सप्रेस को गया में रोका जाए क्योंकि वह इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है। इससे बौद्धों को और विदेशी पर्यटकों को वहां आने जाने में सुविधा होगी। वहां गाड़ी तो रुकी लेकिन उससे अधिक सुविधा नहीं हुई। हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली से गया तक उस गाड़ी में विदेशी पर्यटकों के लिए ए सी सी फर्स्ट क्लास में 10 बर्थ और ए सी सी-2 में 10 बर्थ तथा चेयरकार में 10 बर्थ मुहैया कराई जाएं। इससे वहां जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको सुविधा होगी।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि गया रेल लाइन शहर को दो भागों में बांटती है। एक करीमगंज और दूसरा गया है। पिछले साल पांच-सात आदमियों की रेल लाइन से कटकर मृत्यु हो गई थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि न्यू करीमगंज रेल लाइन के पास एक ओवर ब्रिज बनाया जाए और इसी प्रकार से बागेश्वरी लाइन भी शहर को दो भागों में बांटती है। उसके पास भी रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने का हमारा अनुरोध है। इसी तरह से हम आपको और समस्याएं बताना चाहते हैं। गया से मुगलसराय तक रेलवे की करोड़ों रुपये की संपत्ति है। कहीं वैगन कटकर नीचे गिरी हुई है। रेलवे लाइन टूटी हुई पड़ी हैं और स्क्रैप्स वगैरह जो पड़े हुए हैं उसमें रेलवे कर्मचारियों के मेल-जोल से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि वह जो रेलवे का सामान है उसको उठाकर कहीं स्टोर में रख दिया जाए या उसको नीलाम करने का आदेश दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत आशा और विश्वास के साथ मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे सुझाव हैं उन पर वे ध्यान देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार की और उड़ीसा की जो समस्या है उसे पैसे का जो हिस्सा मिलना है उसमें सौतेलापन नहीं होना चाहिए और उनको उनके हिस्से का पैसा मिलना चाहिए। अगर वे ऐसा करें तो जो डिमांड्ज का हमने विरोध किया है हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन हम अभी इनकी डिमांडज का विरोध करते हैं और सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि इनकी मांगों को पास न होने दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, रेलवे, जिस पर जनता के लिए सुविधाजनक यातायात संरक्षा, सुरक्षा और संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व है, जहां 18 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और इसके माध्यम से ये रेल देश की संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह करती है। जो कुछ बातें सामने हैं, वे तो बहुत साफ हैं और उनके बारे में वर्ष 1992-93 का जो रेल बजट रहा हूं, उसमें कुछ कमी हो जाने पर और कुछ नये काम बढ़ाने के लिये रेल मन्त्री ने इस सदन से स्वीकृति की अपेक्षा की है। अपेक्षा अनुचित नहीं है किन्तु जिस प्रकार से रेलवे काम कर रही है, जिसके ऊपर जनता को दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ाने का दायित्व है, जिस प्रकार से दिनों-दिन रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे रेलवे को लाभ हो रहा है किन्तु रेलवे का जितना लाभ बढ़ता जा रहा

है, उस अनुपात में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए; उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा जो उपाय किये जाने चाहिए, उन उपायों की पूर्ति नहीं हो रही है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पिछले वर्षों में रेलवे की आय का जो हिसाब-किताब रहा है, उसका उदाहरण देते हुए कहना चाहूंगा कि वर्ष 1990-91 में रेलवे की आय का जो प्रतिशत बढ़ा, वह 6.9 रहा, वर्ष 1991-92 में वह प्रतिशत बढ़कर 8.3 हो गया और 1992-93 में और बढ़कर 10.9 हो गया। इससे स्पष्ट है कि हर साल रेलवे की आय में वृद्धि हो रही है परन्तु रेलवे विभाग अपने लाभ को ठीक प्रकार से प्रकट नहीं करता है तथा उसे डेप्रीसिएशन में, लाभांश में और विकास कोष के माध्यम से समायोजित करके, जितना शुद्ध लाभ रेलवे को हो रहा है, उस लाभ का बहुत सारा हिस्सा जनता की सुविधाओं में लगना चाहिए, परन्तु जनता की सुविधाओं में वह लगाया नहीं जा रहा है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जनता को सुविधाएं देने के लिए जो घोषणाएं आपने बजट में की हैं --लम्बी दूरी की हर गाड़ी मे खान-पान का डिब्बा, जिसमें सफाई और दूसरी सभी देखभाल की जिम्मेदारी गार्ड के अलावा स्टेशनों पर भी जाएगी, वैसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। रेलवे से खान-पान की सुविधा की जो अपेक्षा की जाती है और लम्बी दूरी के यात्रियों को, जिन्हें अपने घर से दूर तक यात्रा करनी पड़ती है, रेलवे से खान-पान की जिस सुविधा की अपेक्षा है, वे आपके खान-पान की व्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं। उन लोगों को ठीक प्रकार से सुविधा पहुंचाने के लिए, उन्हें ठीक भोजन मिले, इसकी व्यवस्था करने के लिए आपको समुचित और पर्याप्त उपाय करने चाहिए।

आजकल जिस तरह से खान-पान की सुविधाओं का निजीकरण किया जा रहा है, उसे प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है, वे लोग उसमें से ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेंगे, खान-पान की सेवाओं से लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। फिर जनता को ठीक प्रकार का भोजन मिलना चाहिए, अपनी रेल यात्रा के दौरान, वह नहीं मिल पायेगा। मैं चाहता हूं कि हर यात्री को अच्छा भोजन मिले, जब वे लोग पूरा पैसा देते हैं, पूरे पैसे देने के बाद भी, यदि आप देखें तो दही के स्थान पर पानी जैसा तरल होगा, दाल का कोई ठिकाना नहीं होगा, सब्जी के नाम पर आप उसमें कुछ नहीं पायेंगे, रोटियां तो जैसी होती हैं, उसे सब जानते हैं, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। गुजारा करने के लिए हर आदमी मजबूरन उसे लेता है क्योंकि उसके अलावा कोई सुविधा उसे नहीं मिलती, अतः वह उसे ही हासिल करने की कोशिश करता है।

इसलिए मेरा कहना है कि खाना-पान की सुविधाओं की तरफ रेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। रेल गाड़ियों में खान-खान की सुविधा के अतिरिक्त आपको हर रेलवे स्टेशन पर खान-पान की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और उस व्यवस्था का लगातार निरीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था में जन-साधारण का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से अन्य दूसरी सुविधाएं और व्यवस्थाएं की जा सकें। मैं जानता हूं कि इस व्यवस्था को देखने के लिए भी आपने एक व्यवस्था जैड० आर० डी० आर० यू० सी० सी० की बनाई हुई है, स्टेशनों पर सलाहकार समितियां बनाई हुई हैं लेकिन जब तक आप उन समितियों को कुछ अधिभार नहीं देंगे, तब तक वे कोई प्रभावी कार्य नहीं कर पायेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि यात्रियों के खान-पान की सुविधा की ओर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए।

बजट में आपने कहा था कि प्रदेशवार सांसदों को बुलायेंगे और उनकी कठिनाइयां सुनी जायेंगी। हम तो मंत्री जी से जाकर मिल लेते हैं और उन्हें कठिनाइयां भी बताते हैं, पिछले मंगलवार 4 अगस्त को को मैंने स्वयं रेल मंत्री से मिलकर अपनी कठिनाइयां बतायीं परन्तु प्रश्न है कि उनमें से कितनी कठिनाइयां दूर हो पाती हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारी मजबूरी यह होती है कि हमारे क्षेत्र के लोग हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं जिन्हें पूरा करना हमारा दायित्व है। जब उनकी कठिनाइयों को सुनकर, समझकर, हम रेल मंत्री जी से कहते हैं तो उन्हें पूरा करने का दायित्व रेल मंत्रालय का है। अतः हमें आपके माध्यम से निवेदन करना है कि रेल-मेल कराती है परन्तु इसमें जो रेलमपेल हो रही है, रेलों में भीड़भाड़ हर दिन बढ़ती चली जा रही है, इसमें आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि जनता को अधिकाधिक सुविधाएं मिल सकें। मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और चाहता हूं कि रेल मंत्री जी उन पर ध्यान दें। रेल मंत्री जी सदन में बैठे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं हम सदन में अपनी बात कह रहे हैं लेकिन वे जरूरी बातें हैं, जो लोगों की सुविधा के लिए हैं। हमें और कोई मौका नहीं मिल पाता कि हम जनता की कठिनाइयां आपके सामने रख सकें। जनता और सरकार, तथा रेल मंत्रालय के बीच सीधा सम्पर्क करने का साधन हम लोग ही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अभी जो आपने निजामुद्दीन से कोटा होकर इन्दौर तक एक गाड़ी चलायी है, उसका समय कुछ इस निश्चित किया है कि वह दिन में यहां से चलकर रात में वहां पहुंचती है जिसका उपयोग न इधर के लोगों को हो रहा है और न उधर के लोगों को उसका कोई लाभ मिल रहा है। हमने रेलगाड़ी के चलाने से पहले ही सारे क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं जिसमें उज्जैन के, कोटा के, झालावाड़ के, मंदसौर के, इंदौर के, सबने निवेदन किया था कि इस गाड़ी के समयचक्र में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इंदौर से यह गाड़ी साढ़े छः बजे के लगभग चलाई जाए और यहां पर दिल्ली में साढ़े सात-आठ बजे पहुंच जाए और यहां से जो गाड़ी चले वह 7 के आसपास चले और इंदौर वापस 8 बजे तक पहुंच जाए। परन्तु हमारे इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुझे विश्वास है कि इससे हमें जो असुविधा है उसको दूर करने की तरफ आप अवश्य ध्यान देंगे।

जब हम इन्दौर से, उज्जैन से, देवास से और रतलाम से सुविधाजनक गाड़ी की तलाश करते हैं, परन्तु हमें इन्दौर, उज्जैन या देवास से ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिलती है, जो हमें यहां सुविधाजनक ढंग से पहुंचा दे। वहां से यहां का 13 घंटे का रास्ता है, मगर गाड़ी 17 घंटे लेती है। तो हमने इस गाड़ी को जहां पर रोकने के लिए कहा है वहां रोक कर इसे ठीक कर दीजिए। हमने विक्रमगढ़, आलोट रोकने के लिए कहा है। हमने शामगढ़ रोकने के लिए कहा है। यदि इन स्टेशनों पर गाड़ी को रोकेंगे, तो लोगों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। लोगों को जो असुविधा हो रही है, इस गाड़ी को चलाकर आपने जो सुविधा दी है, तो उसका पूरा लाभ तभी पहुंच सकेगा जब आप इन स्टेशनों पर इस गाड़ी को रोकेंगे।

एक गाड़ी इन्दौर से बम्बई के बीच अवंतिका एक्सप्रेस चलती है। जब तक वह बम्बई सेंट्रल तक जाती थी, तब तक तो ठीक थी, हालांकि उसका समय ठीक नहीं था, किन्तु अब बान्द्रा टर्मिनल बनाकर उसे बान्द्रा रोक दिया जाता है, जिससे जनता को बान्द्रा से आगे बम्बई जाने के लिए कोई साधन नहीं है जिसके कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बम्बई जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ती है और 100 रुपए से भी ज्यादा उसमें लग जाते हैं। यह पीक आवर्स में 11-12 बजे पहुंचती है। इसलिए उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा

आपसे निवेदन है कि बम्बई सेंट्रल उस गाड़ी को पहुंचाएं, ऐसी सुविधा दें या ऐसा उपाय करें कि उसी समयचक्र में परिवर्तन करके कुछ ऐसे समय पर गाड़ी पहुंचाएं ताकि जनता को ज्यादा पैसे खर्च न करने पड़ें और बान्द्रा से उन्हें ऐसा कोई साधन मिल जाए जिससे वे बम्बई पहुंच जाएं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से महोदय निवेदन है कि इस गाड़ी को बम्बई सेंट्रल तक पहुंचना चाहिए जैसे पहले चलती थी। उसी प्रकार समय बदल कर भी सुविधा लोगों को दी जानी चाहिए।

एक गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस पीछे-पीछे और चलती है जिसको बम्बई-नई दिल्ली वातानुकूलित एक्सप्रेस कहा जाता है, परन्तु मध्य प्रदेश मे यह कहीं नहीं रुकती। यह जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है यह रतलाम में रुकती है। हमने कहा है कि इसको नागदा में भी रोका जाए। नागदा एक औद्योगिक शहर है। यहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। इस गाड़ी का मध्य प्रदेश में एक भी स्टापेज नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस गाड़ी को मध्य प्रदेश में नागदा स्टेशन पर निश्चित रूप से रोका जाए ताकि वहां के यात्रियों को सुविधा मिले।

एक गाड़ी है जो कोटा और आगरा फोर्ट के बीच में चलती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस गाड़ी को नागदा के जरिए उज्जैन तक बढ़ाया जाना चाहिए। आपको तो पता ही है, वैसे भी उज्जैन सांस्कृतिक नगरी है। वहां पर इसी वर्ष सिंहस्थ कुम्भ का मेला, बहुत बड़ा मेला लगा था। इसलिए, वहा के यात्रियों के लिए आने-जाने की सुविधा के उपाय करने के लिए उस गाड़ी को उज्जैन तक बढ़ाया जाना परमावश्यक है। इस गाड़ी के स्टापेज विक्रमगढ़, आलोट, महिदपुर रोड, उन्हेल किए जाएं, तो इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगी।

एक गाड़ी चलती है राजकोट-भोपाल। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका स्टापेज उन्हेल में होना चाहिए। इस बात की मांग जनता कर रही है। प्रतिदिन जो लोग आवागमन करते हैं, उनको बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए उनको सुविधा देने के लिए यह आवश्यक है कि इस गाड़ी का स्टापेज उन्हेल में होना चाहिए।

उज्जैन, देवास और इन्दौर ये प्रमुख नगर हैं। लेकिन उज्जैन से देवास और देवास से उज्जैन जाने के लिए कोई ठीक प्रकार की रेल सेवा नहीं मिलती है। एक गाड़ी इन्दौर से देवास के लिए जाती है उसका नंबर 107/108 है। उसको उज्जैन तक बढ़ा दिया जाए, तो उससे किसी को असुविधा नहीं होगी। उसके लिए अलग से स्टाफ की भी जरूरत नहीं है। यदि यह गाड़ी उज्जैन तक बढ़ा दी जाए, तो रोज आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सकेगी।

इसी के साथ मैं इन्दौर-उज्जैन के बीच में यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए, एक सब अर्बन ट्रेन को निरन्तर चलाए जाने की मांग भी करता हूं। इससे निश्चित रूप से इंदौर-उज्जैन के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। मीटर गेज से यह 63 किलोमीटर है और ब्रॉड गेज से 78-80 किलोमीटर है। अगर यह सुविधा बढ़ाई गई, तो यह जो औद्योगिक नगर है और उज्जैन के साथ-साथ देवास, आदि जगहों के सारे लोगों को यात्रा करने के लिए काफी सुविधा मिल जाएगी और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आप इस ओर जरूर ध्यान दें।

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इन्दौर है, मगर सबसे बड़ा शहर होने के उपरान्त रेलवे के नक्शे पर इन्दौर शहर उभरा नहीं है, वहां कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं। भोपाल जो मध्य

प्रदेश की राजधानी है, इन्दौर और भोपाल के बीच में एक गाड़ी चलाई जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि आप इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूप में इन्दौर से उज्जैन होते हुए भोपाल जोड़ देंगे, तो आप बहुत बड़ी सेवा उस क्षेत्र की रेलवे की सुविधा की दृष्टि से कर सकेंगे। इससे इन्दौर, उज्जैन और बाकी के रास्ते के बीच में जो लोग हैं, उनको सुविधा भी मिल सकेगी।

एक गाड़ी इन्दौर फतेहाबाद के बीच में चलती है, उसको बढ़ाकर रतलाम तक करने के लिए मांग वहां की जनता कर रही है। इससे बड़ नगर को सुविधा मिलेगी। नागदा में स्टेशन नाम की कोई चीज नहीं है। यदि आप देखेंगे, तो आपको वहां स्टेशन नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। नागदा बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। वहां पर लगभग 50 हजार लोग उद्योगों में काम करते हैं। वहां पर स्टेशन नहीं है। प्लेटफार्म पर ही स्टेशन बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि नागदा मण्डी और बिरलाग्राम दोनों ओर स्टेशन का निर्माण करें।

इसी प्रकार से उज्जैन और इन्दौर के बीच में रतलाम और बाकी के सैक्शन का विद्युतीकरण हो गया है, लेकिन उज्जैन और भोपाल को विद्युतीकरण के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है और इन्दौर को भी विद्युतीकरण के माध्यम से नई सुविधा देनी चाहिए।

मध्य प्रदेश की विधान सभा ने भी सारे मध्य प्रदेश में रेलवे के निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए और पूरे सदन ने सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित किया है रेलवे लाइन निर्माण करने के बारे में, मुझे विश्वास है कि उस पर मंत्रालय जरूर ध्यान देगा।

मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि विक्रमगढ़ आलोट जहां से नागेश्वर के प्रमुख जैन तीर्थ के लिए हजारों लोगों का आवागमन होता है वहां पर जो रिजर्वेशन की सुविधा है, उसको और बढ़ाना चाहिए। रिजर्वेशन की सुविधा बहुत कम है उसको और बढ़ाना जरूरी है। इन स्टेशनों पर पेयजल की सुविधा मिलनी चाहिए और अन्य सुविधाएं बढ़ानी चाहिए।

महिदपुर रोड, और नागदा स्टेशन पर आरक्षण के कोटे की सुविधा बढ़ाना बहुत जरूरी है। गाड़ियों का समय पर चलना बहुत जरूरी है। गाड़ियां लेट हो रही हैं।

मालवा एक्सप्रैस करके एक गाड़ी है वह तो समय पर कभी उज्जैन पहुंचती ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मालवा एक्सप्रैस को समय पर चलाया जाए। दिल्ली समय पर आ जाए और उज्जैन भी ठीक समय पर पहुंचे।

मेरे मित्र श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को रेल सुविधाओं के बारे में कहा और उनको मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था उनके ऊपर अमल किया जाए। उनकी मांग है कि ललितपुर-सिंगरोली रेल लाइन का निर्माण किया जाए और मध्य प्रदेश के घबरा नामक स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एवं तालबेहट स्टेशन पर मुम्बई टी० बी० का ठहराव किया जाए।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी से मेरे उपर्युक्त सुझावों पर ध्यानपूर्वक और गम्भीरता से विचार कर इनको कार्यान्वित करायेंगे। अन्त में मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं—

राजी हैं हम उसी में
जिसमें तेरी रजा है
ऐसे भी वाह-वाह है
वैसे भी वाह वाह है
जनता की सुविधा के लिए
हम सभी यहां जमा हैं
आप मान जाएं तो
मुश्किलें भी आसां हैं ।

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, मैं 1992-93 के लिए रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा होता हूं ।

भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के अंतर्गत पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है । इतनी बड़ी व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए । रेलवे के पास 19730 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां हैं और रेलवे में 1.65 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप में और अन्य 2 मिलियन लोग अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं । मैं अन्य क्षेत्रों के ब्यौरों में नहीं जाना चाहता । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, कोवाई एक्सप्रैस को मोरापुर में रोकने के निर्णय की सूचना देते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है और मैं माननीय रेल मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ का धन्यवाद देता हूं । यह एक लम्बे समय से चलती आ रही मांग थी जिस पर माननीय मंत्री महोदय ने पिछले सप्ताह विचार किया है । यह गाड़ी मद्रास और कोयम्बतूर के बीच चलती है । मोरापुर, देश के पिछड़े जिलों में से एक धर्मपुरी का हिस्सा है । देश में केवल 15 जिले पिछड़े हैं जिनमें से धर्मपुरी एक है । मोरापुर एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में पड़ता है और जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है । मैं मंत्री महोदय से बार-बार यह अनुरोध करता रहा हूं कि इस स्टेशन का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और इस स्टेशन के प्लेटफार्म को भी मजबूत तथा लम्बा बनाए जाने की आवश्यकता है । चूंकि यह एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और चूंकि यह रेलवे लाइन एकमात्र योजक लाइन है और यह धर्मपुरी जिले का केन्द्रीय स्थल है, इसलिए इस स्टेशन को विश्राम गृह तथा इस प्रकार की अन्य सुविधाएं प्रदान करके विकसित किया जाए ।

मैं पिछले एक वर्ष से जो अन्य मांग कर रहा हूं वह कडाथूर नामक अन्य स्टेशन के संबंध में है । यह भी एक ऐसे महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है जहां से भारी संख्या में लोग सेलम, कोयम्बतूर और इसके साथ-साथ जोलरपेटाई, मद्रास और जोलरपेट की ओर जाते हैं । यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र भी है और इस क्षेत्र से कम से कम 300 से 500 छात्र प्रतिदिन अध्ययन हेतु सेलम-जोलरपट्टाई-तिरुपट्टूर नामक क्षेत्र के पड़ोसी जिलों में जाते हैं । मेरे अपने धर्मपुरी जिले में पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं हैं । यही कारण है कि लोग अध्ययन हेतु अन्य जिलों में जा रहे हैं और यह कारण है जो मैं यह मांग कर रहा हूं कि बोकारो और अलेप्पी के बीच चलने वाली बोकारो स्टील सिटी एक्सप्रैस गाड़ी को कडाथूर में भी रोका जाए । यदि इसे वहां रोका जाता है तो लोगों, विशेष रूप से छात्र समुदाय को नियंत्रित अध्ययन हेतु सेलम, त्रिपट्टूर और अन्य क्षेत्रों में जाने का लाभ मिल सकेगा । केवल यही एक मार्ग है जिसके द्वारा वे आसानी से यात्रा कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं ।

कडप्पूर स्टेशन का भी सुधार किया जाए क्योंकि वर्तमान में वहां उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। मैं इन सुविधाओं के लिए लम्बे समय से कह रहा हूं और सरकार से विशेष रूप से रेल मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि इस पिछड़े जिले की ओर ध्यान दें। इस ओर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अन्य क्षेत्र सेलम-बंगलौर बड़ी लाइन का है। हमारे लोगों का एक लम्बे समय से यह स्वप्न रहा है। मैं यह मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। (व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बाहर के किसी व्यक्ति का सदन के किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करना उपयुक्त नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं स्वयं भी इस संबंध में संवेदनशील हूं।

श्री के० वी० तंगकाबालू : महोदय, सेलम-बंगलौर बड़ी लाइन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लाइन है और मैं मंत्री महोदय और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इसे आठवी योजना में शामिल किया जाए। धर्मपुरी जिला, जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, सेलम-बंगलौर की इस बड़ी लाइन से निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। इस क्षेत्र के लोग काम करने के लिए बगलौर-सेलम और अन्य अग्रणी क्षेत्रों में जाते हैं और उनके पास गाड़ी के अतिरिक्त और कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए इस पिछड़े जिले को बड़ी लाइन का लाभ मिलना ही चाहिए। यह इस क्षेत्र के लोगों का स्वप्न है और यही उनकी इच्छा भी है।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास ओलावाकोड मे एक खण्ड है जो कोयम्बतूर, पेरियार, सेलम और धर्मपुरी के कुछ भाग की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहां बंगलौर और मैसूर में अन्य खण्ड है और यह खण्ड पास के कर्नाटक क्षेत्र और तमिलनाडु के भाग की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम पिछले 10-15 वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि सेलम में एक खण्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। यह तमिलनाडु का केन्द्रीय स्थल होने के कारण इसकी शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। इससे तमिलनाडु के भाग की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने और क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।

हम बड़ी लाइन के लिए मांग कर रहे हैं। यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो कर्नाटक के लोगों को भी टूटीकोरीन जाने की सुविधा होगी। कर्नाटक और तमिलनाडु के भाग के लिए टूटीकोरीन पत्तन सुविधा भी उपलब्ध है। यही कारण है कि हम एक नई लाइन की मांग कर रहे हैं। यह नई लाइन सेलम-रसीपुरम-नमक्कल-करूर होगी। करूर से हमारे पास करूर-डिन्डीगुल-टूटीकोरीन बड़ी लाइन है। यदि नई लाइन की व्यवस्था की जाती है, तो धर्मपट्टी, सेलम और इरोड के पूरे भाग और बंगलौर तथा कर्नाटक राज्य के अन्य भागों के लोगों को लाभ हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस नये क्षेत्र को आठवीं योजना मे शामिल किया जाये।

हम मद्रास में एम० आर० टी० एस० परियोजना के लिए निधियों को बढ़ाने का अनुरोध करते रहे हैं। इस वर्ष आपने केवल 28 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। वह पर्याप्त नहीं है। तमिलनाडु के लगभग सभी संसद सदस्य इस संबंध में आपसे कई बार मिल चुके हैं और हम आपसे प्राय: मिलते रहते हैं और इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु आपसे निवेदन करते रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के कारण लागत में अवश्य वृद्धि होगी और इस कारण रेलवे को आने वाले दिनों में और अधिक धन देना पड़ेगा। यही कारण है कि हम शीघ्र क्रियान्वयन का और इसके लिए एम० आर० टी० एस० परियोजना, जोकि इस परिस्थिति में अत्यधिक आवश्यक है, के लिए अधिक धनराशि की शीघ्र मंजूरी के लिए आग्रह कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को क्षेत्रीय और मंडलीय स्तरों पर लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित समितियां गठित करने के लिए बधाई देता हूं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा जनता अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को अवश्य उठायेगी और समिति में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति शिकायतों पर खुलेआम विचार-विमर्श करके उन्हें दूर कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की और समितियों का गठन करना चाहिए ताकि जनता को लाभ मिल सके।

हमारे माननीय मंत्री संसद सदस्यों की बैठकें बुला रहे हैं और वह बड़ी लाइन के संबंध में हुई प्रगति के लिए क्षेत्रवार बैठकें बुला रहे हैं। यह विचार अच्छा है और हम इसका स्वागत करते हैं। मैं मद्रास-तूतीकोरिन लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन के कार्य को आठवीं योजना में शामिल करने के लिए भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है और यह समस्याओं को सुलझाने में और तमिलनाडु में सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास करने में सहायक होगा। हम इस परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन चाहते हैं ताकि तमिलनाडु की जनता इस योजना के द्वारा अपना भाग्य संवार सके।

5.32 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा यह अनुरोध है कि जहां तक निधियों के आबंटन का संबंध है, अन्य राज्यों की तुलना में, तमिलनाडु को अपने अधिकारों और निधियों के समुचित भाग से वंचित रखा गया है। यदि हम अन्य क्षेत्रों/राज्यों से तुलना करें, तो हमें निधियों के आबंटन में समुचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। हम अन्य राज्यों को निधियां देने के लिए आपको दोष नहीं दे रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ, हमें राज्य मे रेलवे लाइन के विकास के लिए और सुविधाओं की व्यवस्था हेतु हमारा उचित हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण अनुरोध करना चाहता हूं। रेलवे में खलासी और अन्य पदों के लिए नियुक्तियां केवल अधिकारियों द्वारा अथवा उन अधिकारियों की समिति द्वारा की जाती है जो यह कार्य स्थानीय संसद सदस्यों की सलाह लिए बिना ही कर रही हैं। निर्वाचित संसद सदस्यों की उन चयनों में कोई भूमिका नहीं होती है। हमारे बार-बार अनुरोधों के बावजूद, उन अधिकारियों ने, जो समिति में हैं, संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्यों के साथ समस्याओं पर चर्चा करना कभी आवश्यक नहीं समझा है। यह एक बड़ी दयनीय स्थिति है जहां जनता के निर्वाचित सदस्यों की उस क्षेत्र में किए गये चयनों में कोई भूमिका नहीं होती। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सरकार को इस बारे में आगे आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस क्षेत्र के संसद सदस्यों

को, जहां भर्ती की जानी है, इन चयनों में अवश्य स्थान दिया जाना चाहिये ताकि वे भ्रष्टाचार को रोक सकें और यह देख सकें कि रेलवे में सही लोगों को रोजगार मिले। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है और मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं इस बात पर जोर देता हूं।

तमिलनाडु के लोगों को आशंका है कि रेलवे मदुरई-तूतीकोरिन मीटर गेज लाइन को बंद रही है। इस संबंध में रेलवे के कुछ अधिकारियों ने यह घोषणा की थी। यह सही नहीं है। वास्तव में सरकार एक बड़ी लाइन के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ करने जा रही है। अतः, मैं यह स्वीकार करता हूं कि बड़ी लाइन को पूरा करने के बाद केवल विद्यमान लाइन को अलग किया जायेगा और इससे पहले यह नहीं किया जायेगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस क्षेत्र के लोगों को वर्तमान सुविधा का उपयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी आशंका को दूर किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस पर विचार करें और सरकारी प्रेस वक्तव्यों में संशोधन करें जो इस संबंध में किए गए हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को और विभाग को रेलवे के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। रेलवे राष्ट्र की जीवन-रेखा है और इस विभाग में काम करने वाले लोगों को उनके अच्छे काम के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। मैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, जिससे निःसंदेह बेरोजगार लोगों को रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। अतः, इन सभी कार्यों में तीव्रता लाई जानी चाहिए और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु को वरीयता और सही हिस्सा दिया जाना चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे के अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करना काफी कठिन है। यह सर्वज्ञात है कि जहां तक रेल संपर्कों और रेल सेवाओं का संबंध है, भारत का पूर्वी भाग बहुत अधिक कठिनाई में है। उसके बावजूद भी मैं यह प्रस्ताव नहीं रखूंगा कि इस रेलगाड़ी को तत्काल चलाया जाना चाहिए और इस लाइन की अभी स्थापना की जानी चाहिए। मैं स्वयं को केवल आम पहलुओं तक ही सीमित रखूंगा।

महोदय, हमने यह देखा है कि देश का सबसे बड़ा नियोजक, रेलवे ने अब अपनी श्रमशक्ति 22 लाख से घटाकर 14 लाख से भी कम कर दी है और वह एक कार्यक्रम आरम्भ कर रहा है जिसमें यह घटकर लगभग 9 लाख हो जायेगी। क्या इसी कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक भ्रम है। हम श्रमशक्ति को घटाकर 9 लाख नहीं कर रहे हैं और श्रमशक्ति उतनी ही रहेगी जितनी अब है।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह वादा करने के लिए धन्यवाद देता हूं कि श्रमशक्ति को कम नहीं किया जायेगा। लेकिन, दूसरी बात यह है कि, पिछले दस वर्षों अथवा उससे भी अधिक समय से रेलवे ने सामाजिक लागत को कम कर दिया है जोकि वहां होनी चाहिए; बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। सभी देशों में रेलवे सामाजिक लागत

का भार वहन करती है और हमारे देश में, सरकार खुलेआम यह घोषणा करती है कि वे सामाजिक लागत का भार नहीं उठा सकती। जीवन-यापन-व्यय बढ़ता जा रहा है। मूल्यों में वृद्धि हो रही है। किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन की लागत में वृद्धि होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सामाजिक लागत सामाजिक लागत ही रहती है तब भी जब मूल्य कम होते हैं और तब भी जब मूल्य अधिक होते हैं।

मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इन सभी कटौतियों के बावजूद, अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता क्यों होगी।

मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब रेलवे के कार्य निष्पादन में, रेलवे की सेवाओं में दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है, रेलों के रखरखाव, वैगनों और विभिन्न अन्य सेवाओं की उपलब्धता, जिनकी आवश्यकता होती है, में दिन-प्रति-दिन कमी आती जा रही है, रेलगाड़ी की गति, तथाकथित सुपरफास्ट रेलगाड़ियों, एक समय की प्रतिष्ठित गाड़ियां यथा नागपुर से होकर जाने वाली दिल्ली, कालका, हावड़ा मेल, बम्बई मेल, हावड़ा-बम्बई सम्पर्क और कई रेलगाड़ियां— में दिन-प्रति-दिन कमी होती जा रही है, तो रेलवे को अतिरिक्त धन की आवश्यकता क्यों है।

कांग्रेस सरकार द्वारा आधुनिकीकरण के बाद, कांग्रेस सरकार के ऊंचे विचारों और दावों के बाद, रेलगाड़ियों के रख-रखाव, सेवाओं और गति में कमी आई है।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : आप सहमत नहीं हैं। क्यों? क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि रेलगाड़ियों की गति कम हो गई है? क्या आप सोचते हैं कि रेलगाड़ियों की गति बढ़ी है? ऐसा कांग्रेस का बयान है।

उपाध्यक्ष महोदय : असहमति लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है।

श्री तरित बरण तोपदार : दिन-प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करने के बावजूद भी आपको लोकतंत्र में असहमत होने की स्वतंत्रता है। (**व्यवधान**) आप केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए रेल की मांग करेंगे। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, अपने राज्य अथवा पूर्वी राज्यों के लिए इसकी मांग नहीं करूंगा। (व्यवधान) यह सब ठीक है। हर व्यक्ति यह जानता है कि हमें पिछले कई वर्षों में क्या मिला है।

रेलवे ने भाप के इंजनों की बजाय डीजल इंजन आरंभ किए हैं। प्रारंभ में, यह विचार किया गया था कि कुछ समय के लिए इन डीजल इंजनों को चलाया जायेगा। ऐसा कहा गया था कि थोड़े समय में ही इसे बिजली के इंजनों में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह आश्वासन दिया गया था कि थोड़े समय में ही गंभीरता के साथ विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में, जिनसे हम परिचित हैं, कई बार जहां उन्होंने लगभग 50 कि० मी० अथवा 40 कि० मी० की पटरियों के विद्युतीकरण की मांग की है, हमने पाया कि उसे स्वीकार्य नहीं किया गया। अतः, बड़ी रेंज की पटरियों के विद्युतीकरण की मांग करना व्यर्थ है।

अतः, ईमानदारी के साथ, मैं यही कहना चाहता हूं कि नीति स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? आधुनिकीकरण का केवल दावा करने से कुछ नहीं होगा। हमने पिछले एक

वर्ष के दौरान क्या किया है ? हमने कितनी प्रगति की है ? हमारी भावी योजना क्या है ? आगामी दो वर्षों, तीन वर्षों अथवा चार वर्षों में हम क्या करने जा रहे हैं ? यह स्पष्ट नहीं है । पिछले कुछ महीनों से, रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद हमने नहीं देखा है कि रेलवे द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की गई हो जिसमें संसद से अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के लिए मांग की गई हो ।

एक बार पुनः इस चर्चा के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि समाजविषयक लागत को रेलवे द्वारा वहन किया जाये ।

श्री मल्लिकार्जुन : अब हम 2,220 करोड़ रुपए तक समाजविषयक लागत को पूरा करने जा रहे हैं ।

श्री तरित बरण तोपदार : इसकी प्रतिशतता में गणना करनी होगी । पहले क्या वहन किया गया था ? साधारण आंकड़े यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि आप सही कार्य कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : यदि आपको रेल मंत्री बनाया जाये तो आप भी यही बात कहेंगे ।

श्री तरित बरण तोपदार : नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा । (व्यवधान)

अतः रेलवे के कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए संसद से अतिरिक्त एक पैसे की भी स्वीकृति का दावा नहीं किया जा सकता । यही मैं कहना चाहता हूं ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री का रेलवे के लिए अनुपूरक मांग करने हेतु उनका धन्यवाद करता हूं । धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है और हम व्यय हुई राशि के लिए मंजूरी अथवा स्वीकृति दे रहे हैं ।

यदि मैं 25 फरवरी को माननीय रेल मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण से उद्धरित करता हूं, तो अंतिम पैरा में उन्होंने प्रत्येक बात स्पष्ट की है कि कैसे हमारी रेलवे ने प्राकृतिक वस्तु उत्तराधिकार में प्राप्त की है और कैसे रेलवे जैसे पुराने संगठन ने परिवर्तनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है । उन्होंने इसमें प्रत्येक बात को स्पष्ट किया है—कैसे संसाधनों की कमी के बावजूद यह रेलवे संगठन चल रहा है और इस संगठन को तेज गति के साथ निर्बाध रूप से चलाने हेतु किस प्रकार प्रयास किये जा रहे हैं ।

यहां पर प्रत्येक बात को स्पष्ट करने के लिए समय नहीं है. जो समय हमारे पास है वह मात्र हमारी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए है । माननीय सदस्य श्री रवि राय ने यहां बताया है कि उड़ीसा विधान सभा की आवास समिति किस प्रकार गठित हुई थीं और किस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष ज्ञापन रखा गया था । अनेक मांगें भी की गईं थीं । परामर्शदात्री समिति अथवा सभा में मैंने कई मांगें प्रस्तुत की हैं और इनमें से अधिकांश मांगें इस ज्ञापन में शामिल की गई हैं । यहां पर माननीय सदस्य श्री रवि राय ने कुछ मांगों को छोड़ दिया है । महोदय, मैं यहां रखी गई नई मांगों का समर्थन करता हूं और मैं यहां कुछ और नई मांगें रखना चाहता हूं । मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस सभा में उड़ीसा, बिहार और देश के अन्य उपेक्षित राज्यों को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि उन उपेक्षित राज्यों में छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का कार्य आरंभ किया जाएगा जिन्हें हमारे रेल मंत्रालय के

कार्यक्रम अथवा कार्य योजना में कोई स्थान नहीं मिला है। रूपसा—बांगरीपोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना होगा । इस बात को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्रियों के ध्यान में लाया गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि हम जनता को अपना मुंह दिखा सकें ।

इसके अलावा दूसरा मुद्दा यह है कि रेल मंत्री ने परामर्शदानी समिति की बैठकों में आश्वासन दिया है। अपने उत्तर में, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उड़ीसा में अब तक उपेक्षित विद्युतीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने सर्वेक्षण का आदेश दिया है और मैं उनके आश्वासन के लिए धन्यवाद देता हूं। खड़कपुर-बालटेय (वाया खुर्दा) रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए जिसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी और इसके लिए तत्काल धनराशि भी प्रदान की जानी चाहिए।

तीसरा मुद्दा यह है कि हमने मुख्य प्रशासक अधिकारी के कार्यालय के निर्माण को बदलने हेतु अपनी आवाज उठाई है जोकि अभी तक विशाखापटनम में था। हमने सुझाव दिया है कि इसे उड़ीसा ले जाया जाना चाहिए क्योंकि रेल लाइनों का अधिकांश भाग उड़ीसा में ही है और उड़ीसा में ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाना चाहिए ।

चौथा मुद्दा यह है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा में होने चाहिए । चार से पांच नए क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाने चाहिए । इनमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा में स्थापित किया जाना चाहिए ।

मैं यहां पर कुछ शिकायतें भी करना चाहता हूं। एक शिकायत है कि यहां उड़ीसा से नई दिल्ली तक कोई फास्ट ट्रेन नहीं है । हाल ही में, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां आरंभ की गई हैं और एक राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और हावड़ा के बीच आरंभ की गई है । मैं मांग करता हूं कि एक राजधानी एक्सप्रेस खड़बेला, उड़ीसा का राजा—वह एक विख्यात राजा था जिसने देश के तीन-चौथाई भाग को जीता था और वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था—के नाम पर नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक आरम्भ की जानी चाहिए ।

महोदय, जतनी के कोल लोकोमोटिव्स में कई आंदोलन आरंभ हुए थे क्योंकि इसे यहां से स्थानांतरित कर दिया गया है परन्तु वहां पर मात्र आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः इसका प्रयोग करने हेतु वहां कुछ होना चाहिए । यदि इसके स्थान पर डीजल इंजन होंगे तो यह सही रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० पात्र, यहां कुछ अन्य सदस्य भी हैं जिन्हें इस चर्चा में भाग लेना है । खैर, आपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मेरा अन्तिम मुद्दा हमारी राजधानी भुवनेश्वर के स्टेशन के संबंध में है । इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसे ग्वालियर का दर्जा दिया जाना चाहिए । इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हू कि वे वहां जायें और रूपसा—बांगरीपोसी से छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए आधारशिला रखें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम सभा की बैठक का समय एक घंटा बढ़ा दें । मेरी दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा

हुई थी। वे सभी सहमत हैं कि हम इसे आज ही समाप्त कर दें। यहां काफी काम है जिसे हमें करना है। इसलिए, सभा की बैठक का समय एक घंटा और बढ़ा दें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत चर्चा बाकी है, बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसके बाद एप्रोप्रीएशन बिल है, उस पर भी कुछ माननीय सदस्य बोलेंगे।

[अनुवाद]

हम छह मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों के साथ विनियोग विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री ई० अहमद : इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया गया होगा, परन्तु इन सभी मुद्दों पर आम-तौर पर एक साथ चर्चा की जाती है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : एप्रोप्रीएशन बिल अलग है। एप्रोप्रीएशन बिल तो इसके साथ डिसकस कर ही नहीं सकते। वह अलग से डिसकस करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : हमने उन्हें एक साथ प्रस्तुत किया है। सभी मुद्दों पर चर्चा चल रही है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : हम केवल मद संख्या 9 और 10 पर चर्चा कर रहे हैं। हम मद संख्या 9 और 10 के साथ मद संख्या 11 से 14 पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : डा० पाण्डेय ने प्रत्येक बात पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि डा० पाण्डेय कुछ और कहना चाहते हैं तो वे एक बार फिर बोल सकते हैं। कृपया उन्हें दोबारा पूरा विषय न उठाने दें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : इस चर्चा को हम एक घंटे में नहीं निपटा सकते। चाहे माननीय सदस्य अपनी बात पांच-सात मिनट में कहें।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : इस प्रकार तो हम कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय ले लेंगे। हमारे पास सभी कार्य दिवसों के लिए पूरी सूची है। यदि हम किसी मद को नियत समय के अन्तर्गत पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमें अतिरिक्त समय में इसे पूरा करना होगा। अभी तक हमें दूसरा विधेयक ले लेना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अभी रेल मंत्री जी का जवाब भी आना है। इतने कम समय में यह कैसे हो जाएगा। एक घण्टे में उत्तर भी आ जायेगा और माननीय सदस्य भी अपनी बात कह लेंगे, यह मुझे संभव नहीं लगता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अतः सभा एक घंटा और अर्थात् सात बजे तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है।

अब डा० एस० पी० यादव बोलेंगे।

(व्यवधान)

6.00 म० प०

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने 1992-93 के लिए जो विनियोग विधेयक पेश किया है, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।···(व्यवधान) सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उनके लिए फर्स्ट ए० सी० है जिसमें वे अकेले ही ट्रेवल करते हैं और सैकण्ड ए० सी० में वाइफ और कंपेनियन होते हैं। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट ए० सी० में भी कंपेनियन के लिए या उनकी वाइफ को ट्रेवल करने की अनुमति प्रदान करें। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां चन्दौसी में नार्दर्न रेलवे का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कालेज है। उसमें नार्दर्न रेलवे के एम्पलाइज को ट्रेनिंग दी जाती है और वे उत्तर रेलवे में जाकर काम करते हैं। चन्दौसी से रात को 8.40 बजे दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है, उसमें फर्स्ट क्लास की बोगी होती थी उसको दो महीने पहले से समाप्त कर दिया गया है। जो जन-प्रतिनिधि या जनता के लोग फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं तो उनको भी दिल्ली आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली से चन्दौसी के लिए जो ट्रेन जाती है उसमें से भी फर्स्ट क्लास बोगी को समाप्त कर दिया गया है।

इसके अलावा इलाहाबाद से देहरादून और देहरादून से इलाहाबाद के लिए लिंक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। उसमें से भी फर्स्ट क्लास बोगी को भी समाप्त कर दिया गया है और ए० सी० की उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। इस लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में कम-से-कम ए० सी० सैकण्ड क्लास और एक फर्स्ट क्लास बोगी को लगाने का कष्ट करें। उत्तर भारत के जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट काम से जाते हैं तो उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। जो हमारे सांसद और विधायक हैं वे भी उन सुविधाओं से वंचित हैं। लिंक एक्सप्रेस के ठहराव के लिए माननीय रेल मंत्री जी को लिखकर दिया था। नार्दर्न रेलवे की मीटिंग में मैंने इस बात को कहा था कि लिंक एक्सप्रेस का ठहराव भेजोई रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए जो कि बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। मैं सम्भल लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। सम्भल-मुरादाबाद के लिए एक ट्रेन जाती है। एक ट्रेन सुबह मुरादाबाद जाती है और आती है। चार में से तीन ट्रेन बंद कर दी गई हैं। उसमें I-एस आर, II-एस आर, III-एस आर को बंद कर दिया गया है। इससे गरीब लोगों को बहुत परेशानी है। मुरादाबाद मजदूर जाते हैं और आते हैं, उनको भी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध

नहीं है। मैं अनुराध करूंगा कि संभल-मुरादाबाद के लिए जो तीन ट्रेन बंद कर दी गई हैं तो उन तीनों ट्रेनों को चलाने का कष्ट करें। संभल ऐतिहासिक समय में मुगल पीरियड में एक राजधानी रहा है। उस शहर के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। मेरा अनुरोध है कि दिल्ली से गजरौला, गजरौला से संभल, संभल से चन्दौसी और चन्दौसी से लखनऊ के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन चलायी जाए और गजरौला से संभल बड़ी रेल लाइन द्वारा चलाने का कष्ट करें। इस हाऊस के अंदर अफरा-तफरी हो रही है और सभी सदस्य बातों में मश्कूर हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा है उसको मंत्री जी पढ़ लें और उस पर कार्यवाही करने का कष्ट करें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

6.03 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमलापुरम) : सभापति महोदय, मैं रेलवे पर केन्द्र सरकार के व्यय के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। रेलवे ने उल्लेख किया है कि देश में परिवहन के लिए आधारभूत ढांचे के त्वरित विकास की आवश्यकता तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने आठवीं योजना में शामिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अतः उसे ध्यान में रखते हुए, जहां तक रेलवे का संबंध है, मेरा क्षेत्र लगभग एक पिछड़ा क्षेत्र है। एक लाइन है जो विजयवाड़ा से हावड़ा जाती है। यह हमारे जिले के लिए लगभग एक समानान्तर लाइन है। हमारा जिला देश में सबसे बड़ा है जिसकी जनसंख्या 50 लाख है। वहां केवल एक ही लाइन है। यह आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के लिए लगभग एक बाई-पास है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर गौर करें।

काकीनाड़ा और कोटीपल्ली के बीच एक लाइन है जिसे विभाग ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हटा लिया था। किन्तु, यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हटायी गयी अन्य लाइनों को फिर से चालू कर दिया गया है, इसे अब तक दुबारा नहीं शुरू किया गया है। एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षणकर्त्ताओं ने भी सुझाव दिया था कि बहुत अच्छी संभावनाएं है और यदि काकीनाड़ा और कोटापल्ली के बीच इसे फिर से चालू कर दिया जाता है और नरसापुर तक इसे बढ़ा दिया जाता है तो यह और अधिक लाभकारी होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

दक्षिणी-मध्य रेलवे में रेलवे महाप्रबंधक लाइन की व्यवहार्यता के लिए सरकार को उचित रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। अतः कृपया इस मामले में आप विशेष रुचि लें। आठवीं योजना में इस लाइन को शामिल करना अत्यावश्यक है।

अमलापुरी मेरा चुनाव क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 20 लाख है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस मामले को देखें।

एक अन्य बात है जो दुर्घटनाओं के बारे में है। रेलवे रिपोर्ट के अनुसार 1-5-92 से 30-6-92 तक एक माह की अवधि में, नौ क्षेत्रों में 104 रेल दुर्घटनाएं हुई। यह बहुत दुःखद बात है। दुर्घटनाएं मुख्यतः रेलवे कर्मचारियों की असफलता, उपस्करों की खराबी, सड़क प्रयोक्ताओं की लापरवाही, तोड़फोड़ इत्यादि के कारण हुई। मेरे जिले में हाल ही में 44 घंटों की अवधि के भीतर

दो दुर्घटनाएं हुईं, एक में निदादावोले के पास गोदावरी एक्सप्रेस प्रभावित हुई और 24 घंटे बाद उसी स्थान पर दूसरी दुर्घटना कोणार्क एक्सप्रेस की घटी । उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये दुर्घटनाएं रेलवे लाइनों के खराब रख-रखाव के कारण होती हैं ।

मुझे यह भी पता चला है कि रेलवे विभाग ने गैंगमैन की भर्ती बंद कर दी है जो कि रेलवे लाइनों के प्रभारी होते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर भी ध्यान दें और देखें कि रेलवे लाइनों का उचित रख-रखाव हो । केवल तभी आप रेल दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे ।

लगभग 104 दुर्घटनाओं में 51 व्यक्तियों की जानें गयीं और 146 व्यक्तियों को चोटें आईं ।

अब तक विभाग ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों अथवा घायल हुए व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूं ।

विशाखापत्तनम तथा हैदराबाद के बीच एक गाड़ी है जो सप्ताह में पांच बार चलती है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सेवा को दैनिक कर दिया जाये । केवल तभी हम विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी से राज्य की राजधानी हैदराबाद जाने वाली भीड़ को संभाल पाएंगे ।

अन्ततः, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा । दक्षिणी मध्य रेलवे के आरंभ होने से अब तक कोई तेलुगू महाप्रबंधक को वहां तैनात नहीं किया गया है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया दक्षिण मध्य रेलवे में एक तेलुगू महाप्रबन्धक तैनात करें ताकि कम-से-कम वह आंध्र प्रदेश की समस्याओं को समझ सकेगा और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा ।

माननीय मंत्री जी को अगली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि समारालकोटा पर कुछ गाड़ियां रोकी जानी चाहिए क्योंकि पूर्वी गोदावरी जिले में पहुंचने के लिए यह लगभग एक जंक्शन है जो देश में सर्वाधिक घनी आबादी वाले जिलों में से एक है । कोरामण्डल एक्सप्रेस हावड़ा और मद्रास के बीच चलती है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि समारालकोटा पर कोरामण्डल एक्सप्रेस को रोकने के लिए संबद्ध अधिकारियों को उचित अनुदेश दिए जाएं जो कि पूर्वी गोदावरी रेलवे जंक्शन से जोड़ने का एकमात्र स्थान है । काकीनाड़ा रेलवे स्टेशन को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पूर्वी गोदावरी के लोगों की मांग बहुत पुरानी है क्योंकि यह एक जिला मुख्यालय है और एक पत्तन स्टेशन होने के नाते यह परिवहन की दृष्टि से अच्छा लाभ अर्जित कर रहा है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पूर्वी गोदावरी की जनता को बिना किसी कठिनाई के यात्रा करने योग्य बनाने के लिए काकीनाड़ा को मुख्य भूमि से जोड़ा जाये । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाए तथा रेलवे में उपेक्षित क्षेत्र के प्रति न्याय किये जाएं ।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं रेलवे के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं । जैसी कि स्थिति है । पहले ही इसके लिए कुछ राशि खर्च की जा चुकी है और माननीय सदस्य अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए बहुत-सी मांगें कर रहे हैं । किन्तु मैं अपने चुनाव क्षेत्र से कुछ आगे की बात करूंगा । मैं एक ऐसे क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे

रेलवे ने उपेक्षित रखा है और किसी भी तरह की आधुनिक सुविधा प्रदान नहीं की है। माननीय रेल राज्य मंत्री यहां उल्लेख कर रहे थे कि बजट में रेलवे के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए का परिव्यय है। मैं नहीं जानता कि इस धन को कहां खर्च किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई धन खर्च नहीं किया गया है। मैं दक्षिण रेलवे के पालघाट प्रभाग का उल्लेख कर रहा हूं। दक्षिण रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यह प्रभाग राजस्व के मामले में पहले अथवा दूसरे स्थान पर आता है जबकि विकास के मामले में चौथे अथवा पांचवें स्थान पर शोरनूर तथा मंगलौर के बीच की रेलवे लाइन का आरंभ उस समय हुआ था जब पुरानी दक्षिण भारतीय रेलवे बना था। अब भी यहां वही ढांचा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी शिकायत सुनेंगे। इस लाइन को दुहरा नहीं किया गया था। सौ वर्ष पूर्व जब रेलवे बना था, उस समय मंगलौर तथा मद्रास के बीच की रेलवे लाइन थी। किन्तु आज तक इस लाइन के साथ दूसरी लाइन नहीं बिछाई गयी। वहां कोई आधुनिक गाड़ी नही है। मानसून के मौसम में केरल के लोग अपना छाता इस्तेमाल करते हैं। किंतु मानसून के मौसम में रेलयात्रा में गाड़ियों में कोई रिसाव नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कोई मालगाड़ी अथवा नई गाड़ी नहीं है। प्लेटफार्मों की लम्बाई पर्याप्त नहीं है और छतों की सतह ठीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि केरल में मौसमी वर्षा होगी। किन्तु जब प्लेटफार्म की पूरी लम्बाई पर छत नहीं हो तो स्थिति क्या होगी? वहां पर कोई आधुनिक सुविधायें उपलब्ध नहीं है। जहां पर रेलें आरम्भ की जाती हैं वहां हर प्रकार की आधुनिक सुविधा होनी चाहिए। आजकल सिगनल के लिए भी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। किन्तु हमारा क्षेत्र पूर्णतः उपेक्षित है। मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि दक्षिण उत्तर से बहुत दूर है। किन्तु क्या दक्षिण रेलवे के एक विशेष क्षेत्र, नामतः शोरनूर-मंगलौर का क्षेत्र की उपेक्षा करने का यही कारण है?

मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नीलाम्बुर से फीरोक तक एक नई लाइन के सर्वेक्षण की स्वीकृति दी। यह सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। किन्तु मैं यह नहीं जानता कि मद्रास दक्षिण मध्य मुख्यालय में बैठने वाले के बुद्धिमान लोग अन्ततः क्या फैसला करेंगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जब भी किसी विकास योजना को आरम्भ करना होता है तो वे सदैव "न" ही करते हैं। माननीय मंत्री जी ने फीरोक स्थित रेलवे-स्टेशन आने की मेहरबानी की। वे गाड़ी से नीचे उतरे और आसपास घूमे और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे चुनाव क्षेत्र के रेलवे स्टेशन में आधुनिक सुविधायें प्रदान की जायेंगी। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि एक नए भवन का निर्माण किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाऊंगा कि प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक ने ऐसी किसी योजना की सिफारिश नहीं की है। इसका समर्थन महाप्रबंधक ने ही किया है। मैंने मामला उनके पास उठाया है। मैंने उन्हें बताया कि कहीं जाते हुए स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से आते हुए माननीय मंत्री जी ने यह महत्वपूर्ण आश्वासन दिया था, और वह भी कि यह आश्वासन एक संसद सदस्य को दिया गया था। कार्य इस ढंग से होते हैं।

जब लोगों से राजस्व प्राप्त हो रहा है, जब क्षेत्र में संभाव्य परियोजनाएं हैं और इस प्रकार की सुविधाएं देने के लिए अनुदान देने हेतु पर्याप्त कारण है तो फिर फीरोक जिले में इस क्षेत्र को यह सुविधा देने से इन्कार क्यों किया जा रहा है? मैं उत्तर जानना चाहूंगा और मुझे जानने का पूरा अधिकार है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस क्षेत्र के विकास में विशेषकर, नीलाम्बर से फीरोक की नई रेलवे लाइन बिछाए जाने संबंधी नए सर्वेक्षण में व्यक्तिगत रुचि लें।

मैं रेलवे खलासियों के संबंध में एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। जब कोलम के पास गंभीर दुर्घटना हुई थी तो इन्हीं खलासियों ने सहायता पहुंचाई और बचाव कार्य किया। यद्यपि वे 10 और 20 वर्षों से अधिक से सेवा में हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष के अंत में उन्हे बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर रेलवे के अधिकारी तर्क देते हैं कि इन लोगों ने सतत सेवा नहीं की है। यहां तक कि जब केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि एक व्यक्ति जो कि एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है उसे स्थायी सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए, तो रेलवे ने इस प्रकार की अनैतिक प्रक्रिया का आश्रय लिया हुआ है कि इन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मैं यह नहीं समझ पाता कि उनका इन लोगों के प्रति इस प्रकार का रवैया क्यों है? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय दक्षिण रेलवे के अधिकारियों को पर्याप्त अनुदेश दें कि वे सुधारात्मक उपाय करें और सभी के साथ न्याय करें।

इन्हीं कुछ टिप्पणियों के साथ, मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को रेलवे के विकास में ली गई गहन रुचि के लिए बधाई भी देता हूं।

***श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम)** : सभापति महोदय, रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबध में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं और इसमें कुछ और मुद्दे जोड़ना चाहता हूं।

प्रारंभ में, मैं रेल मंत्री महोदय, श्री जाफर शरीफ को कोवाई एक्सप्रेस के अराक्कोनम पर रुकने संबंधी हमारी मांग को स्वीकार किए जाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मांगें काफी लम्बे समय से की जा रही थी तथा अब मंत्री महोदय की पहल के परिणामस्वरूप यह अराक्कोनम रेलवे स्टेशन पर भी रुकने लगी है। 9 अगस्त से, कोवाई एक्सप्रेस के अराक्कोनम में रुकना खुशी देने वाली घोषणा है। मैं अपने निर्वाचन स्थान ने मतदाताओं की ओर से रेल मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

इसी प्रकार मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे शहर के बढ़ते महत्व को देखते हुए अराक्कोनम रेलवे स्टेशन का विस्तार करें। पवित्र तीर्थ-मन्दिर जैसे तिरूपति, थिरुथनी, कांजीपुरम की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा किया जा सकेगा यदि अराक्कोनम रेलवे स्टेशन में सुधार किया जाता है, चूंकि ये तीर्थ-केन्द्र अराक्कोनम द्वारा जुड़े हुए हैं।

अराक्कोनम में, हाल ही में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, श्री आर० वेंकटरामन द्वारा केवल एअर स्टेशन आई० एन० एस० राजाली का उद्घाटन किया गया था। इससे देश के विभिन्न भागों से रक्षा विभाग के कार्मिकों का आना-जाना बढ़ा है। अतः, अराक्कोनम रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ विस्तार और सुधार का निश्चित मामला बनता है।

मैं रेलवे से यह भी अनुरोध करूंगा कि अराक्कोनम में वर्तमान रेलवे इंजीनियरिंग कार्यशाला का आधुनिकीकरण किया जाए। यह अच्छा ही होगा कि अत्याधुनिक विद्युत उपस्करों तथा अतिरिक्त कल-पुर्जों के विनिर्माण के लिए वर्तमान कार्यशाला को आधुनिक बनाया जाए, इससे रेलवे की आवश्यकताएं पूरी होंगी। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कार्यशाला में प्रत्यक्ष सुधार किए

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जाने की आवश्यकता है, चूंकि इसमें मशीनें लगी हैं। कामगरों को इस प्रकार के पर्यावरण में काम करने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः, मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अराक्कोनम रेलवे वर्कशाप का आधुनिकीकरण करवायें।

इसी प्रकार मैं अराक्कोनम रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल निर्माण के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं। तमिलनाडु की सरकार जैसा कि सहमति हुई थी, कार्य नहीं कर रही है। अतः, मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे तमिलनाडु सरकार से यथासंभव शीघ्रता से कार्य आरम्भ करने के लिए कहें।

अराक्कोनम से लोगों का आना-जाना बढ़ा है। अराक्कोनम और इसके आसपास के क्षेत्रों से लगभग 15-20 हजार विद्यार्थी, कामगार, रेलवे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और आम जनता प्रतिदिन पढ़ने व जीविका अर्जित करने से लिए मद्रास जाते रहते हैं। यात्रियों की इस बढ़ी हुई संख्या पर रेल मंत्री महोदय द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन यात्रियों के लाभ के लिए अराक्कोनम और मद्रास के बीच विशेष रेल गाड़ियां चलाना उचित होगा। यह रेल गाड़ी प्रातः 8.45 पर मद्रास पहुंचने के लिए प्रातः 7.30 बजे अराक्कोनम से चल सकती है, तथा सायं 7.00 बजे अराक्कोनम पहुंचने के लिए सायं 5.45 बजे मद्रास से चल सकती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वे यात्रियों की सुविधा के लिए यह गाड़ी शुरू करवा दें, क्योंकि यात्रियों ने उसकी आवश्यकता महसूस की है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र इस मामले पर ध्यान दें।

मैं रेल मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे बंगलौर-मद्रास लालबाग एक्सप्रेस को भी अराक्कोनम पर रुकवाने की लम्बे समय से लंबित पड़ी हमारी एक अन्य मांग पर भी विचार करें। इसी प्रकार आप मद्रास से नं० 7 बंगलौर मेल को वालाझा पर रुकवाने के लिए भी विचार करें।

मैं आपसे वाया रानीपोट. आरकोट, कालावाई वंडावारी, चेय्यार होते हुए वालाझा और तिंडिवनम के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाए जाने का भी अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में आवश्यक सर्वेक्षण कार्य किया जाए।

इससे पहले जब मैंने भूतपूर्व रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया के साथ यह मामला उठाया था, किसी सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने मुझे बताया था कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत पर लगभग 100 कि० मी० रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता होगी। इस नई लाइन से जोड़े जाने वाले पूरे क्षेत्र में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र का विस्तृत भाग भी शामिल होगा। इस नए मार्ग से उस क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तन आएगा। इसने औद्योगिक विकास होगा और समृद्धि आयेगी। अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यदि आवश्यक हो, तो नया संभाव्य सर्वेक्षण किया जाए। इस संबंध में जल्दी लिया गया निर्णय लागत वृद्धि से बचने में सहायक होगा।

मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रेल मंत्री महोदय श्री जाफर शरीफ नए विचारों का स्वागत करते हैं और नवीन तथा महत्वपूर्ण कार्य योजना से सहमत होते हैं। अतः, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे वालाझा और तिंडीवनम के बीच नई रेलवे लाइनों को बिछाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य को अपने कार्यकाल के दौरान पूरा कर लें।

मैं बंगलोर और तिरुपति के बीच नई रेल गाड़ी शुरू किए जाने का स्वागत करता हूं। यह गाड़ी बंगारपेट और अराक्कोनम से होकर जाती है। यदि आप कटपड्डी-तिरुपति बड़ी लाइन को बिछाने के कार्य में जो आठवीं योजना में शामिल किया गया है, में तेजी ला सकते हैं, तो आप इस नई लाइन पर नई गाड़ी चला सकते हैं। उस महत्वपूर्ण योजना पर जो कि तिरुपति को यथा-संभव छोटे मार्ग से जोड़ेगी, लागत वृद्धि से बचने के लिए, उस पर शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आप तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से सम्पर्क कर सकते हैं, जो कि व्यय का कुछ भाग वहन कर सकते हैं।

मैं आपका ध्यान रेलवे के पास पड़ी मुख्य भूमि तथा अन्य भूमि की स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। कुछ स्थानों पर हम अवैध अतिक्रमण भी पाते हैं। आपको अधिक दूर तक फैली भूमि जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, को प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए। आपको भू-धारिता के बारे में अवश्य जानकारी रखनी चाहिए तथा अतिरिक्त भूमि रेलवे कर्मचारियों को आवासीय प्रयोजनों के लिए दे देनी चाहिए। अराक्कोनम में फालतू रेलवे भूमि को लघु-उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों को दिया जा सकता है। इससे औद्योगिक विकास और आवासीय सुविधाएं बढ़ेंगी।

रेल मंत्री महोदय श्री जाफर शरीफ ने नई गाड़ियां शुरू करने में भी नई परंपरा स्थापित की है। उन्होंने नई दिल्ली और बंगलौर के बीच नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी शुरू की है। हैदराबाद को भी इस नई गाड़ी से जोड़ा गया है। मुझे खेद है कि नए-नए कार्य करने वाले मंत्री, श्री जाफर शरीफ ने इस कार्य में मद्रास की उपेक्षा की है। हम इस संबंध में अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप नई दिल्ली और मद्रास के बीच भी एक अन्य राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करें।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं इम्फाल जाने के लिए एक रेल लाइन की मांग करता हूं जो कि मणिपुर राज्य की राजधानी है। हमारी राष्ट्रीय नीति के अनुसार रेल लाइनों को सभी राजधानियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए और इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी इस मांग पर रेल मंत्री महोदय को विशेष रूप से विचार करना चाहिए।

मैं राजधानियों को रेल लाइनों से जोड़ने की मांग क्यों कर रहा हूं? यह आवश्यक क्यों है? मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को मणिपुर से दिल्ली तक यात्रा करनी होती है अथवा मणिपुर के बाहर देश के किसी भी भाग तक यात्रा करनी होती है, तो इसके लिए उन्हें इम्फाल से दीमापुर, जो कि सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है, 100 मील से अधिक की यात्रा बस से करनी होगी। इतनी लम्बी दूरी तक बस से यात्रा करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि बरसात के मौसम में भू-स्खलन होता है और वहां पर कई अन्य समस्याएं भी हैं। इम्फाल से देश के अन्य स्थानों पर पहुंचने के लिए परिवहन अथवा अन्य वाहनों की कठिनाइयां हैं। आवश्यक वस्तुओं इत्यादि के लाने ले जाने की भी कठिनाइयां हैं। अतः इम्फाल तक एक रेल लाइन अवश्य होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इस रेल लाइन की आवश्यकता न केवल यात्रियों और माल के आने-जाने के लिए होगी बल्कि देश की सुरक्षा के उद्देश्य से भी इसकी आवश्यकता है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मणिपुर का सामरिक महत्व है। यह बर्मा और अन्य देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। अतः सैनिकों और अन्य भारी उपस्करों को लाने ले जाने के लिए भारत के बाहर बोरखे

स्टेशनों के सीमा क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक रेल लाइन होनी चाहिए। इसकी ही अत्यंत आवश्यकता है । आजकल मणिपुर के लोगों को राज्य के बाहर जाने के लिए दीमापुर अथवा गोहाटी से गाड़ी पकड़नी पड़ती है। गोहाटी तक जाने के लिए लोगों को इम्फाल से गोहाटी तक हवाई यात्रा करनी होती है और वहां से उन्हें गाड़ी पकड़नी पड़ती है। अतः यात्रियों के लिए यह बहुत ही कठिन कार्य है। यहां तक कि गोहाटी अथवा दीमापुर तक पहुंचकर भी इस बात की निश्चिंतता नहीं होती कि उन्हें गाड़ी के टिकट अथवा उसमें आरक्षण मिल सकेगा। यदि उन्हें टिकट अथवा गाड़ी में आरक्षण नहीं मिलता है, तो उन्हें कई सप्ताह तक अटके रहना पड़ता है। अतः, रेल लाइन जरूरी है। यदि रेल मंत्री महोदय अपनी मंशा बतायें कि वे एक रेल लाइन बिछाने पर विचार करेंगे जो इम्फाल तक जाएगी तो मैं रेल मंत्री जी से कोई भी सौदेबाजी करने के लिए तैयार हूं। मुझे इस बात का खेद नहीं है यदि रेल लाइन को बिछाने में एक वर्ष अथवा दो वर्ष का समय लगता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे रातों रात बिछा दिया जाए। यदि एक वर्ष में अथवा दो वर्ष में रेल लाइन बिछाना संभव नहीं है तो उसके लिए वे पांच वर्ष अथवा दस वर्ष का समय ले सकते हैं। यदि समय अधिक लगेगा, तो लागत बढ़ जाएगी। मैं सरकार की मंशा जानना चाहता हूं कि क्या वह इम्फाल को रेल लाइन से जोड़ना चाहती है। इसमें अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं और इस पर करोड़ों रुपये व्यय किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।

महोदय, मैं इस क्षण इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह राज्य जो एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य था, यह महाराजा का राज्य था जिसे भारत संघ के अनुरोध पर भारत संघ के साथ विलय कर दिया गया था।

अब मेरा प्रस्ताव है कि यदि भारत संघ चाहता है कि मणिपुर के लोग सुखी और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करें तो आपको यह उत्तरदायित्व अवश्य निभाना चाहिए। क्योंकि विलय के समय भारत सरकार ने इन सभी दायित्वों पर विचार किया था। अतः आपको यह दायित्व अवश्य निभाना चाहिए। इस समय यह राज्य उग्रवादियों और पृथकतावादियों द्वारा उत्पन्न विद्रोह की समस्या का सामना कर रहा है, जो इन तमाम समस्याओं के कारण भारत संघ के साथ विलय को रद्द करना चाहते हैं।

वे महसूस करते हैं कि वे उपेक्षित हैं। वे महसूस करते हैं कि वे देश के अन्य भागों के निवासियों को मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित हैं। अधिकांशतः युवक एवं किशोर अत्यधिक कुण्ठित हैं। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय मामले के रूप में उठाकर अर्थात देश के शेष भागों से इम्फाल को रेल मार्ग से जोड़ें। मंत्री महोदय से मेरा यही एक विनम्र अनुरोध है।

अब मैं मंत्री महोदय जी से इम्फाल में उन यात्रियों के लिए टिकट घर खोलने का अनुरोध करूंगा जो रेलगाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं, जो या तो गुवाहटी से अथवा दीमापुर से गाड़ी पकड़ेंगे। उन्हें इम्फाल में आरक्षण की सुविधा सहित बुकिंग करने की सुविधा हो। इस समय हम कई स्थानों पर कम्प्यूटरों का प्रयोग कर रहे हैं। अतः इसे भी कम्प्यूटरीकृत किया जा सकता है और इसे इम्फाल में दीमापुर अथवा गुवाहटी की सीटों के लिए ही रखा जा सकता है। अतः, यह अवश्य होना चाहिए। मैंने रेल मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया है। बल्कि मैं रेल मंत्री से अनुरोध

करता हूं कि लोगों के हित में इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। इससे निराश युवकों को शांत करके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में गृह मंत्रालय को भी किसी हद तक सहायता मिलेगी। मेरी समझ से यह एक अच्छा विचार है। इससे लोगों को बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। यदि रेल मंत्री महोदय इसकी जांच करके शीघ्र ही इस पर विचार करें तो लोगों की शिकायतों को दूर किया जा सकता है।

इस समय जीरीबाम में एक रेल शीर्ष पर निर्माण कार्य चल रहा है जो कि मणिपुर की सीमा लगा हुआ शहर है और सिल्चर की सीमा से घिरा हुआ है। निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। यह अभी पूरा नहीं हुआ है यद्यपि यह पिछले तीन से चार वर्षों से चालू है। यदि यह पूरा हो जाता है तो इससे कुछ हद तक उन लोगों को सुविधा होगी जिन्हें सिल्चर से आगे गाड़ी पकड़ने के लिए इम्फाल से जीरीबाम आना पड़ता है। मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसकी जांच करें। मैं पुन: इस बात को दोहराता हूं कि यदि देश चाहता है कि मणिपुर भारत संघ के साथ रहे तो एक रेल लाइन इम्फाल तक अवश्य होनी चाहिए। यह मेरे लिए एक सौदेबाजी का मामला है और मैं उस राज्य के लोगों की ओर से बोल रहा हूं। वे इसकी मांग कर रहे हैं। मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं जैसा कि मैंने कहा है कि यह इस देश का, भारत संघ का दायित्व है क्योंकि विलय के समय इस पर निर्णय लिया गया था और उस दायित्व को उठाने का विचार किया गया था।

अंत में, मैं इस बात को महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कालका मेल से हावड़ा से दिल्ली की यात्रा करने में कठिनाई आती है क्योंकि टिकट कलक्टर यात्रियों के साथ शरारत करते हैं। वे रेल में यात्रियों से पैसा वसूल करके उसकी रसीद नहीं देते हैं। वे पैसा वसूल कर बिना रसीद दिए ही मुगलसराय स्टेशन पर उतर जाते हैं। मैं बाद में रेल मंत्री महोदय को इस बारे में लिखूंगा। मैं इस विषय पर सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं, परन्तु मैं इस बारे में एक उदाहरण दूंगा कि टिकट कलक्टर ने किस तरह से रिश्वत के रूप में पैसा वसूल किया है और इसी प्रकार कई और भी शरारतपूर्ण कार्य करते हैं।

अन्त में, मैं रेल मंत्री महोदय से रेलगाड़ियों अच्छी भोजन प्रदान करने हेतु निवेदन करना चाहूंगा। हमें काफी कष्ट उठाना पड़ा है। मैंने स्वयं इसे अनुभव किया है। ऐसी रेलगाड़ियों में भोजन व्यवस्था की सुविधा निराशाजनक है। मैं यह भी मांग करता हूं कि दिल्ली से गुवाहटी तक एक राजधानी रेलगाड़ी होनी चाहिए, आप उसे कोई भी नाम दें। मैं मांग करता हूं यहां एक बिना रुकने वाली रेलगाड़ी होनी चाहिए जैसे दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से अन्य शहरों में में है। दिल्ली को गुवाहटी से राजधानी बिना रुकने वाली रेलगाड़ी से जोड़ा जाना चाहिए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इस सुविधा का उपभोग कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आपका धन्यवाद करता हूं और यह सौदेबाजी करना चाहूंगा कि यदि रेल मंत्री महोदय इम्फाल में रेल लाइन बिछाने हेतु अपना इरादा व्यक्त करने के लिए तैयार है, तो मैं इस मांग का समर्थन करने हेतु तैयार हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, सदन वर्ष 1988-89 के दौरान किए गए व्यय से संबंधित अनुदानों की अधिक राशि की मांग, जो कि संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त है तथा अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहा है। कुल 104 45 करोड़ रुपये का अधिक व्यय, भविष्य निधि, पेंशन, अधिप्राप्ति निर्माण तथा परिसम्पत्तियों को बदलने जैसे कार्य

चालन संबंधी विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत तथा सामान्य अधीक्षण, स्थाई मार्गों तथा निर्माण कार्यों के अनुरक्षण संयंत्र तथा उपस्करों की मरम्मत तथा रखरखाव, यातायात-संचालन व्यय, कर्मचारी कल्याण तथा सुविधाओं जैसे शीर्षों के अन्तर्गत हुआ।

अब ऐसी अधिक धनराशि के लिए स्वीकृति मांगी जा रही है जो वर्ष 1988-89 के लिए स्वीकृत अनुदानों तथा विनियोग से अधिक पहले ही खर्च की जा चुकी है। निःसंदेह इस मांग का संविधान के अनुच्छेद 115 के अन्तर्गत समर्थन किया गया है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अब तक कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई, तो स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय करने की मनोवृति तथा लालसा बन जाएगी।

आगे यह कहा जा रहा है कि अब ऐसी कार्यवाही नौंवी लोक सभा की लोक लेखा समिति के 11वें प्रतिवेदन पर की जा रही है। अतः मैं यह महसूस करता हूं कि यह सदन लोक लेखा समिति की टिप्पणियों का ब्योरा जानना चाहता है तथा माननीय मंत्री एकीकृत अनुदानों से अधिक व्यय करने के लिए बाध्य करने वाले कारणों की व्याख्या करके हमें अनुगृहीत करेंगे। यह प्रश्न उठेगा कि क्या इस अधिक परिव्यय से संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि भारतीय रेलवे की समस्त कार्य प्रणाली की स्वीकृत अनुदानों से ऐसे अधिक व्यय के प्रकाश में पुनरीक्षा करनी होगी।

यहां मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में वास्तविक कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को मान्यता प्रदान करने से रेलवे के कार्यकरण में काफी सीमा तक सुधार होगा।

मेरे विचार से भारतीय रेलवे में कार्यरत लगभग तीन लाख से भी अधिक कर्मचारी भारतीय रेल मजदूर संघ द्वारा संगठित किए गए हैं तथा वे इसको मान्यता प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। यूनियन को मान्यता प्रदान करने की उनकी मांग को रेलवे के अधिकारियों ने बिल्कुल अनसुना कर दिया है। मेरे विचार से प्रबन्धन के उच्च स्तरों पर निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा इस मामले में विलम्ब किया जा रहा है तथा वास्तविक कर्मचारियों को अपना अधिकार प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः, मैं कम-से-कम अब इस अवसर पर माननीय मंत्री से इस मामले की जांच करने तथा भारतीय रेल मजदूर संघ को तुरन्त मान्यता प्रदान करने की मांग करना चाहता हूं ताकि रेलवे की समस्त कार्य प्रणाली में सुधार हो सके।

कम-से-कम अब यह सदन माननीय मंत्री से यह आश्वासन ले सकता है कि अब से आगे रेलवे स्वीकृत अनुदानों का पालन करेगी तथा स्वीकृत अनुदानों से अधिक खर्च नहीं करेगी? कई बड़े मामलों, जिन्हें मैं घोटाले कह सकता हूं—जैसे कि इंजनों की खरीद पर चर्चा करने का समय नहीं है। मेरे मित्र पहले ही उनकी चर्चा कर चुके हैं।

श्री पी० एम० सईद : सभापति महोदय, यह मामला न्यायालय में है। इसका संदर्भ देना ठीक नहीं है। मैं केवल इसको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं अब इस मामले की गहराई में नहीं जाना चाहता। अब तक ए० बी० सी० से सभी काफी परिचित हो चुके हैं तथा यहां हम केवल 104 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री के० वी० तंगकाबालू : पिछली बार जब हम इस पर चर्चा करना चाहते थे तो आप यहां नहीं थे। आप सभी भाग गए थे। (व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : मुझे आशा है कि सभापति महोदय सदस्यों को पूरी बहस करने की अनुमति प्रदान करेंगे। मेरा उद्देश्य ऐसी मांग उठाने के संबंध में है। इस सदन को ऐसे घोटालों पर चर्चा करनी चाहिए जिनमें हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जाने का पता चला है। खैर, मैं इस मामले को यहीं छोड़ता हूं क्योंकि मुझे यह स्मरण कराया गया है, यह मामला न्यायालय के समक्ष लम्बित है। जहां तक मैं समझता हूं न्यायालय ने समाचार-पत्रों में इसके प्रकाशन पर रोक लगाई, न कि इस पर सदन में चर्चा करने पर कि इसमें कुछ व्यक्ति शामिल हैं—मैं नहीं जानता कि इस घोटाले में कौन शामिल है।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री वी० धनंजय कुमार : अब मैं अनुपूरक अनुदान मांगों को लेता हूं। अनुपूरक अनुदान मांगें आमान परिवर्तन कार्य के लिए है। निःसंदेह, यह एक स्वागत योग्य उपाय है तथा हम निश्चय ही अपना समर्थन देंगे। साथ ही माननीय मंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि चालू परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें कोंकण रेलवे परियोजना की जानकारी है। यह कछुए की चाल से चल रही है। इसके पोषण के लिए बांड जारी करने के पश्चात भी, आवश्यक धन नहीं मिल रहा है। मेरे विचार से ए०बी०बी० से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। यहां भी मेरे पास एक बात का हवाला करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है यद्यपि सत्ता पक्ष के लिए यह सुखद नहीं होगी। मुझे एक टिप्पणी करनी है कि भारतीय रेलवे में कुछ उच्च अधिकारी इस बात पर तुले हुए हैं कि इस कोंकण रेलवे परियोजना को समय सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से इस मामले की जांच करने तथा चालू परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं तथा मैं माननीय मंत्री से एशियाई विकास बैंक से निधियों की उपलब्धता के संबंध में आश्वासन तथा पुष्टि प्राप्त करना चाहता हूं।

मैं माननीय मंत्री से मंगलौर तथा बंगलौर के बीच दिन के समय चलने वाली एवं रेलगाड़ी चलाने के लिए भी अनुरोध करना चाहता हूं। यह एक लम्बे समय से की जा रही मांग है। रेल बजट पर लम्बी चर्चा के दौरान भी हमने ऐसी मांग की थी। लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। इस मांग को पूरा करने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं।

सदन सदैव अधिक अनुदान, धनराशि जो पहले ही खर्च की जा चुकी है, तथा अनुपूरक मांगों के लिए, जो केवल 4 लाख रुपये की हैं, के लिए सहमत होगा। हम इसका समर्थन करेंगे। हमें रेलवे के समग्र कार्यकरण में सुधार करना चाहिए तथा लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। मुझे आशा है कि रेल मंत्री समस्याओं तथा कठिनाइयों को समझते हैं।

महोदय, मेरे विचार से श्री रवि राय ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा—यह मुद्दा एक विशेष स्टेशन अथवा एक विशेष रेलवे अथवा एक विशेष रेलवे परियोजना से संबंधित नहीं है—यह एक राज्य में रूप में उड़ीसा से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि यदि सरकार अथवा रेल मंत्रालय इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी अपेक्षा

मैं यह कहूंगा कि यद्यपि उन्होंने 'चेतावनी' शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इंफाल के माननीय सदस्य ने एक खिन्न ढंग से एक भावना व्यक्त की है। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं तथा मेरे विचार से माननीय मंत्री ने उसे नोट कर लिया है···(व्यवधान) यह उनकी अभिव्यक्ति है। मैं सौदेबाज नहीं हूं। लेकिन मुझे जो बात महत्वपूर्ण लगती है वह है रेलवे का एकीकरण, राष्ट्रीय एकता लाने तथा उसे सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका। यह भारतीय रेलवे का एक सामाजिक उद्देश्य है। मुझे आशा है कि इस सम्मानीय सदन में आज माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावना पर रेल मंत्रालय तथा समस्त सदन राष्ट्रीय हित में सकारात्मक ढंग से कार्यवाही करेगा।

अब मैं अपने राज्य पर आता हूं। जब मैं उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का समर्थन कर रहा हूं, जो आज रेलवे मानचित्र में नहीं है, मैं माननीय मंत्री का ध्यान—मैं विनम्र भाव से अपनी बात कहूंगा—पश्चिम बंगाल राज्य के प्रति किए जा रहे अन्याय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे पास एक सूची है। पांच ऐसी रेलवे परियोजनाएं हैं जिन्हें पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन पैसा अभी मंजूर नहीं किया गया है। और यदि कुछ धन-राशि स्वीकृति भी की गई है तो वह बहुत थोड़ी-सी है। उदाहरणार्थ, लक्ष्मी कान्तापुर-नामखाना परियोजना की प्राक्कलित लागत 47.5 करोड़ रुपए है और इसकी संकल्पना 1982-83 के अंत में की गई थी। आज की तारीख तक केवल 14 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं और 47 किलो-मीटर दूरी में से केवल 10 कि० मी० तक कार्य पूरा हो सका है। हावड़ा-आम्टा परियोजना (30 कि० मी०) की प्राक्कलित लागत 30.42 करोड़ रुपए है और अब तक केवल 19 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं तथा वर्तमान बजट आबंटन केवल 5,000 रुपए का ही है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सांकेतिक धनराशि है···(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : सांकेतिक धनराशि पर निर्भर रहने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप देश को इस आधार पर चलाना चाहते हैं तो आपकी सहायता केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं। उसके बाद दिघा-तामलुक परियोजना है। उसकी प्राक्कलित लागत 73 करोड़ रुपए है। आज तक केवल 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष के लिए बजट आबंटन 99 लाख रुपए का है। श्री रवि राय को भी समझना चाहिए कि यह किस तरह का अन्याय है।

बलूरघाट-एकलखी परियोजना की प्राक्कलित लागत 76 करोड़ रुपए की है और आज की तिथि तक केवल 3 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष के लिए बजट आबंटन 5,000 रुपए का है।

मैं माननीय रेल मंत्री तथा उनके मंत्रालय को कोटशिला-पुरुलिया रेल लाइन में सुधार करने के लिए कुछ धनराशि मंजूर किए जाने पर बधाई देता हूं। लेकिन, यहां मुझे एक शिकायत भी करनी है। यद्यपि पैसा मंजूर कर दिया गया है, फिर भी काम उतने उत्साहपूर्वक ढंग से नहीं शुरू किया गया है जितना इसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक है।

मैं एक चुनाव-क्षेत्र का कई वर्षों से प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर मिलता रहा है। वहां एक परियोजना चल रही है जिसे बारासाट-बनगांव दोहरीकरण परियोजना का नाम दिया गया है। यह संपूर्ण जनपद की जीवन रेखा है। मैं समझता हूं, पैसा मंजूर कर दिया गया है। उसमें कोई सन्देह नहीं है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। लेकिन कमी केवल यह है कि

वहां कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्रता-पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वह मामला पूर्व रेलवे प्रशासन के साथ उठाएं जिससे कि आबंटित धनराशि का समुचित ढंग से प्रयोग किया जा सके और कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके।

मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन मैं उन्हें इस समय उठाना पसन्द नहीं करूंगा। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वे रेलवे की अप्रयुक्त भूमि का वाणिज्यिक प्रयोग करेंगे। पूरे भारत में भारतीय रेलवे के पास 62 हजार हेक्टेयर जमीन है। हमें बताया गया है कि सरकार उसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में कतिपय भवन निर्माण कंपनियों को बेचना चाहती है। इसलिए, हम इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। (व्यवधान)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस बारे में एक भ्रम है। हम पिछले एक वर्ष से कह रहे हैं कि रेलवे की एक हेक्टेयर भूमि भी नहीं बेची जाएगी। दूसरे, 61,000 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है। इस भूमि का प्रयोग केवल रेलवे के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। तीसरे, हमने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जो उन स्थानों का पता लगाएगी, जहां वाणिज्यिक दोहन किया जा सकता है और ऐसे 61 स्थानों का पता लगाया गया है। लेकिन, अभी तक, बान्द्रा की एक प्रायोगिक परियोजना के अतिरिक्त हमने कोई पहल नहीं की है। अभी भी कैबिनेट को इसे अपनी मंजूरी देनी है। यह बान्द्रा परियोजना पिछले तीन वर्षों से चल रही है। बम्बई महानगर विकास प्राधिकरण उस जमीन के इतर प्रयोग हेतु सहमत हो गया है। लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। जो भी पैसा मिलता है, उसे वे उप नगरीय विकास के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जो भी पैसा आता है, हमें उसे भारत की समेकित निधि में जमा करना पड़ता है। अतः, हमें वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय और योजना आयोग के पास जाना पड़ता है। अंततोगत्वा वे अब इस बात से सहमत हो गए हैं कि इन खाली जमीनों के दोहन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त धनराशि को अतिरिक्त धनराशि ही माना जाएगा और यहां तक कि इसका प्रयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया जा सकेगा। जमीन रेलवे के पास रहेगी, केवल उस खाली जगह का उपयोग किया जाएगा। तीन तरह के प्रश्न हैं जिन्हें इस सम्माननीय सदन को समझने में सक्षम होना चाहिए।

यहां तक कि पता लगाए गए प्रत्येक स्थान की जमीन मुश्किल से 3-4 हेक्टेयर है। उसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इस 61,000 हेक्टेयर भूमि का दोहन करने भी जा रहे हैं तो यह मुश्किल से 200 हेक्टेयर अथवा ऐसे ही कुछ होगी। लोग यह समझ रहे हैं कि 61,000 हेक्टेयर भूमि का दोहन किया जाने वाला है। नहीं। आपको यह समझना चाहिए कि यह 61,000 हेक्टेयर जमीन वह कुल जमीन है जो रेल लाइनों के दोनों किनारों पर खाली पड़ी है। इस प्रकार यह आंकड़ा दिया गया है। इस 61,000 हेक्टेयर भूमि में कुछ अति संवेदनशील स्थान हैं जिनका दोहन हम वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। सर्वप्रथम, एक सदस्य ने भूमि को बेचने के बारे में कहा, उसके बाद दूसरे सदस्य ने यही बात कही और अंत में जब मैं यह बात एक वरिष्ठ सदस्य से सुन रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि यह बात भी रिकार्ड की जाए।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे का अपनी भूमि का इंच भी बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा इस बढ़िया भूमि का प्रवर्तकों तथा निर्माणकर्ताओं को अपने निजी लाभ हेतु उपयोग करने नहीं दिया जायेगा। यह रिकार्ड में है तथा जिसके लिए मैं आभारी हूं।

मैं एक और मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं, और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय जिस तरह भूमि के मामलों में स्पष्टवादी रहे उसी तरह इस मामले में भी रहेंगे। और वह मुद्दा यह है कि ऐसा बताया गया है कि रेलवे ने ऐसा निर्णय लिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में वे रोजगार क्षमता में कमी करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : यह भी मैंने माननीय सदस्य तोपदार जी को बता दिया है। जब वे यह कह रहे थे कि हमने जनशक्ति को 16 लाख से घटा कर नौ या बारह लाख कर दिया है, मैंने कहा नहीं।

श्री चित्त बसु : क्या आपने राइट्स की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : 'राइट्स' की सिफारिशें मात्र अनुशंसात्मक हैं। मंत्रालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना है। अतः, किसी भी सिफारिश को मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित करना अनिवार्य नहीं है।

श्री चित्त बसु : क्या आप सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि भारतीय रेलवे में रोजगार क्षमता में कोई कमी नहीं की जाएगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है।

श्री चित्त बसु : मैं एक साधारण आश्वासन चाहता हूं कि रेलवे रोजगार क्षमता में कोई कमी करने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, माननीय सदस्य इस मुद्दे को आगे भी रख सकते हैं, और जब मंत्री महोदय उत्तर देंगे तब इन मुद्दों पर वे अपना जबाव दे सकते हैं।

श्री चित्त बसु : यह ठीक है।

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। जब मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप किया तथा सदस्य महोदय उससे सहमत हो गए ? उन्होंने स्वेच्छा उत्तर दिया है। मैंने उन्हें जबाव देने के लिए बाध्य नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) **:** कैबिनेट मिनिस्टर रिप्लाई देंगे, बीच-बीच में स्टेट मिनिस्टर को अपार्चुनिटी मिलेगी, उसका वे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आपको क्या एतराज है। **(व्यवधान)**

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : आप हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यह नहीं होगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : महोदय, मुझे और किसी बात से कोई रुचि नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय चाहे अभी या फिर अपने उत्तर के दौरान सदन को यह आश्वासन दें कि भारतीय रेलवे का, जोकि देश में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, अपनी रोजगार क्षमता में कमी लाने पर कोई विचार नहीं कर रहा है।

7.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभी माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अब क्या करना चाहते हैं? अतिरिक्त समय समाप्त हो गया है।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : यदि सदन के सदस्य देर तक बैठने के लिए तैयार हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : मेरे पास अभी वक्ताओं की काफी बड़ी सूची है—कांग्रेस के दस, सी० पी० आई० के दो तथा जनता दल आदि के 2 सदस्य हैं जिन्हें बोलना है। क्या हम लोग सदन के समय को एक और घन्टे के लिए बढ़ा सकते हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं केवल दल के नेता तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनूंगा, प्रत्येक सदस्य को नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : शायद सभापति महोदय सदन की इच्छा जानना चाहें।

सभापति महोदय : क्या सदन सभा का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ाए जाने के लिए सहमत है ?

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : नहीं। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। हाउस का टाईम सात बजे तक बढ़ाया गया था, अब सात बज चुके हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : तब आप समय बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि सदन समय बढ़ाये जाने के लिए सहमत नहीं है, इसलिए सभा की बैठक कल 11 म० पू० तक के लिए स्थगित की जाती है।

7.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 7 अगस्त, 1992, 16 श्रावण, 19'4 (शक) के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्री राम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53